अष्टम माला, खंड 14, अंक 11

शुक्रवार, 7 मार्च, 1986
16 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 14, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 11, शुक्रवार, 7 मार्च, 1986/16 फाल्गुन, 1907 (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 185 से 189 और 192 से 195	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—237
तारांकित प्रश्न संख्या : 184, 190, 191 और 196 से 203	26—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1733 से 1846, 1848 से 1875, 1877 से 1907, 1909 से 1937, 1939 और 1941 से 1965	36—230
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	237—245
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1985-86	245
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1983-84	245—248
सभा का कार्य	248—255
निकारागुआ में स्थिति के बारे में चर्चा	255—282
श्री अजय मुशरान	255
श्री एन० वेंकट रत्नम	258
[illegible]	259
डा० गौरी शंकर राजहंस	261

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री इन्द्रजीत गुप्त	262
श्री एदुआर्डो फैलीरो	268
प्रो० के० के० तिवारी	268
श्री सैफुद्दीन चौधरी	271
प्रो० नारायण चन्द पराशर	272
श्री एस० जयपाल रेड्डी	273
श्री हरीश रावत	275
श्री बी० आर० भगत	275
सामान्य बजट, 1986-87—सामान्य चर्चा,	282—300
श्री सी० माधव रेड्डी	282
श्री सी० के० जाफर शरीफ	289
श्री ए० सी० षण्मुख	293
श्री श्याम लाल यादव	298
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति बारहवां प्रतिवेदन	300
विधेयक—पुरःस्थापित	
(1) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 1 में संशोधन आदि)	300—301
डा० दत्ता सामन्त	300
(2) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन आदि)	301
डा० सुधीर राय	301
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 368 में संशोधन)	301—302
प्रो० मधु दण्डवते	301

विषय	पृष्ठ
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक	302
(अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन)	
प्रो० मधु दण्डवते	302
(5) जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक	302—306
प्रो० मधु दण्डवते	302
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक	338
(अनुच्छेद 16 में संशोधन)	
श्री उत्तम राठौड़	338
संविधान (संशोधन) विधेयक	306—316
(नये भाग 10क का अन्तःस्थापन)—अस्वीकृत हुआ	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चुव्हाण	306
श्री आनन्द पाठक	310
संविधान (संशोधन) विधेयक	316—337
(नये अनुच्छेद 16क का अन्तःस्थापन आदि)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जी० एम० बनातवाला	316
श्री राजमंगल पांडे	324
श्री दिग्विजय सिंह	327
श्री राम प्यारे पनिका	328
श्री हरीश रावत	332
श्री मूल चन्द डागा	334

लोक सभा

शुक्रवार, 7 मार्च, 1986/16 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ऋणों की वसूली

*185. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार वसूली की स्थिति से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए व्यवस्था को कड़ी करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के सम्बन्ध में सहकारी क्षेत्र के बैंकों की वसूली की स्थिति इस प्रकार थी :

(राशि करोड़ रुपये में)

जून में समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	मांग की तुलना में वसूली प्रतिशतता
1983	2223	1182	53.2
1984	2725	1406	51.6
1985	3292	1794	54.5

2. वसूली के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन पर बराबर नजर रखी जाती है। बैंकों से अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया और पर्यवेक्षण पद्धति को सुधारने के लिए कहा गया है ताकि अतिदेय हो जाने वाली रकमों को कम किया जा सके। राज्य सरकारों से भी बैंकों की वसूली में आवश्यक सहायता प्रदान क ने का अनुरोध किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को आगे यह कहा है कि वे वसूली के कार्य निष्पादन पर शाखावार नजर रखें और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें जहां पर वसूली, मांग के 50 प्रतिशत से कम हो।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं उस सम्बन्ध में उनसे जान ा चाहूंगा कि 1 करोड़ से अधिक मात्रा के कितने कर्जा-दिहन्दा लोग हैं जिन्होंने बैंकों की राशि वापिस नहीं की ? इसके साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंको की वसूली की स्थिति इस प्रकार थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह वसूली कृषि के बारे में ही है या उद्योगपति और ट्रक आपरेटरों के बारे में भी है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : वर्तमान डाटा रिपोर्टिंग सिस्टम माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बड़े उद्योगों, मंझोले उद्योगों और लघु उद्योगों में अन्तर्ग्रस्त रकम के बारे में बता सकता हूं। ऐसे बड़े, मंझोले और लघु रुग्ण उद्योगों की संख्या 93,382 है, और इन उद्योगों में 3,638.34 करोड़ रुपये की राशि लगी हुई है।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : मेरी तसल्ली इससे नहीं होती है। मंत्री महोदय ने आगे लिखा है कि वसूली के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन पर बरा र नजर रखी जाती है। बैंकों से अपनी ऋण मूल्यांकन और पर्यवेक्षण पद्धति को सुधारने के लिए कहा गया है ताकि अतिदेय हो जाने वाली रकमों को कम किया जा सके। मगर मैं जानना चाहता हूं कि जो बैंकों के अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर हैं और बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन सबकी कारगुजारी से यह लगता है कि सारा राष्ट्र का पैसा बड़े पूंजीपतियों को जा रहा है, किसानों को उसमें लेशमात्र पैसा मिल रहा है। मंत्री महोदय इसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ? जो करोड़ों रुपया बैंकों से ले लिया गया है और अब बैंकों को वापिस नहीं किया जा रहा है, इसमें क्या प्रक्रिया आपने अपनाई है जिससे ज्यादा से ज्यादा वसूली हो ? कितने अर्से तक आप यह पैसा वसूल करेंगे, इसमें करोड़ों रुपये के डिफाल्टर्स हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यह कहना ठीक नहीं है कि किसानों को बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है···

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : जो अफसरों ने पढ़ाया है, वही आप जवाब देंगे ।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र को मिलना चाहिए, हमारा यही लक्ष्य है और हमने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; हमने कुल ऋण 43.2% प्राथमिता क्षेत्र को दिया है । प्राथमिकता क्षेत्र को 20,595 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । जहां तक कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण देने का सम्बन्ध है, हमारा लक्ष्य 15% है; हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं; हमारा कार्य निष्पादन 15.5% है, 7,377 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है। जहां तक कमजोर वर्गों का संबंध है, हमारा लक्ष्य 10% है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं; 4,844 करोड़ रुपये राशि दी जा चुकी है । बैंकिंग क्षेत्र में अग्रिम राशि देने के लिए जो शेष धन उपलब्ध है वह बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है ।

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह अठवाल : मेरा क्वैश्चन यह है, जैसा आप जानते है कि हरियाणा और पंजाब में जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जो गरीबों को लोन दे देते हैं, खासकर छोटे, स्माल फार्मर्स और हरिजनों को जो देते हैं। वे इकट्ठा लोन भी नहीं देते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स की टर्म्स ऐंड कंडीशन्स भी ऐसे हैं कि वे लोन ले नहीं सकते हैं। और अगर पांच हजार का लोन देना होता है तो तीन हजार एक बार देते हैं और दो हजार दूसरी बार देते हैं जिससे वेप्रापर यूटिलाइजेशन न तो तीन हजार का कर पाते हैं और न दो हजार का कर पाते हैं । और जो रिकवरी बैंकों की होनी चाहिए वह भी नही हो पाती है ।

दूसरी बात यह है कि पिछले तीन चार सालों में पंजाब में जो हालत रही है उसको देखते हुए क्या सरकार हरिजन गरीब लोगो को छूट देने के बारे में सोच रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : ऋण प्राप्त करने वालों को पैसा देने का तरीक उनके द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करता है । कई मामलों में, पैसा शुरू में देने की जरूरत नहीं होती । कुछ आस्तियों को अर्जित करते समय पैदा दिया जाता है । कुछ मामलों में जहां धन का भुगतान शुरू में करना होता है, तो वहां पैसा बैंकों को ही देना पड़ता है ।

जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि इसमें अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है, यदि किसी विशिष्ट मामले की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है तो हम उसकी जांच करेंगे । जहां तक वसूली के प्रश्न का सम्बन्ध है—क्या हम कुछ रियायत कर सकते हैं—यह पैसा आखिर जनता

का पैसा है और इसमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। हर कर्जदार का कर्त्तव्य है कि वह ली गई राशि वापिस लौटाए।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में कृषि के लिए दिए गए ऋण और उद्योगों के लिए दिए गए ऋण में क्या अनुपात है ? वास्तव में मुझे बताया गया है कि जहां तक कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण का सम्बन्ध है, उनसे होने वाली वसूली अधिक और संतोषप्रद है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र से बहुत कम वसूली होता है यानि कि वह असंतोषजनक है। क्या यह सच है ?

श्री जनार्दन पुजारी : शुरू में ही जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था तो मैंने बताया था कि आंकड़े बताने वाली वर्तमान प्रणाली से औद्योगिक क्षेत्र से की जाने वाली वसूली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। (व्यवधान) जहां तक बड़े और मंझोले उद्योगों का सम्बन्ध है, 31-12-1983 तक प्रत्येक क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बकाया अग्रिम राशि का प्रतिशत 10.5% है। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, यह 17.3% है। अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग क्षेत्र पर बकाया अग्रिम राशि की यह स्थिति है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह 21.9% है। अतिदेय राशि की यह स्थिति है।

अत: बड़े और लघु औद्योगिक क्षेत्रों में हम नकद ऋण और सावधि ऋण आदि दे रहे हैं। अब मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निदेश दिए हैं कि वह अपनी स्थिति मजबूत बनाएं और आंकड़े बताने वाली प्रणाली में उद्योगों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी जानी चाहिए। मैंने उन्हें वह आंकड़े प्राप्त करने के लिए भी कहा है। जहां तक कृषि क्षेत्र से होने वाली वसूली का सम्बन्ध है, यह 54.5% है। इसमें भी सुधार की जरूरत है। हम इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। उस क्षेत्र में भी सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री अमल दत्त : प्रश्न ऋणों की वसूली के बारे में है। हमें बैंक खातों के बारे में प्राय: ही लेख देखने को मिलते हैं। यह सारी सुनी-सुनाई बात है और मंत्री महोदय को इसे स्पष्ट करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुत से ऋणों को बट्टे-खाते में डाल दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि हजारों करोड़ रुपयों की राशि के सम्बन्ध में मामले दायर किए गए हैं। बहुत बड़ी राशि के ऋण भी हैं जिनकी वसूली नहीं हो पाई और शेष लेखे अव्यवस्थित हैं। क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान कितनी राशि के या कितने प्रतिशत ऋण बट्टे खातों में डाल दिया गया है और पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि के और कितने प्रतिशत ऋणों के बारे में मामले दायर किए गए हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्य सभा के एक अनुभवी सदस्य हैं और उन्हें स्थिति की जानकारी भी है। संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार हमें डूब गई रकमों के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। अत: मैं उसे बताने की स्थिति में नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति । शांति ।

श्री अमल दत्त : आप खाते विशेष के बारे में जानकारी नहीं दे सकते ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 93,282 रुग्ण उद्योगों में 3,638.39 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। जो बताया जा सकता है मैं उसे छिपाना नहीं चाहता । जब इस पर सांविधिक प्रतिबन्ध लगाया गया है तो मैं उसे प्रकट करने की स्थिति में नहीं हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मामला संभालने दीजिए ।

[हिन्दी]

आप मुझे बोलने तो दो ।

[अनुवाद]

वे डूबी रकम की बात कर रहे हैं, नाम नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : कानूनन मैं यह नहीं बता सकता·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति । शांति । यदि मैं ठीक समझता हूं·····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कुछ बातें पूछ रहा हूं तो आप बार-बार अनावश्यक रूप से व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? क्या बात करने का यही तरीका है ? मैं समझता हूं कि श्री दत्त राशि के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री अमल दत्त : मैं बैंक द्वारा दिए गए उन ऋणों के प्रतिशत के बारे में पूछ रहा हूं जिन्हें बट्टे खाते डाल दिया गया है । मैं निजी बैंकों और निजी खातों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत हानि हुई ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं । तुलन-पत्र में भी ये आंकड़े प्रकाशित नहीं होते हैं और हमसे भी इनके बारे में बताने की अपेक्षा नहीं की जाती ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनसे पूछने दीजिए । कृपया बैठ जाइए । जो भी नियम हैं हम उन्हें लागू करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : सभा को इसकी जानकारी होनी चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह देखेंगे, अगर इनरइटल होगा तो जरूर जानेंगे।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, वह कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए महान्यायवादी को यहां बुला सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सवाल के लिए जब आपकी बारी आयेगी, तब करना।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, पूंजीपति सारा पैसा खा रहे हैं, आप हमें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं मैम्बरों को सवाल पूछने देता हूं और किसी को तो नहीं पूछने देता। यह तो कहीं लिखा नहीं है कि व्यास जी पूछेंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। जब आपकी टर्न आएगी तब बोलना।

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं कि पहले आप यह मुद्दा समझ लीजिए फिर मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : इस समय मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे प्रकट करूं.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा जो नियमों के विरुद्ध है। मैं चाहता हूं कि आप पहले स्वयं संतुष्ट हों और फिर सभा को संतुष्ट कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मेरा एक और मुद्दा है.....

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मंत्री महोदय को वह कानून उद्धृत करने दीजिए जिसके अन्तर्गत.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी उनसे यही कहा है कि वह निश्चय कर लें कि नियमों के अनुसार उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मैंने उनसे यही कहा है। फिर जब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वित्त मंत्री का कहना है कि कोई भी कानून·····नहीं रोकता····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई कानून नहीं है, तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि कानून है तो बहुत अच्छी बात है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कोई बात नहीं छिपाएंगे। मैंने यह नहीं कहा कि आप कोई बात छिपाना चाहते हैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित कर लें·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात में बाधा न डालिए। यह बहुत खराब आदत है। मैं आपके लिए कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह निश्चय कर लें कि आपका तर्क सही है और आप सही बात कह रहे हैं। उसके बाद आइए।

संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय वस्त्रों का निर्यात

*186. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को कुल कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ग) निर्यात किए गए वस्त्रों में आन्ध्र प्रदेश का कितना योगदान है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत को अमरीकी बाजार में अन्य एशियाई देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने तथा हमारे निर्यात के बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका को गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए टैक्सटाइल तथा क्लोदिंग की कुल मात्रा निम्नोक्त प्रकार थी :—

	(करोड़ रु०)
1983	279.41
1984	410.29
1985	476.12

(ग) वस्त्र निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(घ) कुछ एशियाई देशों से प्रतियोगिता है ।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) वस्त्र उत्पादों के आधुनिकीकरण के लिए आसान ऋण योजना उपलब्ध है ।

(ख) आधुनिक मशीनों को, जो देश में विनिर्मित नहीं होतीं, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति है ।

(ग) निर्यात दायित्व से जुड़े हुए बड़े अर्ज के शटल रहित करघों तथा रोटर कताई मशीनों को रियायती आयात दर आयात करने की अनुमति है ।

(घ) पहले जनवरी, 1984 से नकद मुआवजा सहायता की दरें काफी बढ़ा दी गई हैं । ये दरें 1985 के दौरान जारी रहीं । इन दरों को मार्च, 1986 तक पूरी होने वाली समीक्षा के अध्यधीन 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ङ) आयात निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट-17 के द्वारा आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात हकदारियों को उदार बनाया गया है । 1985-88 के लिए आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट-19 तथा 21 के द्वारा अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और शुल्क मुक्त आर० ई० पी० योजना के अन्तर्गत आयात करने के लिए कच्चे माल/वस्त्रों की कुछ मदों की अनुमति है ।

(च) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोन योजनाओं के अन्तर्गत कई अन्य रियायतों के साथ-साथ अनिवार्य निर्यात दायित्व के साथ पूंजी माल तथा कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं दी जाती हैं ।

(छ) घरेलू वस्त्र मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति है ताकि निर्यातक आधुनिक मशीनें प्राप्त कर सकें। ऐसी आधुनिक मशीनों की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति है जिनका देश में विनिर्माण नहीं होता। परिधानों तथा हौजरी की वस्तुओं के लिए लगभग 114 आवश्यक मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है, जिनमें से 97 को आयात-निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट-1 भाग ख के द्वारा रियायती आयात शुल्क की छूट प्राप्त है।

(ज) नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत विनिर्माता-निर्यातकों के लिए सरकार ने नई आयात-निर्यात पास बुक योजनाएं लागू करने की घोषणा की है।

(झ) फैशन, डिजाइन के क्षेत्रों में, विशेष रूप से परिधान व्यापार के लिए शिक्षा, अनुसंधान, सेवारत तथा प्रशिक्षण के लिए सरकार ने दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(ण) सरकार नए उत्पादों तथा नए बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता देती रही है। 10% अधिक आर० ई० पी० नए उत्पादों तथा नए बाजारों के लिए दी जाती है।

(ट) सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियों के प्रायोजन के लिए तथा उनको धन की व्यवस्था करने के लिए उदार सहायता तथा राजस्व देती रही है।

(ठ) परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरों को उदार बनाया गया है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, अमरीका को जो कपड़े भेजे जा रहे हैं, उसमें आन्ध्र प्रदेश से कितने भेजे गए हैं और उसका क्या योगदान है ? चूंकि आन्ध्र प्रदेश हर क्षेत्र में आगे-आगे जा रहा है, तो मैं जानना चाहता था कि कहीं हम इसमें पीछे तो नहीं हैं। वहां हैंडलूम का काफी काम होता है। इसलिए मैं जानना चाहता था, आन्ध्र प्रदेश से कितना कपड़ा भेजा गया ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कहते हैं कि इनके पास नहीं है।

श्री वी० तुलसी राम : रखना तो चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसी का नहीं है, तो आपका क्या रखेंगे।

श्री वी० तुलसी राम : इसलिए मैं कह रहा था कि रखना तो चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दीजिए ।

श्री बी० तुलसी राम : मंत्री जी को इन्फार्मेशन देनी चाहिए । एक्सपोर्टर्स का रिकार्ड आपके पास होगा । उसके हिसाब से आप देख सकते हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इसका जवाब कब तक देंगे ?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : राज्यवार और जिलावार इन आंकड़ों को रखना बहुत कठिन है।

श्री अमल दत्त : इसे आप कम्प्युटर की सहायता से भी नहीं कर सकते हैं·····?

श्री खुर्शीद आलम खां : जी नहीं, हमारे पास कम्प्युटर नहीं हैं ।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, अमरीका और दूसरे देशों में जो कपड़ा आप भेजें, जिसमें कम्पीटीशन हो रहा है, वह अच्छा भेजें ताकि उसमें ज्यादा कम्पीटीशन न हो । वहां अच्छी बिक्री होने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, व्यवस्था तो कर ही दी गई है । उसमें ड्रा-बैक ड्यूटी जाती है, सी० सी० एस० जाता है । उनके बायर्स और सैलर्स मीट करते हैं । टैक्सटाइल में उनके लिए एक इन्स्टीचूट खोल रहे हैं । वह फैशन इन्स्टीचूट होगा । वह अच्छे-अच्छे कपड़े और डिजाइन को बनाएगा और लोगों की मदद करेगा, ताकि क्वालिटी कन्ट्रोल को इम्प्रूव करके कपड़ों को बाहर भेजा जा सके ।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों के निर्यात के लिए सी० सी० एस० और अन्य प्रोत्साहन बढ़ाये गये हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि इस प्रोत्साहन और जमा की गई शुल्क राशि को प्राप्त करने में आसाधरण देरी होती और जैसा सरकार ने जो यह मोडवेट प्रणाली की घोषणा की है और जिसके अनुसार आज स्वतः ही जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं; उसको ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह सुविधा निर्यातकों को प्रदान करेंगे जिसके द्वारा स्वतः शुल्क वापसी का प्रावधान है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं निश्चित रूप से शुल्क लेना चाहूंगा किन्तु वित्त मंत्रालय के मेरे मित्रों को और अधिक सहयोग देना होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं; उससे पता चलता है कि निर्यात बढ़ा है। यह वास्तव में प्रसन्नता की बात है किन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारत से आयात किये जाने वाले वस्त्रों पर संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों द्वारा अत्यधिक संरक्षणात्मक शुल्क का प्रतिबन्ध लगाने से अमरीका के बाजार में हमारे वस्त्रों के निर्यात किये जाने पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ा है; अथवा नहीं। यदि पड़ा है; तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई कोटा प्रणाली चला रखी है और क्या उसके अनुसार हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। इस मामले को अमरीकी प्राधिकारियों के साथ उठाने के सम्बन्ध में हम क्या प्रयास कर रहे हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : (एम० एफ० ए०) बहु-रेशे सम्बन्धी समझौते के अधीन कोटा प्रणाली लागू होती है और निर्यातक विकासशील देश इस बहु-रेशे सम्बन्धी समझौते के पक्ष में नहीं हैं, किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि आयातक देश और विकसित देश अधिकांश रूप से इस समझौते के पक्ष में हैं। वास्तव में, हम यह चाहते हैं कि यह समझौता 'गेट' के समझौते के अन्तर्गत होना चाहिए जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि न कोई प्रतिबंध होना चाहिए और न कोई कोटा प्रणाली होनी चाहिए और केवल आयातक देश सीमा शुल्क बढ़ा सकते हैं किन्तु सीमा शुल्क सभी देशों के लिए एक सा होना चाहिए और किसी देश के प्रति भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : हमने हाल ही में अमरीका में जो भारत मेला आयोजित किया था, उसका प्रभाव अमरीकी जनता पर बहुत अच्छा पड़ा है और इन प्रदर्शनियों में हमें अपने कुछ वस्त्रों को प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर मिला था। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रदर्शनियों का हमारे वस्त्र निर्यात पर कोई अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

श्री खुर्शीद आलम खां : भारत मेले का संयुक्त राज्य अमरीका में पर्यटन और व्यापार के सभी पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इस व्यापार में वस्त्रों का व्यापार भी शामिल है।

अप्रतिबंधित निर्यात के लिए चाय उद्योग की मांग

*187. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग ने वर्ष 1986 में चाय के अप्रतिबंधित निर्यात की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) निर्यात कोटा प्रतिबन्ध तथा न्यूनतम निर्यात कीमत अपेक्षाएं पहले ही समाप्त किया जा चुका है ।

श्री आनन्द पाठक : मेरे मुख्य प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि निर्यात कोटा प्रतिबन्ध और न्यूनतम निर्यात कीमत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। तथापि, निर्यात कोटा प्रतिबन्ध और न्यूनतम निर्यात कीमत तक ही सीमित नहीं है । और भी अन्य उपाय हैं। उत्पादन, निर्यात और स्वदेशी बाजार में चाय की सप्लाई किये जाने के बारे में सरकार कोई सुदृढ़ नीति नहीं निर्धारित कर पाई है। 1984 में चाय निर्यात से 745 करोड़ की, 1985 में 700 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी । चाय उद्योग, शुल्क, कर, उपकर आदि के रूप में सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ । इस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक तथा अप्रत्यक्ष रूप से भी लगभग उतने ही व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है । उपरोक्त बातों तथा इस उद्योग के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कोई सुदृढ़ राष्ट्रीय चाय नीति निर्धारित करने का है; जिससे कि देश अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी बाजारों की आवश्यकता पूरी कर सके और बाजार में आकस्मिक उतार-चढ़ाव आने के बावजूद अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाये रख सकें ।

श्री पी० शिव शंकर : वास्तविकता यह है कि चाय के उत्पादन और विपणन सम्बन्धी सुदृढ़ और प्रगतिशील राष्ट्रीय नीति के कारण ही स्थिति हर वर्ग में बेहतर होती जा रही है । इस बात के बावजूद कि इस वर्ष भी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई हैं, यूनिटवार हमारा निर्यात बढ़ा है और हमें विदेशी मुद्रा सहज रूप में उतनी ही उपलब्ध हो रही है । मैं आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इसमें समय लगता है । वास्तव में, स्थिति यह है । वर्ष 1985 में हमने 2220 लाख किलोग्राम चाय निर्यात की थी जो इससे पहले की वर्षों की तुलना में पर्याप्त अधिक है और इससे 711 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है । अब यदि कीमत की बात ली जाये तो कीमत के मामले में गत वर्षों की तुलना में वह पहले से मामूली सी कम है और उसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है । किन्तु गत वर्ष की तुलना में चाय अधिक मात्रा में निर्यात की गई है।

श्री आनन्द पाठक : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस वर्ष अधिक मात्रा में चाय का निर्यात किया गया है और मेरे विचार से लक्ष्य के अनुरूप अधिक चाय का निर्यात हो सकता है । किन्तु उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मैं समझ नहीं पा रहा कि यह लक्ष्य किस प्रकार पूरा करना सम्भव हो सकेगा । इसके अलावा, यह भी प्रसन्नता की बात है कि चाय की स्वदेशी बाजार में भी भारी खपत है । किन्तु स्वदेशी बाजार में चाय की कीमत इतनी अधिक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं, पहुंच के बाहर है । आपको पता होगा कि स्वदेशी बाजार में छठी योजना के अन्त में 4160 किलोग्राम चाय की खपत हुई थी और सातवीं योजना में इसकी खपत 5030 कि०ग्रा० तक हो जाने की सम्भावना है । मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वदेशी बाजार के लिए चाय का उचित मूल्य निर्धारित करने के बारे में विचार करेगी ।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, आज की स्थिति यह है कि चाय की कीमत इस समय बहुत ठीक है। जनवरी, 1986 में कलकत्ता के बाजार में चाय की कीमत 23 रुपये प्रति किलो थी जबकि जनवरी, 1985 में उसकी कीमत प्रति किलोग्राम 29 रुपये 43 पैसे थी। इसलिये, यह कहना कि स्वदेशी बाजार में चाय की कीमत कम नहीं है; कहना ठीक न होगा।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : हमें इस कीमत पर चाय कभी भी प्राप्त नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : आपकी आपत्ति क्या है ? यदि आप मुझे बतायें ताकि मैं उत्तर दे सकूं।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री आनन्द पाठक को उत्तर दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपत्ति जानना चाहता हूं जिससे कि मैं उत्तर दे सकूं।

एक माननीय सदस्य : क्या आप पूरी सभा को संतुष्ट कर सकते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : ठीक है। प्रश्न के आधार पर मुझे पूरी सभा को संतुष्ट करना है।

(व्यवधान)

प्रो० जी० जी० स्वैल : मंत्री महोदय द्वारा बताये गये मूल्य पर उन्हें चाय नहीं मिल रही है। प्रश्न यह है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : यदि यह आपत्ति है कि मैंने जो कीमत बताई है; उस कीमत पर चाय उपलब्ध नहीं है; तो मैं उसके बारे में जांच करूंगा। यह बात नहीं है कि मैं अपने को बचाना चाहूंगा। मैं नीलामी के सम्बन्ध में कह रहा था। कीमत नीलामी के आधार पर निर्धारित की जाती है। वास्तव में, इस प्रयोजन के लिए, हाल ही में यह धारणा बनाई गई है कि जहां उत्पादकों का सम्बन्ध है, चाय के उत्पादन में जो श्रम किया गया है, उसका उन्हें समुचित पारिश्रमिक तो मिलना ही चाहिए। देश में विशेषकर केन्द्रीय चाय निगम द्वारा जो चाय उत्पादित की जाती है तथा जिसका उपयोग स्वदेशी बाजार में किया जाता है, उसके 75 प्रतिशत भाग की नीलामी को चीन, गौहाटी और कलकत्ता के तीन बाजारों में की जाती है जिससे विभिन्न क्रेता वहां पहुंच सकें और चाय की कीमत एक उचित दर पर निर्धारित की जा सके। और उसी आधार पर मैंने कहा था कि जहां तक जनवरी का सम्बन्ध है, कलकत्ता में चाय की कीमत 23 रु० प्रति किलो थी जो गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान की कीमत से पर्याप्त कम है। अब, महोदय, जहां चाय की कीमत निर्धारित करने का प्रश्न है; स्वदेशी बाजार में उसकी कीमत निर्धारित नहीं की जाती है क्योंकि स्वदेशी बाजार मूल्य नीलामी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह सही है कि न्यूनतम निर्यात कीमत कुछ ही अवसरों पर निर्धारित की जाती है। और मैंने कहा था उस कीमत को भी वापिस लेना पड़ा था

क्योंकि यह बात कुछ परिस्थितियों पर आधारित होती है; जिसके बारे में विस्तार से बताना मैं आवश्यक नहीं समझता क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है; उसका सम्बन्ध स्वदेशी बाजार से है। उन्होंने विदेशी बाजार के बारे में नहीं पूछा है। इसलिए मैं कोई विवरण नहीं दे रहा हूं।

प्रो० जी० जी० स्वैल : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि निर्यात कोटा वापस ले लिया गया है; चाय की निर्यात कीमत सम्बन्धी अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि निर्यात निर्बाध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नये प्रबन्ध के अधीन आज देश में चाय का कितना उत्पादन होता है और नये प्रबन्ध के अधीन कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया जाना संभव है और क्या इस नये प्रबन्ध से स्वदेशी चाय की खपत पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, वर्ष 1985 में चाय का उत्पादन 6570 लाख किलोग्राम था। आन्तरिक खपत 4150 लाख किलोग्राम है। विदेशों को 2220 लाख किलोग्राम का निर्यात किया जाता है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

प्रो० जी० जी० स्वैल : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नई व्यवस्था के अंतर्गत कितनी चाय निर्यात करने की सम्भावना है और क्या इस प्रकार का अध्ययन किया गया है कि देश में चाय की खपत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ? कितना निर्यात करने की सम्भावना है ?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने कहा है कि न्यूनतम 2200 लाख किलोग्राम। और स्थिति यह है कि यह किसी भी प्रकार से घरेलू बाजार को प्रभावित नहीं करेगा।

हरियाणा में पर्यटन संवर्धन

*188. **श्री चिरंजी लाल शर्मा† :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में पर्यटन के सम्वर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है;

(ख) विकसित किए जाने वाले स्थानों के नामों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विभाग ने राज्य सरकार से परामर्श करके हरियाणा राज्य में (1) बड़खल (2) धारुहेड़ा,

(3) गुडगांव (4) होडल (5) कालेश्वर (6) करनाल (7) कुरुक्षेत्र (8) नारायणगढ़ (9) पलवल (10) पंचकुला (11) पानीपत (12) पिंजौर (13) रोहतक (14) सिघौरा (15) सुलतानपुर (16) सोना (17) सूरजकुण्ड (18) ताजेवाला अभिनिर्धारित किए हैं जहां केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टर के मिश्रित संसाधनों द्वारा पर्यटन आधार संरचना का अवस्थाबद्ध विकास किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार ने कुरुक्षेत्र में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए 31.65 लाख रुपये की पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अगरोहा और कुरुक्षेत्र में यात्रिकाओं का निर्माण करने के लिए उपयुक्त स्थलों का निर्धारण करने के वास्ते राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। यात्रिकाओं का निर्माण एक पंजीकृत सोसाइटी भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा किया जाता है, जिसे अपने व्यय का लगभग 90% पर्यटन विभाग से सहायता-अनुदान के रूप में मिलता है।

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित निम्नलिखित स्थान कब अभिनिर्धारित किए गए हैं: (1) बड़खल, (2) धारूहेड़ा, (3) गुड़गांव, (4) होडल (5) कालेश्वर (6) करनाल (7) कुरुक्षेत्र, (8) नारायणगढ़, (9) पलवल, (10) पंचकुला, (11) पानीपत, (12) पिंजौर, (13) रोहतक आदि और इस तरह के अभिनिर्धारण का मानदण्ड क्या है और क्या भारत सरकार अथवा पर्यटन मन्त्रालय ने इन स्थानों के विकास के लिए अभी तक कुछ योगदान किया है?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके बहुत पहले इन स्थानों को अभिनिर्धारित किया गया था। अतः भारत सरकार ने सभी योजनाओं में इन जगहों के विकास के लिए कुछ योगदान किया है और वह सातवीं योजना में भी योगदान करने जा रही है। परन्तु यह सब योजना के गुणावगुण पर निर्भर है। हरियाणा सरकार ने कुछ योजनाएं भेजी हैं जो विचाराधीन हैं। एक-दो को मंजूरी दी गई है, किन्तु अधिकांशतः हरियाणा राज्य सरकार ने स्वयं हरियाणा में पर्यटन के विकास के लिए बहुत राशि खर्च की है और अच्छी तरह से इसका विकास किया है।

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा है कि पर्यटन के मूलभूत ढांचे का, केन्द्र, राज्यों और निजी क्षेत्र के संयुक्त संसाधनों द्वारा चरणबद्ध ढंग से विकास किया जाएगा। क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि पर्यटन स्थलों पर इन स्थानों के विकास के लिए निजी क्षेत्र ने क्या योगदान किया है?

श्री एच० के० एल० भगत : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं कि निजी क्षेत्र में इस सम्बन्ध में कितना काम किया है, हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। विशेषकर आवास, परिवहन और मनोरंजन के क्षेत्र में। किन्तु मैं नहीं कह सकता कि निजी क्षेत्र ने अभी तक इन योजनाओं के बारे में क्या किया। अधिकांशतः राज्य सरकार—हरियाणा सरकार—ने ही केन्द्रीय सरकार की सहायता से ऐसा किया है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या हरियाणा तथा देश में और कहीं पर्यटन केन्द्रों के मूलभूत ढांचे के विकास के सम्बन्ध में भार वहन करने के बारे में ब्यौरे तैयार किए गए हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : किसी प्रकार भार वहन करने के सम्बन्ध में कोई सूत्र नहीं है। इसकी स्थिति इस प्रकार है : योजना आबंटन में प्रत्येक राज्य के लिए अलग योजना आबंटन है। उदाहरणतया हरियाणा में, सातवीं योजना में 11 करोड़ रुपये हैं।

जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, केन्द्र प्राप्त होने वाली धनराशि का आबंटन राज्य-वार नहीं करता है। राज्य-वार आबंटन नहीं होता है। योजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर योजनाओं के आकर्षण, पर्यटकों और स्थानों की संख्या और वे क्या करने जा रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। राज्यों को अपनी योजनाओं के लिए पर्यटन के लिए अलग राशि मिलती है। और गैर-योजना राशि में से भी वे पर्यटन पर कुछ खर्च करते हैं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या हरियाणा की साधन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए, विशेषकर वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने और सोनीपत और कुरुक्षेत्र जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है ?

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा कि मैंने कहा है, इन स्थानों का पता लगाया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार की नीति यह है कि जहां भी वन्य प्राणी पर्यटन सम्भव है, वहां ऐसा होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के लिए हमारे पास बहुत-सी योजनाएं हैं। कुछ दिन पहले हमने कुरुक्षेत्र के लिए एक यात्री निवास की मंजूरी दे दी है जो पर्यटन आकर्षण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

सोनीपत के लिए अभी तक हमें कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ! किन्तु किसी अन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में जहां हमें राज्य सरकारों से योजनाएं प्राप्त होती हैं, हम अपने पास उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए निश्चय ही उस पर विचार करते हैं। हमें हरियाणा के लिए बहुत उत्सुक हैं। यह पर्यटन के विकास के लिए बहुत ही आकर्षक स्थान है। इसका अच्छा मूलभूत ढांचा है। उन्होंने अच्छा काम किया है। एक प्रकार से वह इसमें अग्रणी रहा है। और इसके अतिरिक्त यह राज्य उत्तरी क्षेत्र के समीप भी है और इसका अंश भी है जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं। वे सभी एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं।

हमने यह भी निर्णय किया है कि कुछ रियायती सुविधाओ आदि के आधार पर आने वाले संगठित ग्रुपों के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से कुछ क्षेत्रीय समितियां स्थापित की जानी चाहिए। हमें इस बात की उत्सुकता है कि हरियाणा में पूर्ण रूप से प्रगति हो।

चाय के पुराने पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाना

*189. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में चाय के लगभग 40 प्रतिशत पौधे 50 वर्षों से अधिक पुराने हैं और वर्ष 2000 तक चाय के आयात की मजबूरी को रोकने के लिए शीघ्र इनके स्थान पर नए पौधे लगाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह बात ठीक है कि भारत में बड़ी प्रतिशतता में चाय झाड़ियां बहुत पुरानी हैं क्योंकि संगठित चाय बागान कार्य लगभग 100 साल पहले आरम्भ हुआ था। सरकार उत्पादन-वृद्धि के लिए चाय की झाड़ियों के विस्तार पुनर्रोपण तथा प्रतिस्थापन के महत्व को पूरी तरह से जानती है। चाय के अधीन कुल 3.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 1950 से 1984 तक इन उपायों के अन्तर्गत कवर किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां कि पुनर्रोपण महंगा और कठिन होता है, बड़े पैमाने पर नवीकरण, छंटाई तथा भराई की गई है।

ये वे उपाय हैं जिनके फलस्वरूप चाय का उत्पादन 1951 में 285 मिलियन कि० ग्रा० से बढ़कर 1985 में 657 मिलियन कि० ग्रा० हो गया है।

पुनर्रोपण की गति बढ़ाने में मुख्य अवरोध चाय झाड़ियों की विकास अवधि के कारण फसल की क्षति रहा है। चाय उद्योग उच्च कीमतों वाले वर्षों में पुरानी झाड़ियां काटने के लिए अनिच्छुक रहा है और कम कीमतों वाले वर्षों में निधियों की समस्या बनी रही है।

चाय बोर्ड फसल क्षति हेतु मुआवजा देने के लिए पुनर्रोपण उपदान योजना चलाता रहा है। हाल में इस क्रियाकलापों के लिए कम लाभप्रदता वाले वर्षों में उपयोग हेतु नाबार्ड के यहां जमा लाभों के कर मुक्त पूर्वावशिष्ट की अनुमति देने के लिए एक योजना स्वीकृत की गई है।

श्री वसुदेव आचार्य : मन्त्री ने कहा है कि वर्ष 1984-85 में देश में लगभग 4 लाख एकड़ में चाय झाड़ियां थीं, जिनमें से 40% झाड़ियां 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी थीं। 5 से 30 वर्ष पुरानी चाय झाड़ियां, जिनमें पूरे पत्ते निकल आए हैं, केवल 25% हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बात को नहीं टाल रहे हैं; वह झाड़ियों को निकाल ही देना चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् 1985 में उत्पादन लक्ष्य 6890 लाख किलोग्राम था, किन्तु वास्तविक उत्पादन केवल 6450 लाख किलोग्राम था। उन्होंने यह कहा है।

श्री पी० शिव शंकर : 6570 लाख किलोग्राम ।

श्री वसुदेव आचार्य : लक्ष्य 6890 लाख किलोग्राम था । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् 1990 के लिए 8060 लाख किलोग्राम है; और वर्ष 2000 के लिए 10840 लाख है । ये लक्ष्य हैं । किन्तु वृद्धि की इस दर पर, क्या ये लक्ष्य प्राप्त होंगे ? सरकार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन की दर में वृद्धि करने के लिए कौन से कदम उठा रही है ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे इस बात का खेद है कि मेरे माननीय मित्र के आंकड़े पूरी तरह से सही नहीं हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : सही आंकड़े क्या हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : उनका प्रश्न यह है कि क्या आंकड़े सही हैं या नहीं ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं कहूंगा कि जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं वे सही नहीं हैं । इसीलिए मैंने कहा पूरी तरह से नहीं हैं; मैंने यह शब्द कहा । वर्ष 1985 के लिए निर्धारित लक्ष्य 6550 लाख किलोग्राम था और हम 6570 लाख किलोग्राम, अर्थात् 20 लाख किलोग्राम अधिक तक पहुंच गए हैं; और उसी आधार पर, मैंने पहले भी कहा कि 4150 लाख किलोग्राम आन्तरिक खपत के लिए हैं जिससे 2420 लाख किलो अधिक बच जाते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी, 7600 लाख किलोग्राम लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इस अवधि के लिए आन्तरिक खपत के लिए 4750 लाख किलोग्राम होगी जिससे 2850 लाख किलोग्राम अधिक बच जाएगा जो निर्यात के लिए रखा जाएगा । माननीय सदस्यों ने मुझसे विभिन्न उपायों के बारे में पूछा है । जहां तक 2000 का सम्बन्ध है, निस्सन्देह इस सम्बन्ध में अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । जब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे तो हम अवश्य ऐसा करेंगे । मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं अपने मित्र को आंकड़े देने के लिए तब तक जिन्दा भी रहूंगा । किन्तु उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए गए हैं । और एक योजना भी शुरू की गई है । इन उपायों में निवेशों के अधिकतम उपयोग और खेती के उन्नत तरीके जैसे अल्प अवधि के उपाय हैं । मध्यम अल्पकालिक उपाय इस प्रकार हैं : सिंचाई, जल विकास, नवीकरण, कटाई और भराई; लम्बी अवधि के उपाय इस प्रकार हैं : विस्तार पौध रोपण और पुनःरोपण । विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं : चाय बागान वित्त योजना, पुनःरोपण, विस्तार, रोपण, और उनका स्थान बदलना, चाय मशीनरी और सिंचाई उपकरणों के लिए चाय बोर्ड से ऋण, किराया-खरीद योजना, सिंचाई उपकरणों और मशीनों के लिए चाय बोर्ड से ऋण; पुरानी झाड़ियों के पुनः रोपण के लिए चाय पुनः रोपण राज सहायता, चाय क्षेत्र नवीकरण और समेकन योजना, नवीकरण काट-छांट, और भराई के लिए राज-सहायता, नई चाय इकाइयां वित्तपोषण योजना, और अपरम्परागत क्षेत्रों में चाय की खेती के विस्तार के लिए विशेष ऋण और राज सहायता, दार्जिलिंग ब्याज राज सहायता योजना, दार्जिलिंग बागान, जो उत्पादन की अधिक लागत के कारण नष्ट हो रहा है, के नवीकरण के लिए विशेष योजना, 5.1 प्रतिशत ब्याज सहायता पर बैंकों और चाय बोर्ड से ऋण । इसके अन्तर्गत 9500 हेक्टेयर क्षेत्र आता है । विकास निधि योजना भी है । एक चाय

कम्पनी बाद में अपने लाभ का 20 प्रतिशत कर मुक्त उत्पादिता के उद्देश्य से जमा कर सकती है। चाय के उत्पादन में सुधार लाने के लिए ये विभिन्न उपाय और योजनाएं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाय विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा साधन है, क्या चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव है।

श्री पी० शिव शंकर : अभी तक तो कोई ऐसी योजना नहीं है, किन्तु, जब यह पता चलेगा कि इससे देश को लाभ होने वाला है, तो उस समय हम इसका राष्ट्रीयकरण करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

प्रो० मधु दंडवते : उपभोक्ताओं का राष्ट्रीयकरण मत कीजिए।

श्री चम्पन थामस : तमिलनाडु के नीलगिरि जिला में और केरल के इदुक्की जिला में पुराने बागान हैं। ये गम्भीर संकट की स्थिति में हैं और इनमें से अधिकांश बागानों को पुराने स्वामियों के अधीन घाटा हुआ था। ये पुराने हैं और नए स्वामी इन्हें अन्य क्षेत्रों के लिए नए बागानों में परिवर्तित कर रहे हैं और इस प्रकार विखण्डन कार्य हो रहा है। क्या इन चाय बागानों के इस प्रकार के परिवर्तन और अन्तरण को रोकने तथा सरकार द्वारा पुनः रोपण की कोई योजना है?

श्री पी० शिव शंकर : अभी तक तो ऐसी कोई योजना आरम्भ नहीं की गई है, किन्तु मैंने आंकड़े दिए है। वास्तव में जो उपाय किए गए हैं उनसे देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान होना।

मैंने ये ब्यौरे दिए हैं। मुझे इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय भी किए गए थे। यहां तक कि सातवीं योजना के अन्त में राष्ट्रीय उत्पादन पूर्ण रूप से अच्छा होना।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा। अगला प्रश्न। वह अनुपस्थित हैं।

डा० टी० कल्पना देवी वह भी अनुपस्थित हैं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : फिर किसी समय। आशावादी होना ठीक है। इस प्रश्न में और कुछ नहीं था।

श्री सरफराज अहमद। वह भी अनुपस्थित हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह।

विदेशों में एकत्रित धन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जानकारी की प्राप्ति

*192. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में स्थित विदेशी बैंकों के माध्यम से विदेशों में, विशेष रूप से यूरोप के देशों में एकत्रित धन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या विदेशों में स्थित भारतीय बैंक भी वहां पर एकत्रित धन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में सहयोग कर रहे हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार के विदेशी ऋणों में मुद्रा-विनिमय के लिए व्यवस्था करना भी शामिल है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) गैर-सरकारी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों के उपक्रमों को, मुख्यतः परियोजनाओं की आवश्यकताओं का वित्त-पोषण करने के लिए, भारत और भारत से बाहर कारोबार करने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विदेशों में वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा चयनात्मक आधार पर अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के उधार काफी आकर्षक शर्तों पर लिए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सामान्यतः मुद्रा-विनिमय की व्यवस्था ऋण लिए जाने की मौलिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं होती परन्तु उधार लेने वाले की ऋण शोधन सम्बन्धी लागतों को कम करने के उद्देश्य से कुछ मामलों में ऐसी व्यवस्था का समाश्रय अलग से लिया गया है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस एकत्र किए गए धन का कुछ भाग विदेशों में वास्तव में काला धन है; अगर हां, तो सरकार इनके देश में आने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री जनार्दन पुजारी : काला धन ? हमें पहले दफा यह सूचना मिल रही है। हम इसकी जांच करेंगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या धन उपलब्ध करने के लिए सरकार कुछ एजेंटों को कुछ कमीशन देती है; अगर हां, तो कितना। और क्या सेन्ट्रल बैंक और अन्य बैंक भी इसे देते हैं और इन राशियों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक लेन-देन में शामिल हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : हम निजी व्यक्तियों को कुछ भी कमीशन नहीं देते हैं और निर्धारित मानदंडों के अनुसार, वास्तव में इस राशि का प्रधान व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही लेन-देन होना चाहिए।

[हिन्दी]

भारत-पाक व्यापार समझौता

*193. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी†** :
श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में कोई व्यापार करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत भारत किन वस्तुओं का आयात करेगा और किन वस्तुओं का निर्यात करेगा; और

(ग) इस करार के अन्तर्गत प्रति वर्ष कुल कितने मूल्य के सामान का आयात किया जाएगा और कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से किसी समझौते या करार होने से इंकार किया है लेकिन दूसरी ओर 27 जनवरी के "जनसत्ता" अखबार में प्रकाशित हुआ है कि पाक सीनेट में हाल ही में हुए भारत-पाक समझौते पर एडजौर्नमेंट मोशन लाया गया था और उस प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा गया था कि भारत से तैयार माल के बदले, कच्चा माल निर्यात करने से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा। बहस के उत्तर में, पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री सलीम सैफुल्ला खां ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए सीनेट को भरोसा दिलाया कि समझौते से पाकिस्तान के व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई करार अवश्य हुआ है। यदि नहीं हुआ है, तो समझौते की दिशा में, क्या कोईवार्ता हुई है और उसकी डिटेल्स क्या हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : यह प्रश्न मूलतः व्यापार के सम्बन्ध में है और सप्लीमेंटरी भी आप व्यापार के करार के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। इसी वास्ते मैंने निवेदन किया था कि कोई व्यापार संबंधी करार पाकिस्तान के साथ हमने नहीं किया है। वैसे कुछ बातें जरूर हुई हैं, यदि आप कोई सूचना चाहें तो मैं उसे दे सकता हूं, लेकिन सार तथ्य यही है। वैसे जब हमारे वित्त मंत्री जी पाकिस्तान की

यात्रा पर गए थे तो उनकी व्यापार के सम्बन्ध में वहां काफी बातचीत हुई है। हो सकता है कि उसकी बुनियाद पर कोई व्यापार करार आगे हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे पूर्व भारत किन-किन वस्तुओं का पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता था और हमारे देश में पाकिस्तान से कौन-कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थीं और उसका बैलेंस ऑफ पेयमेंट तथा बैलेंस ऑफ ट्रेड पर क्या प्रभाव इस समय पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वस्तुएं हम निर्यात करते हैं, उनमें चाय, लौह-अयस्क, बीड़ी पत्ता, अल्युमिनियम फासफाइड टिकियां, इमली, ऊष्मसह ईंटें, मशीनरी और परिवहन उपस्कर आदि प्रमुख हैं, पाकिस्तान से हम यूरिया, रॉक नमक, कपाज बीज आदि का आयात करते हैं।

जहां तक व्यापार-सन्तुलन का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि यह हमारे विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय : सत्ता पक्ष की तरफ से ही आज ज्यादा चर्चा हो रही है।

श्री पी० शिव शंकर : अगर मेरे माननीय मित्र जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है, 1984-85 में 12.91 करोड़ का निर्यात किया गया, जबकि पाकिस्तान से हमने 15.75 करोड़ रु० का सामान मंगवाया। इस प्रकार 2.84 करोड़ रु० का व्यापार-असन्तुलन है।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों के बीच जो वार्ता 27 जनवरी को हुई···(व्यवधान)।

श्री पी० शिव शंकर : 27 जनवरी को नहीं, 8 से 10 तारीख तक हुई है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : उस बातचीत के बाद में फिर क्या निर्णय लिया गया, क्या आगे वार्ता होगी, किस विषय में वार्ता होगी, इस सम्बन्ध में मंत्री जी जानकारी प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : और कौन करेगा ?···(व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : हां उस बैठक का कार्यवाही-सारांश लिखे गए थे। उस बैठक में पाकिस्तान ने भारत को निर्यात करने और भारत से आयात करने की कुछ वस्तुओं की सूची बनाई

थी। यह भी तय किया गया था कि फरवरी, 1986 में पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भारत का दौरा करेगा। शायद जल्द ही अधिकारियों का यह दल भारत का दौरा करेगा। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान ने कुछ वस्तुओं के व्यापार को निजी क्षेत्र में करने की भी चर्चा की थी। इस पर और अधिक गहराई में सोचना होगा। अन्य मदों के लिए सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यापार जारी रहेगा। इस बात पर भी सहमति थी कि फिक्की और फैडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्ड्स्ट्रीज की एक संयुक्त व्यापार परिषद् गठित की जाए। यह भी निश्चित किया गया कि भारत और पाकिस्तान में संयुक्त उद्योग स्थापित करने के लिए क्षेत्रों का चयन किया जाए। यह भी निश्चय किया गया कि 'गाट' इकरार के आधार पर व्यापार किया जाए।

विदेशी तकनीकी सहयोग की मंजूरी सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता

*194. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल्टियों, एकमुश्त राशियों, इंजिनियरी शुल्कों इत्यादि के भुगतान की स्वीकृति सम्बन्धी जटिल प्रक्रियाओं तथा आयकर प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा उसका भारतीय रिजर्व बैंक से पुनरीक्षण करवाने जैसी शर्तों के कारण नये विदेशी तकनीकी सहयोग प्राप्ति के अवसरों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले पांच वर्षों में जितने मामलों में विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

1981	389
1982	590
1983	673
1984	752
1985	1024

इस विवरण से स्पष्ट है कि इन वर्षों के दौरान अनुमोदित सहयोग के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि सहयोग के अनुमोदित मामलों के अन्तर्गत धनराशियों की प्रेषणाओं से पहले कर की अदायगी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण से सम्बन्धित जिन औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है उनका पुनरीक्षण बराबर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यकता होती है उनमें सुधार करने के लिए उपाय किए जाते हैं।

श्री के० राममूर्ति : मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि वर्तमान औद्योगिक नीति हमारे देश में अधिक-से-अधिक विदेशी सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में है। मैंने पाया है कि 1985 में सरकार ने करीब 1024 मामलों में सहयोग प्राप्त करने की मंजूरी दी। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने सहयोग करार अमल में लाए गए। हमारे उद्यमियों के रास्ते में वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कहां तक बाधा उत्पन्न करती है? क्या वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई निगरानी कक्ष है जो अन्य मंत्रालयों से तालमेल बनाकर तब तक सहयोग के मामलों पर नजर रखता है जब तक कि वित्त मंत्रालय उसे मंजूरी नहीं दे देता?

श्री जनार्दन पुजारी : हम उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे सीमेंट, उर्वरक, पेट्रो-रसायन, इलेक्ट्रोनिक्स आदि में प्राथमिकता के आधार पर विदेशी सहयोग की अनुमति देते हैं। इनके कार्य की निगरानी की जाती है। वास्तव में, वित्त मंत्रालय कार्य की निगरानी के लिए कदम उठा रहा है। सरकार ने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं और इन कदमों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है।

श्री के० राममूर्ति : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने अब तक 1985 में 1024 मामलों में विदेशी सहयोग की अनुमति दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने सहयोग करारों पर कार्यवाही हुई है, यानि विदेशी सहयोग से हमारे देश में कितने उद्योग कार्य करना आरम्भ कर चुके हैं? मुझे कई ऐसे मामलों की जानकारी है जरा प्रशासनिक मंत्रालय से अनापत्ति-प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से तीन वर्षों से भी अधिक समय तक विदेशी सहयोग नहीं मिल सका। पिछले पांच वर्षों में वित्त मंत्रालय ने जिन भी विदेशी सहयोगों के लिए अनुमति दी है, क्या उन सहयोगों से हमारे देश में उद्योग आदि स्थापित किए जा चुके हैं?

श्री जनार्दन पुजारी : संयुक्त प्रार्थना-पत्रों में जो औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग, और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए दिए जाते हैं, उन पर परियोजना मंजूरी बोर्ड विचार करता है। बोर्ड को 90 दिनों के भीतर अपना फैसला देना होता है। सचिव, उद्योग इस बोर्ड का अध्यक्ष होता होता है और कार्यों की समीक्षा करता है। वित्त सचिव, विदेशी निवेश बोर्ड का अध्यक्ष होता है। यहां भी यही कोशिश की जाती है कि देरी को दूर किया जाए। सचिव, औद्योगिक मंजूरी, सभी अन्य मंत्रालयों से तालमेल का कार्य करता है। अतः सरकार द्वारा विदेशी सहयोग को दी गई मंजूरी के कार्यान्वयन के बारे में जानने में समय लगता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में समय-समय पर समीक्षा करता है। अतः सभी क्षेत्रों के कार्यों पर निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि 90 दिन में क्लोयरेंस बोर्ड की तरफ से हो जाती है, माननीय सदस्य से पूछा कि दो-दो साल से हजार से ऊपर केसेज पैंडिंग पड़े हैं, फिर आपने उनको क्लीयर कराने के लिए क्या किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जिन्होंने 90 दिन से ज्यादा तक क्लीयर नहीं किया?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, कहा है कि संयुक्त प्रार्थना-पत्रों के मामलों में 90 दिन के भीतर फैसला कर लिया जाता है। अन्य मामलों में वे 60 दिनों के भीतर फैसला दे देते हैं।

सिगरेटों की अधिक मूल्य पर बिक्री

*195. **श्री राम भगत पासवान**† :
श्री मनफूल सिंह चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ बहु-राष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों ने मूल्य की स्वीकृति लिए बिना नए ब्रांड की सिगरेटें बनाना शुरू कर दिया है तथा कुछ ब्रांडों की सिगरेटें उनके पैकेट पर छपे मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं : और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि सिगरेटों की निकासी स्वनिकासी कार्यविधि के तहत नहीं की जाती है, इसलिए मूल्य की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का निर्धारण, सिगरेटों के पैकेटों पर मुद्रित बिक्री मूल्य के आधार पर विशिष्ट दरों पर किया जाता है। परचून में, सिगरेटों के कतिपय ब्रांडों को घोषित मुद्रित बिक्री मूल्यों से उच्च मूल्यों पर बेचे जाने की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे ऐसे मामलों में, बाट और माप मानक अधिनियम, 19 6 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के तहत समुचित कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी कंपनियां ऐसी हैं जो बिना प्राइस लिखे हुए, या बिना सरकार से एप्रूवल कराये हुए मनमाने रूप से अपना माल बेचती हैं और इससे सरकार को एक्साइज ड्यूटी का पता नहीं लगता कि कितना माल उन्होंने निकाला है। आई० टी० सी० कम्पनी ने 1984-85 में कितने ही ब्रैंड सिगरेट के निकाले, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई एप्रूवल नहीं ली है। इस बारे में सरकार क्या कर रही है ? अगर उन्होंने कोई एप्रूवल लिया है तो कब लिया है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : विभिन्न किस्मों के सिगरेटों के पैकेटों पर मूल्य अंकित होता है और, कुछ मामलों में एक ही तरह के ब्रांडों के पैकेटों पर भिन्न-भिन्न मूल्य अंकित हैं। जहां कहीं सरकार

के ध्यान में ये मामले लाए जाते हैं, सरकार उन पर कार्यवाही करती है। जब कभी इस प्रावधान का दुरुपयोग होता है, हम पहले ही कार्यवाही करते रहे हैं। दो मामलों में हमने कार्यवाही की है और जांच चल रही है।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : किन-किन के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : जब कभी उल्लंघन होगा, उन पर कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना

*184. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 में ब्रिटेन से आए व्यापार दल का मुख्य प्रयोजन, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भारतीय भागीदारों की तलाश करने का था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके सम्बन्ध में कोई समझौते हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो किए गए करारों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जनवरी, 1986 में ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और संयुक्त उद्यमों का विस्तार तथा संवर्धन करने का था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के तम्बाकू का निर्यात

*190. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेईमान व्यापारी लोग जान बूझकर घटिया किस्म के तम्बाकू का निर्यात करते हैं, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख गिरती है और हमारे निर्यात की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निर्यात किए जाने वाले वर्जीनिया तम्बाकू के गुण-प्रकार निरीक्षण कार्य तम्बाकू बोर्ड को हस्तान्तरित किया जा रहा है, और यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान तम्बाकू बोर्ड को आयातकों से क्वालिटी सम्बन्धी दावों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। तथापि, 1980 के दशक के शुरू में चीन द्वारा भारतीय निर्यातकों के सम्बन्ध में कुछ दावे प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) एक दावे को छोड़कर जो कि अभी अन्तिम रूप से निपटाये जाने के लिए लम्बित है, दावों को आयातकों तथा निर्यातकों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा दिया गया। क्वालिटी नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है।

(ग) वर्जीनिया तम्बाकू के क्वालिटी निरीक्षण से सम्बन्धित कार्य ग्रामीण विकास विभाग के पास ही है। इस कार्य को तम्बाकू बोर्ड को अन्तरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सिक्कों के आयात पर विदेशी मुद्रा का व्यय

*191. **डा० टी० कल्पना देवी :**
श्री सरफराज अहमद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्कों के आयात पर भारी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या देश में सिक्कों की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी अब भी अबाध रूप से चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं। उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे मूल्य वर्ग के 200 करोड़ अद्द सिक्कों की आयात लागत लगभग 64 96 करोड़ रुपए है। तथापि, चूंकि भारत तांबे का विशुद्ध आयातक है और निकल के आयात पर पूर्ण रूप से निर्भर है, इसलिए भारत में उपर्युक्त सिक्कों के निर्माण करने के लिए इन धातुओं के आयात की लागत पर विदेशी मुद्रा में लगभग 37.35 करोड़ रुपए का व्यय होता। अतः, विदेशी मुद्रा का निवल व्यय लगभग 27.61 करोड़ रुपए है।

(ग) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो सिक्कों की जमाखोरी और गलाने के लिए जिम्मेदार हैं, छोटा सिक्का (अपराध) अधिनियम, 197। के अधीन कार्रवाई करने की स ाह दी गई है। तथापि, अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया हैं कि ऐसी कोई गतिविधियां ध्यान में नहीं आई हैं। केवल तीन राज्यों ने सिक्कों की जमाखोरी के कुछ मामलों के सम्बन्ध में सूचित किया है।

(घ) सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने और सिक्कों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं जो कि अन्ततोगत्वा जमाखोरी और मुनाफाखोरी को निरुत्साहित करेगी :

(एक) अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तीनो टकसालों में प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं।

(दो) तीनों टकसालों में काम के घण्टों की संख्या प्रति सप्ताह प्रति पारी 48 घण्टे से बढ़ाकर 60 घण्टे कर दी गई है।

(तीन) विद्यमान तीन टकसालों के आधुनिकीकरण के अंग के रूप में 22 नई सिक्का ढलाई प्रेसें प्राप्त की गई हैं।

(चार) 25-2-1985 से कलकत्ता टकसाल में दूसरी पारी शुरू की गई थी जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 3600 लाख अद्द अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा।

(पांच) एच० एम० टी० को 14 और नई सिक्का ढलाई प्रेसों की खरीद के लिए आर्डर दिए जा रहे हैं।

(छह) स्थानीय उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे मूल्य वर्ग के 200 करोड़ अद्द सिक्के आयात करने का निश्चय किया गया है।

(सात) वितरण तन्त्र को भी सुदृढ़ बनाया गया है। पूरे देश में अधिक छोटे सिक्के के डिपुओं/करेंसी चेस्टों के खोलने के अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी वितरण तन्त्र में लाया गया है।

(आठ) नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक नई टकसाल स्थापित किए जाने का निश्चय किया गया है, और इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

नई टकसाल की क्षमता का अनुमान 200 करोड़ अद्द सिक्के प्रति वर्ष का है। इस परियोजना के, जिसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपए है, 1988-89 तक शुरू हो जाने की आशा है।

सातवीं योजना में उड़ीसा में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

*196. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटल स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में पर्यटन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए कार्यक्रमों को पूरा कर लिया गया है; और

(घ) क्या राज्य की पर्यटन की सम्भावनाओं के अनुरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का उड़ीसा में किसी नए होटल का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम की उड़ीसा में पहले से चली आ रही निम्नलिखित होटल परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।

(1) होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर का, 170.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर वहां 4-स्टार श्रेणी की सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए 36 कमरों के निर्माण द्वारा विस्तार किया जा रहा है।

(2) पुरी में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से 190 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 44 कमरों वाला 3-स्टार संयुक्त उद्यम होटल।

2. केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा राज्य में पर्यटक सम्भाव्यताओं के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है।

3. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की थीं :

	रिलीज की गई राशि (लाख रुपयों में)
(एक) ललितगिरि-उदयगिरि-रत्नगिरि की मास्टर प्लान तैयार करना	3.20
(दो) सिमलीपाल में वन-गृह	10.80
(तीन) लायन सफारी पार्क, नन्दन कानन	19.23
(चार) चिल्का झील के लिए नौकाओं की खरीद	1.80
(पांच) चिल्का झील की मास्टर प्लान	2.00
(छः) कोणार्क में सूर्य मन्दिर के निकट टायलेट ब्लाक का निर्माण	2.61
(सात) खण्डगिरि और उदयगिरि पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था	7.29
(आठ) मेले और त्यौहारों के अन्तर्गत सहायता; चिल्का नौका दौड़	2.14
	49.07

4. उड़ीसा सरकार ने पर्यटकों को आधार-संरचनात्मक सुविधाएं जुटाने के लिए सातवीं योजना में शामिल करने हेतु निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तुत की हैं :

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
(एक) चन्द्रभागा, कोणार्क में पर्यटकों के लिए मूल सुख-सुविधाओं की व्यवस्था	11.50
(दो) कोणार्क में शापिंग काम्पलैक्स और डे-सैंटर का निर्माण	16.85
(तीन) सतपदा, चिल्का झील में यात्री निवास	38.50
(चार) तीन मिनी बसों, छः बैगनेट्स और पांच हाथियों की व्यवस्था	17.58
(पांच) कोणार्क में यात्री निवास	29.00

[हिन्दी]

देश में खाद्यान्न के भण्डारण की व्यवस्था

*197. **श्री राजकुमार राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर्याप्त भण्डारण व्यवस्था के कारण देश के विभिन्न भागों में गेहूं खुले मैदान में पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 और फरवरी, 1986 के बीच की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में कितना गेहूं खराब हुआ;

(ग) इस प्रकार खराब हुए गेहूं का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(घ) गेहूं के उचित भण्डारण की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1-1-1980 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास देश में कवर और प्लिंथ भण्डारण के अधीन 20.38 लाख मीटरी टन गेहूं पड़ा हुआ था ।

(ख) और (ग) विभिन्न गोदामों में क्षतिग्रस्त हुए गेहूं की मात्रा और उसका अनुमानित मूल्य नीचे दिया जाता है :

अवधि	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1983-84	26,318	515.27
1984-85	25,881	594.58
1985-86 (दिसम्बर, 1985 तक अनुमानित)	11,484	अभी आकलन किया जाना है ।

(घ) ढकी हुई भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । योग्य तकनीकी कार्मिकों द्वारा स्टाक के नियमित आवधिक निरीक्षण, रोगनिरोधी तथा रोगहर उपचार के जरिये खाद्यान्नों के स्टाक को स्वस्थ हालत में रखने के लिए उचित सावधानी बरती जा रही है । कवर और प्लिंथ भण्डारण के अधीन भण्डारित स्टाक के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए जाते हैं :

(1) खुले में "पक्के" प्लिंथों पर स्टाक का भण्डारण किया जाता है, जहां पर निचले स्थान

से स्टाक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए डनेज के रूप में लकड़ी के क्रेटों का इस्तेमाल किया जाता है।

(2) कैंप में भण्डारित स्टाक को एल० डी० पी० ई० (निम्न घनत्व पोलीथीन) की चादरों और मोनोफिलामेंट के जालों से अच्छी तरह से ढका जाता है ताकि स्टाक की वर्षा और तूफानों से सुरक्षा की जा सके।

(3) ऊपरी सतह पर पानी के जमाव को रोकने के लिए गुम्बद के आकार के चट्टे लगाए जाते हैं।

(4) धूपदार दिनों को कैंप में भण्डारित चट्टों का नियमित रूप से वातन किया जाता है ताकि स्टाक को नमी से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

चीनी का आयात

*198. **श्री जी० भूपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान चीनी का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और महीनेवार कितनी मात्रा में;

(ख) आयातित चीनी का भारत में आने पर प्रति टन मूल्य क्या है और आयात किए जाने के पश्चात् चीनी पर प्रति टन और क्या शुल्क लगाए गए हैं;

(ग) आयातित चीनी से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(घ) देश में आयातित चीनी किस मूल्य पर बेची गई ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1985 के दौरान चीनी के महीनेवार आयात के अनन्तिम आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

महीना	मात्रा : एम० टी० में०
1	2
जनवरी, 1985	49,966
फरवरी, 1985	32,932
मार्च, 1985	11,926
अप्रैल, 1985	—
मई, 1985	96,387
जून, 1985	61,579

1	2
जुलाई, 1985	1,46,198
अगस्त, 1985	2,19,964
सितम्बर, 1985	2,73,544
अक्तूबर, 1985	2,35,263
नवम्बर, 1985	2,31,897
दिसम्बर, 1985	2,85,261
योग :	16,44,917

(ख) 1985-86 में आयातित चीनी की प्रति मे० टन की अनन्तिम अनुमानित पहुंच लागत (लागत, बीमा तथा भाड़ा, साख-पत्र तथा बैंक प्रभारों, सीमा शुल्क तथा पत्तन हैंडलिंग प्रभारों सहित) 3839 रु० प्रति मे० टन आती है। आयात-पश्चात प्रत्येक मे० टन पर लगाए गए प्रभारों में गोदाम किराया तथा बीमा ब्याज तथा देश के अन्दर चीनी के भंडारण तथा वितरण पर लगे अन्य विविध प्रभार शामिल हैं।

(ग) 1985-86 में चीनी के आयातों पर देय कुल सीमाशुल्क 284 करोड़ रु० (अनुमानित) है।

(घ) आयातित चीनी की बिक्री लेवी कोटे के आधार पर 4.80 रु० प्रति कि०ग्रा० पर मुक्त बिक्री कोटे के नीलामी में खुली बाजार कीमतों पर 5.80 रु० प्रति कि०ग्रा० की अधिकतम कीमत पर बेची जा रही है।

सोने की तस्करी की रोकथाम के उपाय

*199. डा० के० जी० अदियोडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सोने का मूल्य अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य के अन्तर को कम करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि भारत में सोने की तस्करी रोकी जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे अन्तर को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, तस्करी की गतिविधियों के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा ऋण

*200. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का एक दल अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अन्तिम रूप से बातचीत करने के लिए अमेरिका गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) भारत की अत्यधिक ऋण-ग्रस्तता को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से और अधिक ऋण लेने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार का एक शिष्टमंडल, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का एक प्रतिनिधि भी शामिल था, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए एक ऋण के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए नवम्बर, 1985 में संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन गया था ।

(ख) 37.5 करोड़ डालर के एक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋण के बारे में बातचीत पूरी हो गई है ।

(ग) देश की विदेशी ऋण-ग्रस्तता का स्तर और उसके ऋण परिशोधन का संभावित भार विवेकपूर्ण सीमाओं में है । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं, जिनका भारत एक सदस्य है, से उधार उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए जाते हैं । ये हमारे तरजीही विदेशी वाणिज्यिक उधारों के वित्तपोषण सम्बन्धी साधनों का एक भाग है ।

उड़ीसा में नया सब-डिवीजन और जिले बनाने की मांग

*201. श्री सोममाथ रथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गंजम जिले में आस्का में एक नया सब डिवीजन बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार से धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में कुछ नये जिले बनाने के लिए भी धनराशि मंजूर करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

*202. श्री कृष्ण सिंह :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित दिनांक 25 अगस्त, 1985 के "क्लेरिटी" में "पंजाब एंड सिंध बैंक-एशिपविद सिकिंग रेपुटेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब और सिंध बैंक के कार्यों की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने साप्ताहिक "क्लेरिटी" के दिनांक 25 अगस्त, 1985 के अंक में प्रकाशित पंजाब एंड सिंध बैंक के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की है। पिपेरिया धानी शाखा के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी को छोड़कर, जिसके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से समाचार में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में अधिकारियों की ऐसी प्रत्यक्ष अन्तर्ग्रस्तता सिद्ध नहीं हुई जिसकी उपलब्ध रिकार्डों से जांच की जा सके। एक अधिकारी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अभी आनी है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और विश्व बैंक की निधि में भारत का हिस्सा

*203. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और विश्व बैंक से भारत को रियायती निधि से मिलने वाली राशि में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) रियायती धनराशि अधिक प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से निरन्तर सहायता मिलते रहने हेतु सरकार की अमरीकी अधिकारियों के साथ हुई वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत को मिलने वाले उधारों की वचनबद्ध राशि, जो विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष 1980 तक सभी देशों को दिए जाने वाले उधारों की कुल राशि का लगभग 40 प्रतिशत थी, धीरे-धीरे कम होती गई और यह घटकर राजकोषीय वर्ष 1981 में 36.79 प्रतिशत, राजकोषीय वर्ष 1982 में 33.5 प्रतिशत, राजकोषीय वर्ष 1983 में 31.8 प्रतिशत, राजकोषीय वर्ष 1984 में 28 प्रतिशत और राजकोषीय वर्ष 1985 में 22.2 प्रतिशत रह गई।

(ग) और (घ) भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख दाता देशों के साथ, जो इस समय पहली जुलाई, 1987 से लागू होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-VIII के आकार और आबंटन के मानदण्डों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में 'रा काटन मोनोपाली प्रोक्यूरमेन्ट' योजनाओं का कार्यकरण

1733. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में 'रा काटन मोनोपाली प्रोक्यूरमेन्ट' योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई जांच आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या कारण हैं; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना 30 जून, 1986 तक वैध है। महाराष्ट्र सरकार ने उपर्युक्त योजना की अवधि को 30 जून, 1986 से आगे बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने एक समिति का गठन किया है जोकि महाराष्ट्र सरकार की उपर्युक्त योजना की अवधि को आगे बढ़ाने के प्रश्न तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट अभी सरकार को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1734. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान भारत से कुल कितने मूल्य के और कुल कितने समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का रहा है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान उस राज्य से कुल कितने मूल्य के और कुल कितने समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1984 तथा 1985 के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात अनन्तिम तौर पर निम्नोक्त प्रकार थे :—

	1984-85	1985-86 (अप्रैल से दिसम्बर, 1985)
मात्रा (मे० टन)	86187	57113
मूल्य (करोड़ रु०)	384.29	275.13

(ख) केरल राज्य से समुद्री उत्पादों के सबसे अधिक निर्यात हुए ।

(ग) केरल से समुद्री उत्पादों के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य अनन्तिम तौर पर निम्नोक्त प्रकार थे :—

	1984-85	1985-86 (अप्रैल से दिसम्बर, 1985)
मात्रा (मे० टन)	31570	20899
मूल्य (करोड़ रु०)	148.14	94.45

"फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट" का डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

1735. श्री टी० बशीर : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के कुछ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थानों के रूप में दर्जा बढ़ाया है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने कालमसेरी स्थित "फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट" का दर्जा बढ़ाया जाने के बारे में पहले ही अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। छठी योजनावधि के दौरान छः भोजन कला संस्थानें (फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट) का डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थानो के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) वित्तीय और तकनीकी प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए भोजन कला संस्थान कालमसेरी का डिप्लोमा स्तर तक उन्नयन करना संभव नहीं हो पाया है।

साथ न लाए गए सामान को छुड़ाने की प्रक्रिया को सरल बनाना

1736. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि साथ न लाए गए सामान को छुड़ाने की वर्तमान प्रक्रिया विशेषकर दिल्ली में अत्यन्त बोझिल है और गुड़गांव रोड, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय भण्डागार निगम के परिसर में सीमा शुल्क के गोदाम से माल छुड़ाने के लिए लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं और परिवहन आदि पर काफी धन व्यय करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो साथ न लाए गए सामान को छुड़ाने के कार्य को सरल बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) साथ न लाए गए असबाब को हवाई अड्डे से केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदाम में अन्तरित कर दिया जाता है जो ऐसे असबाब के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है। साथ न लाए गए असबाब की निकासी के लिए, यात्रियों को संबंधित एअरलाइन्स से डिलीवरी आदेश प्राप्त करके उसे अभिरक्षक को देना होता है जो तब असबाब को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच करने और शुल्क निर्धारण के लिए प्रस्तुत करता है।

2. सीमा शुल्क-निकासी की प्रणाली को सरल बना दिया गया है। माल की जांच, शुल्क की संगणना और शुल्क रसीद बनाने का काम अब एक ही अधिकारी द्वारा किया जाता है। दस्तावेजों के पंजीकरण और निकासी के लिए एक ही खिड़की प्रणाली चालू हो गई है। किसी प्रकार की देरी न हो अथवा दिक्कत पेश न आए, इसलिए पर्यवेक्षी अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। यात्रियों को हुई कठिनाईयों अथवा निकासी में विलम्ब के संबंध में शिकायतों के अलग-अलग मामलों पर समुचित उपचारी कार्रवाई किए जाने के लिए जांच-पड़ताल की जाती है।

उत्पादन शुल्क के मामलों को निपटाने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायाधिकरण की स्थापना

1737. **श्री के० प्रधानी :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री कमल नाथ :
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के वर्गीकरण और मूल्यांकन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय न्यायाधिकरण गठित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित न्यायाधिकरण का स्वरूप क्या है और वर्तमान केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क न्यायाधिकरणों में इससे किस हद तक सुधार होगा;

(ग) क्या सरकार समय पर राजस्व एकत्रित करने और कार्यवाहियों को स्थगित करवाने के लिए न्यायालयों में जाकर अदायगी को रोके रखने की प्रथा से बचने के लिए ऐसी दलीलों को स्वीकार करने के लिए न्यायालयों पर रोक लगान की वांछनीयता पर विचार करेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों, जिनमें वर्गीकरण और मूल्यांकन के मामले भी शामिल हैं, का निपटान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 323 ख के तहत एक उच्चाधिकार प्राप्त सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क राजस्व (अपीलीय) न्यायाधिकरण का गठन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

पाकिस्तान को पान के पत्तों का निर्यात

1738. **श्री हम्मान मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान को पिछले तीन वर्षों (1982-85) के दौरान कितने मूल्य के (लाख रुपयों में) और कितनी मात्रा में (मीट्रिक टन) पान के पत्तों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : पान के पत्तों के देश वार निर्यात आंकड़े 1982-83 तक उपलब्ध हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान पाकिस्तान को पान के पत्तों के निर्यात 4748 किग्रा० के हुए जिनका मूल्य 56174 रु० था।

उड़ीसा को आवंटित गेहूं में वृद्धि

1739. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को गेहूं सप्लाई किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1984-85 और 1984-86 के दौरान कुल कितने टन गेहूं की मांग की थी;

(ग) उड़ीसा को उक्त वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने टन गेहूं आवंटित किया गया था; और

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय पूल में गेहूं की सन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को किए जाने वाले गेहूं के आवंटन को बढ़ाने का है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 1984-85 के दौरान 5.69 लाख मीटरी टन और 1985-86 के दौरान 7.19 लाख मीटरी टन गेहूं की मांग की थी ।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा रोलर फ्लोर मिलों के लिए और विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार को 1984-85 में 4.61 लाख मीटरी टन और 1985-86 में 6.79 लाख मीटरी टन गेहूं के कुल आवंटन किए गए थे ।

(घ) जी, हां । उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों के गेहूं के आवंटनों को उदार कर दिया गया है ।

कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

1740. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1986 को कितनी कपड़ा मिलें बंद पड़ी थीं;

(ख) इनमें से कितनी कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शेष मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 31 जनवरी, 1986 को बंद पड़ी चूलपूर्व सूती वस्त्र मिलों की संख्या 73 है।

(ख) तथा (ग) सरकार का इन मिलों में से किसी को भी राष्ट्रीयकृत करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास

1741. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की क्षमता का पूरी तरह पता लगाने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृन्दावन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये स्थलों का विकास करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से उत्तर प्रदेश में 25 केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया है जहां केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिश्रित संसाधनों से पर्यटन आधार-संरचना का विकास किया जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने राज्य सेक्टर में पर्यटन के लिए 24.50 करोड़ रु० आवंटित किए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने मथुरा और वृन्दावन को शामिल करते हुए ब्रज-भूमि का विकास करने की एक मास्टर प्लान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के जरिए तैयार कराई है। विभाग ने 27.64 लाख रु० की अनुमानित लागत पर मथुरा में एक पर्यटक बंगले का निर्माण करने के लिए मंजूरी दे दी है जिसमें से 5 लाख रु० अग्रिम-राशि के रूप में राज्य सरकार को रिलीज कर दिए गए हैं। विभाग ने परिक्रमा मार्ग पर एक रासलीला मंच का निर्माण करने के लिए भी 1.15 लाख रु० की मंजूरी दे दी है जिसमें से 1 लाख रु० रिलीज कर दिए गए हैं। वृन्दावन में यात्रिका का निर्माण पूरा होने वाला है।

नई मकद प्रतिपूरक सहायता योजना शुरू करना

1742. श्री चिंतामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माताओं के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता की एक नई योजना शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात में वृद्धि करने की दिशा में यह कहां तक सहायक होगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) आरम्भ किए जाने के लिए प्रस्तावित नई नकद मुआवजा सहायता की मुख्य बातें ये हैं:—

(1) औद्योगिक उत्पादों के सम्बन्ध में, बिना लौटाए गए अप्रत्यक्ष करों की पुनः वापसी, नकद मुआवजा सहायता दरों को निर्धारित करने के लिए मुख्य घटक बनी रहेगी। तथापि, कराधान की प्रपाती संरचना को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(2) उत्पाद/विपणन विकास के लिए मुआवजा क्रमबद्ध कार्यक्रम के आधार पर केवल बहुत ही चयनात्मक ढंग से दिया जाएगा।

(3) फल तथा सब्जियों जैसी कृषिगत मदों के सम्बन्ध में जो कि खराब हो जाती हैं, भारत के भीतर परिवहन की ऊंची लागत के लिए मुआवजे के एक विशेष तत्व की व्यवस्था की जाएगी।

(4) हस्तशिल्प की वस्तुओं के सम्बन्ध में श्रम द्वारा मूल्यवर्धन नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक मुख्य घटक समझा जाएगा।

(5) नकद मुआवजा सहायता देने के सम्बन्ध में मूल्यवर्धन के 25 प्रतिशत से अधिक की अनुमति न दिए जाने, अर्थात् आर० ई० पी० हकदारी कम करके एफ० ओ० बी० प्राप्ति (पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत) का प्रतिबंध जारी रहेगा।

(6) भारत के भीतर कतिपय श्रेणियों की सप्लाइयों पर नकद मुआवजा सहायता देने की वर्तमान नीति, जिसमें उन्हें माने गए निर्यातों के रूप में लिया जाता है, जारी रहेगी।

उन विभिन्न असुविधाओं के लिए, जो कि हमारे आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति में अन्तर्निहित है, भारतीय निर्यातकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए तथा विश्व बाजार में भारतीय निर्यातों को प्रतियोगी बनाने के लिए नकद मुआवजा सहायता दी जाती है।

श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कोन्नोगर (पश्चिम बंगाल) का राष्ट्रीयकरण

1743. **श्री अनिल बसु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कोन्नोगर, (पश्चिम बंगाल) का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मूंगफली तथा खली का निर्यात

1744. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली तथा खली के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों में, विशेषकर यूरोपीय देशों में, मूंगफली की अधिक मांग है; और

(घ) मूंगफली तथा खली का निर्यात बढ़ाने और बदले में खाद्य तेलों का आयात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1985-86 के दौरान एच० पी० एस० मूंगफली तथा मूंगफली निस्सारण के भारत के निर्यात गत वर्ष से हुए निर्यातों की तुलना में कम रहने की संभावना है।

(ख) गिरावट प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों में सूखा स्थितियों के कारण उच्च घरेलू कीमतों के फलस्वरूप है।

(ग) यूरोप सहित विदेशों में भारतीय एच० पी० एस० मूंगफली की अच्छी मांग है बशर्ते कि हमारे स्टाफ एफलाटाक्सिन से मुक्त हों तथा प्रतियोगी कीमतों पर उनकी आफर हो।

(घ) खाद्य तेल के आयातों के स्थान पर मूंगफली तथा खली के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) नकद मुआवजा सहायता की एक नई व्यवस्था तैयार की जा रही है।

(2) 28-2-86 को घोषित बजट प्रस्तावों में आयलमील के निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर नकद मुआवजा सहायता की व्यवस्था है।

(3) मूंगफली निस्सारण के निर्यातों के लिए नए बाजारों का विविधीकरण करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) तेलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा उनके आयातों में कमी करने के लिए वित्तीय उपायों की घोषणा की गई है।

भारत पाक व्यापार में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

1745. श्री अख्तर हसन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई भारत-पाक व्यापार वार्ता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों और प्राइवेट पार्टियों को पाकिस्तान से सीधे आयात निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी या व्यापार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से होगा; और

(ख) क्या दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ?

वाणिज्य तथा खान और वास्तविक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार, उन 42 मदों के सिवाय जिनका व्यापार गैर-सरकारी पार्टियां सीधे ही कर सकती हैं, राज्य व्यापार एजेंसियों की मार्फत होगा।

(ख) जी, नहीं।

रुई का निर्यात

1746. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि अच्छी फसल को देखते हुए रुई के मूल्य गिर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के अन्तर्गत रुई के अनुमानित उत्पादन का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस वर्ष भी रुई का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी रुई निर्यात की जायेगी और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) चालू रुई सीजन के दौरान रुई का उत्पादन 94.00 लाख गांठें होने का अनुमान है।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार ने चालू रुई सीजन में निर्यात के लिए लम्बी तथा अधिक रेशे वाली रुई की 10.00 लाख गांठें बंगाल देशी की 52,000 गांठें तथा यलोपिकिंग्स की 25,000 गांठें पहले ही रिलीज कर दी हैं। जब तक रुई का वास्तविक रूप से निर्यात नहीं किया जाता, यह बताना कठिन है कि कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है।

सुन्दरवन में वन्य जीवन पर्यटन का विकास

1747. श्री तरत कुमार मण्डल : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीवन पर्यटन के विकास की आवश्यकता के बारे में हाल ही में हुई एक गोष्ठी में यह निर्णय किया गया है कि वन्य जीवन पर्यटन के नए क्षेत्रों का पता लगाया जाए तथा उनका विकास किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध सुन्दरवन क्षेत्र के विकास पर भी विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) इस सेमिनार द्वारा दी गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) वन्य जीवन पर्यटन विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय बहु-उद्देश्य समिति विकसित करने का प्रस्ताव है, जो वन्य जीवन पर्यटन के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी और दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतियां तैयार करेगी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सुन्दरवन में पन्नोटिंग आवास का निर्माण करने के लिए वर्ष 1984-85 में 7 लाख रुपये स्वीकृत किये थे।

देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना

1748. प्रो० नारायण चन्द्र बराकर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित की गई और 31 मार्च, 1985 को इन सहकारी समितियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारों एवं दुकानों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नए फुटकर बिक्री केन्द्रों-बहु-विभागी भण्डारों, बड़े-छोटे पैमाने के खुदरा बिक्री केन्द्रों, चलती-फिरती दुकानों, क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों आदि की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना करने तथा कमजोर/रुग्ण थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की पुनर्स्थापना करने के लिए भी सहायता दी जाती है। पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों को पुनर्स्थापन के लिए और सभी राज्यों में राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों को व्यापार का विस्तार करने, उसमें विविधता लाने के लिए भी सहायता दी जाती है। छठी योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1985 तक नये बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-एक में दिया गया है। 31-3-1985 को उपभोक्ता सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या विवरण-दो में दी गई है।

(ग) ग्राम सहकारी (समितियों प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, बड़े पैमाने की कृषि बहुउद्देशीय समितियां, कृषक सेवा समितियां, आदि) को उपान्त-धन के रूप में वित्तीय सहायता केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दी जाती है, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को वितरण कर सकें। यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो ऐसी सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण गोदामों का निर्माण करने के लिए अपने निधि-संग्रह से सहायता देता है।

(घ) व (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केवल उन सहकारी भण्डारों को परियोजना आधार पर सहायता दी जाती है, जिनके पास ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की क्षमता है। अतः विभिन्न राज्यों के लिए निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं।

विवरण-एक

शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1985 तक दी गई वित्तीय सहायता

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1983-85	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	3	—	—	3
2.	असम	5	5	3	5	2	20

1 2	3	4	5	6	7	8
3. बिहार	—	2	10	3	2	17
4. गुजरात	1	—	1	—	—	2
5. हरियाणा	13	14	1	—	—	28
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7. जम्मू व कश्मीर	3	—	—	—	1	4
8. कर्नाटक	1	1	29	2	11	44
9. केरल	1	—	2	—	1	4
10. मध्य प्रदेश	3	1	11	--	2	17
11. महाराष्ट्र	11	—	5	2	5	23
12. मणिपुर	—	—	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	3	—	—	3
14. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	8	4	3	1	10	26
16. पंजाब	—	—	1	—	—	1
17. राजस्थान	24	—	8	2	—	34
18. सिक्किम	—	—	—	2	—	—
19. तमिलनाडु	17	—	1	15	7	40
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	106	11	20	14	64	215
22. पश्चिम बंगाल	5	—	6	4	3	18
योग :						
23. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
24. अण्डमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
26. दादरा नगर व हवेली	—	—	—	—	—	—
27. गोवा दमन व द्वीप	—	—	—	—	—	—
28. दिल्ली	—	—	12	—	—	12

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
31.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—
	योग :						
राज्य+संघ राज्य क्षेत्र योग :		198	38	119	48	108	511

विवरण दो

देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों की राज्यवार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योग
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1534
2.	असम	1305
3.	बिहार	1795
4.	गुजरात	1134
5.	हरियाणा	96
6.	हिमाचल प्रदेश	128
7.	जम्मू व कश्मीर	578
8.	कर्नाटक	1569
9.	केरल	333
10.	मध्य प्रदेश	990
11.	महाराष्ट्र	2105
12.	मणिपुर	146
13.	मेघालय	41
14.	नागालैंड	106
15.	उड़ीसा	448

1 2	3
16. पंजाब	3220
17. राजस्थान	4044
18. सिक्किम	38
19. तमिलनाडु	3854
20. त्रिपुरा	93
21. उत्तर प्रदेश	1955
22. पश्चिम बंगाल	2349
योग	27861
23. अरुणाचल प्रदेश	51
24. अण्डमान व निकोबार द्वीप	40
25. चण्डीगढ़	2
26. दादरा व नगर हवेली	5
27. दिल्ली	680
28. गोवा, दमन व द्वीव	92
29. लक्षद्वीप	16
30. मिजोरम	227
31. पाण्डिचेरी	19
योग :	1132
कुल योग : (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	28993

पावरलूम यूनिटों का बन्द होना

1749. श्री आर० एम० भोये : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान संघटित मिलों द्वारा निर्मित कपड़े की किस्मों में वृद्धि हुई है जबकि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में पावरलूम यूनिटों द्वारा उत्पादित कपड़े में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में पावरलूम यूनिटों की स्थिति चिन्ताजनक हो गई है और देश में

महाराष्ट्र और गुजरात में अनेक पावरलूम बन्द हो गए हैं जिसके फलस्वरूप गुजरात और अन्य राज्यों में 'काउण्ट' विहीन कपड़ा छपाई और प्रोसेसिंग यूनिटों को बन्द करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में मिश्रित मिलों अथवा शक्तिचालित एककों द्वारा उत्पादित विभिन्न किस्मों तथा डिजाइनों में कपड़े की किस्मों की संख्या का कोई सही-सही अनुमान बताना संभव नहीं है। 1984-85 के उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में विकेन्द्रीकृत शक्तिचालित करघा क्षेत्र में कपड़े के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) अप्रैल से सितम्बर, 1985 के उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि 1984 में उसी अवधि की तुलना में विकेन्द्रीकृत शक्तिचालित करघा क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अतः इस क्षेत्र में बुनाई कार्य के स्तर में कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

साइकिलों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव

1750. डा० चिन्ता मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क में 12 प्रतिशत की वृद्धि होने से साइकिल का मूल्य 50 रुपया बढ़ जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या समाज के कमजोर वर्ग, जिनके लिए साइकिल यातायात का सुविधाजनक और मितव्ययी साधान है, रक्षा हेतु सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) साइकिलों पर उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के तहत, साइकिलों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर छूट की प्रतिपूर्ति

1751. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर छूट की प्रतिपूर्ति की अवधि को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी की गई है;

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में हथकरघा कपड़े का मूल्य, वहां पर

ज्यादा मजदूरी और अधिक उत्पादन खर्च होने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, सरकार का विचार केरल के मामले में पूर्ण मूल अवधि को बहाल करने का है;

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा केरल में नये होटलों का निर्माण

1752. श्री सुरेश कुरूप : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में कुछ नए होटलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम का सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल में किसी नए होटल का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

वस्त्रों के निर्यात के लिए जी० एस० पी० अधिकतम सीमा

1753. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या वस्त्र मंत्री भारतीय वस्त्रों के निर्यात के लिए प्राथमिकता सामान्यीकृत प्रणाली के अधीन रियायतें और सिले-सिलाए वस्त्रों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जी० एम० पी० उपयोग के आंकड़ों के बारे में 27 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 896 और 3 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 2033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिकता सामान्यीकृत प्रणाली की अधिकतम सीमा भारत पर कहां तक लागू होती है और भारत द्वारा वर्ष 1983, 1984 और 1985 में इस अधिकतम सीमा के विपरीत वस्त्रों का कितना वास्तविक निर्यात किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : परिधान सं० रा० अमरीका की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली योजना में शामिल नहीं हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली योजना के अन्तर्गत परिधानों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा के उपयोग से सम्बन्धित जानकारी 1983 तथा 1984 के लिए और 1985 की उपलब्ध अवधि तक के सम्बन्ध में प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुन:नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि के लिए सैनिक सेवा को शामिल करना

1754. **श्री बुज्झार सिंह :** क्या वित्त मंत्री सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुन:नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि के लिए सैनिक सेवा को शामिल करने के बारे में 20 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 4865 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1986 में कच्चे पटसन की मांग

1755. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को 1986 में कच्चे पटसन की मांग में वृद्धि अथवा कमी होने का अनुमान है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : योजना आयोग द्वारा स्थापित सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पटसन वस्त्रों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 1986-87 के दौरान कच्चे पटसन के लिए अधिक मांग का अनुमान लगाया है ।

चाय का निर्यात

1756. **श्री के० एस० राव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से 1985-86 की अवधि के दौरान देश से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चाय बेची गई;

(ख) 1986-87 के लिए प्रत्येक देश के सम्बन्ध में क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कुछ देशों को कम निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1982-83 से 1984-85 की अवधि के लिए उन देशों को, जिनको भारतीय चाय का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, हुए निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । 1985-86 के दौरान (अप्रैल से जनवरी) जारी किए गए लदान लाइसेंसों के अन्तर्गत कवर की गई मात्रा भी दर्शायी गई है ।

(ख) तथा (ग) निर्यात लक्ष्य देश-वार आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते। विदेशी क्रेताओं को भारतीय चाय खरीदने के लिए एक-दूसरे के साथ और साथ ही घरेलू बाजार के लिए क्रेताओं के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। आयातक देशों द्वारा भारतीय चाय की खरीद वर्ष दर वर्ष अलग-अलग होती है क्योंकि उनके खरीद निर्णय कई बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे उनकी स्टाक स्थिति, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और अन्य देशों से सस्ती चाय की उपलब्धता। तथापि गत तीन वर्षों में भारतीय चाय के निर्यातों की कुल मात्रा ने बराबर वृद्धि दर्शायी है।

विवरण

1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान प्रमुख देशों को चाय के निर्यात तथा 1985-86 (अप्रैल जनवरी) के दौरान जारी किए गए लदान लाइसेंसों की मात्रा

मात्रा : मि० कि०ग्रा०
मूल्य : करोड़ रु०

देश	1982-83		1983-84		1984-85		1985-86*
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
ब्रिटेन	51.70	87.22	38.81	95 34	35.23	118.47	29.55
सो० संघ	57.88	114.68	60 29	179.13	84.53	291.73	88.29
ईरान	10.25	21.69	19.85	48.15	19.16	78.76	19.60
इराक	6.83	11.69	13.44	38.77	9.47	30.39	5.52
ए० आर० ई०	12.32	20.26	13 03	31.68	18.30	56.79	14.74
पोलैण्ड	12.25	21.77	12.97	34.91	7.50	25.19	3.26
प० जर्मनी	6.18	14.87	3.24	12.30	8.45	23.22	3.30
आयरलैण्ड	3.42	8.84	2.93	6 40	2.95	9.57	2.42
स० रा० अमरीका	3.03	7.90	2.37	9.11	2.57	13.00	2.01
स० अ० अमीरात	2.14	6.30	3.80	11.97	3.40	16.00	3.26
अफगानिस्तान	5.80	9.64	6.18	13.66	2.09	5.92	3.93
लीबिया	नगण्य		0.08	2.54	2.49	9.21	4.57

*जारी किए गए लदान लाइसेंस।

चाय की पैकिंग और वितरण के लिए मिस्र के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना

1757. **श्री के० एस० राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय की पैकिंग और वितरण के लिए मिस्र के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) मिस्र के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए क्या ब्यौरा तैयार किया गया है और उसे किन शर्तों पर स्वीकार किया गया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम और मिस्र के सार्वजनिक क्षेत्र के एक अभिकरण के बीच मिस्र में चाय ब्लेंडिंग-सह-पैकेजिंग एकक स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम परियोजना तैयार की गई थी। जब यह प्रस्ताव पहली बार प्रस्तुत किया तब से मिस्र पक्ष की ओर से इस परियोजना के क्षेत्र में काफी संशोधन किया गया है। भारतीय चाय व्यापार निगम का भी पुनर्गठन किया जा रहा है और इसे राज्य व्यापार निगम का अनुषंगी बना दिया गया है। अतः इस परियोजना पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है।

कुवैत से पर्यटक

1758. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से भारत आने वाले पर्यटकों की रुचि आम तौर पर कश्मीर और अन्य स्थानों पर जाने की होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुलमार्ग में स्कीइंग के लिए कुवैत से पर्यटकों को आकर्षित करने के कोई उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) कुवैत सहित पश्चिम एशिया से पर्यटक भारत की ओर न केवल गुलमर्ग में स्कीइंग करने के लिए ही नहीं अपितु एक परिवार अवकाश गन्तव्य के बतौर भी आकर्षित होते हैं। सरकार ने पश्चिमी एशिया की मार्केटों में भारत का संवर्धन करने के लिए, भारत में पर्यटक केन्द्रों पर संवर्धनात्मक और सूचना प्रदान करने वाला साहित्य, अरबी भाषा में भी उपलब्ध करने सम्बन्धी उपाय किए हैं।

दिल्ली में सप्लाई किए गए खाद्यान्न की किस्में

1759. श्रीमती किशोरी सिंह :
श्री ए० के० पटेल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन को अभी हाल ही में पता चला है कि उचित दर की दुकानों से दिए जाने वाले खाद्यान्न बहुत ही घटिया किस्म के हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जनता से भी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि हाल ही में, दिल्ली में कुछ उचित दर-दुकानों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें घटिया किस्म का गेहूं सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं। घटिया किस्म के गेहूं की बोरियां भारतीय खाद्य निगम द्वारा बदल दी गई थीं। सरकार को जनता से कोई शिकायत नहीं मिली है !

जलपाईगुड़ी और मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में ऋण कैंप शिविर

1760. **श्री अमल दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बैंकरों की राज्य स्तरीय समिति ने जलपाईगुड़ी और मिदनापुर सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में ऋण शिविर लगाने का निर्णय किया था और प्रत्येक शिविर के लिए लगभग चालीस लाभार्थियों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो ये शिविर किन-किन स्थानों में लगाए गए, लाभ वालों की संख्या क्या है, उनके चयन तथा उनकी योजनाओं की स्वीकृति के लिए क्या तरीका अपनाया गया तथा सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की किन प्राधिकृत योजनाओं के अन्तर्गत ऋण मंजूर किए गए/दिए जाने थे;

(ग) क्या इस बात का कोई साक्ष्य है कि किसी संसद सदस्य, विधायक, पंचायत के सभापति और नगर पालिकाओं के किसी पार्षद को ऋण शिविरों और आवेदन-प्रपत्र मंगाने और ऋण के लिए सिफारिश करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए समग्र उपायों के एक अंग के रूप में ऋण शिविर लगाते हैं। ये शिविर ऐसे ऋण वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। ये ऋण शिविर आमतौर पर बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इन पर केन्द्रीय रूप से किसी पर नजर नहीं रखी जाती अथवा न ही इसे आवश्यक समझा जाता है।

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आयोजित किए गए ऋण शिविरों की संख्या, ऋणों की रकमों और संवितरित ऋणों की विशेष किस्मों और इन शिविरों से लाभ उठाने वाले हिताधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में अलग-अलग सूचना प्राप्त नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ऋण शिविरों में संवितरित किए गए ऋणों समेत बैंक ऋणों के मामले में हिताधिकारियों का पता लगाने, उनकी जांच और मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रियाएं निर्दिष्ट की गई हैं।

वनस्पति घी उत्पादों पर स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण समाप्त करना

1761. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी उत्पादों पर स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या पनघट घी बेचने के कुल मिलाकर 5 क्विंटल से कम के लाइसेंस समाप्त कर दिए जाएंगे;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वनस्पति घी की कीमतों में परिवहन पर आई लागत शामिल है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या परिवहन लागत अधिक है और यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) वनस्पति पर स्वैच्छिक मूल्य समझौता जनवरी, 1986 से समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी एक समय में बिक्री के लिए खाद्य तेलों, जिनमें वनस्पति भी शामिल है, की कुल मिलाकर पांच क्विंटल से अधिक मात्रा रखता है, उसे दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1977 के तहत लाइसेंस लेना होता है। अत: बिक्री के लिए पनघट घी का पांच क्विंटल से कम स्टाक रखने पर कोई लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है।

(ङ) से (छ) वनस्पति के मूल्यों में ढुलाई प्रभार भी शामिल होता है। मूल्य समझौते के समाप्त होने के बाद, उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण ढुलाई प्रभार इस बात पर निर्भर करता है कि दूरी कितनी है।

[हिन्दी]

सागर, मध्य प्रदेश में आटा मिलों के लिए लाइसेंस

1762. श्री मन्नूलाल चौधरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर, मध्य प्रदेश में आटा मिलें लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इस प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की 1973 से देश में नयी रोलर फ्लोर मिलें लगाने के लिए अनुमति प्रदान न करने की नीति रही थी। तथापि, इस समय देश में गेहूं की सुगम उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए, अब 30 मीटरी टन प्रति दिन की क्षमता के सीमित संख्या में नये यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक

1763. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी कितने एकक मंजूर किए गए हैं और जो कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन एककों ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है;

(ग) कितने एककों ने इस योजना से हटने का फैसला किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन एककों द्वारा इस योजना से हटने के निर्णय के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) 28 फरवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में 80 औद्योगिक एककों के पास अनुमोदन पत्र थे। इनमें से 13 एकक उत्पादन तथा

निर्यात में लगे हैं। इन एककों द्वारा 31-12-85 तक लगभग रु० 52 करोड़ की राशि के निर्यात किए गए।

(ब) तीन एककों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी न बन पाने जैसे आधारों पर इस योजना से अनुबन्ध मुक्त होने सम्बन्धी अनुमति के लिए अनुरोध किया है।

(स) अनुबन्ध मुक्त होने के अनुरोधों पर अन्य बातों के साथ एककों द्वारा पहले से ही इस्तेमाल की गई सुविधाओं को ध्यान में रखकर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है।

सातवीं योजना में नये होटलों का निर्माण

1764. श्री मोहन भाई पटेल : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर और कितने होटलों का निर्माण किया जा रहा है तथा उनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(ख) देश में पर्यटन के संवर्धन हेतु सातवीं योजनावधि में देश में और अधिक होटलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में 11 होटल परियोजनाएं (6 संयुक्त उद्यम और 2 विस्तार परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन हैं। उनकी अवस्थिति और चालू होने का संभावित समय इस प्रकार है :—

क्र०सं०	अवस्थिति	कब चालू होने की संभावना है
1.	आगरा	1986-87
2.	गुलमर्ग	1987-88
3.	गोहाटी (संयुक्त उद्यम)	1986-87
4.	रांची (—वही—)	—वही—
5.	भोपाल (—वही—)	—वही—
6.	पुरी (—वही—)	—वही—
7.	इटानगर (—वही—)	1987-88
8.	पांडिचेरी (—वही—)	—वही—
9.	होटल कलिंग, भुवनेश्वर, का विस्तार	1986-87
10.	यात्री गृह, बोध गया का विस्तार और एक होटल में परिवर्तन	1986-87

भारतीय होटल निगम

11. जुहू बीच, बम्बई 1986 का मध्य

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने किसी नए होटल का निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, निगम का धनराशि और बम्बई में भूमि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए बम्बई में एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ताकि होटलों की अपनी शृंखला को पूरा कर सके। सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम, भारतीय होटल निगम के पास भी देश में किसी होटल का निर्माण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, कर तथा वित्तीय राहतों और अन्य रियायतों के रूप में उपयुक्त प्रोत्साहनों की मंजूरी द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को देश में विभिन्न स्टार श्रेणियों के और होटलों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पर्यटन उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपकरणों का आयात

1765. **श्री एन० डेनिस :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपकरणों के आयात के बारे में विभिन्न प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो शीघ्र स्वीकृति देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पर्यटन उद्योग को कोई हानि न हो; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का पर्यटन संवर्धन के लिए सरकार की नीति के भाग के रूप में ऐसे मामलों में अन्य किसी तरह की सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी नहीं। पर्यटन उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपस्कर के आयात से वित्त मंत्रालय सम्बद्ध नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित सूची के होटलों की आवश्यकता के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं अन्य मदों के आयात के लिए आयात एवं निर्यात नीति में विशिष्ट प्रावधान हैं। आयात सम्बन्धी आवेदन, आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक को पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। आयात सम्बन्धी सभी आवेदन जैसे ही प्राप्त होते हैं, उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

(ग) पर्यटन विभाग ने एक स्कीम तैयार की है, जिसके अधीन अनुमोदित सूची वाले होटलों को उनकी विदेशी मुद्रा आय पर 10% की दर पर विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा प्रदान करने की अनुमति है। होटलों द्वारा अनिवार्य वस्तुओं के आयात, विदेशी दौरों, प्रचार एवं विज्ञापन आदि के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा इस प्रोत्साहन कोटे में से रिलीज की जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए गए
चावल की किस्म

1766. प्रो० के० वी० थामस :
श्री टी० वशीर :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं कि केरल और दक्षिण के कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए गए चावल में रोड़ी, कीड़े और अन्य वस्तुएं थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टी० पी० ए० को ओ० जी० एल० से सीमित अनुमेय
सूची में अन्तरित करना

1767. श्री चम्पन थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात और निर्यात नीति में परिवर्तन के बारे में 10 जनवरी, 1986 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है;

(ख) क्या टी० पी० ए० को ओ० जी० एल० से सीमित अनुमेय सूची में अन्तरित करने के लिए 29 मई, 1985 को कोई ऐसी सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा परिवर्तन तकनीकी विकास महानिदेशालय की पूर्वानुमति से किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आयात तथा निर्यात नीति में कतिपय संशोधन/शुद्धियां करने सम्बन्धी एक अधिसूचना 10 जनवरी, 1986 को जारी की गई।

(ख) से (घ) 10 जनवरी, 1986 को जारी की गई अधिसूचना में टेरेपथैलिक एसिड (टी० पी० ए०) के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। टी० पी० ए० को सम्बन्धित विभागों से

परामर्श करके जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 7-आई० टी० सी० (पी० एन०)/85-88, दिनांक 29 मई, 1985 द्वारा, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, वास्तविक प्रयोक्ता (ओ० जी० एल०) की सूची से सीमित अनुमय मदों की श्रेणी सम्बन्धी परिशिष्ट में अन्तरित कर दिया गया ।

भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न भण्डार

1768. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1986 को भारतीय खाद्य निगम के पास कुल कितने खाद्यान्नों का भंडार था; और

(ख) क्या जनवरी, 1986 में खाद्यान्नों के निकासी मूल्यों में की गई वृद्धि से दिसम्बर, 1985 के अन्त में भारतीय खाद्य निगम का घाटा पूरा हो जाएगा ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) पहली फरवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 167.5 लाख मीटरी टन खाद्यानों का स्टाक होने का अनुमान था ।

(ख) आशा है कि खाद्यान्नों के केन्द्रीय निगम मूल्य में वृद्धि होने से 1985-86 के दौरान लगभग 33 करोड़ रुपये तक उपभोक्ता राजसहायता में कमी होगी ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा अपरिष्कृत पटसन की खरीद

1769. **डा० सुधीर राय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम ने विवश होकर बिक्री की समाप्ति के पश्चात अपरिष्कृत पटसन की खरीद आरम्भ कर दी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार निगम के उन अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का है जिन्होंने निर्धन किसानों को वंचित रखा है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) अपराधी पाए गए किन्हीं भी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

1770. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं; और

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जून, 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 14..31 लाख उधार खातों में 5176.61 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये थे, जो उनके कुल अग्रिमों का 11 4 प्रतिशत बैठते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार देने के लिये, बैंकों को कोई विशेष लक्ष्य नहीं सौंपे गये हैं। अलबत्ता, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि उनके अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को दिया जाये। दिसम्बर, 1985 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समाज के कमजोर वर्गों को, अपने कुल अग्रिमों का 10.2 प्रतिशत हिस्सा दिया था।

राज्यों में पंजीकृत उपभोक्ता सहकारी समितियां भंडार

1771. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में विभिन्न राज्यों में कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां/भंडार थे और उनका सदस्य संख्या, वार्षिक बिक्री और लाभ क्या थे;

(ख) उनकी पूंजी, लाभ और आरक्षित निधि कितनी थी;

(ग) उन्हें केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्या-क्या वस्तुएं आवंटित की जा रही हैं; और

(घ) क्या उनकी आर्थिक सक्षमता, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उनकी भूमिका तथा थोक एवं खुदरा बाजारों पर उनके प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाली चावल मिलों को बेचना

1772. श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने तमिलनाडु में चावल की चार मिलों सहित विभिन्न राज्यों में चावल की अपनी 25 आधुनिक मिलों को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में चावल की चार मिलें लाभ कमा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तो इन मिलों को भी बेचने के क्या करण हैं;

(ङ) क्या इन चावल मिलों को बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप छंटनी हुए कर्मचारियों को खपाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अपनी स्पष्ट रूप से असामकारी आधुनिक चावल मिलों को बंद कर देने की इजाजत दे दी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ङ) और (च) इन मिलों में कार्य कर रहे भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ को निगम में कहीं और खपा लिया जाएगा और इन मिलों के बंद होने के कारण कोई छंटनी नहीं होगी।

कच्चे कपास की एकाधिकार खरीद

1773. श्री गदाधर साहा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा कपास उत्पादक राज्यों में कच्ची कपास की एकाधिकार खरीद के क्या लाभ हैं;

(ख) क्या इन एजेंसियों को समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर कच्चे कपास की खरीद के लिए सरकार द्वारा राज-सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस तरह कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा शीघ्र की जाने वाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कपास एकाधिकार खरीद योजना केवल एक ही राज्य अर्थात महाराष्ट्र में चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों द्वारा किए जा रहे शोषण से महाराष्ट्र के कई उपजकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करना है ताकि कई उपकर्ताओं को आर्थिक न्याय मिल सके। यह

योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अभिकरण महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन संघ की मार्फत चलायी जा रही है।

(ख) भारत सरकार द्वारा इस फैडरेशन को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों की समस्याएं

1774. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है और क्या सरकार को उनके समाधान के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों की समस्याएं हल करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न अभ्यावेदनों के माध्यम से गन्ना उत्पादकों द्वारा की गई निम्नलिखित प्रमुख मांगों के बारे में सूचित किया है :

(1) 1985-86 मौसम के लिए गन्ने का मूल्य 28 रु० और 50 रु० प्रति क्विंटल के रेंज में निर्धारित किया जाए।

(2) चीनी की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया जाए।

(3) कृषि को उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।

(4) पूर्वी और पश्चिमी/मध्य जोनों के लिए गन्ने का एक समान मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

(5) बाह्य केन्द्रों में 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर पर परिवहन प्रभार लिए जाने चाहिए।

(6) चालू पिराई मौसम शुरू होने से पूर्व गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

(ख) से (घ) उपर्युक्त मांगों की स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :—

(1) जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, इसने 1985-86 मौसम के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर, लेकिन जिसमें अधिक रिकवरियां होने पर आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है, 16 50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह मूल्य पिछले वर्ष निर्धारित किए गए मूल्य की अपेक्षा 2.50 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है और यह मूल्य वही है जिसकी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। यह मूल्य निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है :—

1. गन्ने की उत्पादन लागत;

2. वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को लाभ और कृषि जिन्सों की सामान्य मूल्य प्रवृत्ति;

3. उपभोक्ता को उचित दाम पर चीनी उपलब्ध करना;

4. चीनी के उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है; और

5. गन्ने से चीनी की रिकवरी।

तथापि, उत्तर प्रदेश की मिलें वास्तव में 23 रुपये से 24 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य अदा कर रही हैं जोकि पिछले वर्ष अदा किए गए मूल्य से 2 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

(2) केन्द्रीय सरकार ने 1985-86 मौसम के लिए चीनी की दोहरी मूल्य नीति को जारी रखने का निर्णय किया है। इस प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों सहित लाखों उपभोक्ताओं को एक समान खुदरा मूल्य पर चीनी की कुछ न्यूनतम मात्रा उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा, खुले बाजार से खरीदारी कर अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

(3) कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया में व्यापक अन्तर होता है और उत्पादन विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है। अतः उनकी बराबरी नहीं की जा सकती।

जहां तक अन्य मांगों का संबंध है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

(4) उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न जोनों की मिलों को परामर्श देती है कि वे जोनों की मिलों की आर्थिक सक्षमता को ध्यान में रखकर गन्ने का मूल्य अदा करें।

(5) पिराई मौसम 1985-86 में, मिल-गेट और बाह्य केन्द्रों के सुझाए गए गन्ने के मूल्य में केवल 50 पैसे प्रति क्विंटल का अन्तर है।

(6) 31 जवनरी, 1986 की स्थिति के अनुसार, 1984-85 मौसम के लिए देय कुल 329.21 करोड़ रुपए के गन्ने के मूल्य में से, 327.68 करोड़ रुपए का पहले ही भुगतान किया जा चुका है और केवल लगभग 0.5 प्रतिशत राशि शेष रह जाती है।

[अनुवाद]

बिहार में राष्ट्रीयकृत चीनी मिलों को निजी कंपनियों को पट्टे पर देना

1775. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने कतिपय राष्ट्रीयकृत चीनी मिल मिलों को निजी कंपनियों को पट्टे पर देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन छः चीनी मिलों को भी, जिनका प्रबंध ग्रहण अभी हाल में किया गया था, निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस नीति को अन्यत्र भी अपनाने की अनुमति देगी ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार वाणिज्य मण्डल और बिहार उद्योग एसोसिएशन से प्राप्त ज्ञापन

1776. **श्री काली प्रसाद पाडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार वाणिज्य मंडल और बिहार उद्योग एसोसिएशन ने 31 जनवरी, 1985 को भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर को सयुक्त रूप से एक ज्ञापन दिया है जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार की उपेक्षा किए जाने के बारे में तथ्यों और आंकड़ों सहित ब्यौरेवार लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में दिए गए विभिन्न सुझावों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बिहार वाणिज्य मंडल और बिहार उद्योग एसोसिएशन ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को 31 जनवरी, 1986 को एक ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक एककों द्वारा समय पर कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों, प्रत्यय पत्र खोलने में देरी, त्रुटियों और ऋण-जमा अनुपात में सुधार करने के लिए उपचारी उपायों का उल्लेख किया गया था और उस ज्ञापन में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से, बिहार में ऋणों का प्रवाह बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह भी किया गया था। बिहार की राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने बिहार में, चालू तथा अगले ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ऐसा तभी संभव

होगा, यदि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जायें। वाणिज्यिक बैंक सभी अर्थक्षम तथा बैंक-योग्य प्रस्तावों के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराएंगे।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात

1777. श्री श्रीराममूर्ति भट्टम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान भारत का कृषि उत्पादों का निर्यात 1984-85 की तुलना में कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने कितने मूल्य का कृषि उत्पादों का निर्यात किया;

(घ) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) सातवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बागान उत्पादों को छोड़कर भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात का मूल्य अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार नीचे दिया गया है।

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1982-83	1350
1983-84	1400
1984-85	1450

(घ) कृषि वस्तुओं और उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने नकद मुआवजा सहायता, पंजीकृत आयातकों के लिए आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी सुविधा, बाजार विकास के लिए सहायता, मूल्य वर्धित बैंकों के निर्यात को प्रोत्साहन, निर्यात योग्य कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ समय-समय पर चर्चा आदि जैसे कई उपाय आरम्भ किए हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एवं प्रस्तावित मसाला बोर्ड स्थापित करके संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किया गया है।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादों के निर्यात में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। विभिन्न मदों के निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों के रुख पर और साथ ही निर्यात योग्य अधिशेष की उपलब्धि पर निर्भर करेंगे, जो हर वर्ष भिन्न-भिन्न होंगे। तथापि, अन्तिम वर्ष 1980-90 के लिए महत्वपूर्ण मदों के संबंध में योजना आयोग के अनुमान निम्नलिखित है :

(1984-85 की कीमतों पर)
(लाखों में रु०)

अनिर्मित तम्बाकू	258
काजू गिरियां	312
संसाधित खाद्य	424
मसाले	270

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और "फेरा" कंपनियों द्वारा स्थापित की गई निर्यात एककें

1778. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छटी योजनावधि के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और फेरा कंपनियों द्वारा शत प्रतिशत निर्यात हेतु कितने एकक स्थापित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन एककों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान उनके उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में भारतीय चमड़े की बढ़तीमांग

1779. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों में भारतीय चमड़े की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों का पता लगालिया है, जहां भारतीय चमड़ा बेचा जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोनमुरा (त्रिपुरा) में तस्करी की गतिविधियां

1780. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश की सीमा से लगे त्रिपुरा के सोनमुरा उपखंड में तस्करी की गतिविधियां बहुत जोरों पर हैं और वहां अवैध व्यापार के लिए बहुधा खुल बाजार लगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो बंगला देश की सीमा के साथ तस्करी की खुली गतिविधियों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से से यह पता चलता है कि भारत-बंगलादेश सीमा, जिसमें बंगला-देश की सीमा पर त्रिपुरा का सोनामुरा उप-मंडल भी शामिल है, सीमा के आर-पार तस्करी की गरिविधियों के लिए सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है।

इस क्षेत्र में तस्करी-रोधी अभियान को, संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकरणों के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करके, तेज कर दिया गया है।

भारतीय कपास निगम द्वारा गुजरात में रुई की गांठों की खरीद

1781. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कपास उत्पादक सहकारी समितियों और इसके संघों के पास रुई की गांठें भारी मात्रा में जमा हो जाने से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए कृषि मंत्रालय के एक दो सदस्यीय अध्ययन दल ने 10 जनवरी, 1986 का गुजरात का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या भारतीय कपास निगम ने अब तक गुजरात से रुई की गांठों की खरीद की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एक अध्ययन दल ने जिसमें भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, भारतीय रुई निगम, गुजरात राज्य सरकार तथा गुजरात सहकारी विपणन परिसंघ के प्रतिनिधि शामिल थे, गुजरात में सामान्य रूप से रुई की स्थिति का तथा विशेष रूप से उनके स्टाकों का निपटान करने में सहकारी समितियों की कठिनाइयों का मौके पर अध्ययन करने के लिए 10 जनवरी से 12 जनवरी, 1986 तक गुजरात का दौरा किया।

(ख) कीमत समर्थन कार्यों के अन्तर्गत भारतीय रुई निगम द्वारा की जाने वाली खरीदारियां बढ़ाने को सुकर बनाने हेतु अध्ययन दल ने कुछ सिफारिशें कीं और तदनुसार निगम ने तभी से गुजरात में अपनी खरीदारियां बढ़ाई हैं ।

(ग) भारतीय रुई निगम ने अभी तक (25-2-86 की स्थिति के अनुसार) गुजरात में 2,00,028 गाठें खरीदी हैं जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान उसकी खरीदारियां 73,555 गांठें थीं ।

महिलाओं द्वारा चलाई जा रही बैंक शाखाएं

1782. डा० फूलरेणु गुहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंक शाखाएं ऐसी हैं; जो केवल महिला कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंक शाखाओं के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

केवल महिलाओं द्वारा चलाई जा रही बैंक शाखाओं के नाम और स्थान

क्रम सं०	बैंकों के नाम	शाखाओं के नाम और स्थान
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1. मिठखली, अहमदाबाद 2. पुक्कर घाट (राजामुन्दरी), जिला पूर्वी गोदावरी
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	*1. गांधीनगर शाखा, जयपुर
3.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1. कोकटाऊन शाखा, बंगलौर 2. सेशाद्रीपुरम शाखा, बंगलौर 3. व्यालीकवल शाखा, बंगलौर
4.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1. यादवेन्द्र पब्लिक स्कूल, पटियाला 2. सेक्टर 10, चण्डीगढ़

* शाखा से बाहर की ड्यूटी पर सशस्त्र गार्डों और चपरासियों को छोड़कर ।

1	2	3
5.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	1. सचिवालय सर्वेक्षण शाखा, त्रिवेन्द्रम
6.	पंजाब नेशनल बैंक	1. ट्यूनेम्पेट, मद्रास
7.	आन्ध्र बैंक	1. हिमायतनगर शाखा, हैदराबाद 2. सूर्याराव्पेट शाखा, विजयवाड़ा 3. नक्कल गुट्टा शाखा, वारंगल 4. श्रीकाकूलम महिला शाखा, श्रीकाकूलम
8.	विजया बैंक	**1. बेन्दूर, मंगलौर, दक्षिण कन्नड़ जिला
9.	बैंक आफ बड़ौदा	1. अहमदाबाद, एस० एम० रोड 2. अहमदाबाद, सेंट जेवियर्स रोड 3. बड़ौदा, ओल्ड बांद्रा रोड 4. बम्बई, वी० पी० रोड 5. बम्बई, हारकनेस रोड 6. बंगलौर, प्लेस आरकाड्स 7. कलकत्ता, जोधपुर पार्क 8. एर्नाकुलम नार्थ 9. नई दिल्ली, जनकपुरी 10. मद्रास/अलवर पेट 11. मद्रास/एगमोर 12. सिएत कालेज एवेन्यू, मद्रास 13. लखनऊ, नरही

** चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर।

रूस को वस्त्रों के निर्यात के लिए करार

1783. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान रूस को वस्त्रों के निर्यात के लिए उसके साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) कैलेण्डर वर्ष 1986 के लिए सोवियत संघ के साथ एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूर्वानुमान है कि 1986 के दौरान सोवियत संघ को लगभग 210 मिलियन मीटर सूती कपड़े तथा सूती धानों और लगभग 370 मिलियन रुपए मूल्य के औद्योगिक फैब्रिक्स और बैड लिनन आदि का निर्यात किया जाएगा।

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

1784. श्री सुभाष यादव :
श्री माणिक रेड्डी :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी क्षेत्र के वस्त्र एककों के नाम क्या हैं जिनका आधुनिकीकरण किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इससे कितने उत्पादन की वृद्धि होगी; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितने धन का नियतन किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) नई वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि सरकार की नीतियां उद्योग में आधुनिकीकरण की गति को तेज करने के उद्देश्य से बनाई जाएंगी। आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए आई० डी० बी० आई० की आसान ऋण योजना के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जाती रहेगी। एक वस्त्र आधुनिकीकरण कोष बनाया जाएगा ताकि उद्योग आधुनिकीकरण के लिए आन्तरिक संसाधन बना सके।

(ख) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के आधुनिकीकरण तथा श्रम के सुव्यवस्थीकरण की योजनाओं के लिए योजना आयोग ने अभी तक 117 करोड़ रुपए के परिव्यय का उल्लेख किया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा तैयार किए गए अनुमानों में यह व्यवस्था है कि उत्पादन मूल्य 1984-85 के 657 करोड़ रुपये से बढ़कर योजना के अन्तिम वर्ष में 762 करोड़ रुपये हो जाएगा। ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन लि० कानपुर के लिए 26.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की एक आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। आधुनिकीकरण पूरा होने के बाद उत्पादन 25 करोड़ रु० के वर्तमान स्तर से बढ़कर 66.67 करोड़ रु० तक हो जायेगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही मिलों को बन्द करना

1785. **श्री पुरुषोत्तम कामत :**
श्री एन० डेनिस :
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :
श्री डी० बी० पाटिल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही मिलों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके बन्द होने के परिणामस्वरूप कुल कितने श्रमिकों के प्रभावित होने की सम्भावना है; और

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रभावित होने वाले श्रमिकों को तत्काल दूसरा रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वस्त्र नीति में बताया गया है कि ऐसे एककों को चालू रखने का, जो जीवनक्षम नहीं हो सकते, अर्थ होगा कि दुर्लभ साधनों पर बराबर अपक्षय और ऐसे एककों अथवा उनके हिस्सों को किन्हीं और हानियों से बचने के लिए बन्द करना होगा।

इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है कि कौन-सी मिलें बन्द की जानी हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में छात्रों और युवाओं को रियायत देने की योजना

1786. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में छात्रों तथा युवाओं को रियायत देने हेतु आरम्भ की गई योजना सफल हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह रियायत 1983 में भी दिए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) 1985 अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष होने के नाते, भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में विद्यार्थियों और

युवाओं को रियायती दरों पर भोजन और आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो पैकेजेज—"यूथ पैकेज" और "स्टुडेंट पैकेज" की शुरूआत की। ये पैकेजेज लोकप्रिय और सफल रहे क्योंकि इन्होंने 12813 गेस्ट नाइट्स जेनरेट कीं और 5474 विद्यार्थियों/युवाओं ने इस पेश-कश (आफर) का लाभ उठाया।

"स्टुडेंट पैकेज" स्कीम वर्ष 1986 के दौरान भी लागू रहेगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन रुग्ण मिलों को बन्द करना

1787. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही कुछ रुग्ण मिलों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इनका प्रबन्ध ग्रहण कब किया गया था;

(घ) उस समय इन मिलों की वित्तीय स्थिति क्या थी; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिए इसके बाद क्या कदम उठाए गए तथा इनका परिणाम क्या निकला ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वस्त्र नीति में बताया गया है कि ऐसे एककों को, जो अर्थक्षम होने के लायक नहीं हैं, बराबर चलाते रहने का अर्थ होगा दुर्लभ संसाधनों का बराबर अपक्षम और आगे किसी हानि को रोकने के लिए ऐसे एककों या उनके भागों को बन्द करना पड़ सकता है।

(ख) इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है कि किन मिलों को बन्द किया जाना है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में आर्थिक रूप से अक्षम कपड़ा एककों में तकुओं के विस्तार के लिए लम्बित आवेदन

1788. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवेदकों के नाम क्या हैं, जिनके केरल में आर्थिक रूप से अक्षम कपड़ा एककों में तकुओं के विस्तार के लिए आवेदन सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या इन मामलों में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वी भारत में आयातित प्राकृतिक रबड़ डिपुओं की स्थापना का प्रस्ताव

1789. **श्री रेणु पद दास :**
श्री बाबू बन रियान :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने मद्रास दिल्ली तथा फरीदाबाद में आयातित प्राकृतिक रबड़ के अपने डिपु स्थापित किये हैं परन्तु पूर्वी भारत में, जहां रबड़ उद्योग केन्द्रित हैं, एक भी डिपु स्थापित नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप रबड़ उद्योग को अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर तथा माल भाड़ा प्रभार वहन करना पड़ता है जिसके कारण इसके उत्पाद प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम ने उक्त क्षेत्र में कम से कम एक डिपु स्थापित करने की आवश्यकता कभी महसूस की है;

(ग) क्या सरकार की पूर्वी भारत के रबड़ उद्योग के उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने हेतु उसे क्षतिपूर्ति देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) रबड़ का वितरण सम्पूर्ण भारत में फैले रबड़ आधारित उद्योगों मुख्य रूप से निजी क्षेत्रों को किया जाता है। एस० टी० सी० खपत किए गए रबड़ अर्थात् घरेलू सप्लाई और मांग के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए आयातित मात्रा के 15 प्रतिशत से कम भाग को हैण्डिल करता है।

एस० टी० सी० आयातों की हैंडलिंग के लिए मद्रास में एक डिपो चला रहा है। फरीदाबाद तथा दिल्ली डिपो देश में लघु एककों की कुल खपत के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करते हैं।

आगे डिपो को खोलना एस० टी० सी० द्वारा एक अर्थक्षम प्रस्ताव नहीं समझा गया है। उद्योगों के लिए स्थान सम्बन्धी सामान्य नीति में कवर हुए रबड़ आधारित उद्योगों के अलावा रबड़ आधारित उद्योगों के स्थान के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहनों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

कपास का वायदा व्यापार

1790. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विपणन महासंघ काफी समय से कपास के वायदा व्यापार की अनुमति देने के पहलुओं की जांच कर रहा है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन कृषि वस्तुओं को ऐसी अनुमति दी गई है उनका विवरण क्या है; और

(ग) कपास के सम्बन्ध मे निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) अहस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी सौदों के रूप मे कपास का भावी सौदा-व्यापार करने की अनुमति पहले से ही दी जा रही है।

(ख) पिछले दो सालों के दौरान मूंगफली, मूंगफली के तेल, अरण्डी के बीज तथा आलुओं के सम्बन्ध में भावी सौदा-व्यापार की अनुमति दी गई है, जो निम्नवत है :—

मूंगफली तथा मूंगफली का तेल : मूंगफली तथा मूंगफली के तेल में अहस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी सौदों के बारे में व्यापार की अनुमति बम्बई में 1-10-1984 से, मद्रास में 1-12-1984 से तथा अडोनी में 16-3-1985 से दी गई है।

अरण्डी के बीज : अरण्डी के बीज के भावी सौदा-व्यापार की अनुमति बम्बई में 10-5-1985 से तथा अहमदाबाद में 24-6-1985 से दी गई है।

आलू : आलुओं के भावी सौदा-व्यापार की अनुमति हापुड़ में 30-11-1985 से तथा कानपुर में 13-2-1986 से दी गई है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिया गया ऋण

1791. **श्री बिलोद सिंह भूरिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण हेतु मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 1984-85 में ऋण के रूप में 3.86 करोड़ रुपए का आबंटन किया था। तथापि जीवन बीमा निगम मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 1984-85 के दौरान ऋण की कोई रकम स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि निगम, जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगमों को ऋण स्वीकार करने से सम्बन्धित मुख्य मानदण्ड को पूरा करने में असमर्थ रहा। अर्थात् निगम ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दी गई पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था किए बगैर तथा पिछले तीन वर्षों के लिए या पिछले पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए मूल्यास्ह्रास की व्यवस्था किए बगैर, कोई नकद हानि न दिखाई हो। तथापि, जीवन बीमा निगम ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 31-3-84 तक 16.13 करोड़ रुपए के ऋण दिए थे।

[अनुवाद]

कपास निर्यात में निजी व्यापार

1792. श्री अजित कुमार साहा :
श्री जायनल अबेदिन :
डा० सुधीर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे कपास के निजी निर्यात का निर्णय किया है;

(ख) क्या कपास निर्यात में निजी व्यापार की अनुमति देने का सरकारी निर्णय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय कपास निगम के हितों के विरुद्ध नहीं जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कपास के निजी व्यापार की अनुमति के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) चूंकि चालू रुई वर्ष के दौरान निर्यात के लिए रुई की पर्याप्त मात्रा रिलीज की गई है; अतः निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निजी व्यापारियों को कुछ मात्रा आबंटित की गई है। रुई की पर्याप्त मात्रा निर्यात के लिए भारतीय रुई निगम को भी रिलीज की गई है।

सिंथेटिक वस्त्रों की तस्करी

1793. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह शिकायत की जा रही है कि "पोलिस्टर फाइबर" और "फिलामेंट यार्न" पर उत्पादन शुल्क में अन्तर होने के कारण सिंथेटिक वस्त्रों की तस्करी 3000 करोड़ रुपये तक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन शुल्क को समान किया जायेगा ताकि उत्पादन शुल्क में अन्तर के कारण तस्करी में पर्याप्त कमी हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा होने के कारण, इसकी कोई निश्चित मात्रा का पता नहीं चल पाता है।

इस विषय पर समय-समय पर सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संश्लिष्ट फैब्रिक्स की उच्ची कीमतें विभिन्न कारणों से हैं, जैसे छोटे संयन्त्र के कारण किफायत न होना, उच्च ऊर्जा लागतें आदि। 1985 की टैक्सटाइल नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसरण मे पोलिएस्टर फाइबर, ब्लैंडिड यार्न और ब्लैंडिड फैब्रिक्स पर उत्पादन शुल्क रियायतें दी गई थीं। और रियायतें देना टैक्सटाइल उद्योग की प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव, उद्योग की लाभप्रदता आदि पर निर्भर करेगा। सरकार को मिली रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि संश्लिष्ट फैब्रिक्स देश में तस्कर-आयात के आकर्षण की वस्तु बनी हुई है। तथापि, समुचित कार्रवाई करने के लिए तस्करी की प्रवृत्तियों आदि की समीक्षा की जाती रहती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मानव अनुपयोगी दलहनों और अनाज का निपटान

1794. श्री डी० बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई तथा भंडार की गई दलहनों और अनाज की कुछ मात्रा इस कारण प्रतिवर्ष नष्ट कर दी जाती है या निपटा दी जाती है कि वह मानव उपयोग के लिए ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक विभिन्न अनाजों और दलहनों की कितनी मात्रा को नष्ट किया गया अथवा निपटाया गया; और

(ग) इस प्रकार के वितरण अथवा निपटान के कारण प्रति वर्ष कुल कितना घाटा हुआ है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रकार नष्ट किए गए और निपटान किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और इसके कारण हुई कुल हानि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

अवधि	ठोस से क्षतिग्रस्त अनाजों में बदली गई मात्रा (ए) (लाख मीटरी टन)	औसत कुल स्टाक की प्रतिशतता	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों/ दालों की निपटायी गई मात्रा (बी) (लाख मीटरी टन)	औसत कुल स्टाक की प्रतिशतता	बी के कारण हुई कुल हानि (करोड़ रुपयों में)
83-84	1.01	0.85	0.442	0.37	10.20
84-85	0.65	0.40	0.385	0.24	7.95
अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक	सूचना उपलब्ध नहीं है।				

[हिन्दी]

अमरीका को कालीनों के निर्यात में कमी

1795. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों के दौरान अमरीका को कालीनों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कालीनों के निर्यात में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ग) निर्यात में इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) अमरीका को कालीनों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। संयुक्त राज्य एनोटेटिड (टी० एस० यू० एस० ए०) की टैरिफ सूची में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को भारत से हाथ से गुथे ऊनी कालीनों के निर्यात निम्नलिखित हैं :—

मात्रा वर्ग फुट में

मूल्य हजार अमरीकी डालर (सी० आई० एफ०) में

	मात्रा	मूल्य
1982	6908819	39359
1983	8087503	39840
1984	9116412	48746

इन आंकड़ों से इस बात का संकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमरीका को भारत से कालीनों के निर्यात में वर्ष 1982 की तुलना में 1984 में मात्रा में 32% तथा मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को कालीनों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार 1986 में संयुक्त राज्य अमरीका में कालीनों की प्रदर्शनियां आयोजित करेगी।

[अनुवाद]

अफीम की फैक्टरी से अफीम की चोरी और चोरी-छिपे अफीम की खेती में वृद्धि

1796. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अफीम के कारखाने से अफीम की चोरी तथा देश में चोरी छिपे हो रही अफीम की खेती के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हो रही चोरी का अनुमान लगाने के लिए अफीम फैक्ट्री के कार्यकरण की समीक्षा की है और क्या अफीम की अवैध खेती तथा देश में मादक वस्तुओं के बाजार में उनके योगदान का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अफीम के कारखानों से अफीम की चोरी रोकने तथा चोरी छिपे हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी अफीम कारखाने से, जिसे "सुरक्षित क्षेत्र" के रूप में घोषित कर दिया गया है, अफीम की किसी भी प्रकार की चोरी की रिपोर्ट नहीं मिली हैं। वहां दो-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है जिसके तहत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्टाफ और केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का निवारक और आसूचना स्टाफ सख्त निगरानी रखता है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

जहां तक अफीम-पोस्त की अवैध काश्त का सम्बन्ध है, नारकोटिक्स विभाग का स्टाफ, विशेष तौर पर अफीम की काश्त के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में, और राज्य सरकार के कर्मचारीगण, इस मामले में लगातार सतर्क रहते हैं। अवैध व्यापार की स्थिति की, जिसमें अवैध रूप से की जाने वाली काश्त के मामले भी शामिल हैं, समीक्षा करने के लिए राज्य प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ समय-समय पर उच्च-स्तरीय बैठकें भी की जाती हैं। हाल ही में बनाए गए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत, अपराधों के लिए, जिसमें अफीम की अवैध काश्त तथा अवैध व्यापार से सम्बन्धित अपराध भी शामिल हैं, सख्त सजा की व्यवस्था की गई है।

खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन

1797. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाद्यान्नों का प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) भारत में खाद्यान्न की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) खाद्यान्नों के फालतू भंडारों का इस्तेमाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान भारत में 1462.2 लाख मीटर टन खाद्यान्नों का कुल उत्पादन होने का अनुमान था।

(ख) चूंकि देश में खाद्यान्नों के लिए मांग जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार, आय-स्तर, वैकल्पिक खाद्यान्नों के मूल्यों आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है, इसलिए देश में खाद्यान्नों की कुल खपत/आवयकताओं के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए खाद्यान्नों के मासिक आवंटनों को उदार कर दिया गया है। इसके अलावा, खाद्यान्न, विशेषतया गेहूं ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में रह रही जनता को और महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण योजनाओं के अधीन भी विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित करने के लिए मुहैया की जा रही है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किएगए व्यक्ति

1798. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को परामर्शदात्री बोर्ड द्वारा छोड़ दिया गया और कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी को उचित ठहराया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द किए गए

व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या
1984	719
1985	760

(ख) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान सलाहकार बोर्डों की सलाह पर छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या जिनको नजरबन्दी आदेशों की पुष्टि सलाहकार बोर्डों द्वारा की गयी है, निम्नानुसार है :—

वर्ष	सलाहकार बोर्डों द्वारा छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके नजरबंदी आदेशों की पुष्टि सलाहकार बोर्डों द्वारा की गयी है
1984	133	586
1985	164	596

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र द्वारा नियंत्रित कपड़े की अधिक सप्लाई तथा इसका हथकरघा उद्योग पर प्रभाव

1799. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि 1986-87 में नियंत्रित मूल्य पर जनता को सप्लाई किए जाने वाले सात सौ लाख मीटर कपड़े में से 500 लाख मीटर कपड़ा हथकरघा द्वारा निर्मित कपड़ा होगा;

(ख) यदि हां, तो इससे हथकरघा उद्योग को कैसे सहायता होगी; और

(ग) क्या इससे कथकरघा बुनकरों को प्रतिदिन अधिक वेतन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1986-87 में कन्ट्रोल कीमतों पर जनता को सप्लाई किए जाने वाले 700 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े में से 500 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र को आवंटित किया जाए ।

(ख) ऐसा करने से हथकरघा बुनकरों को और सतत रोजगार मिलेगा तथा बेकार करघों का पुनरुद्धार होगा और इस प्रकार हथकरघा उद्योग की सहायता होगी ।

(ग) जी नहीं। तथापि, हथकरघा बुनकरों को और सतत रोजगार की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि होगी।

आन्ध्र प्रदेश सरकार का "दो रुपये प्रति किलो योजना" के लिए अधिक धान के लिए अनुरोध

1800. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपनी "दो रुपये प्रति किलो" योजना की आवश्यकता पूरी करने हेतु वर्ष 1986-87 के लिए पांच लाख टन अधिक धान की खरीद करने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार अपनी "दो रुपये प्रति किलो" योजना पर 160 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च कर रही है और क्या समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण इसे बढ़ाकर अब 180 करोड़ रुपए वार्षिक किया गया है;

(ग) उक्त चावल योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1986-87 के लिए पांच लाख टन अतिरिक्त चावला की खरीद के लिए अनुमति दी है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं। उन्होंने 12 लाख मीटरी टन और चावला वसूल करने के लिए अनुमति मांगी है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 1985-86 में इस योजना पर 1766.4 करोड़ रुपए के आस-पास राजसहायता होगी और 1986-87 में यह राशि बढ़कर लगभग 206 करोड़ रुपये हो सकती है।

(ग) केन्द्रीय सकार आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जोकि अत्यधिक राजसहायता प्राप्त होते हैं, पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के जरिये वितरित करने के लिए चावल की आपूर्ति करती है। 1984 और 1985 के पंचांग वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश द्वारा अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के माध्यम से वितरित करने के लिए क्रमशः 10.07 लाख मीटरी टन और 9.78 लाख मीटरी टन चावल का उठान किया गया था। इसमें क्रमशः लगभग 75 करोड़ रुपये और 77 करोड़ रुपए की केन्द्रीय राजसहायता है।

इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1984-85 औ 1985-86 में बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य के अन्दर से ही 10 लाख मीटरी टन चावल खरीदने की अनुमति प्रदान की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

महाराष्ट्र और गुजरात में समर्थन मूल्यों पर कपास के भण्डार को उठाना

1801. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात कपास सहकारी विपणन संघ ने वर्ष 1985-86 के दौरान समर्थन मूल्यों पर कपास के भारी भण्डार को उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास के भण्डार को उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि भारतीय रुई निगम को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि वे महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन फैडरेशन से समर्थन कीमतों पर रुई की पूर्णतः प्रेस की हुई गांठ खरीदें और गुजरात राज्य सहकारी रुई फैडरेशन ने अनुरोध किया कि भारतीय रुई निगम को यह निदेश दिए दिए जाए कि वे कपास के लिए समर्थन कीमतों के आधार पर पूर्णतः प्रेस की हुई गांठों की खरीद करें। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि भारत सरकार राज्य स्तरीय सहकारी रुई फैडरेशनों तथा अन्य फैडरेशनों को समर्थन कीमत सम्बन्धी कार्य सौंपने पर विचार करे। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य फैडरेशनों तथा अन्यों को उनके स्टाकों को निकालने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न नियांतक अभिकरणों की मार्फत चालू रुई सीजन के दौरान निर्यात हेतु रुई की पर्याप्त मात्रा रिलीज कर दी है। भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान कपास की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन कीमतों की भी घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा, जहां कहीं रुई की बाजार कीमतों का न्यूनतम समर्थन कीमतों से कम होने की ओर रुख होता है, वहां भारतीय रुई निगम को न्यूनतम समर्थन कीमतों पर रुई खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उक्त निगम महाराष्ट्र के अलावा जहां कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा रुई एकाधिकार खरीद योजना चलायी जा रही है, सभी रुई उत्पादक राज्यों में कार्य कर रहा है।

दिघा (पश्चिम बंगाल) को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना

1802. श्री सत्यसाधन चिक्क : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दिघा (पश्चिम बंगाल) को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबन्ध में उनके मंत्रालय की योजना और कार्यक्रम है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : विभाग ने डीघा मे पर्यटक गृह और कुटीरों की स्थापना करने हेतु हाल ही में (दिसम्बर 85) केवल 40.17 लाख रुपये (चालीस लाख सतरह हजार रुपये) अनुमोदित किए हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के पक्ष में 20.00 लाख रु० केवल (बीस लाख रुपये) की अग्रिम राशि रिलीज की है, जो इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता हेतु कोई अन्य प्रस्ताव नहीं भेजा है।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए उपाय

1803. श्री सरकराज अहमद :
श्री एम० रघुपा रेड्डी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बुनकर दयनीय स्थिति में हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने दोनों राज्यों के हथकरघा बुनकरो के उत्थान के लिए उपबन्ध नहीं किए हैं;

(ग) क्या यह भी कहा गया है कि नई वस्त्र नीति से उन्हें सहायता मिलने की बजाय नुकसान हुआ है; और

(घ) देश में हथकरघा बुनकरों का उत्थान करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार हथकरघा बुनकर दुखद स्थिति में नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हथकरघा विकास योजनाएं जोकि बिहार तथा उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों पर लाग होती है, अधिकांशत: बराबर की सहायता के आधार पर हैं। इसलिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के अपने बजट में इन योजनाओं के लिए उनके द्वारा आबंटित निधियों की मात्रा पर निर्भर होती है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छठी योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार तथा उत्तर प्रदेश को क्रमश: 3.68 करोड़ रु० तथा 6.31 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में दोनों राज्यों को आबंटित लक्ष्य निम्नोक्त प्रकार है :

(मिलियन वर्गमीटर में)

वर्ष	जनता कपड़े के लिए कुल लक्ष्य	लक्ष्य	
		उत्तर प्रदेश के लिए	बिहार के लिए
1984-85	360	90	40
1985-86	420	100	40
1986-87	500	120	55

(ग) नई वस्त्र नीति में हथकरघों की अनन्य भूमिका बनाए रखने के लिए तथा उन्हें इस लायक बनाने के लिए कि वे अपनी पूरी संभाव्यता प्राप्त कर सकें और साथ ही हथकरघा बुनकरों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए बहुत से उपाय सूचीबद्ध हैं। इस प्रकार नई वस्त्र नीति हथकरघा उद्योग की मदद के लिए अपनाई गई है।

(घ) सरकार, बुनकरों की उन्नति के लिए बनाई गई बहुत सी हथकरघा विकास योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। 1985-86 से दो कल्याण योजनाएं, यथा शिफ्ट फंड योजना तथा वर्कशेड-सह-आवास योजना आरम्भ की गई है।

गैर बासमती चावलों का निर्यात

1804. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-बासमती चावलों का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) यह विनिश्चय किया गया है कि प्रति एमटी 4000 रु० एफ ओ बी की न्यूनतम निर्यात कीमती के अध्यधीन एक सीमित अधिकतम सीमा में गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी जाये।

बिहार में महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकाश तथा ध्वनि व्यवस्था आरम्भ करना

1805. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पर्यटक स्थलों की संख्या कितनी है, जहां उनके मंत्रालय ने उन स्थलों का इतिहास चित्रित करने के लिए प्रकाश तथा ध्वनि व्यवस्था आरम्भ की गई है;

(ख) क्या बिहार में पटना, बोध गया, राजगीर तथा सितामढ़ी जैसे अनेक स्थान हैं जहां ऐसी व्यवस्था से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा; और

(ग) यदि हां, क्या ऐसी परियोजना आरम्भ करने का कोई विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस मंत्रालय ने पर्यटक अभिरुचि के जिन स्थानों पर ध्वनि-व-प्रकाश व्यवस्थाएं प्रारम्भ की हैं, इस प्रकार है :

1. लाल किला, दिल्ली

2. साबरमती आश्रम, अहमदाबाद

3. शालीमार बाग, श्रीनगर

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने बक्सर में ध्वनि व प्रकाश शो की माउंटिंग करने के लिए केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था और यह पूरी होने वाली है । बिहार सरकार ने ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम के लिए अन्य किसी स्थान की सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विश्व बैंक से ऋण

1806. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विकास कार्यों के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण लिया है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और कम्पनियों ने विश्व बैंक से गत तीन वर्षों के दौरान कितना ऋण लिया है और प्रत्येक ने यह ऋण किस प्रयोजन के लिए लिया है;

(ख) क्या विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और कम्पनियों को अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विश्व बैंक ग्रुप द्वारा उधार/ऋण दिए जाने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रश्न है, ऋणकर्ता भारत सरकार होती है और ऋणों की राशि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दे दी जाती है । जहां तक संलग्न सूची में बताई गई कम्पनियों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने ऋण की रकम की वापसी अदायगी की गारण्टी दी है ।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और ऋण/उधार का प्रयोजन	ऋण/उधार की राशि (लाख अमेरिकी डालरों में)		टिप्पणी
1	2	3	4	
1983-84		अ० पु० वि० बैंक*	अ० वि० संघ**	
1.	हिमालय जल विभाजक और प्रबन्ध	...	462	
2.	कर्नाटक सामाजिक वनपालन	...	270	
3.	महाराष्ट्र जल उपयोग	227.0	320	
4.	उड़ीसा सिंचाई—द्वितीय	...	1050	
5.	ऊपरी इन्द्रावती पन-बिजली	1564	1700	
6.	तृतीय कलकत्ता शहरी विकास	...	1470	
7.	म० प्र० शहरी विकास	241.0	...	
8.	केन्द्रीय विद्युत पारेषण	2507	...	
9.	तृतीय जनसंख्या	...	700	
1984-85				
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार—प्रथम	...	391	
2.	केरल सामाजिक वनपालन	...	318	
3.	पेरीयार वैगई सिंचाई—द्वितीय	—	350	
4.	ऊपरी गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई	...	1250	
5.	इन्दिरा सरोवर पन बिजली	1574	1120	एस० डी० आर० (विशेष निधि)
			124	एस० डी० आर०
6.	तमिलनाडु जल पूर्ति और सफाई	...	730	
7.	बम्बई शहरी विकास	...	1380	
8.	गुजरात मध्यम सिंचाई	...	1720	
9.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तृतीय	2200	...	
10.	कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम	2425	...	

1	2	3	4
11.	द्वितीय फरक्का पेट्रोलियम	3008	...
12.	म० प० उर्वरक	2036	...
13.	रेलवे विद्युतीकरण और कार्यशाला आधुनिकीकरण	2807	...
14.	न्हावा शेवा पत्तन	2500	...
15.	दुधिचुआ कोयला	1510	...
1985-86			
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार—द्वितीय	...	490
2.	राष्ट्रीय सामाजिक वनपालन	...	1650
3.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई—तृतीय	...	600
4.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई	...	990
5.	नर्मदा नदी विकास (गुजरात) सरदार सरोवर बांध और बिजली	2000	1000
6.	नर्मदा नदी विकास (गुजरात) जल प्रदान करना और निकासी	...	1500
7.	चन्द्रपुर तापीय बिजली	3000	...
8.	केरल बिजली	1760	...
9.	केरल जल पूर्ति और सफाई	...	410
10.	राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान—द्वितीय	...	721
11.	रिहन्द बिजली पारेषण	2500	...
12.	चतुर्थ जनसंख्या	...	510
13.	झरिया कोकिंग कोयला	2480	...
14.	महाराष्ट्र पेट्रो-रसायन	3000	
15.	राष्ट्रीय राजमार्ग	2000	...
16.	औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी उत्पाद)	900.0	...

* अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

** अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक

II. कम्पनियों को ऋण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	परियोजना का नाम और प्रयोजन	ऋण की राशि (लाख अमेरिकी डालर में)	टिप्पणी
			अ० पु० वि० बैंक*	अ० वि० संघ**
1.	टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनियां	पांचवी ट्राम्बे तापीय बिजली परियोजना	1354	—
2.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी उत्पाद)	1600	—

*अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक
**अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

[अनुवाद]

जोधपुर में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1807. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के धोखाधड़ी के मामलों में शामिल कुछ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जालसाजी में कितने अधिकारी शामिल थे; और

(ग) गिरफ्तार किए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने सूचित किया है कि बैंक सेवा विनियमों के उपबन्धों के अधीन 8-2-1986 से चार अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। बैंक ने यह भी बताया है कि जालसाजी में अन्तर्ग्रस्तता के कारण इन चार अधिकारियों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन बैंक के अनुसार, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कर्नाटक में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

1808. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1985 के दौरान कुल कितने छापे मारे गए;

(ख) राज्य सरकार के कितने अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए;

(ग) छापे मारे जाने के पश्चात् क्या कार्रवाई की गई;

(घ) ऐसे छापों के दौरान कितना धन और कितने मूल्य के आभूषण पकड़े गए; और

(ङ) क्या आयकर अधिकारियों ने जांच के पश्चात् कतिपय राशियां आभूषण लौटाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) कैलेण्डर वर्ष 1985 के दौरान, आयकर विभाग ने कर्नाटक में 100 तलाशियां लीं जिनके परिणामतः, अन्य वस्तुओं के अलावा 51.97 लाख रुपए की नकदी और लगभग 24.43 लाख रुपए मूल्य के जेवर-जवाहरात पकड़े गए। इन तलाशियों के सम्बन्ध में पूछताछ करने के बाद आयकर प्राधिकारियों ने अभी तक कोई राशि अथवा जेवर-जवाहरात नहीं लौटाए हैं। इन तलाशियों में राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं ली गई है। प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत तलाशी लिए गए सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

वर्ष 1985-86 की पहली छमाही में आयात और निर्यात

1809. **श्री नारायण चौबे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 की पहली छमाही के दौरान आयात में 24.5 प्रतिशत की काफी वृद्धि हुई है जबकि निर्यात में 0.7 प्रतिशत की क्रमिक गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 की पहली छमाही के दौरान आयात और निर्यात का मदवार तथा मात्रा-वार ब्योरा क्या है और यह गत वर्ष की तुलना में कितना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1985 के लिए गत वर्ष की उसी अवधि के तुलनात्मक आकड़ों सहित आयातों तथा निर्यातों के मद वार अनन्तिम आंकड़े विवरण-I तथा II के अनुसार संलग्न हैं।

विवरण-I

भारत से प्रमुख वस्तुओं के निर्यात

(करोड़ रु० में मूल्य)

क्रम सं०	मद	अप्रैल-सितम्बर 1984 (पी०) मूल्य	अप्रैल-सितम्बर 1985 (पी०) मूल्य	अप्रैल-सितम्बर, 1985 की अपेक्षा अप्रैल-सितम्बर, 1985 में परिवर्तन
1	2	3	4	5
1.	चाय तथा मेट	330.38	256.97	—22.2
2.	काफी तथा काफी प्रतिस्थापन	106.40	109.21	+ 2.5
3.	तम्बाकू अनिर्मित तथा रद्दी तम्बाकू	100.17	96.28	— 3.9
4.	चीनी तथा चीनी से बने पदार्थ	14.84	0.20	—98.7
5.	काजू गिरी	107.98	123.39	+14.3
6.	सब्जियां तथा फल (काजू गिरी को छोड़कर)	71.46	100.38	+40.5
7.	खली	62.91	46.46	—26.1
8.	मसाले	91.57	64.55	—29.6
9.	समुद्री उत्पाद	128.48	162.17	+26.2
10.	मांस तथा मांस से बने पदार्थ	27.28	32.30	+18.4
11.	चावल	48.18	95.48	+98.2
12.	रुई	48.01	46.19	+ 3 8
13.	लोह अयस्क	142.22	221.07	+55.4
14.	मेंगनीज अयस्क	4.63	6.27	+35.4
15.	अभ्रक (चूरे सहित), अभ्रक वेस्ट	8.55	10.76	+25.8

1 2	3	4	5
16. सूत	16.08	15.74	— 2.1
17. सूती वस्त्र	162.05	166.83	+ 2.9
18. सिले-सिलाए परिधान	357.22	419.82	+17.5
19. पूर्णतः अथवा मुख्यतः सूती तैयार वस्तुएं जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है	35.48	53.23	+50.0
20. मानव निर्मित रेशे के वस्त्र	11.94	11.84	— 0.8
21. रेशमी वस्त्र	25.13	21.22	—15.6
22. पटसन की वस्तुए जिसमें रस्सी तथा हार्न शामिल हैं	141.01	129.26	— 8.3
23. कयर तथा कयर से बना माल	12.66	12.60	— 0.5
24. चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं (जूतों को छोड़कर)	237.27	259.00	+ 9.2
25. जूते	14.06	13.40	+ 4.7
26. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	164.23	157.77	— 3.0
27. रत्न तथा आभूषण	606.59	666.78	+ 9.9
28. हस्तनिर्मित कालीन	89.60	102.73	+14.7
29. कलाकृतियां	69-26	70.15	+ 1.3
30. धातु निर्मित माल (लोहा तथा इस्पात को छोड़कर)	98.21	88.79	— 9.6
31. मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	232.40	265.95	+14.4

1 2	3	4	5
32. लोहा तथा इस्पात (उससे निर्मित माल सहित)	27.01	26.07	— 3.5
33. कच्चा तेल	516.33	135.15	—73.8
34. खनिज ईंधन, स्नेहक तथा सम्बद्ध उत्पाद (पेट्रोलियम उत्पाद)	106.48	90.66	—14.9
कुल योग (जिसमें अन्य मदें शामिल हैं)	5140.05	5017.63	— 2.4

टिप्पणी : (पी०) वस्तुवार आंकड़े अनन्तिम/प्रारम्भिक हैं तथा जिसमें संशोधन हो सकता है।

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

विवरण-II

भारत के प्रमुख वस्तुओं के आयात

(मूल्य: करोड़ रु०)

क्रम सं० वस्तु	अप्रैल-सितम्बर 1984 (पी०)	अप्रैल-सितम्बर 1985 (पी०)	अप्रैल-सितम्बर 1984 की अपेक्षा अप्रैल-सितम्बर 1985 में परिवर्तन
1 2	3	4	5
1. अनाज तथा अनाज से बनी वस्तुएं, जिसमें	111.44	41.82	— 62.5
गेहूं	64.21	18.36	— 71.4
2. कच्चा रबड़ (संश्लिष्ट पुनः परिष्कृत सहित	33.56	39.59	+ 18.0
3. संश्लिष्ट तथा पुनः परिष्कृत रेशे	10.10	15.41	+ 52.6

1	2	3	4	5
4.	लुग्दी तथा कागज की रद्दी	57.78	109.82	+ 90.1
5.	कच्चे उर्वरक	47.64	56.10	+ 17.8
6.	संक्षक तथा अनशेस्टिड लौह पीइरेएट्स	41.53	89.45	+115.4
7.	लौह धातु अयस्क तथा लेड्ल स्क्रेप	37.72	142.55	+277.9
8.	पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद तथा सम्बद्ध उत्पाद	2409.11	2621.83	+ 8.8
9.	वनस्पति तेल, जमा हुआ (खाद्य तेल)	425.31	446.21	+ 4.9
10.	कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन ।	312.84	344.13	+ 10.0
11.	औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद	53.93	59.88	+ 11.0
12.	निर्मित उर्वरक	127.44	386.09	+203.0
13.	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	65.11	90.48	+ 39.3
14.	रसायन सामग्री तथा उत्पाद	46.21	42.65	— 7.7
15.	कागज गत्ता तथा उससे बनी वस्तुएं	71.72	92.08	+ 28.4
16.	वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स तथा तैयार वस्तुएं	38.52	56.68	+ 47.1
17.	मोती, मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्न	491.67	538.72	+ 9.6
18.	गैर-धात्विक खनिज वस्तुएं (मोतियों आदि को छोड़कर)	39.97	34.07	— 14.8
19.	लोहा तथा इस्पात	351.92	496.85	+ 41.2
20.	अलौह धातु	169.99	203.51	+ 19.7
21.	धातु निर्मित माल	64.23	91.97	+ 43.2

1 2	3	4	5
22. मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	111.41	1529.22	+37.3
(क) मशीनरी, वैद्युत तथा गैर वैद्युत	1009.60	1341.77	+32.9
(ख) परिवहन उपस्कर	104.51	187.45	+ 79.4
23. व्यावसायिक वैज्ञानिक नियंत्रक यंत्र फोटोग्रापिक तथा आप्टिकल वस्तुएं, घड़िया तथा दीवार घड़ियां	97.44	155.78	+ 59.9
कुल योग, जिसमें अन्य मदें शामिल है:	7344.84	9141.63	+ 24.5

टिप्पणी (पी) वस्तुवार आंकड़े अनन्तिम/प्रारम्भिक हैं तथा जिनमें संशोधन हो सकता है।

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय

दिल्ली में उपभोक्ता संगठनों के लिए गोष्ठी

1810. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली उपभोक्ता आंदोलन के लिए एक दो दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सभी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों की एक सूची बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन-किन संगठनों को गोष्ठी से आमंत्रित किया गया था और संगठनों को आमंत्रित करने का मानदण्ड क्या था;

(च) क्या इसमें उपस्थित सभी स्वयंसेवी संगठनों ने यह मांग की थी कि उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत केवल वस्तुओ को ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समस्त सेवाओं को शामिल किया जाए; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा 20-21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में एक अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न प्रशासनिक, कानूनी तथा परिवीक्षा संबंधी उपायों पर विचार किया गया, जिनमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए तैयार किए गए उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून का मसौदा भी शामिल था। इस संगोष्ठी में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियो ने भाग लिया।

(ग) जी हां।

(घ) 181 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) ऊपर (घ) में उल्लिखित सभी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(च) व (छ) कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में प्रस्तावित विधेयक के तहत सेवाओं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं भी शामिल हैं, को शामिल करने का सुझाव दिया था। प्रस्तावित विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं शामिल करना संभव नहीं है, क्योंकि लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित विभागों के पास जन-शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त तंत्र मौजूद होने के कारण इससे प्राधिकरणों की संख्या बढ़ जाएगी।

विवरण

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सूची

अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह

1. मिटीजन्स एलाइंस काउंसिल,
   फार पीएम्स 20-प्वाइंट प्रोग्रेम,
   राजेन्द्र भवन, पी० ओ०-जंगलीघाट,
   पोर्ट ब्लेयर।

2. प्रदेश कंज्यूमर काउंसिल,
   अंडमान व निकोबार द्वीप समूह,
   पोर्ट ब्लेयर।

3. दि यूथ को-आर्डिनेटर,
   नेहरू युवक केन्द्र,
   पोर्ट ब्लेयर।

आन्ध्र प्रदेश

4. विशाखा कंज्यूमर्स काउंसिल,
   16-3-5, आफिसियल कालोनी,
   महारानी पेट,
   विशाखापटनम-530002.

5. दि विजयनगरम् कंज्यूमर काउंसिल,
   19-5-13, कानुकुर्ती स्ट्रीट,
   विजयनगरम-531202.

6. कंज्यूमर प्रोटेक्सन सेंटर,
   26-13-37, सानयारी राय रोड,
   गांधीनगर,

विजयवाड़ा-520003.

7. विजयवाड़ा कंज्यूमर्स काउंसिल,
27-18-62, कांग्रेस आफिस रोड,
विजयवाड़ा-520002.

8. आन्ध्र प्रदेश कंज्यूमर्स काउंसिल:
एक्जीबिशन ग्राउंडस,
हैदराबाद।

9. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
5-1-563, जामबाग रोड,
नवरंग सिनेमा ग्राउंड,
हैदराबाद-500001.

10. फैडरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन्स,
नं० 4, शेषाविलास,
3-6-293, हैदरगौडा,
हैदराबाद-500029.

11. नेशनल इंस्टीटयूट आफ कंज्यूमर स्टडीज,
सिविल सप्लाइज भवन,
सोमजीगौडा,
हैदराबाद-500004.

12. कंज्यूमर एजूकेशन सेंटर,
नं० 3, शेषाविलास,
3-6-293, फस्ट फ्लोर,
हैदरगौडा,
हैदराबाद-500029.

13. कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी आफ इंडिया, हैदराबाद ब्रांच,
7-1-644/37, सुन्दर नगर,
हैदराबाद-500001.

14. कंज्यूमर प्रोटेक्सन काउंसिल,
607, छठी मंजिल,
श्री निवास टावर्स, बेगमपेट,
हैदराबाद-500038.

15. सन्तनगर रेजीडैंट्स कंज्यूमर एसोसियेशन,
एस० आर० टी० 484, संतनगर,
हैदराबाद-500018.

16. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी, आफ इंडिया (हैदराबाद),
डी/9, विक्रमपुरी,
सिकन्दराबाद-500003.

17. कंज्यूमर फोरम,
लोरडू निवास,
नार्थ लालगौडा,
सिकन्दराबाद-500017.

18. काकिनाडा कंज्यूमर काउंसिल,
59-19-17, शांति सदन,
पास्टरपेट, काकिनाडा-533002.

19. राजामुन्दरी कंज्यूमर काउंसिल,
विक्काना हाल, परेड ग्राउंड,
राजामुन्दरी-533001.

20. श्रीकाकुलम कंज्यूमर्स काउंसिल,
3-8-75, इप्पीलि स्ट्रीट,
श्रीकाकुलम-532001.

21. कंज्यूमर्स एसोसियेशन, भीमवारम,
श्री मावुलामा टेम्पल स्ट्रीट,
भीमवरम-534201.

22. कंज्यूमर काउंसिल,
थर्ड लाइन, भारतपेट,
गुंटूर-522002.

23. गुंटूर कंज्यूमर्स काउंसिल,
पी० एल० पी० पार्क के नजदीक,
ओल्ड गुंटूर, गुंटूर-522010.

24. वारांगल कंज्यूमर्स काउंसिल,
2-6-44, "आसलेशा" नाकालमंटा,
हनम कोंडा,
वारांगल-506010.

25. कंज्यूमर्स काउंसिल,
निदादवे ले,
वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट,
आन्ध्र प्रदेश ।

26. सिटी कंज्यूमर काउंसिल, फस्ट लेन,
मारुति नगर, विजयवाडा-520004,

बिहार

27. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
जमशेदपुर, अवतार बिल्डिंग,
पिस्तपुर,
जमशेदपुर-831001.

28. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
जमशेदपुर,
एम० 31/5, टेल्को कालोनी,
जमशेदपुर-831002.

29. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
सिंहभूम जिला, रोड नं० 1, क्वाटर
नं० एल 4/2, फार्म एरिया, काडमा,
जमशेदपुर-831005.

30. नेशनल कंज्यूमर्स यूनियन फार
लीगल एसिसटेंस,
लक्ष्मी मेंशन, बिस्तरपुर,
जमशेदपुर-831001.

31. बिहार प्रदेश उपभोक्ता सेवा संघ,
थिलींग त्रिशूल टेम्पल लेन,
पुरेन्स बाजार,
मुज्जफरपुर-842001.

32. बिहार स्टेट कंज्यूमर फैडरेशन,
छत्तर भवन, साउथ मांदिबी,
पटना-800001.

33. बिहार राज्य उपभोक्ता संघ,
241. सी० ककड़ बाग कालोनी,
पटना-800020.

34. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
बिहार, न्यू एरिया,
कदम कुंआ,
पटना-800003.

35. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
111 ए-716, बोकारो स्टील सिटी,
धनबाद-827003.

36. नेशनल कंज्यूमर्स यूनियन फार लीगल
एसिसटेंस, बिमला भवन,
वेस्ट लोहनीपुर,
पटमा-800003.

37. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
जिला-सिंहभूम,
एफ० 10, तायो कालोनी,
पी० ओ० मामहारिया,
सिंहभूम (बिहार)

38. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
माउभण्डार,
एन० एफ० 3/6, माउभण्डार,
सिंहभूम (बिहार)-832303.

चण्डीगढ़

39. कंज्यूमर्स फोरम,
कोठी नं० 99, सेक्टर 8-ए,
चण्डीगढ़-160008.

40. कंज्यूमर्स काउंटर चण्डीगढ़,
721, सेक्टर 7,
चण्डीगढ़-160007.

दिल्ली

41. सिटिजंस एक्सन (रजि०),
5 ओडियन बिल्डिंग,
कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110001.

42. कंज्यूमर सर्विस सोसायटी,
231, जोरबाग,
नई दिल्ली-110003.

43. महिला दक्षता समिति,
2 टेलीग्राम लेन,
नई दिल्ली-110001.

44. नेशनल कंज्यूमर्स फ़ंट,
डी-11/345, पण्डारा रोड,
नई दिल्ली-110011.

45. कंज्यूमर्स फोरम (रजि०),
बी-24, महारानी बाग,
नई दिल्ली-110065.

46. इण्डियन फैडरेशन आफ कंज्यूरर
आर्गेनाइजेशन्स,
231, जोरबाग,
नई दिल्ली-110003.

47. कामन कॉज,
32, आनन्द लोक,
नई दिल्ली-110049.

49- कंज्यूमर प्रोटेक्सन आर्गेनाइजेशन,
ए-16, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली ।

49. वाल्यून्ट्री आर्गेनाइजेशन इन दि
इंट्रेस्ट आफ कंज्यूमर एजूकेशन (वायस)
108, गोल्फ लिंक,
नई दिल्ली-110003.

50. नेशनल कंज्यूमर्स यूनियन फार लीगल
असिसटेंस,
803, नेशनल पार्क, लाजपत नगर 4,
नई दिल्ली-110024.

51. सोसायटी फार सिविक राइट्स,
जे-13, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-5

52. आल इंडिजा कंज्यूमर्स फोरम,
151, आफिस काम्पलेक्स,
साइकिल मार्केट, फैस 1,

स्वामी राम तीर्थ नगर,
नई दिल्ली-110055.

53. सेंट्रल कंज्यूयमर्स काउंसिल,
सी-35 माडल टाउन,
दिल्ली-110009.

गोवा दमण व द्वीव

54. हाउसवाइव्स कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन,
वास्को-डि-गामा,
गोवा ।

गुजरात

55. ज्योतिसंघ ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
श्री किवकोरेबेन मफतलाल महिला
मन्दिर, रिलीफ रोड,
अहमदाबाद-380001.

56. मानेक चौक ग्राहक सुरक्षा मंडल,
मन्दाविनी पोले सेवा संघ,
मन्दाविनी पोले,
अहमदाबाद-380001.

57. कंयूमर एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेंटर,
ठाकरेभाई देसाई स्मारक भवन,
नियर लॉ कालेज, एलिसब्रिज,
अहमदाबाद-380006.

58. वोमेन इक्वल राइट ग्रुप,
3, आकाशदीप अपार्टमेंट,
नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज,
नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380001.

59. अहमदाबाद युवक समाज,
सत्कार होटल के पीछे,
जामशाहेबनी गली,
रिलीफ रोड, लालदरवाजा,
अहमदाबाद-380001.

60. भारत सेवक समाज ग्राहक
सुरक्षा मण्डल,
मार्फत भारत सेवक समाज,
नगरसेठस वांदा,
पनकोरनाका,
अहमदाबाद-380001.

61. शहर मध्यस्थ ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
9/ए, परमातम सोसायटी,
नारानपुरा, नजदीक पोस्ट आफिस,
अहमदाबाद-380013.

62. सिरिजी सेवा समाज,
149, गजेन्द्र सोसायटी,
गजराज-वी-2,
चन्दोलोदिया,
अहमदाबाद ।

63. कंज्यूमर्स प्रोटेक्सन काउंसिल,
31, सुरभ सोसायटी,
नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380001.

64. कंज्यूमर प्रोटेक्सन काउंसिल,
"आशीष",
25, वउनधरा कालोनी,
गुलाबी टेकरा,
अहमदाबाद-380006.

65. बड़ोदरा शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
पुलिस ग्राउंड के सामने,
श्रमसदन, रावपुरा,
बड़ोदरा-390001.

66. अहमदाबाद वोमन्स एसोसिएशन ग्रुप,
5, प्रोफेसर्स कालोनी, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380009.

67. राजकोट शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
"शिवकरपा",
7, भक्तिनगर सोसायटी,
राजकोट-360002.

68. राजकोट शहर ग्राहक सुरक्षा समिति,
20, न्यू जयन्त प्लाट,
राजकोट-360002.

69. दोरजी शहर एण्ड ताल्लुका
ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
नजदीक दरबारगढ़,
दोरजी डिस्ट्रिक्ट,
राजकोट

70. राजकोट सिटी कंज्यूमर एसोसिएशन,
11, रमणिक हाउस,
दूसरा तल, जुबली चौक,
राजकोट-380001.

71. ग्राहक हित सुरक्षा मण्डल,
जरोला बागो,
पटवानी खादकी,
जम्बोई डिस्ट्रिक्ट,
बड़ोदरा ।

72. सूरत ग्राहक मण्डल,
दलाल सदन, घी कान्ता,
हरीपुरा,
सूरत-395001.

73. भावनगर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
मार्फत ज्योतिष संघवी,
नजदीक आगदीश मन्दिर,
करगटे,
भावगनर-3640. 1.

74. कंज्यूमर प्रोटेक्सन एजूकेशन एण्ड
रिसर्च सेंटर,
16, देवुबाग,
भावनगर-364002.

75. जामनगर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
न्यू सेंट्रल बैंक बिल्डिंग,
सरदार पटेल रोड,
जामनगर ।

76. गांधी शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल.
314/बी, "अनन्त",
सेक्टर-20
गांधीनगर ।

77. कंज्यूमर प्रोटेक्सन एसोसिएसन
एफ० एन० इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल
साइंस कम्पाउन्ड,
हिम्मतनगर-383001.
डिस्ट्रिक्ट साबरकंठा (गुजरात)

78. बड़ौच शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
दांदिया बाजार,
बड़ौच ।

79. पालनपुर शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
पालनपुर नगर पालिका,
पालनपुर,
डिस्ट्रिक्ट बी० के०

80. नयोदित ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
नगरवाडा, नडियाद,
डिस्ट्रिक्ट-खेड़ा

81. आनन्द ताल्लुका युवक मंडल,
एसोसियेसन, ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
लक्ष्मी निवास,
25, अजन्ता सोसायटी,
आनन्द,
जिला खेड़ा

82. भुज शहर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
संतोष सोसायटी, भुज,
जिला-कच्छ।

83. अंजर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
अंजर,
जिला-कच्छ ।

84. गांधीधाम कंज्यूमर्स प्रोटेक्सन
काउंसिल,
डी० बी० जेड० एन०-168/ए,
आर्य समाज रोड,
गांधीधाम-370201
जिला-कच्छ ।

85. अमरेली ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
डा० जिवराज मेहता रोड,
अमरेली ।

86. ग्राहक हित सुरक्षा मण्डल,
काचोरी दरवाजा के नजदीक,
कोडिनार,
जिला अमरेली ।

87. ग्राहक हित सुरक्षा मंडल,
पानी दरवाजा,
कोडिनार,
जिला अमरेली ।

88. जाग्रत ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
अमिन बिल्डिंग, गेंडी गेट,
बड़ौदा-390017.

89. मेहसाबा ग्राहक सुरक्षा मंडल,
मार्फत महिला मण्डल मेहसाणा,
टी० जी० हाई स्कूल के नजदीक,
मेहसाणा।

90. सुरेन्द्रनगर ग्राहक सुरक्षा समिति,
40, नूतननगर सोसायटी,
सुरेन्द्रनगर ।

91. गोधरा शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
गोधरा मध्यस्था सहकारी भंडार,
गोधरा,
जिला पंचमहल ।

92. वलसाड ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
कमला निवास,
भूटिया मेटा शेरी,
वलसाड ।

93. श्री ग्राहक सुरक्षा मण्डल,

वापी,
जिला वलसाड ।

94. जूनागढ़ ग्राहक सुरक्षा मंडल,
3 सोलंकी चैम्बर,
बहाउद्दिन कालेज के सामने,
जूनागढ़ ।

95. बिलिमोरा ग्राहक सुरक्षा मंडल,
बिलिमोरा,
जिला वलसाड ।

96. डांग्स जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल,
आह्वा,
जिला-डांग्स ।

97. भाचाऊ ग्राहक सुरक्षा मंडल,
भाचाऊ,
जिला-कच्छ ।

98. मोरबी विभागीय ग्राहक
सुरक्षा समिति,
डा० अम्बेडकर रोड,
पेट्रोल पम्प के सामने,
जनाना हास्पिटल के नजदीक,
मोरबी ।

99. ग्राहक सुरक्षा मंडल,
स्टेशन रोड,
केशोद,
जिला जूनागढ़-362220.

हिमाचल प्रदेश

100. हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता समिति,
शिमला ।

कर्नाटक

101. कर्नाटक कंज्यूमर्स फोरम,
न. 9, कार्निक स्ट्रीट,
बंगलौर-560075.

102. कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसायटी,
32-ए, बेंसन क्रास,
बेंसन टाउन,
बंगलौर-560046.

103. ग्राहक जागृति,
20, मार्केट रोड,
बासवानगुडी,
बंगलौर-560004.

104. जाग्रत मण्डली,
947, 12वां क्रास,
जे० पी० नगर,
फस्ट स्टेज,
बंगलौर-560078.

105. कंज्यूमर एजूकेशन ट्रस्ट आफ
मंगलौर,
माइक्रोवेव स्टेशन रोड,
मंगलौर 575006.

106. दि सिटिजन्स फोरम,
"नयन",
नं. 2, अशोकानगर रोड,
हुबली-580029.

107. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ

इंडिया (दंदेली ब्रांच),
एच टाइप 10/56,
बंगूरनगर,
दंदेली-581362

108. कंज्यूमर्स फोरम,
उपेन्द्रबाग,
कल्पना टाकीज के नजदीक,
उदिपि-576101.

109. सिटिजन्स फोरम,
मराठी विद्यालय के नजदीक,
बीजापुर-586101.

110. सिटिजंस फोरम,
एस० टी० बी० मंदिर के नजदीक
बसरकोर 576211.

111. कंज्यूमर्स फोरम,
श्री कुदेश्वर रोड,
कुन्दनपुर-576201.

112. कंज्यूमर्स फोरम,
नयन बिल्डिंग,
शिरया-574116.

113. गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स फोरम,
ई-1-1534, सहकारी पंत हाउस,
वैंकटेश नगर, गुलबर्गा-585102.

114. कंज्यूमर्स फोरम, बालवाड़ी,
मार्फत डा० डी० सी० देवधर,
एस० डी० एम० कालेज, उजारे,
कर्नाटक

115. कंज्यूमर्स फोरम,
मार्फत गायत्री नर्सिंग होम,
सूलिया-574239

116. जन जागृति ट्रस्ट,
सी० ए० बैंक के नजदीक,
सूलिया-574239.

117. नागरिकशरा वेदिका,
कोट्टा पोस्ट,
उदिपि,
कर्नाटक

118. बालकेंद्रवा वेदिका,
अनन्था शयान रोड,
कारकाला,
साउथ कैनरा-574014

119. बालकेन्द्र बेलगा,
मार्फत महिला केन्द्र साउटंकल,
सौराटकल, कर्नाटक

120. बालकेदार वेदिका,
पुट्टूर, साउथ केनरा,
कर्नाटक।

121. बालकेदार वेदिका,
सूरतकल, मंगलौर तालुका,
कर्नाटक।

122. बालकेदार वेदिका,
जैन मन्दिर रोड,
मुदुबिदारे, साउथ केनरा,
कर्नाटक।

123. नागरिक समिति,
पारक ला,

उदिपि, कर्नाटक ।

124. प्रजा जागृति संघ, बालेरी,
कर्नाटक ।

125. कंज्यूमर वैलफेयर काउंसिल,
डूअर नं. 7/471 सी,
साउथ एक्सटेंशन,
कोलीगल-571440

126. जागृति बालकेदारार वेदिका,
संजीवना कम्पाउण्ड,
वरथूर, बंगलौर।

127. दि सिटीजन फोरम,
होटल धारवाड़,
धारवाड़ (कर्नाटक)

केरल

128. कंज्यूमर गाइडेंस सेंटर,
कोचीन ।

129. कंज्यूमर प्रोटेक्सन विंग,
सेंटर फार लीगल रिसर्च,
कंज्यूमर प्रोटेक्सन एण्ड नान-
फारमल लीगल एजूकेशन,
47/20, एस० आर० एम० रोड,
कोचीन-682018

130. केरल स्टेट कंज्यूमर काउंसिल,
चिरक्काल पोस्ट आफिस,
कन्नूर-670011.

131. कंज्यूमर्स गाइडेंस फोरम,
मेनान्थावेडी,
विनाद-670645.

132. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
इण्डिया (त्रिचूर ब्रांच),
म्यूनिसपिल स्टेडियम,
रूम नं. 63, पैलेस रोड,
त्रिचूर-680 020

133. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
इण्डिया (केरल ब्राच),
पूनिथरा पेथाननगेडी,

134. कोचीन महिला कंज्यूमर विज्ञान केन्द्र
प्रतिभा,
47/855, अशोक रोड,
कोचीन-682017.

135. केरल कंज्यूमर सर्विस सोसायटी,
47/855, प्रतिभा, अशोक
रोड, कोचीन-682017.

136. सेंटर फार लीगल रिसर्च,
कंज्यूमर प्रोटेक्सन एण्ड नान-
फारमल लीगल एजूकेशन,
एम० आई० एम० एम० आई० काटेज,
मुलासेरी केनाल रोड,
कोचीन-682011.

मध्य प्रदेश

137. कंज्यूमर काउंसिल आफ
मध्य प्रदेश,
डी-23/74, बंगला,
टी० टी० नगर,
भोपाल ।

138. मध्य प्रदेश कंज्यूमर काउंसिल,
8, गोराकुण्ड,
इन्दौरा-452001.

महाराष्ट्र

139. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ इण्डिया,
हटमैंट-जे, महापालिका मार्ग,
कामा हास्पिटल के सामने,
बम्बई-400001.

140. सिटिजंस एक्सन ग्रुप,
चिखल हाउस, फस्ट फ्लोर,
453/57, कालबा देवी रोड,
बम्बई-400002.

141. काउंसिल फार फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेंज,
ग्रेट वेस्टर्न बिल्डिंग,
130/133 अपोलो स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई-400023.

142. लास प्रिवेंशन एसोसियेसन आफ इंडिया, वार्डन हाउस,
सर फिरोजशाह मेहता रोड,
बम्बई-400001.

143. मुम्बई ग्राहक पंचायत,
42, कोकन नगर, लेफ्टीनेंट कोटनीस मार्ग,
महिम,
बम्बई-400016.

144. कंज्यूमर काउंसिल आफ इंडिया,
मार्फत श्रीमती कमला रमन,
307, नवकेतन सेंट्रल एवेन्यू रोड,
चेम्बूर,
बम्बई-400071.

145. मुम्बई ग्राहक संस्था,
12, सहवास काशीनाथ धारू रोड, दादर,
बम्बई-400028.

146. कंज्यूमर प्रोटेक्सन काउंसिल,
14, प्रताप नगर,
जिला पेठ,
जलगांव-425001.

147. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
ग्रहक भवन,
तिलक मार्ग,
पुणे-411030.

148. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ इंडिया (पूना ब्रांच),
मार्फत श्रीमती विमला मूर्ति,
7 पालवी सोसायटी,
सेनापति बापत मार्ग,
पुणे-411015.

149. महिला औद्योगिक सहकारी सोसायटी लिमिटेड,
करड,
जिला सतारा,
महाराष्ट्र ।

150. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रदेश,
मार्फत एस० बी० पाधे,
एडवोकेट, रहकर रोड,

महल,
नागपुर-440 002.

151. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
महाराष्ट्र प्रदेश,
मार्फत श्री राजे भाउ पोपली,
जर्नलिस्ट, इरड़ा जन्म रोड,
नियर भोसला वेद-मंदिर
महाविद्यालय, महल,
नागपुर-440002.

पंजाब

152. सरहिन्द कंज्यूमर्स प्रोटेक्सन फोरम,
मार्फत श्री नरेन्द्र मोदी,
मोहल्ला मोदियान,
सरहिन्द सिटी-140407

राजस्थान

153. राजस्थान स्टेट कंज्यूमर काउंसिल
ब्रिज निकुंज, सिविल लाइंस,
जयपुर-302006.

154. कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट
सोसायटी,
8, महावीर मार्ग,
जयपुर-302001.

तमिलनाडु

155. कंज्यूमर काउंसिल आफ इण्डिया
(रजि.)
मद्रास सिटी सेंट्रल यूनिट,
मीनाक्षी कला निलायम,
34 (27), थर्ड स्ट्रीट,
रोयापेट्टाह,
मद्रास-600014.

156. इंस्टीट्यूट आफ कंज्यूमर प्रोटेक्सन
स्टडीज,
4, वेंकटेस नाइकेन स्ट्रीट,
मद्रास-600001.

157. मद्रास प्रोफेसिवल कंज्यूमर्स
एसोसिएसन,
89, बिग स्ट्रीट,
मद्रास-600005.

158. दि काउंसिल आफ पब्लिक
अफिसर्स,
2 बी०, फस्ट मेन रोड,
शास्त्री नगर,
मद्रास-600020

159. कंज्यूमर काउंसिल आफ इंडिया,
14, चन्द्राबाग एवेन्यू,
डा० बुद्धकृष्णन सलाइ,
मद्रास-600004.

160. कंज्यूमर काउंसिल आफ
इंडिया,
98, लेक व्यू रोड,
वेस्ट माम्बलम्,
मद्रास ।

161. कंज्यूमर काउंसिल,
मार्फत इंटरनेशनल स्कूल,
एल० बी० रोड,
मद्रास-600041.

162. कंज्यूमर काउंसिल आफ इंडिया
नं० 1, नतेशन कालोनी,
सी० वी० रमन रोड,
मद्रास-600018.

163. कंज्यूमर काउंसिल आफ इंडिया,
8 अजागप्पा छेतियर रोड,
मद्रास-600010.

164. वर्किंग वोमेंस फोरम आफ
तमिलनाडु,
55, भीमसेन गार्डन रोड,
मिलापुर,
मद्रास-600004.

165. त्रिचि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स
काउंसिल,
नं० 4, श्रीनिवास नगर,
वायलुर रोड,
त्रिचि-620017.

166. कज्यूमर्स प्रोटेक्सन काउंसिल,
वी-11, शास्त्री रोड,
थिलाल्लनगर,
त्रिचिरापल्ली-620018.

167. गोल्डन राक कंज्यूमर्स काउंसिल
पोस्ट बाक्स नं 876,
त्रिचिरापल्ली-620020.

168. पदनथुरई कंज्यूमर्स एसोसिएसन,
नं० 5/46, पदनथुरई,
गुडालूर (तामिलनाडु)

169. गुराने कंज्यूमर्स एसोसिएसन,
थवला,
गुडालूर (तमिलनाडु)

170. कंज्यूमर्स एसोसिएसन,
9/155, थेवला बाजार स्ट्रीट,
गुडालूर (तमिलनाडु)

171. सिटिजस फोरम,
6-ए, वाशयाकारालू रोड ईस्ट,
आर० एस० पुरम,
कोयम्बटर-641002.

172. कंज्यूमर्स एवरनेस आफ अनफेयर
ट्रेड,
इंडस्ट्रीज आर्गेनाइजेसन
(कासन),
5, नेहरू स्टेडियम,
कोयम्बटूर-641018.

173. कंज्यूमर्स काउंसिल,
2, शेषापुरम,
टेन्यूर,
त्रिचिरापल्ली।

त्रिपुरा

174. कंज्यूमर्स प्रोटेक्सन एसोसिएसन,
29, सेंट्रल रोड,
अगरतल्ला-799001.

उत्तर प्रदेश

175. कंज्यूमर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्सन सेंटर
326, पटेल पुरी, सदर बाजार,
मेरठ-250001.

176. दक्षिणांचल कंज्यूमर काउंसिल,
रोबर्टसगंज,
मिर्जापुर-231216.

177. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
87 बी/5, सर्वोदय नगर,
इलाहाबाद।

पश्चिम बंगाल

178. कंज्यूमर्स एक्सन फोरम,
5/1, रेड क्रास प्लेस,
कलकत्ता-700001.

179. कंज्यूमर्स फोरम,
31 ए, भुवन बनर्जी लेन,
कलकत्ता-700007.

180. कंज्यूमर प्रोटेक्सन सेंटर,
24-बी, डा० राजेन्द्र रोड,
कलकत्ता-700020.

पाण्डिचेरी

181. आल इंडिया कंज्यूमर काउंसिल,
81-ईश्वरन कोल स्ट्रीट,
पाण्डिचेरी-605001.

अनिवासी भारतीयों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन

1811. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेषकर अनिवासी भारतीयों से सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान घोषित महत्वपूर्ण प्रोत्साहन क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीयों को भी स्टाक बाजार से रियायती शर्तों पर शेयर खरीदने की अनुमति तथा प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन शर्तों का ब्योरा तथा इनका तर्काधार क्या है;

(घ) उपयुक्त प्रोत्साहनों के बारे में अनिवासी भारतीयों को जानकारी देने तथा उनमें विश्वास पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित दीर्घावधि वित्तीय नीति की क्या प्रतिक्रिया हुई है, विशेषकर अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योग स्थापित करने के बारे में ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय राष्ट्रिकता/भारतीय मूल के अनिवासियों से प्रेषणाओं तथा निवेशों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। 1982 से शुरू की गई ये सभी स्कीमें अभी चल रही हैं। इनमें नए उद्योगों की स्थापना करने, सामान्य शेयरों में पूंजी लगाने, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने और बैंकों में रकमें जमा करने की सुविधाएं शामिल हैं। नवम्बर, 1983 में सरकार ने अनिवासी भारतीयों से सम्बन्धित औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों पर शीघ्रता से अभिस्वीकृतियां देने के प्रयोजन से औद्योगिक विकास विभाग में एक विशेष अनुमोदन समिति का गठन किया था।

(ख) तथा (ग) अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन आधार पर सामान्य शेयरों/परिवर्तनीय

ऋण पत्रों में से पोर्टफोलियो आधार पर (शेयर बाजारों से शेयरों की खरीद करके) पूंजी लगाने की अनुमति प्राप्त है बशर्ते कि (i) किसी एक कम्पनी में प्रत्येक अनिवासी निवेशकर्ता/समुद्रपारीय निगमित निकाय द्वारा किया जाने वाला निवेश शेयरों के मामले में कम्पनी की चुकता सामान्य शेयर पूंजी के। प्रतिशत से अधिक न हो और परिवर्तनीय ऋण पत्रों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के एक प्रतिशत से ज्यादा न हो, (ii) किसी एक कम्पनी में सामान्य शेयरों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों में कुल अनिवासी भारतीय निवेश (प्रत्यावर्तन लाभ सहित और प्रत्यावर्तन लाभ के बिना) सामान्य शेयर पूंजी के कुल चुकता मूल्य/परिवर्तनीय ऋण पत्रों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के पांच प्रतिशत से ज्यादा न हो। इस प्रयोजन के लिए यह जरूरी है कि शेयर/ऋण पत्र स्टाक एक्सचेंजों की की मार्फत प्रचलित मूल्यों पर खरीदे जाएं और पंजीयन की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए निवेशकर्ता उनको अपने पास रखे ! अनिवासी भारतीय एकल व्यक्तियों के मामले में ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाले ब्याज और शेयरों से मिलने वाले लाभांश की आय पर 20 प्रतिशत की एक समान दर से कर कटौती की जाती है।

(घ) पूंजी निवेश से सम्बन्धित मामलों के बारे में अनिवासी भारतीयों को सूचना, परामर्श तथा सहायता, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, भारतीय बैंकों की शाखाओं और भारतीय निवेश केन्द्र के समुद्रणरीय कार्यालयों के द्वारा दी जाती है। राजदूतावासों में आर्थिक तथा वाणिज्यिक प्रभाग विद्यमान हैं जिनको अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में उपलब्ध निवेश के अवसरों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलबन्ध कराई जाती है जिसे वे आगे विदेशस्थ भारतीयों को मुहैया कर देते हैं।

(ङ) दीर्घावधिक राजकोषीय नीति का अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में उद्योगों की स्थापना किए जाने की गतिविधि से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता

1812. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1985 तक जिला उद्योग केन्द्र फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) ने स्व: रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए इस जिले में बैंकों की विभिन्न शाखाओं को शाखा वार कितने मामले भेजे हैं;

(ख) 31 मार्च, 1985 तक कितने व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता दी गई और कितने मामलों में यह सहायता नहीं दी गयी;

(ग) सभी मामलों में कब तक सहायता प्रदान की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए दो से आंकड़े प्राप्त नहीं होते। अलबत्ता, बैंकों ने स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला फैजाबाद (उ० प्र०) में 1983-84 में 790 मामलो में 113.82 लाख रुपए और 1984-85 में 765 मामलों में 169.61 लाख रुपए मंजूर किए।

(ग) बैंक शाखाओं को ऋण आवेदन प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अन्दर-अन्दर निपटाने होते हैं। दिनांक 31 मार्च, 1985 तक मंजूर किए गए मामलों में संवितरण उक्त अवधि के पश्चात् भी जारी रहेगा। सहायता राशि के संवितरण की समय सीमा मुख्यतः परिसम्पत्तियों की खरीद और कार्यशील पूंजी की चरणबद्ध आवश्यकताओं में लगने वाले समय पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

सोने की तस्करी

1813. श्री आनन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोने की तस्करी के पकड़े गए मामलों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है और 1 जनवरी, 1986 के बाद सीमा-शुल्क और राजस्व आसूचना प्राधिकारियों आदि द्वारा पकड़े गए सोने की मात्रा कितनी है और यदि तस्करी का कोई घोटाला या गिरोह पकड़ा गया है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) तस्करी तथा इस व्यापार से संबंधित अन्य व्यक्तियों का काम करने का तरीका क्या है; और

(ग) पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जनवरी और फरवरी, 1986 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार है:—

अवधि	पकड़े गए सोने की मात्रा (कि० ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ों रुपयों में)
जनवरी से फरवरी, 1986 तक	326	6.53

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) आमतौर पर, भारत में सोने की तस्करी यात्रियों द्वारा अपने शरीर अथवा असबाब में, कार्गो में और वाहनों, जलयानों तथा एअर क्राफ्ट के भीतर सोना छिपाकर स्थल-मार्ग, समुद्री-मार्ग और वायु-मार्ग द्वारा की जाती है।

(ग) तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय तौर पर और न्यायालय में अभियोजन चला कर सख्त कार्रवाई की जाती है। अन्तर्ग्रस्त सोने की जब्ती के अलावा और अर्थदण्ड लगाने के अलावा, समुचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबंदी का सहारा भी लिया जाता है।

ठाणे जिले (महाराष्ट्र) में अवैध बैंकिंग व्यवहार करने वाली फर्म/संगठन

1814. श्री उत्तम राव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कतिपय फर्मों/संगठनों द्वारा अवैध बैंकिंग व्यापार किए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों/संगठनों के नाम क्या हैं जिनके मामले में रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक जांच के बाद शिकायतें सच पाई गई हैं;

(ग) क्या इन फर्मों/संगठनों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध और कानूनों के अधीन अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी का आयात

1815. श्री मानिक रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1986 के "न्यू टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार को वर्तमान नीतियों के कारण और चीनी का आयात करना पड़ेगा जिस पर 600 करोड़ रुपए से भी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो कोई सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं तो वे क्या हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) पिछले दो चीनी मौसमों में चीनी के उत्पादन में गिरावट अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यतः कुछ राज्यों में सूखा परिस्थितियां, कम रिकवरी होने आदि जैसे प्राकृतिक कारणों से आई है। देश में गन्ने तथा चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्य का भुगतान करना सुनिश्चित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु चीनी की आन्तरिक उपलब्धता को बढ़ाने के लिए चीनी का आयात करना आवश्यक हो जाता है। तथापि, अगले वर्ष में विदेशी मुद्रा में 600 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य की चीनी का और आयात करने का समाचार सही नहीं है।

असम में दलगांव में पटसन मिल

1816. श्री सैफुद्दीन अहमद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में

दलगांव में प्रस्तावित पटसन मिल की स्थापना का कार्य गत ग्यारह वर्षों से रुका होने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : असम के दलगांव में नई पटसन मिल स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के होटलों को पांच सितारा अथवा लक्जरी का दर्जा दिए जाने का मानदण्ड

1817. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में होटलों को पांच सितारा अथवा "लक्जरी" का दर्जा दिए जाने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम तथा भारतीय होटल निगम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के होटलों के लिए एक समान मानदंड लागू किए जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषमता को दूर करने के लिए तथा सरकारी क्षेत्र के होटलों के स्तरों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत में होटलों का 5-स्टार श्रेणी सहित विभिन्न स्टार श्रेणियों में पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2268/86]

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ समझौता

1818. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) किए गए समझौते का ब्योरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार तथा खाद्य और कृषि संगठन के बीच 12-2-1986 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना से, चावल मिलों में अथवा उनके समीप संस्थापित एककों में, भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत चावल की भूसी का तेल पेरकर या निष्कर्षण द्वारा निकालने की औद्योगिकीय व आर्थिक संभाव्यता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

(घ) खाद्य और कृषि संगठन के साथ करार के अलावा सरकार ने तिलहनों तथा तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं/कर रही है, जो इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना, जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में, मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज एवं उर्वरक मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण कराना है।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना—इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किए गए हैं।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

4. तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

5. सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार-ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

7. वनस्पति घी में गैर-पारम्परिक तेलों के अधिक प्रयोग के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना, सीधी मानव-खपत के लिए प्रयोज्य परिष्कृत चावल की भूसी, बिनौले तथा सोयाबीन के तेलों के मामले में तथा साथ ही तेल के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले विलायकों और मशीनरी पर

उत्पादन शुल्क में छूट देना, ऐसे कुछ अन्य उपाय हैं, जो खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

छापों के मामलों में मूल्यांकन करने में विलम्ब

1819. डा० सी० एस० वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में गत तीन वर्षों के दौरान कर अपवंचकों पर कुल कितने छापे मारे गए और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये छापे मारे गए;

(ख) क्या इन छापों के परिणाम-स्वरूप सभी ऐसे मामलों में आयकर वसूल कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) छापों के मामलों में मूल्यांकन करने में अत्यन्त विलम्ब के क्या कारण हैं, जिसके कारण कर अपवंचकों को कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में पर्याप्त समय मिल रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान अर्थात् 1983, 1984 और 1985 के दौरान आयकर विभाग ने सारे देश में क्रमशः 4349, 3548 और 6919 तलाशियां लीं । तलाशियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उन सभी स्थानों के नाम बताना व्यवहार्य नहीं है जहां तलाशियां ली गई थीं ।

तलाशी के सभी मामलों में आयकर वसूल नहीं किया गया है, क्योंकि कई मामलों में संगत कर-निर्धारण अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं ।

(ग) और (घ) तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी कर निर्धारणों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रशासनिक अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं । इन कर-निर्धारणों की प्रगति पर निगरानी उपयुक्त स्तरों पर की जाती है ।

[अनुवाद]

असम में काजीरंगा के विकास के लिए वृहद योजना

1820. श्री एम० आर० सैकिया : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में काजीरंगा के विकास हेतु सरकार ने वन्य जन्तु रक्षण और इस महत्वपूर्ण स्थान की ओर पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिए एक वृहद योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वन्य जीव और वन विभाग ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से असम में काजीरंगा क्षेत्र सहित गैंडों के संरक्षण के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की है। इस पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.00 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। परियोजना पर 1986-87 के दौरान अनुमोदन मिलने की सम्भावना है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने काजीरंगा में एक वन गृह का निर्माण किया है, जिसे अब भारत पर्यटन विकास निगम चला रहा है। राज्य सरकार भी काजीरंगा में इसके द्वारा निर्मित और अनुरक्षित पर्यटक बंगले में बजट पर्यटकों को आवास प्रदान कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल के लिए एक मिनी बस और दो हाथियों की खरीद करने हेतु केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने धनराशि दी है।

नकदी फसलों के निर्यात को संवर्धन के लिए कदम

1821. डा० के० जी० अदियोडी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकदी फसलों, काली मिर्च, अदरक, इलायची, काजू, हल्दी आदि के निर्यात के संवर्धन के सम्बन्ध में ग्रेडिंग और किस्म नियंत्रण, के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के उत्पादकों और निर्यातकों की, विशेष रूप से उस समय जब राज्य में नकदी फसलों का अच्छा उत्पादन हुआ हो, एग्मार्क लगाने में सहायता करने हेतु कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का संगठन का नवीकरण करके यह सुविधा देने के लिए तत्काल कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

काली मिर्च, इलायची, हल्दी और अदरक समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम में शामिल की गई 34 खाद्य तथा कृषि मदों में से हैं। इस अधिनियम में आने वाली मदों का निर्यात के लिए योग्य होने के लिए एग्मार्क मानकों के अनुसार श्रेणीकरण तथा चिन्हन करने की आवश्यकता होती है। काजू गिरी और भुनी हुई एवं नमकीन काजू-गिरी निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण)

अधिनियम, 1963 के क्षत्राधिकार में 43 खाद्य तथा कृषि मदों में से हैं। इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आने वाली किसी भी मद का तब तक निर्यात नहीं किया जा सकता जब तक वह अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप न हो।

एक "फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट" की स्थापना का प्रस्ताव

1822. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किए जाने का विचार है और गठन किस प्रकार का होगा तथा इसके कार्य क्या होंगे; और

(ग) वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने और स्वदेशी वस्त्र बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) जी हां। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। यह संस्थान स्थापित करने के लिए दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में भूमि तथा बिल्डिंग का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। संस्थान के प्रबन्ध के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसायटी पंजीकृत की गई है। संस्थान की शासी निकाय का गठन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। आरंभ में संस्थान डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाकर और अनुसंधान तथा सेवा कार्यक्रमों की मार्फत अपैरल उद्योग की फैशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

(ग) इस समय, परिधान निर्यात मुख्य रूप से विदेशों में फैशन बाजारों में छोटे खण्डों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। परिधान उद्योग की फैशन डिजाइन तथा प्रौद्योगिकीय जरूरतें पूरी करने के लिए कार्यकुशल व्यावसायिकों की व्यवस्था करके संस्थान देश तथा विदेशों में परिधान व्यापार की इकाई मूल्य वसूली बढ़ाने में मदद करेगा।

विवरण

1	2	3	4
1.	श्रीमती पुपुल जयकर	सलाहकार (हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प) नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	श्री एस० के० मिश्र	विकास आयुक्त (हथकरघा) उद्योग भवन, नई दिल्ली।	उपाध्यक्ष (पदेन)

1	2	3	4
3.	श्री मार्तन्ड सिंह	निदेशक, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० 71, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्रीमती आशा साराभाई	"स्ट्रेथैडन" राजभवन रोड, शाही बाग, अहमदाबाद	सदस्य
5.	श्री एस० एल० शाह	अध्यक्ष, अपेरेल निर्यात संवर्धन परिषद, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	सदस्य (पदेन)
6.	श्री एस० के० मिश्र	अध्यक्ष, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, उद्योग भवन, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
7.	श्री एम० एम० सेठ	अध्यक्ष, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, इंजीनियरिंग सेन्टर, 5वीं मंजिल, 9, मैथ्यू रोड, बम्बई-400004.	सदस्य (पदेन)
8.	श्री विजय झा	निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद।	सदस्य (पदेन)
9.	रिक्त	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, लोक कल्याण, भवन 11-ए, राउज ऐवन्यू, नई दिल्ली।	सदस्य (पदेन)
10.	डा० जे० के० बागची	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
11.	श्री एस० के० हाण्डा	उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)	सदस्य

1	2	3	4
		भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	
12.	श्री एस० कृष्णामूर्ति	निदेशक (वित्त) वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन	सदस्य
13.	श्री डब्ल्यू० सी० अर्रो	प्रबन्ध निदेशक एक्सेलसियर हैण्डलूम वीविंग फैक्ट्री, कनानौर (केरल)	सदस्य
14.	श्री श्रीनाथ	प्रबन्ध-निदेशक नाथ ब्रदर्स एक्जिम इन्टरनेशनल लि० 50/2-3, हनुमान रोड नई दिल्ली-110001	सदस्य
15.	श्रीमती मणि मान्न	76, सुन्दर नगर नई दिल्ली	सदस्य
16.	रिक्त	निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य

"मल्टी-फाइबर" समझौता

1823. डा० बी० एल० शैलेश :
श्री के० प्रधानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील और विकसित देशों के बीच कपड़ा और वस्त्रों के व्यापार को विनियमित करने वाले "मल्टी-फाइबर" समझौते की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मल्टी फाइबर समझौते के कारण उत्पन्न असन्तुलन को दूर करने और भारत जैसे विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए एक नया समझौता करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) जी हां। बैठकों में बहुरेशा प्रबन्ध का भविष्य निश्चित करने की बैठकों में भारत ने इस बात का समर्थन किया है कि वस्त्र तथा क्लोदिम का व्यापार फिर से टैरिफ तथा व्यापार के सामान्य करार (गाट) के सामान्य गैर-विभेदकारी नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

पान का विशिष्ट पण्य-दर

1824. **श्रीहम्माद मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकता-करांची क्षेत्र में पान के लिए विशिष्ट पण्य दर प्रणाली आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी दरें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता करांची क्षेत्र में पान के पत्तों के लिए विशिष्ट वस्तु दर आरम्भ करने के लिए व्यापारियों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

1825. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़े के क्षेत्र में शोध और विकास के बीच सार्थक सम्बन्ध बढ़ाने हेतु एक फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान की स्थापना सम्बन्धी सिफारिश करने हेतु सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों और सरकार द्वारा स्वीकृत सुझावों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आलीशान होटलों की स्थापना

1826. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से निर्मित आलीशान होटलों की संख्या कितनी है; और

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उन स्थलों के नाम क्या हैं जहां इन होटलों का निर्माण किया गया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने अपनी संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से निम्नलिखित छः होटलों की शुरुआत की है :—

होटल का नाम	स्टार श्रेणी
1. गुवाहाटी (असम)	3 स्टार
2. रांची (बिहार)	3 स्टार
3. पुरी (उड़ीसा)	3 स्टार
4. भोपाल (मध्य प्रदेश)	3 स्टार
5. ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	1—2 स्टार
6. पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	1—2 स्टार

उपर्युक्त सभी होटल परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। चूंकि सभी छः होटलों की 1 से 3 स्टार श्रेणी में परिकल्पना की गई है, ये लग्जरी होटल नहीं समझे जा सकते।

कपास का निर्यात

1827. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारतीय कपास के मुख्य खरीददार हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन देशों को कितनी कपास निर्यात की गई;

(ग) क्या निर्यात व्यापार के लिए सरकारी क्षेत्र पर भी विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई मूल्य नीति का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय, रुई के मुख्य खरीदार हैं : बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हांगकांग, इटली, जापान, मोरक्को, नेपाल

पुर्तगाल, पोलैंड, रुमानियां, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैंड, ताइवान, थाइलैंड, सोवियत संघ, बंगलादेश, इन्डोनेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन तथा पश्चिम जर्मनी।

(ख) 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 रुई वर्षों के दौरान क्रमशः 6,97 लाख गांठें, 3,54 लाख गांठें तथा 1.79 लाख गांठें विदेशों को निर्यात की गई।

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के अभिकरण तथा सहकारी संगठन प्रत्येक वर्ष रुई के निर्यात में हमेशा अन्तर्ग्रस्त रहते हैं।

(घ) रुई के निर्यात की अनुमति, वस्त्र आयुक्त कार्यालय की समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत के अध्यधीन दी जाती है।

लौह-अयस्क के निर्यात और इस्पात के आयात के लिए भारत रुमानिया समझौता

1828, श्री मुल्ला पल्लो रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत से रुमानिया को भारी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात करने और वहां से इस्पात उत्पादों का आयात करने के लिए 1985 के अंत में रुमानिया के साथ एक समझौता किया था;

(ख) क्या निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क की अनुमानित वार्षिक मूल्य आयात किए जाने वाले इस्पात के अनुमानित वार्षिक मूल्य की तुलना के अधिक होगा; और

(ग) यदि हां, तो कितना अधिक होगा ?

वाणिज्य तथा खान और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम वर्ष 1986 के दौरान रोमानिया को 5 मिलियन मे० टन लौह अयस्क के निर्यात तथा रोमानिया से 150000 मे० टन इस्पात उत्पादों के आयात के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1985 में रोमानियाई प्राधिकारियों के साथ एक समझौता किया। कीमतें तथा अन्य ब्यौरे अभी तय होने हैं। अतः अभी यह कहना सभव न होगा कि इस्पात उत्पादों का मूल्य निर्यात होने वाले लौह अयस्क के मूल्य से अधिक होगा अथवा कम।

प्रमुख पेय निर्माता द्वारा कर-अपवंचन

1829. श्री मोहन भाई पटेल :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आय कर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे में एक प्रमुख पेय निर्माता कम्पनी द्वारा की गयी कर अपवंचन का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी का नाम क्या है और कर अपवंचन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने 9.7.1985 को युनाइटिड ब्रीवरीज ग्रुप के मामलों में तलाशियां ली थीं और आयकर विभाग को भी इन तलाशियों में शामिल किया गया था। इन तलाशियों के दौरान आयकर विभाग ने मैसर्स युनाइटिड ब्रीवरीज के अध्यक्ष श्री विजय मल्लया के आवासीय परिसरों से लगभग 9.35 लाख रु० के आभूषण पकड़े थे।

निर्यात बढ़ाने के लिए बाजारों में विविधता लाना और सुविधाएं

1830. श्री मोहन भाई पटेल :
श्री चिंतामणि जेना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यातकों को निर्यात बढ़ाने के लिए बाजारों में विविधता लाने के लिए कहा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों को अन्य देशों में बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार ने जिन सुविधाओं का आश्वासन दिया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए 1985 में किए गए व्यापारिक समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने एक विपणन विकास निधि (अब इसे विपणन विकास सहायता कहा जाता है) की स्थापना की है ताकि देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा उसका विविधीकरण करने के लिए प्रदान किए गए विभिन्न उपायों को सुकर बनाया जा सके। विपणन विकास सहायता का उपयोग कतिपय निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए नकद मुआवजा सहायता के सम्बन्ध में व्यय को पूरा करने तथा विदेशों में बाजार के विकास हेतु योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदानों के लिए दिया जाता है। निर्यातकों को अनेक सुविधाएं भी दी जाती है जिनमें 1985-88 के लिए मौजूदा आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के अधीन आयातित अन्तर्निविष्ट साधन भी शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1985 के दौरान सोवियत संघ, पोलैंड, जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य तथा रूमानिया के साथ विद्यमान व्यापार करारों का, जिनमें रुपए में व्यापार करने की व्यवस्था है, 1986-90 की और अवधि के लिए नवीकरण किया जा चुका है।

उड़ीसा में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल का निर्माण

1831. श्री चिन्तामणि जेना : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में कितने होटलों का निर्माण किया गया है और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा में निम्नलिखित आवास-यूनिटें चला रहा है :

यूनिट का नाम	स्टार श्रेणी	क्षमता
होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	2	35 कमरे, 70 बेड्स
ट्रैवलर्स लॉज, कोणार्क	1	4 कमरे, 14 बेड्स

उपर्युक्त के अलावा, उड़ीसा में निम्नलिखित होटल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(1) 170 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 36 कमरों की वृद्धि करते हुए वर्तमान होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर का विस्तार।

(2) उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से 190 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पुरी में एक 44 कमरों वाला 3-स्टार होटल।

विदेशों का दौरा करने वाले व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा का तथाकथित दुरुपयोग

1832. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि व्यापार सम्वर्धन के बहाने विदेश जाने वाले व्यापारियों को विदेशी मुद्रा के लिए दिए गए परिमिटों का उपयोग वे प्रायः ऐसे दौरों में अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं;

(ख) क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि ये व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त स्थानीय आतिथ्य सत्कार का लाभ भी उठाते हैं और विदेशी मुद्रा से विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होटल के बिल आदि लेकर इस विदेशी मुद्रा के उचित उपयोग की जांच की जाती है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

बाटा इण्डिया लिमिटेड द्वारा नकली जूतों की बिक्री

1833. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता जिसे हाल ही में बहुत अधिक वापसी अदायगी

वसूल करने के रूप में एक बहुत बड़ी धोखा-धड़ी में शामिल पाया गया है, को आगरा जैसे खुले बाजार से जूते लेकर और फिर उन पर बाटा का ट्रेडमार्क लगाकर देश में तथा विदेशों में बेचने जैसे कदाचार में भी शामिल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वापसी अदायगी दावों की जांच करते समय फर्म के इन सौदों की भी जांच की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1834. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री हिमाचल प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के बारे में 21-1-1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश में (एक) बिलासपुर (दो) गागरेट, जिला ऊना (तीन) नदौन जिला हमीरपुर में गोदाम बनाने की अनुमति देने के प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन गोदामों का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) भण्डारण आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम का बिलासपुर में गोदाम का निर्माण करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, निगम का हमीरपुर और ऊना जिलों में गोदामों का निर्माण करने का विचार है। उन्होंने इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूमि का आवटन करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा जब तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं कर दी जाती है तब तक इन गोदामों का निर्माण करने के लिए कोई समय सूची बताना कठिन होगा।

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अभियोजन

1835. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया;

(ख) क्या चोरबाजारी और जमा खोरी करके आवश्यक सप्लाई में व्यवधान डालने को रोकने के लिए कोई अन्य उपाय भी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(घ) क्या किसी भी राज्य सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने में कोई ढील अथवा अनिच्छा प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में मुकदमा चलाने तथा दोषी ठहराने के लिए व्यवस्था नहीं है। इस अधिनियम में केवल निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार, तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान जिन व्यक्तियों को नजरबन्द करने के आदेश दिए गए उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, पिछले लगभग 30 वर्षों से कानून के रूप में विद्यमान है, जिसमें आम जनता के हित में कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण और व्यापार व वाणिज्य पर नियंत्रण करने की व्यवस्था है। इसके उपबन्धों का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष, 1983, 1984 व 1985 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करने के परिणाम इस प्रकार हैं :

वर्ष 1983

मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया	जिन व्यक्तियों को दोषी पाया गया उनकी संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य लाख रुपए में
229519	9186	4374	544	1379.18
वर्ष 1984 :				
269386	8860	5000	1094	996.42
वर्ष 1985				
229865	7809	4416.	1188	1493.95

(घ) व (ङ) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 केवल जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़ कर सारे भारतवर्ष में प्रवर्तनीय है। तथापि, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें नीति के तौर पर इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं कर रही हैं, क्योंकि वे निवारण नजरबन्दी उपायों के विरुद्ध है।

विवरण

वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 के दौरान चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिए गए, उनकी राज्यवार संख्या ।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नजरबन्दी के आदेशों की संख्या		
		1982-83	1983-84	1984-85
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	11	3
2.	असम	—	5	3
3.	बिहार	—	5	—
4.	गुजरात	33	24	26
5.	कर्नाटक	7	—	2
6.	मध्य प्रदेश	23	26	3
7.	महाराष्ट्र	11	—	3
8.	उड़ीसा	4	4	1
9.	राजस्थान	1	—	—
10.	तमिलनाडु	—	1	—
11.	उत्तर प्रदेश	36	35	23
	योग :	116	111	64

भारत द्वारा विदेशी मुद्रा में किया गया अंशदान, योगदान और सहायता

1836. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए अंशदान, योगदान और सहायता का निम्नलिखित ब्यौरा क्या है;

(एक) उन मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो इस मामले से सम्बन्धित हैं;

(दो) किन विदेशी देशों को दिया गया;

(तीन) अंशदान, योगदान और चन्दा सहायता देने के क्या कारण थे;

(चार) किस तारीख को विदेशी मुद्रा दी गई;

(पांच) कितने मामलों में अंशदान, योगदान आदि देना बन्द कर दिया गया और उसके क्या कारण हैं; और

(छः) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी और किन नई पार्टियों से बातचीत की गई अथवा स्वीकार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1985-86 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण

1837. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1985 के अन्त तक के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1985-86 के दौरान 15.28 लाख परिवारों को 322.18 करोड़ रुपये के सावधि ऋण दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं तथा चावल का भंडार

1838. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदामों की सुविधाओं के अन्तर्गत न आने वाले भारतीय खाद्य निगम के फालतू भंडार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या आदिवासी खंडों को रियायती मूल्य पर गेहूं तथा चावल के आवंटन से खाद्यान्नों के भंडारों की स्थिति नियंत्रण की सीमा में आ गई है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) खाद्यान्नों के अधिक स्टाक को कम करने के लिए उठाए गए पगों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए खाद्यान्नों के मासिक आवंटनों को उदार कर दिया गया है;

(2) ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए आवंटनों में वृद्धि करना और आदिवासी क्षेत्रों में रह रही जनता तथा तरुण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धाय माताओं के लिए गेहूं पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से राजसहायता दरों पर गेहूं का वितरण करना;

(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करना;

(4) गेहूं और गेहूं के उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति देना।

(ङ) चूंकि यह योजना हाल ही में आरम्भ की गई है इसलिए स्टाक पर इसके प्रभाव के बारे में अभी पता लगना है।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा किर्लोस्कर के कार्यकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाना

1839. श्री इन० बेंकट रत्नम :
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1985 में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा मारे गए छापों में किर्लोस्कर समूह की कम्पनियों के कुछ वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) उक्त छापों के पश्चात क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दिसम्बर, 1985 में तस्करीरोधी निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, पुणे के अधिकारियों की सहायता से मारे गए छापे के परिणामस्वरूप किर्लोस्कर समूह की कम्पनियों के कुछ वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) यथोचित धारणा थी कि उक्त कम्पनियों के समूह द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया गया था तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क का अपवंचन किया गया था।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, दोनों के अधीन मामलों के विभागीय न्याय-निर्णय के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इस्तगासे की कार्यवाहियां भी शुरू की गई हैं।

(घ) मामले पर विभागीय न्याय-निर्णय लिया जा रहा है तथा अभियोजन कार्यवाहियां चल रही हैं ।

[हिन्दी]

फालतू गेहूं का उपयोग

1840. श्री राज कुमार राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के अन्त में भारत में फालतू गेहूं की मात्रा कितनी थी और सरकार ने फालतू गेहूं का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गेहूं पर आधारित खाद्य उत्पाद बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 1-4-85 की स्थिति के अनुसार, सरकारी एजेन्सियों के पास उस तारीख को भंडार की आवश्यकता से लगभग ७3.7 लाख मीटरी टन गेहूं अधिशेष था । इस अधिशेष को उपयोग में लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के आवंटनों में वृद्धि कर दी गई है;

(2) रोलर आटा मिलों को उनकी लाइसेंस शुदा स्वीकृत क्षमता से 50 प्रतिशत अधिक गेहूं पीसने की अनुमति दी गई है;

(3) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए दस लाख मीटरी टन अतिरिक्त गेहूं का आवंटन किया गया था;

(4) भारतीय खाद्य निगम को निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर गेहूं की नीलामी करने/खुले बाजार में बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(5) जिन क्षेत्रों में समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाएं लागू की गई हैं; उन क्षेत्रों में रह रही जनता और महिलाओं और बच्चों के लिए अन्य कल्याण कार्यक्रमों के अधीन विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं वितरित की जा रही है ;

(6) उचित दर की दुकानों से कार्डधारियों द्वारा ली जा सकने वाली गेहूं की मात्रा की सीमा को हटा लिया गया है ।

(ख) और (ग) मार्डर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, ब्रेड का पहले ही एक बड़ा उत्पादक है ।

[अनुवाद]

बड़े व्यापारिक घरानों से बकाया कर की वसूली

1841. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या वित्त मंत्री बड़े व्यापारिक घरानों की और बकाया कर की राशि के बारे में 23 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में उल्लिखित प्रत्येक व्यापार घराने पर कर की बकाया कितनी राशि है और कब से;

(ख) इन व्यापारिक घरानों से समय पर कर वसूल न करने और कर राशि को जमा होने देने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक व्यापारिक घराने से कर की पूरी राशि कब तक वसूल किए जाने की आशा है और उस राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन चूककर्ताओं से कर की राशि वसूल करने में लापरवाही बरतने हेतु आयकर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित जानकारी अर्थात् 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरफ आयकर की बकाया मांगों की राशि (जैसाकि लोक सभा में दिनांक 23-8-1985 को पूछे गए प्रश्न सं० 4787 के उत्तर में उल्लिखित है) और वे कर-निर्धारण वर्ष जिनका इन मांगों से सम्बन्ध है, संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ख) और (ग) मांगों के बकाया पड़े रहने का मुख्य कारण अपीलों का अपील अधिकरणों और न्यायालयों के समक्ष अनिर्णीत रहना है। इस प्रकार वसूली के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। तथापि, प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते हुए, बकाया मांगों की वसूली करने के लिए कानून के अनुसार उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में आयकर अधिनियम की धारा 226(3), 179 और 222 के अन्तर्गत कार्यवाहियां करना शामिल है। परिणामतः, 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरफ 140.78 करोड़ रुपए की बकाया मांग में से 31-12-1985 तक 68.58 करोड़ रुपए वसूल कर लिए/कम कर दिए गए हैं।

(घ) आयकर विभाग के कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है। अतः कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्र० सं०	व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम	31-3-1985 को आयकर की बकाया मांग (लाख रु० में)	जिन कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में मांग बकाया है	ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	ए० सी० सी० बिक्कर्स बाबकाक लि०	470.75	79-80	56.41
			80-81	68.36
			81-82	117.34
			82-83	228.64
2.	ए० सी० सी० लि०	690.22	82-83	690.22
3.	बजाज आटो लि०	276.72	81-82	11.79
			82-83	264.93
4.	आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि०	195.75	79-80	12.85
			82-83	182.90
5.	सेन्चुरी स्पिनिंग एवं मैन्यूफेक्चरिंग कं० लि०	101.28	81-82	21.04
			82-83	80.24
6.	हिन्दुस्तान अल्युमीनियम कार्पोरेशन लि०	155.99	77-78	18.33
			78-79	39.26
			82-83	98.40
7.	जियाजीराव काटन मिल्स लि०	301.33	65-66	0.24
			66-67	0.71
			67-68	1.52
			68-69	64.58
			69-70	0.68
			72-73	8.24
			73-74	0.58
			75-76	3.70

1	2	3	4	5
			78-79	0.07
			79-80	0.95
			80-81	0.43
			81-82	219.63
8.	केसोराम इंडस्ट्रीज एंड काटन मिल्स लि०	321.62	80-81	60.76
			81-82	66.66
			82-83	194.20
9.	मैसूर सिमेंट लि०	150.33	76-77	17.02
			79-80	0.98
			80-81	0.26
			81-82	56.50
			82-83	75.57
10.	जुआरी एग्रो केमीकल्स लिमिटेड	301.52	81-82	301.52
11.	एस्कोर्टस ट्रेक्टर्स	150.59	81-82	150.59
12.	जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	1323.65	72-73	36.42
			75-76	0.25
			81-82	124.18
			82-83	1162.80
13.	एस्कोर्ट्स लि०	557.53	80-81	16.36
			81-82	272.81
			82-83	268.36
14.	रेमंड वूलन मिल्स लि०	275.04	78-79	37.92
			79-80	47.06
			80-81	59.58
			81-82	130.48
15.	स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०	145.36	72-73	64.06
			80-81	59.06
			81-82	0.90
			82-83	21.34

1	2	3	4	5
16.	कमानी इंजिनियरिंग कार्पोरेशन	1653.28	78-79	7.73
			79-80	357.11
			80-81	346.47
			81-82	525.07
			82-83	416.90
17.	मारसन एंड ट्यूबरी लि०	159.68	82-83	159.68
18.	मोदी इंडस्ट्रीज लि०	783.56	74-75	1.04
			75-76	13.04
			80-81	21.19
			81-82	199.72
			82-83	548.57
19.	मोदी रबड़ लि०	2597.41	80-81	700.85
			82-83	1896.56
20.	कार्बोरेन्डम यूनिवर्सल लि०	133.00	76-77	2.80
			77-78	5.60
			78-79	0.20
			79-80	16.10
			80-81	11.50
			81-82	21.30
			82-83	75.50
21.	नेशनल रेयन कार्पोरेशन लि०	235.73	80-81	148.10
			82-83	87.63
22.	साऊथ इंडिया विस्कोस लि०	265.30	75-76	0.22
			76-77	5.87
			77-78	7.48
			78-79	11.66
			79-80	3.95
			80-81	137.94
			82-83	98.18
23.	उड़ीसा सीमेंट लि०	212.00	81-82	17.00
			82-83	195.00

1	2	3	4	5
24.	भारत स्टील ट्यूब्स लि०	103.50	81-82	103.50
25.	सिनबायटिक्स लि०	347.76	74-75	0.12
			79-80	0.20
			80-81	0.21
			81-82	64.67
			82-83	282.56
26.	जय इंजिनियरिंग वर्क्स लि०	158.62	67-68	3.21
			78-79	3.45
			79-80	2.01
			81-82	61.21
			82-83	88.74
27.	डी० सी० एम० लि०	297.65	81-82	297.65
28.	धरंगध्रा केमीकल्स वर्क्स	748.77	78-79	22.13
			79-80	44.84
			80-81	344.61
			82-83	337.19
29.	स्वान मिल्स लि०	401.81	79-80	3.04
			80-81	69.28
			81-82	37.92
			82-83	291.57
30.	मैसूर वाइन प्रोडक्ट्स लि०	150.55	80-81	15.55
			82-83	135.00
31.	स्वदेशी पोलिटेक्स लि०	419.33	77-78	236.19
			78-79	136.15
			82-83	46.99

कच्चे रबड़ का आयात

1842. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित कच्चा रबड़ देश की मांग पूरा करने में पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो भारत द्वारा कितना कच्चा रबड़ आयात किया गया; और

(ग) क्या आयातित रबड़ की लागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ की लागत से अधिक है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मात्राओं का आयात किया गया है :—

(मात्रा मे० टन मे०)

वर्ष	मात्रा
1982-83	31,659
1983-84	32,175
1984-85	32,408

(ग) जी नहीं, आयातित रबड़ की उतरने तक की लागत स्थानीय बाजार में रबड़ की कीमत की अपेक्षा कम है ।

कर्नाटक में ग्रामीण परिवारों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के विकास के लिए केन्द्रीय योजना का लाभ

1843. श्री बी० बी० देसाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक के 23 तालुकों में 7 लाख ग्रामीण परिवारों को समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण की केन्द्रीय योजना का लाभ मिलेगा;

(ख) यदि हां, योजना की मुख्य व्यवस्थाएं क्या हैं;

(ग) योजना में कौन से तालुकों को शामिल किया जायेगा;

(घ) क्या कुछ और तालुकों को योजना में शामिल करने पर विचार किया जाएगा; और

(ङ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और लोगों को इस योजना से कितना लाभ होगा ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) कर्नाटक में समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों के 23 ब्लाकों में रह रहे लगभग 47 लाख लोगों को विशिष्ट राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यानों का वितरण करना अपेक्षित होता है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, लाभभोगियों को 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से जारी करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 1.25 रुपए प्रति किलोग्राम के केन्द्रीय निगम मूल्य पर गेहूं सप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार, उपभोक्ताओं को 1.85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर वितरित करने के लिए निगम द्वारा 1.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर साधारण किस्म का चावल जारी किया जाता है।

(ग) और (घ) यह योजना इस समय केवल समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। तालुकों की सूची संलग्न है।

(ङ) इस योजना पर होने वाला कुल खर्च वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अनाज के कुल उठान पर निर्भर करेगा। उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित विशिष्ट राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने से इस योजना से लोग लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

कर्नाटक में समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों में तालुकों की सूची

क्रम सं०	जिला	स० आ० वि० परि०	तालुकों का नाम
1	2	3	4
1.	चिकमगलूर	मुडीगिरि	1. कोप्पा 2. मुडीगिरि 3. एन० आर० पुरा 4. श्रीगिरि
2.	कूरग	पोन्नामपेट	1. मेरकारा 2. सोमरपेट 3. विराजपेट
3.	मैसूर	एच० डी० कोटे	1. एच० डी० कोटे 2. कोल्लेगल 3. चमराजपुर 4. गुन्डलुपेट

1	2	3	4
			5. हुंसूर
			6. नन्जानूगढ़
			7. पेरियापाटना
			8. येलन्दुर
4.	साउथ कनारा	उडीपी	1. उडीपी
			2. बेल्थंगाडी
			3. करकाला
			4. कुन्दापुर
		पुट्टूर	5. पुट्टूर
			6. सुल्लिया
			7. बन्टवाल
			8. मंगलोर
		जोड़	23 तालुक

[हिन्दी]

आगरा में सिंडीकेट बैंक की शाहदी मण्डी शाखा को लूटना

1844. श्री राजकुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 जनवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार आगरा में सिंडीकेट बैंक की शाहदी मण्डी शाखा से 2.79 लाख रुपए लूटे गए;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक की उक्त शाखा में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था और आपातकालीन अलार्म व्यवस्था भी खराब पड़ी थी;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे कितनी राशि बरामद की गयी है; और

(घ) सुरक्षा गार्ड न होने तथा आपातकालीन अलार्म व्यवस्था के खराब पड़े रहने देने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सिंडिकेट बैंक ने सूचित किया है कि 7.1.1986 को उसकी आगरा छावनी शाखा से 2.80 लाख रुपये की राशि लूट ली गयी थी। बैंक ने यह भी बताया है कि अलार्म व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थी और

इसके बाद बैंक के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई और वह ठीक पाई गई थी। इस शाखा में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। बैंक ने आगे बताया है कि अभी तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई रकम बरामद हुई है।

[अनुवाद]

ग्वालियर रेयन फैक्टरी, कालीकट का बन्द रहना

1845. **श्री एम० रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कालीकट में मजबूर स्थित ग्वालियर रेयन फैक्टरी कितने समय से निरन्तर बन्द है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इसके कारणों, प्रभावों और मुद्दों के समाधान और उक्त फैक्टरी को पुन: चालू करने के सम्भव उपायों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को फैक्टरी के प्रबन्धकों या राज्य सरकार से फैक्टरी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है या उसने कोई ऐसी रिपोर्ट मांगी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त फैक्टरी का अधिग्रहण करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री 7 सितम्बर, 1985 से बंद है।

(ख) से (घ) जी नहीं।

चमड़ा निर्यात का लक्ष्य

1846. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान चमड़ा निर्यात का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या देश का चमड़ा निर्यात विश्व के कुल आयातों के समानुपात में है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) छठी योजना के दौरान चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 2215 करोड़ रु० था और उपलब्धि 2163 करोड़ रु० की हुई।

(ग) 1981-83 के दौरान विश्व बाजार में भारी मंदी के बावजूद, उपलब्धि लक्ष्य से मामूली ही कम थी।

(घ) जी नहीं।

कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध छापे

1848. **श्री हम्माम्न मोल्लाह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान (एक) कर चोरी करने वालों, (दो) काला धन जमा करने वालों, (तीन) सीमा शुल्क चोरी करने वालों, (चार) अवैध निर्यातकों और आयात कर्त्ताओं के विरुद्ध मदवार मारे गए छापों की संख्या कितनी है;

(ख) पकड़े गए लोगों की संख्या कितनी है और इन छापों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) दायर किए गए मामलों की संख्या कितनी है और इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) सम्भव सीमा तक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

दार्जीलिंग जाने वाले विदेशी पर्यटकों का पंजीकरण

1849. **श्री आनन्द पाठक :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बार-बार मांग किए जाने पर भी दार्जीलिंग के क्षेत्रों मे जाने वाले विदेशी पर्यटकों पर लगी पाबंदी में पर्याप्त छूट नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार स्थिति की पुनरीक्षा करने और इस पाबंदी में छूट देने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) विदेशी पर्यटकों द्वारा दार्जिलिंग की यात्रा विदेशियों के लिए (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश द्वारा शासित होती है और उनके आवागमन अनुज्ञा-पत्र जारी करके विनियमित होता है जो आवेदन करने पर अथवा बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उदारतापूर्वक मंजूर किए जाते हैं। इन प्रतिबंधों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और समुचित छूट दी जाती है। वर्तमान विनियमों के अधीन, प्रतिबन्धित क्षेत्र अनुज्ञा-पत्र निम्न प्रकार जारी किए जाते हैं :

(I) दार्जिलिंग और इसके आस पास की जगहों, यथा, टाइगर हिल, लाबोंग रेसकोर्स, घुम और कुर्सोंग की यात्रा करने के लिए 15 दिन की अवधि के वास्ते। (II) मान्यता प्राप्त भारतीय यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा प्रायोजित विदेशी पर्यटकों के समूहों को दार्जिलिंग में सदकफ् और फालुत की यात्रा करने के लिए बशर्ते यात्रा अभिकर्ता

पूर्व निर्धारित यात्रावृत दें और यह आश्वासन दें कि वे इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि पूरा समूह यात्रावृत के अनुसार ही अपनी यात्रा करेगा और (III) दार्जिलिंग जिले में महान्दा तथा सिनचल और जलपाईगुड़ी जिले में चपरामाड़ी तथा गोरूमारा में वन्य जीव विहारों की कुल सात दिनों तक की यात्रा के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को। उन्हें आने जाने की यात्राएं स्थल मार्ग द्वारा करने की स्वतन्त्रता होगी।"

नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना का प्रस्ताव

1850. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध औषध व्यापार, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय औषध सिंडीकेट भी शामिल है, में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार देश में एक नशीला पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह ब्यूरो किस स्थान पर स्थान पर स्थापित करने का विचार है;

(ग) उक्त ब्यूरो की भूमिका क्या होगी; और

(घ) ब्यूरो द्वारा औषधियों के दुरुपयोग में चिंताजनक वृद्धि पर किस हद तक नियंत्रण पाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्धन पुजारी) : (क) और (ख) नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और उसकी सहायता के लिए 5 क्षेत्रीय एकक होंगे, जिनमें से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और वाराणसी में एक-एक एकक होगा।

(ग) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के उपबन्धों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ यह ब्यूरो उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 में परिकल्पित मुख्य प्राधिकरण होगा।

(घ) मादक द्रव्यों के गैर कानूनी धन्धे के विरुद्ध शुरू किए गए तीव्र अभियान के साथ-साथ नए कानून के प्रवर्तन से वांछित परिणाम पहले ही मिलने प्रारम्भ हो गए हैं, जैसा कि 14 नवम्बर, 1985 से नए कानून के प्रवर्तन के बाद पकड़े गए मादक द्रव्यों की भारी मात्रा से स्पष्ट है। यह आशा की जाती है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन से मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रभावशाली रूप से रोका जा सकेगा।

दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

1851. श्री ई० अय्यपु रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में दक्षिणी अफ्रीकी देशों (देशवार) के साथ भारत का कितनी राशि का व्यापार हुआ; और

(ख) वर्ष 1986 में दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने का क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1986 में दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ बढ़ते हुए व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल है; जाम्बिया तथा जिम्बाबे में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में टी एफ ए आई द्वारा सहभागिता तथा मारीशस में एक भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन करना; भारत-कीनिया तथा भारत-जिम्बाबे संयुक्त समिति की बैठकों का आयोजन करना; और प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान करना ।

विवरण

प्रमुख दक्षिणी सहारा के अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार

(करोड़ रु०)

देश	1985-86	
	अप्रैल निर्यात	सितम्बर आयात
1	2	3
बेनिन दहोमे	3.36	उ० न०
कैनेरी दीप समूह	1.89	उ० न०
कांगो जनवादी गणराज्य	0.19	0.54
इथोपिया	10.12	उ० न०
घाना	5.07	0.79
आयवरी कोस्ट	1.89	0.59
कीनिया	12.01	4.19
लिबेरिया	1.54	उ० न०
मालवी	1.22	उ० न०
मारितानिया	1.40	उ० न०
मारिशस	5.77	उ० न०
नाइजीरिया	8.03	0.09

1	2	3
अन्य उत्तरी अफ्रीकी देश	2.48	0.30
सैनीगल	0.28	34.42
साइश ल्योन	0.18	उ० न०
सोमालिया	1.93	उ० न०
स्वीट्जरलैंड	2.64	उ० न०
तंजानिया गणराज्य	7.07	8.92
यूगांडा	4.97	उ० न०
जैरे गणराज्य	0.24	23.31
जाम्बिया	4.47	48.89

इटली से औषधियों का आयात

1852. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार इटली से कितनी मात्रा में औषधियों का आयात किया गया और आयात की गयी औषधियों के मूल्य और श्रेणी का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस देश से गत दो वर्षों के दौरान औषधियों के आयात में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि जिन औषधियों का इटली से आयात किया जा रहा है वे देश में भी उपलब्ध हैं लेकिन उनकी सप्लाई कम है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) आयातों के सम्बन्ध में देशवार/मदवार आंकड़े अभी तक 1982-83 तक संकलित किए गए हैं। 1983-84 और 1934-85 वर्षों के लिए इटली से औषधियों के आयात की मात्रय तथा मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पाकिस्तान से कपास का आयात

1853. **श्री सी० सम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आयात की गई 17.5 करोड़ रुपए की 75,000 कपास की गांठें गोदी में पड़ी हुई हैं जिसके कारण भारी क्षति हो रही है जबकि देश में वर्ष 1984-85 में 103 लाख कपास की गांठों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या यह नीति देश में कपास उगाने वालों के लिए हानिकारक ही नहीं अपितु इससे राजकोष पर भी भारी बोझ पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) गत रुई मौसम के दौरान पाकिस्तान से मध्यम रेशे की रुई की 75,000 गांठों को आयात करना पड़ा ताकि घरेलू बाजार में रुई की इस किस्म की कमी को पूरा किया जा सके तथा कीमतें स्थिर की जा सकें। साथ ही साथ सरकार ने लम्बी तथा अति लम्बी रेशे की रुई की 2.95 लाख गांठों के निर्यात की, जो कि हमारी घरेलू जरूरतों से बेशी थीं, अनुमति प्रदान की। पाकिस्तान से आयातित रुई की 75,000 गांठों की सम्पूर्ण मात्रा एन० टी० सी० की मिलों द्वारा खपत के लिए सीमा शुल्क से पहले ही निर्वाचित हो चुकी है।

घटिया तथा जोखिम वाले बिजली उपकरणों की बिक्री

1854. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले दिल्ली प्रशासन के उद्योग निदेशालय द्वारा मारे गए छापों में प्रमुख बाजारों में बेचे जा रहे अधिकांश घरेलू बिजली उपकरण घटिया तथा जोखिम वाले पाये गये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इस सम्बन्ध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिन्ह अधिनियम का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) कुछ समय पहले उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा मारे गए छापों के दौरान 13 व्यापारियों और एक विनिर्माता के यहां से 14 नमूने जब्त किए गए थे। इनमें से 9 नमूने "अविच्छित" पाये गए और शेष 5 में से 3 नमूने परीक्षणों में सही नहीं पाये गए। जिन व्यापारियों से "अविच्छित" नमूने जब्त किए गए थे उनके विरुद्ध 8 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं।

(ग) उपभोक्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत घरेलू बिजली के उपकरण (गुणता नियंत्रण) आदेश, 1981 जारी किया गया था, जिसमें उन घरेलू बिजली के उपकरणों के विनिर्माण, बिक्री, बिक्री या वितरण के लिए भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जो विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं। इस आदेश के कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा गया है। तथापि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने, हाल ही में, घरेलू बिजली के उपकरणों, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, के लिए अनिवार्य भारतीय

मानक संस्था प्रमाण चिह्नन योजना लागू करने के लिए एक चरण-बद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। पहले चरण में अनिवार्य भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना निम्नलिखित 7 उत्पादों के लिए आरम्भ की जाएगी :—

उत्पाद	तदनुरूपी भारतीय मानक
1. इलैक्ट्रिक इमर्सन वाटर हीटर्स	आई० एस० : 3<8-1977
2. इलैक्ट्रिक ऑयरन	आई० एस० : 366-1976
3. इलैक्ट्रिक स्टोव्स	आई० एस० : 2994-1965
4. इलैक्ट्रिक रेडियेटर्स	आई० एस० : 369-1965
5. घरेलू और इसी तरह के प्रयोजनार्थ स्विच	आई० एस० : 3854-1966
6. घरेलू और इसी तरह के प्रयोजनार्थ 2 एम्प. स्विच	आई० एस० : 4949-1968
7. 3-पिन प्लग और सॉकेट आउटलेट्स	आई० एस० : 1293-1967

दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की परामर्शदात्री समिति की बैठक

1855. श्री वी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय परामर्श दात्री समिति की आठवीं बैठक 18 जनवरी, 1986 को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक से अनुरोध किया था कि गैर सरकार क्षेत्र के बैंको से गैर सरकारी क्षेत्र को ऋणो में वृद्धि करने के लिए कहा जाए; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई तथा निर्णय किये गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) संभवत : प्रश्न का आशय बैठक में लिए गये निर्णयों में से उस एक निर्णय से है जिसमें यह कहा गया है कि गैर- सरकारी क्षेत्र बैंक यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे उधारकर्ताओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक इस पर बारीकी से नजर रखें।

(ग) अन्य विषयों पर लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं :—

(एक) बैंक लक्षद्वीप और पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में जहां ऋण जमा अनुपात कम है, अधिक अग्रिम देंगे ।

(दो) राज्य सरकारें, कम शाखाओं वाले खण्डों में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों का पता लगाएंगी ताकि नयी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार शाखा विस्तार किया जा सके ।

(तीन) बैंक क्षेत्र में अधिक जमाराशियां जुटाने का प्रयास करेंगे । राज्य सरकारें भी इन प्रयासों में मदद करेंगी ।

(चार) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तथा क्षेत्र की संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें, जिन्होंने तलवार समिति द्वारा शंसित आदर्श विधेयक में की गयी व्यवस्था के अनुसार कानून नहीं बनाये हैं, शीघ्र ही कानून बनाएंगी ।

(पांच) तमिलनाडु की राज्य सरकार और पाण्डिचेरी प्रशासन जिन्होंने बैंकों को दुकान और स्थापना अधिनियमों के कार्यक्षेत्रों से छूट देने के लिए कानून नहीं बनाये हैं, शीघ्र ही ऐसे कानून बनायें ।

(छह) राज्य सरकारें बैंकों को उनके अग्रिमों की वसूली करने में हर सम्भव तरीके से पहले से अधिक सक्रिय सहायता प्रदान करेंगी ।

(सात) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से खरीदे गए वाहनों के सड़क परमिटों का तब तक नवीकरण नहीं करेंगे जब तक वे वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से "बेबाकी प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत न करें ।

स्टाक एक्सचेंज सुधार सम्बन्धी जी० एस० पटेल समिति की रिपोर्ट

1886. श्री बी० बी० देसाई :
श्री कृपा सिंधु भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंज सुधार सम्बन्धी जी० एस० पटैल समिति अपना अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को पहले ही दे चुकी है;

(ख) यदि हां, तो अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) अन्तरिम प्रतिवेदन में कितने सुझाव किए गए हैं; कितने सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं तथा कार्यान्वित कर लिये हैं; और

(घ) अन्तिम प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) श्री जी० एस० पटेल की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को कई एक अन्तरिम रिपोर्टें पेश की हैं।

(ख) इन अन्तरिम रिपोर्टों में जो मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गई हैं उनका सम्बन्ध इन बातों से है;

(1) हामीदारी कमीशन, आढत तथा प्रबन्धकर्ता आढती कमीशन की दरों को युक्तिसंगत बनाना;

(2) जनता से कम से कम 1000 रुपए की राशि की प्रतिभूतियों के लिए (अर्थात् 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 100 शेयरों अथवा 100 प्रति शेयर/ऋणपत्र मूल्य के 10 शेयरों/ऋणपत्रों के लिए) आवेदन-पत्र मांगे जाने की व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत 10 रुपया प्रति शेयर मूल्य के कम से कम 100 शेयरों अथवा 100 रुपया प्रति शेयर/ऋणपत्र मूल्य के कम से कम 10 शेयरों/ऋणपत्रों का आवंटन किया जाए।

(3) सार्वजनिक निर्गमों की कुल मिलाकर लागत पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना;

(4) प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में अभिदान प्राप्त करने की सार्वजनिक पेशकश को खुला रखने के लिए निर्धारित कम से कम दिनों की संख्या को "तीन" दिन की अवधि से कम करके "दो" दिन करना;

(5) स्टाक एक्सचेंज में कम्पनी को सूचीबद्ध करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए, उस कम्पनी की न्यूनतम चुकता सामान्य शेयर पूंजी की अपेक्षा को पहले के निर्धारित 20 लाख रुपए के स्तर से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करना;

(6) स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों तथा उनके ग्राहकों के लिए आचार संहिता प्रतिपादित करना;

(7) स्टाक एक्सचेंजों में ग्राहकसुरक्षा निधियों की स्थापना करना;

(8) स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए बीमे की सुरक्षा की व्यवस्था करना;

(9) स्टाक एक्सचेंजों के गठन के लिए एक समान आदर्श स्वरूप अपनाना;

(10) स्टाक एक्सचेंजों की शासी निकायों के आधार को व्यापक बनाना;

(11) प्रतिभूति कारोबार परिषद् के नाम से एक शीर्षस्थ निकाय की स्थापना करना;

(12) स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना।

(ग) इनमें से बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और स्टाक एक्सचेंजों

की, ऐसे फैसलों के कार्यान्वयन के लिए जिनसे उनका सम्बन्ध है, समुचित निदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को 10 दिसम्बर, 1985 को पेश कर दी है।

केन्द्रीय उत्पादन राजस्व का कम्प्यूटरीकरण

1857. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन राजस्व के कम्प्यूटरीकरण से सरकारी राजस्व जमा करने में बैंकों की ओर से होने वाला विलम्ब कम हो गया है और उसके परिणामस्वरूप कलेक्टरों द्वारा हर समोपरि भत्तों में बचत हुई है और लेखा प्रबन्ध में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्प्यूटरीकरण के बारे में रिपोर्टों से यह सिद्ध हुआ है कि कर निर्धारितियों के समामेलन लेखा आंकड़ों में जमा राशियां जैसे लेखा कार्य में अनेक भयंकर समस्याओं के समाधान में कम्प्यूटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सफल प्रयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी कम्प्यूटम प्रयोग करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो कम्प्यूटरों को बड़े पैमाने पर कब तक प्रयोग में लाये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलाईन पुझारी) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 31 समाहर्तालयों में कम्प्यूटर स्थापित कर दिए गए हैं। कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट लेखा तथा प्रबन्ध प्रयोजनों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं; विलम्ब से प्रेषित रकमों के सम्बन्ध में रिपोर्ट, सरकारी राजस्व जमा करने में बैंकों की ओर से होने वाले विलम्ब को कम करने में प्रभावकारी सिद्ध हुई है और निर्धारितियों द्वारा जमा कराई गयी राशियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट से, निर्धारितियों द्वारा सूचित किए गए विभागीय आंकड़ों के साथ मिलान करने में मदद मिलती है। हालांकि समयोपरि भत्ते में हुई कमी के सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है, फिर भी इन रिपोर्टों से समयोपरि भत्ते पर होने वाले व्यय में निश्चित रूप से कमी हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने बम्बई में सीमाशुल्क गृह और एयर कार्गो काम्पलेक्स में आगम-पत्र के सीमाशुल्क निर्धारण कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय किया है। कम्प्यूटर प्रणाली के आयात के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। मार्च, 1986 के मध्य तक प्रणाली प्राप्त होने जाने की सम्भावना है। इसी बीच स्थान की पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐप्लिकेशन सापटवेयर डिवेलप्मेन्ट की भी काफी प्रगति हुई है। बम्बई में परियोजना के सफलतापूर्वक चालू हो जाने के

पश्चात् इस योजना को सीमाशुल्क गृहों में भी लागू किया जाएगा। केन्द्रीय होस्ट प्रणाली के जरिए सीमाशुल्क गृहों को उपग्रह से जोड़ा जाएगा। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निर्धारण कार्य के लिए कम्प्यूटरीकरण करना भी अपेक्षित है जिसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को लाइसेंस देना

1858. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितने लाइसेंस दिए गए हैं और उक्त अवधि के दौरान वास्तव कितनी शाखाएं खोली गई; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान ऐसी शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस दिए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों को अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिए 87 केन्द्र आवटित किए गए थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान वास्तव में 77 शाखाएं खोली हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस 1985-90 की अवधि की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में और नीति के अनुसार पता लगाए जाने वाले केन्द्रों के आधार पर दिए जाएंगे। अत : किसी राज्य में बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते लाइसेंस जारी करने के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

तस्करी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार व्यक्ति

1859. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत एक वर्ष के दौरान तस्करी गतिविधियों के आरोप में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) उनके कब्जे से कितना सोना और विदेशी सामान तथा कितनी विदेशी मुद्रा जब्त की गई; और

(ग) विभिन्न न्यायालयों में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985 के दौरान, पूरे देश में तस्करी की गतिविधियों के सम्बन्ध में, सीमाशुल्क अधिनियम, के तहत 2969 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान पूरे देश में, सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत किए गए सोने, विदेशी मुद्रा और अन्य विदेशी माल का मूल्य निम्नानुसार है :—

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

सोना	विदेशी मुद्रा	अन्य माल	कुल
51.56	4.82	130.09	186.47

इसके अतिरिक्त, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा 365 किलो ग्राम हेरोइन भी अभिगृहीत की गई थी।

(ग) वर्ष 1985 के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम के तहत 2111 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए थे।

(आकड़े अनन्तिम हैं)

बैंकिंग सेवा भर्ती में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का मनोनयन

1860. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड काम कर रहे हैं;

(ख) इन भर्ती बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग कितने सदस्य हैं;

(ग) इन भर्ती बोर्डों में सदस्यों के मनोनयन के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य मनोनीत करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती योजना में, देशभर में पन्द्रह बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। फिलहाल, भारतीय स्टेट बैंक का केन्द्रीय भर्ती बोर्ड काम करता रहेगा। इन बोर्डों में से तीन बोर्ड अभी स्थापित किए जाने हैं। पांच अन्य बोर्डों में इस समय अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं और अशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रश्न पर सन्वयकर्ता बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों तथा अन्य सहभागी बैंकों के परामर्श से विचार किया जाना है। भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा, इन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है; शेष सात कार्यरत बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों में से, पांच बोर्डों में अनुसूचित जातियों के अंशकालिक सदस्य हैं

सरकार ने बैंकों से कहा है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नामित किए जाने वाले व्यक्ति निष्कलंक, सत्यनिष्ठा वाले, उच्च शैक्षिक अर्हताप्राप्त और पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव वाले व्यक्ति होने चाहिए। उन्हें तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों में कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का होना चाहिए।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात

1861. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों (ई० ई० सी०) को भेजे जाने वाले सिले-सिलाए वस्त्रों का वार्षिक कोटा निरन्तर व्यपगत हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका देश में सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग पर राज्य-वार किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) इसका आन्ध्र प्रदेश के हस्तशिल्प के सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) कमी को पूरा करने और सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) को वार्षिक परिधान कोटे के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। 1983 में 54 प्रतिशत की तुलना में 1985 में उपयोग 69 प्रतिशत था।

(ग) तथा (घ) सिले सिलाए परिधानों के राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(एक) पहली जनवरी, 1984 से नकद मुआवजा सहायता की दरें काफी बढ़ा दी गई हैं। ये दरें 1985 के दौरान जारी रहीं। इन दरों को मार्च, 1986 तक पूरी होने वाली समीक्षा के अध्यधीन 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ा दिया गया है।

(दो) आयात निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट—17 के द्वारा आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात हकदारियों को उदार बनाया गया है। 1985-88 के लिए आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 21 के द्वारा अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और

शुल्क मुक्त आर० ई० पी० 19 तथा योजना के अन्तर्गत आयात करने के लिये कच्चे माल/वस्त्रों की कुछ मदों की अनुमति है।

(तीन) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोन योजनाओं के अन्तर्गत कई अन्य रियायतों के साथ-साथ अनिवार्य निर्यात दायित्व के साथ पूंजी माल कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं दी जाती हैं।

(चार) घरेलू वस्त्र मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति है ताकि निर्यातक आधुनिक मशीनें प्राप्त कर सकें। ऐसी आधुनिक मशीनों की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति है जिनका देश में विनिर्माण नहीं होता। परिधानों तथा हौजरी की वस्तुएं के लिए लगभग 114 आवश्यक मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है, जिनमें से 97 को आयात निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट-I भाग ख के द्वारा रियायती आयात शुल्क की छूट प्राप्त है।

(पांच) नई आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत विनिर्माता-निर्यातकों के लिए सरकार ने नई आयात-निर्यात पास बुक योजनाएं लागू करने की घोषणा की है।

(छः) फैशन, डिजाइन के क्षेत्रों में विशेष रूप से परिधान व्यापार के लिए शिक्षा, अनुसंधान सेवा तथा प्रशिक्षण के लिए सरकार ने दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

(सात) परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरों को उदार बनाया गया है।

(आठ) सरकार बाजार अध्ययन क्रेता-विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने आदि जैसी संवर्धनात्मक गतिविधियों के प्रयोजन के लिए तथा उनको जल की व्यवस्था करने के लिए उदार सहायता तथा राजस्व देती रही है।

आन्ध्र प्रदेश में पंजाब नैशनल बैंक और आन्ध्रा बैंक द्वारा सामाजिक प्रयोजनों के लिए गए ऋण

1862. श्री बी० तुलसी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजाब नैशनल बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सामाजिक प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब नैशनल बैंक और आन्ध्रा बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अवधि में आन्ध्र प्रदेश को न्यूनतम ऋण/उधार दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) दिसम्बर 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों की राशि क्रमशः 20595 करोड़ रुपए और 4844 करोड़ रुपए थी। इसमें से पंजाब नैशनल बैंक के आंकड़े क्रमशः 1311 करोड़ रुपए और 302 करोड़ रुपए है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों को पंजाब नेशनल बैंक और आन्ध्र बैंक द्वारा दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष (के अन्त तक)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		(राशि करोड़ रुपए) कमजोर वर्ग	
	पंजाब नेशनल बैंक	आन्ध्र बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	आन्ध्र बैंक
1983	18.64	232.98	1.98	93.55
1984	18.94	274.52	2.57	101.65
1985	21.25	317.40	3.38	117.95

(ग) से (ङ) बैंकों से यह कहा गया था कि मार्च, 1985 के अन्त तक उनके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों का हिस्सा बढ़ा कर कुल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत तक और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिमों का हिस्सा 10 प्रतिशत तक हो जाना चाहिए। दिसम्बर, 1985 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने कुल ऋण का 43.4 प्रतिशत "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों" और 10.2 प्रतिशत "कमजोर वर्गों" को देने का स्तर प्राप्त कर लिया था। ये लक्ष्य देश के अलग-अलग बैंकों के लिए निर्धारित किए गए थे न कि अलग-अलग राज्यों के लिए।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा विकास के लिए धनराशि का आवंटन

1863. श्री बी० तुलसी राम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथकरघा विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 512 करोड़ की धन राशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां तो आवंटित राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या राज्य में विकास की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए आबंटित धनराशि आवश्यक धनराशि की तुलना में बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य को अधिक धनराशि आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) जी हां। योजना आयोग द्वारा 7 वीं योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 168 करोड़ रु० तथा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 344 26 करोड़ रु० अर्थात कुल 512.26 करोड़ रु० के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। तथापि, अलग अलग राज्य इसको देखते हुए कि उन्हें 7 वीं योजना के लिए समग्र रूप से कुल कितना धन आबंटित किया जाता है, परिव्यय में संशोधन कर सकते हैं।

योजना आयोग द्वारा 7वीं योजना के लिए सिफारिश किए गए राज्यवार आंकड़े परिशिष्ट पर देखे जा सकते हैं। योजना आयोग द्वारा राज्यों के साथ वार्षिक योजनाओं पर चर्चा की जाती है और उसके बाद उन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। अत: 1985-86 के बाद के वर्ष वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग द्वारा 1985-86 के लिए सिफारिश किए गए राज्यवार वार्षिक योजना आबटन भी विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) योजना आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए सातवीं योजना हेतु 36 करोड़ रु० के आबंटन की सिफारिश की गई है, लेकिन राज्य सरकार के सातवीं योजना के लिए कुल आबंटन को ध्यान में रखते हुए 7वीं योजना के लिए 28.50 करोड़ रु० निर्धारित किए हैं।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मूल रूप से 39 करोड़ रु० का परिव्यय का प्रस्ताव किया है। हालांकि योजना आयोग ने 36 करोड़ रु० के परिव्यय की सिफारिश की, फिर भी राज्य सरकार ने 7वीं योजना के लिए समग्र आबंटन को ध्यान में रखते हुए हथकरघा क्षेत्र सम्बन्धी आबटन को संशोधित करके 28.50 करोड़ रु० कर दिया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य योजना आबंटन (जैसा कि योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई है)

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	राज्य/सं० रा० क्षे०	7वीं योजना आबंटन	वार्षिक योजना 1985-86
1	1	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.00*	6.50**
2.	आसाम	13.09	1.65†

1	2	3	4
3.	बिहार	12.20	1.80
4.	गुजरात	8.00	1.75
5.	हरियाणा	2.50	0.38
6.	हिमाचल प्रदेश	1.35	0.25
7.	जम्मू तथा काश्मीर	6.30	1.00
8.	कर्नाटक	30.00	5.00
9.	केरल	11.75	1.70
10.	मध्य प्रदेश	16.79	3.50
11.	महाराष्ट्र	5.04	1.20
12.	मणीपुर	4.43	0.36
13.	मेघालय	1.20	0.16
14.	नागालैंड	1.30	0.30
15.	उड़ीसा	9.50	1.75
16.	पंजाब	4.50	0.50
17.	राजस्थान	5.05	0.65
18.	सिक्किम	1.20	—
19.	तमिलनाडु	60.00	10.40
20.	त्रिपुरा	3.00	0.50
21.	उत्तर प्रदेश	66.79	4.80
22.	पश्चिमी बंगाल	32.00	7.00
	कुल राज्य	332.89	51.15
संघ राज्य क्षेत्र			
23.	अन्डेमन तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	0.35††
25.	चंडीगढ़	0.02	0.005
26.	दादर तथा नागर हवेली	—	—

1 2	3	4
27. दिल्ली	2.50	0.45
28. गोवा दमन तथा ट्यू	0.18	0.025
29. लक्षद्वीप	—	—
30. मिजोरम	0.50	0.08
31. पांडिचेरी	5.67	0.55
योग सं० रा० क्षे०	11.37	1.45
कुल योग	344.26	52.61

*राज्य द्वारा अनुमोदित परिव्यय 28.58 करोड़ रु०।

**राज्य द्वारा अनुमोदित परिव्यय 11.89 करोड़ रु०।

†शक्ति चालित करघों सहित।

††हस्तशिल्पों सहित।

वर्ष 2000 तक घरेलू उपयोग के लिए चाय का आयात

1864. श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बागान फसलों, के सम्बन्ध में दिल्ली में आयोजित एक विचार गोष्ठी में हुई चर्चा की ओर दिलाया गया है; जिसमें यह कहा गया था कि वर्ष 2000 तक भारत को घरेलू उपयोग के लिए चाय का आयात करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) 1985 में चाय की खपत लगभग 4.5 मिलियन कि० ग्रा० होने का अनुमान था और प्रतिवर्ष 15 मिलियन कि० ग्रा० की वृद्धि होने का अनुमान था। इस प्रकार प्रतिवर्ष बढ़ती हुई खपत की दर के अनुसार सन 2000 तक घरेलू खपत के लिए 640 मिलियन कि० ग्रा० की आवश्यकता होगी जो 657 मि० कि० ग्रा० के वर्तमान उत्पादन से तुलनीय है। तथापि, उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि निर्यात के हमारे स्तर को बनाए रखा जा सके और उसमें वृद्धि भी की जा सके तथा बढ़ती हुई खपत की वृद्धि का भी ध्यान रखा जा सके जो कई कारणों से बढ़ सकती है।

चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन उपायों की व्यवस्था की गई है उनमें अन्तर्निविष्ट साधनों को अनुकूलतम बनाये जाने जैसे अल्पावधि उपाय तथा सिंचाई और ड्रेनेज व्यवस्था, झाड़ियों

की भराई और पुनरुद्धार जैसे मध्यम अवधि उपाय तथा विस्तार रोपण एवं पुनर्रोपण जैसे दीर्घावधि उपाय शामिल हैं।

आयातित प्राकृतिक रबड़ के लिए राज्य व्यापार निगम के डिपो

1865. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य व्यापार निगम के आयातित प्राकृतिक रबड़ के डिपो की संख्या कितनी है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या उक्त स्थानों पर इनकी स्थापना उनके इर्द गिर्द उपभोक्ता उद्योग अथवा तैयार उत्पादों का बाजार होने के कारण की गई है, यदि नहीं, तो इस बारे में अन्य मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम निकट भविष्य में कोई और डिपो खोलेगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) 1984-85 में भारत में रबड़ की खपत लगभग 217,000 मै० टन थी। रबड़ उद्योग सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है, यद्यपि लगभग 40 प्रतिशत खपत उत्तरी क्षेत्र में होती है। रबड़ वितरण में गैर सरकारी क्षेत्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। राज्य व्यापार निगम खपत हुए रबड़ के 15 प्रतिशत से कम भाग को हैन्डिल करता है। यह मात्रा पूर्ति तथा मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात की जाती है। यह आयातों के हैंडलिंग के लिए मद्रास में एक डिपो चला रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली तथा फरीदाबाद में दो डिपो हैं। राज्य व्यापार निगम अतिरिक्त डिपो के खोले जाने को एक अर्धक्षम प्रस्ताव नहीं समझता।

विदेशों में भारतीय व्यापार पर छापों का प्रभाव

1866. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा व्यापारिक घरानों के परिसरों पर मारे गए अंधा-धुन्ध छापों के कारण विदेशों में भारतीय व्यापार पर पड़े कुप्रभाव के बारे में व्याप्त आशंका की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्राप्त सूचना अथवा अन्यथा एकत्र की गई सूचना की सावधानीपूर्वक संवीक्षा तथा सत्यापन करने के बाद ही विभिन्न प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा तलाशियां ली जाती हैं। विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ही ऐसे छापे डाले जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धनराशि उधार देने तथा जमाराशि स्वीकार करने में लगे व्यक्ति तथा फर्म

1867. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के हाल के उस निदेश की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार धनराशि उधार देने का कारोबार करने तथा जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठित निगमित फर्मों को, यह दावा करने से पूर्व कि उन्हें संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित होने से राहत मिलनी चाहिए, अपने कार्य-कलापों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त निदेश को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा पता चला है कि उच्चतम न्यायालय में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 111-ग के उपबन्धों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को ऐसे निर्देश दिए थे ।

(ख) यह मामला अभी भी न्यायाधीन है। इसके अलावा, उच्च म न्यायालय के इन निर्देशों के तहत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जानी है ।

भारत का ऋण भार अनुपात

1868. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश का ऋण भार अनुपात की ईष्टतम सीमा कितनी है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर उक्त अनुपात क्या था और सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर कितना होने की सम्भावना है; और

(ग) चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश के ऋण-भार अनुपात की ईष्टतम सीमा का ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता । यह कई परिवर्तनशील तत्वों पर निर्भर करता है जिनमें अर्थव्यवस्था का समग्र सामर्थ्य, व्यापार और पूंजी के प्रवाह के लिए विदेशी परि-स्थितियां और भुगतान-शेष का प्रबन्ध शामिल है । भारत का ऋण-भार अनुपात विवेकपूर्ण सीमा के अन्दर ही है ।

(ख) विदेशी ऋणों पर भारत की ऋण-भार अदायगियों का अनुपात, 1984-85 में चालू प्राप्तियों के 13.6 प्रतिशत होने का अनुमान है । यह अनुमान लगाया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार विदेशी ऋणों पर भारत का ऋण-भार चालू प्राप्तियों के अनुपात के रूप में 1984-85 की कीमतों के आधार पर 1985-90 के दौरान औसतन 17.6 प्रतिशत होगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी विभागों को कपड़ा राष्ट्रीय कपड़ा निगम से खरीदने के निदेश

1869. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी जरूरत का कपड़ा एक ही निविदा के द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम से खरीदने के निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पक्ष में ऐसे निदेश जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पक्ष लिए जाने को देखते हुए हथकरघा तथा विद्युतकरघा उत्पादन के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने एन० टी० सी० बारे में अपनी 40 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि सस्ते कपड़े के उत्पादन का जो सामाजिक दायित्व लिया गया है और उनको देखते हुए एन० टी० सी० द्वारा उठाई गई समग्र (भारी) हानियों को, जिन्हें सरकार द्वारा प्राप्त में पूरा कर दिया गया था, देखते हुए सरकार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सारा कपड़ा एन० टी० सी० से खरीदने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस पृष्ठ-भूमि में यह विनिश्चय किया गया था कि सेना द्वारा अथवा डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा (अन्य विभागों के लिए) खरीदा जाने वाला सूती तथा ऊनी कपड़ा जिस सीमा तक एन० टी० सी०/बी० आई० सी० से उपलब्ध हो, एन० टी० सी०/बी० आई० सी० से एक निविदा आधार पर खरीदा जाना चाहिए। तथापि, इस आदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कवर नहीं हुए।

(ग) तथा (घ) सरकारी विभागों द्वारा खरीदा जाने वाला कपड़ा वस्त्रों की कुल मांग का बहुत थोड़ा अंश होता है और इसलिए इन वस्त्रों का एन० टी० सी०/बी० आई० सी० से खरीदने से हथकरघों और बिजली करघों को कोई नुकसान नहीं होता इसके अतिरिक्त, और अनेक कारण हैं जिनकी वजह से एन० टी० सी०/बी० आई० सी० सरकार की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं।

औद्योगिक एककों की रुग्णता का कारण उच्च ब्याज दर

1870. **डा० (श्रीमती) कल्पना देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औद्योगिक एककों के "रुग्ण" होने का मुख्य कारण नकद हानि के लिए ब्याज की ऊंची दर का होना है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरें सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। ऋणकर्ता एककों से बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर किसी औद्योगिक एकक की उत्पादन लागत का अंग होती है। इसलिए यह जरूरी है कि औद्योगिक एकक अपने परिचालनों की योजना इस प्रकार बनाएं कि उन्हें इन लागतों का खर्च पूरा करने के बाद लाभ हो। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, जिन रुग्ण औद्योगिक एककों को वित्त पोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रखा जाता है उन्हें विभिन्न रियायतें दी जाती हैं जिनमें ब्याज की दर, मार्जिन में कटौती तथा ब्याज का निधिकरण आदि शामिल होता है।

भारतीय पुस्तकों का निर्यात

1871. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की जाने वाली भारतीय पुस्तकों की संख्या पुस्तकों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक छोटा सा अंश मात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पुस्तकों के प्रकाशकों को निर्यात के लिए कोई प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) विश्व पुस्तक तथा प्रकाशन बाजार में भारत का अंश 5% से कम है। इसका मुख्य कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अत्यन्त प्रतियोगी है। फिर भी हमारे पुस्तकों के निर्यात 1980-81 में 8 करोड़ रु० से बढ़कर 1984-85 में 22 करोड़ रु० के हो गए।

(ग) नियति प्रोत्साहनों में शामिल हैं : नकद मुआवजा सहायता, आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस तथा शुल्क वापसी।

विद्युत करघों के हित में वस्त्र नीति में संशोधन

1872. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र नीति की घोषणा के बाद कितने विद्युतकरघे बन्द कर दिए गए हैं अथवा उनमें उत्पादन निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) क्या इस बन्दी अथवा उत्पादन, निलम्बन का वस्त्र नीति से किसी प्रकार का सम्बन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विद्युतकरघों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त नीति में परिवर्तन किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अप्रैल से सितम्बर, 1985 के

उत्पादन आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1984 की इसी अवधि की तुलना में विकेन्द्रीकृत बिजली करघा क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इसलिए इस क्षेत्र में बुनाई कार्य के स्तर में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मुद्रा प्रणाली के ढांचे सम्बन्धी चक्रवर्ती समिति की सिफारिशें

1873. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाबद्ध विकास के मूल उद्देश्यों के सन्दर्भ में मुद्रा प्रणाली के ढांचे और परिचालन की गहराई से समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त चक्रवर्ती समिति द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा प्रणाली के ढांचे के कार्यकरण की समीक्षा के लिए दिसम्बर, 1982 में प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। जिसके विचारार्थ विषय व्यापक थे और इसकी नियुक्ति मुख्य रूप से योजनाबद्ध विकास के मूल उद्देश्यों के सन्दर्भ में मुद्रा प्रणाली के ढांचे और उसके प्रचालन की गहराई से समीक्षा करने के लिए की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1985 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बहुत से मंतव्य प्रकट किए हैं और सिफारिशें दी हैं। समिति की मुख्य सिफारिशों का सम्बन्ध मौद्रिक नीति के उद्देश्य तैयार करने, बजटीय घाटे की परिभाषा, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बीच समन्वय, मुद्रा पूर्ति के नियमन, और ऋण के प्रभावी उपयोग से है।

(ख) सिफारिशें इस समय भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार बजट में पहले ही, सिद्धान्त रूप में, बजटीय घाटे की परिभाषा में परिवर्तन, और राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सम्पूर्ण मौद्रिक लक्ष्य निर्धारित करने से सम्बन्धित सिफारिशें स्वीकार करने का प्रस्ताव कर चुकी है।

मध्यम तथा लघु एककों की आर्थिक सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक निगम की योजनाएं

1874. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तीन नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मध्यम तथा लघु एककों को आधुनिकीकरण करने तथा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों को अपनाने के लिए आर्थिक सहायता देने और महिला उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सहायता देने हेतु शुरू की गई है;

(ख) उन तकनीकी परामर्शदात्री संगठनों का ब्यौरा क्या है जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा देश भर में स्थापित की गई है; और

(ग) उन मध्यम तथा लघु एककों के नाम क्या हैं जिनकी सहायता इन योजनाओं के अन्तर्गत इनके शुरू होने के बाद की गयी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1 जनवरी, 1986 से निम्नलिखित तीन नई योजनाएं शुरू की हैं :

(1) महिला उद्यमियों के लिए ब्याज सहायता योजना।

(2) अति लघु, लघु और सहायक एककों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सहायता की योजना।

(3) लघु और मध्यम दर्जे के औद्योगिक एककों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सहायता की योजना।

इन योजनाओं का ब्यौरा विवरण-एक में दिया गया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने यह बताया है कि अभी तक इन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कोई पात्र आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने परामर्शदात्री संगठनों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16 तकनीकी परामर्शदात्री संगठन स्थापित किये हैं। इन संगठनों का ब्यौरा विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

महिला उद्यमियों के लिए ब्याज सहायता की योजना

महिला उद्यमियों के लिए ब्याज सहायता देने की योजना शुरू करने का उद्देश्य उन महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है, जिनमें व्यावसायिक कुशाग्रता और उद्यम प्रवृत्ति हो, ताकि उनके लिए स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण किया जा सके। यह योजना महिला उद्यमी (उद्यमियों) द्वारा ग्रामीण, कुटीर, अति लघु, लघु (सहायक उद्योग सहित) और मध्यम दर्जे के उद्योगों (3 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत तक) में स्थापित की जाने वाली सभी औद्योगिक परियोजनाओं पर लागू होती है। यह योजना राज्य वित्तीय निगमों/राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है और इसके अन्तर्गत ब्याज पर एक मुश्त सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है जिसका निर्धारण अलग-अलग मामलों में अलग-अलग किया जाता है।

अति लघु, लघु और सहायक एककों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सहायता की योजना

इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य आधुनिकीकरण के उपयुक्त प्रस्तावों की योजना बनाने और उन्हें तैयार करने के लिए तकनीकी परामर्शदात्री संगठनों की एजेंसी के माध्यम से उद्यमियों की सहायता करना है और यदि कहा जाए तो आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के अनुसार इसे अमल में लाने में सहायता देना है।

यह योजना उन लघु और सहायक एककों (ग्रामीण, कुटीर और अति लघु क्षेत्र के एककों सहित) पर लागू होगी जो कम से कम 5 वर्ष से चल रहे हों और जहां बदलती हुई टेक्नालाजी, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं अथवा उत्पादकता में सुधार के साथ तालमेल बैठाने के लिए आधुनिकीकरण करना जरूरी समझा जाता हो। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की राशि आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वियन और तैयारी के लिए सौंपे गये काम के वास्ते तकनीकी परामर्शदात्री संगठनों को उपलब्ध कराई जाएगी।

लघु और मध्यम वर्ग के औद्योगिक एककों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सहायता की योजना

यह योजना औद्योगिक एककों में प्रदूषण से बचाव और इसे नियंत्रित करने की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इन प्रस्तावों के लिए राज्य के सक्षम प्राधिकरण और/अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यह योजना सभी अति लघु, लघु, सहायक और मध्यम दर्जे के एककों पर (3 करोड़ रुपये की पूंजी लागत तक) लागू होगी जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पता लगाए गए/लगाए जा सकने वाले उच्च प्रदूषणमूलक उद्योगों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हों। इस योजना में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी परामर्शदात्री संगठन को देय शुल्क के लिए सहायता देने की परिकल्पना की गयी है।

विवरण-दो

तकनीकी परामर्शदात्री संगठन, उनके अन्तर्गत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा उनसे सम्बद्ध अग्रणी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

तकनीकी परामर्शदात्री संगठन का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अग्रणी संस्था
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	आंध्र प्रदेश	आई० डी० बी० आई०

1	2	3	4
2.	बिहार इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	बिहार	आई० डी० बी० आई०
3.	गुजरात इंडस्ट्रियल एण्ड टैक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	गुजरात तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	आई० सी० आई० सी० आई०
4.	हरियाणा इण्डस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लि०	हरियाणा और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	आई० एफ० सी० आई०
5.	हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	हिमाचल प्रदेश	आई० एफ० सी० आई०
6.	इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन आफ तमिलनाडु लि०	तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	आई० सी० आई० सी० आई०
7.	जे० एण्ड के० इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	जम्मू और कश्मीर	आई० डी० बी० आई०
8.	केरल इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	केरल और लक्षद्वीप सघ राज्य क्षेत्र	आई० डी० बी० आई०
9.	मध्य प्रदेश कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	मध्य प्रदेश	आई० एफ० सी० आई०
10.	महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	महाराष्ट्र और गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	आई० सी० आई० सी० आई०
11.	नार्थ ईस्टर्न इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र	आई० डी० बी० आई०
12.	नार्थ इण्डिया टेक्नीकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	पंजाब और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	आई० एफ० सी० आई०
13.	उड़ीसा इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल आर्गनाइजेशन लि०	उड़ीसा	आई० डी० बी० आई०
14.	राजस्थान कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	राजस्थान	आई० एफ० सी० आई०
15.	यू० पी० इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लि०	उत्तर प्रदेश	आई० डी० बी० आई०

1	2	3	4
16.	वेस्ट बंगाल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि०	पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	आई० डी० बी० आई०

[हिन्दी]

ट्रांसपोर्टरों और वित्त कम्पनियों पर छापे

1875. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों में गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टरों और वित्त कम्पनियों से 16 लाख रुपए के मूल्य की आस्तियां पकड़ी गई हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं था, जैसाकि 10 फरवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 10 फरवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में इस आशय का समाचार गलत दिया गया है। वास्तव में, समाचार में उल्लिखित तलाशियां 6.2.1986 को मेरठ में ली गई थी न कि गाजियाबाद में। जिन व्यक्तियों की तलाशियां ली गई हैं वे परिवहन कारोबार, वित्तपोषण कम्पनियां और भूमि विकास कारोबार चलाने के अतिरिक्त कोयला, भट्टा, चूना और सोडा एश के व्यापार में लगे हुए हैं। इन तलाशियों में अब तक बड़ी संख्या में अपराध आरोपणीय दस्तावेजों के अलावा 1.11 लाख रुपये की नकदी, लगभग 1.13 लाख रुपये के जेवर-जवाहरात और 26.45 लाख रुपये की अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं।

आयकर अधिनियम में तलाशी कार्रवाई के परिणामत: गिरफ्तारी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तथापि, प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई जिनकी तलाशियां ली गई थीं।

[अनुवाद]

सर्वोत्तम बजट सुझाव के लिए पुरस्कार

1877. **श्री डी० एन रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम जनता द्वारा सर्वोत्तम बजट सुझाव दिए जाने के लिए 2000 रुपए का पुरस्कार रखा है;

(ख) क्या एक वर्ष में कम से कम 1000 करोड़ रुपए की बचत करने के लिए 70 करोड़ भारतीयों में से एक भारतीय को 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा;

(ग) 2000 रुपए की सीमा निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पुरस्कार की यह राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर अब 5000 रुपए कर दी गई है, और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) 1986-87 के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त सुझावों के सबसे अच्छे सेट के लिए 2000 रुपए के पुरस्कार का प्रस्ताव रखा गया था जिसे अब 5000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। पुरस्कार की घोषणा सभी वर्गों के लोगों को बजट प्रक्रिया में शामिल करने की दृष्टि से की गई थी तथा इसे अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से और बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया। बजट में सुधार के लिए प्राप्त सभी सुझावों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

मूल्यों तथा आय के बीच अन्तर

1878. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985 में महंगाई भत्ते के चार किस्तें दिये जाने पर भी मूल्यों तथा आय के बीच अन्तर को कम नहीं किया जा सका है; और

(ख) क्या यह अन्तर, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि, जिसमें बाद में थोड़ी कमी कर दी गई, के कारण अपूरणीय रूप में बढ़ गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) महंगाई भत्ते की वर्तमान योजना के अन्तर्गत 400 रु० तक वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पूर्ण निराकरण और 400 रु० से अधिक तथा 1000 रु० तक वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 75% निराकरण का सुनिश्चय किया जाता है और वरिष्ठ स्तरों पर निराकरण का स्तर कम होता जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता/तदर्थ महंगाई भत्ता देकर सरकार ने 2750 रु० प्रति माह तक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों को लगभग 45% निराकरण देकर इस असन्तुलन को ठीक करने का प्रयास किया है।

(ख) गेहूं, चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, उर्वरक आदि के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि का प्रभाव अभी ज्ञात नहीं हुआ है।

मानव निर्मित फैबरिक्स से बने सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर शुल्क वापसी की दर में कटौती

1879. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानव निर्मित कपड़े से बनाए गए सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात पर शुल्क वापसी की दर को घटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बार-बार जांच करने की जरूरत को समाप्त करने और प्रति अदायगी-दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए, दर संरचना को युक्तियुक्त बनाने और प्रशासनिक सरलीकरण के एक अंश रूप में, सूती फैब्रिक्स, आदि से निर्मित सिली-सिलाई पोशाकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क प्रतिअदायगी की अलग-अलग दरों को दिनांक 1.2.1986 से 7.5% की एक सामान्य दर में संयोजित किया गया था। इस परिवर्तन के परिणामतः, सिली-सिलाई पोशाकों की मुख्य श्रेणियों की प्रतिअदायगी की दरें ऊंची हो गईं। तथापि, मुख्यतः मानव-निर्मित सेलूलोसिक स्पन यार्न से विनिर्मित फैब्रिक से बनाई गयी सिली-सिलाई पोशाकों के लिए प्रतिअदायगी की दर को पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10% से घटाकर पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5% कर दिया गया है। इस घटौती को पूरा कर लिया गया है क्योंकि 7.5% की सामान्य दर को 1.3.1986 से बढ़ाकर पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10% कर दिया गया है।

(ग) ऊपर यथा उल्लिखित प्रतिअदायगी दरों में किए गए ऊर्ध्वमुखी संशोधन से सिली-सिलाई पोशाकों के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा।

पूर्ति तथा निपटान निदेशालय को विकेन्द्रित करने का प्रस्ताव

1880. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्ति तथा निपटान निदेशालय को विकेन्द्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पूर्ति विभाग/पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की जिम्मेवारियों को क्रमशः कम करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

(ग) ऐसे तरीकों की जांच करने के लिए, जिनसे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में अनावश्यक कार्य को समाप्त किया जा सके तथा विलम्ब को कम किया जा सके।

स्वर्ण आभूषणों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

1881. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के पहले नौ महीनों के दौरान स्वर्ण आभूषणों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई और सारे वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का निर्यात के आभूषणों पर अनिवार्य प्रमाण चिह्न योजना शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान 61 करोड़ रु० के स्वर्ण आभूषणों के निर्यात का अनुमान है जबकि पूरे वर्ष (1985-86) के लिए 125 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य था।

(ख) तथा (ग) निर्यात के लिए स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य प्रमाण चिह्न लगाना आरम्भ करने के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।

समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व बैठक

1882. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बजट-पूर्व बैठकों के क्रम में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन बैठकों/बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण में सूचीबद्ध हैं।

(ग) बजट-पूर्व बैठकें अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थीं। उनमें प्रकट किए गए विचार सरकार के लिए उपयोगी थे।

विवरण

1. प्रोफेसर ए० वैद्यनाथन
2. प्रो० पी० आर० ब्रह्मानन्द
3. प्रो० टी० एस० पापोला
4. प्रो० निर्मल के० चन्द्रा
5. प्रो० वी० एम० डान्डेकर
6. प्रो० पी० सी० गोस्वामी
7. डा० फ्रेडी मेहता
8. प्रो० टी० एन० कृष्णन्
9. प्रो० ए० एम० खुसरो
10. प्रो० वी० के० चेट्टी
11. प्रो० एम० दत्ता चौधरी
12. प्रो० के० कृष्णामूर्ति
13. डा० अशोक लाहिरी
14. डा० पुलिन नायक
15. डा० अमरेश बागची
16. श्री आर० के० सामन्त राय (हिन्द मजदूर सभा)
17. श्री प्रफुल चौधरी (यू० टी० यू० सी०)
18. श्री प्रितीश चन्दा [यू० टी० यू० सी० (लेनिन)]
19. श्री नरेन सेन (एन० एफ० आई० टी० यू०)
20. श्री एन० एम० बरोट (एन० एल० ओ०)
21. श्री जी० रामानुजम (इन्टक)
22. श्री मनहर पी० मेहता (बी० एम० एस०)
23. श्री पी० के० गांगुली (सी० आई० टी० यू०)
24. श्री एन० चक्रवर्ती (सी० आई० टी० यू०)
25. श्री अमरावं मल पुरोहित (एच० एम० एस०)
26. श्री राजबहादुर गौड़ (स्टेफ)
27. श्री एस० रंगानाथन (वाणिविलास सहकार कारखाने)

28. श्री के० डी० दिवान (वैशाली एरिया स्माल फारमरस एसोसिएशन)
29. श्री आर० के० कौल (नाबार्ड)
30. श्री एस० बी० पाण्डेय (राष्ट्रीय किसान संगठन)
31. डा० डी० ए० भोले (भारत कृषिक समाज)
32. श्री कमालुद्दीन अहमद (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ)
33. श्री आर० के० राय (इकोनामिक टाइम्स)
34. श्री एस० सेथूरामन् (पी० टी० आई०)
35. श्री एन० रामाचन्द्रन (यू० एन० आई०)
36. श्री एन० एस० जगन्नाथन् (फाइनेन्सियल एक्सप्रेस)
37. श्री बलराज मेहता (इकोनामिक एण्ड पोलिटीकल वीकली)
38. श्री दिलीप चेरियन (बिजनेस इण्डिया)
39. श्री बी० एस० पद्मनाभन (दि हिन्दु)
40. श्री तपन दासगुप्ता (टाइम्स आफ इण्डिया)
41. श्री रंगाराजन (आन्ध्र पत्रिका)
42. श्री बी० जी० वर्गीज (इण्डियन एक्सप्रेस)
43. श्री एल० पी० एस० श्रीवास्तव (नवभारत टाइम्स)
44. श्री सतीश झा (जनसत्ता)
45. श्री ई० पी० डब्ल्यू० डी० कोस्टा (इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक ओपीनियन)
46. श्री प्रताप कपूर (फ्री प्रैस जनरल)
47. श्री वासानी (व्यापार)
48. श्री प्रभु चावला (इण्डिया टु-डे)
49. श्री इन्द्रजीत (आई० एन० एफ० ए०)
50. श्री आर० सी० पण्डित (आज)
51. श्री नरेन्द्र मोहन (जागरण)
52. श्री नागा राव (ब्लिट्ज)
53. श्री अनिल अग्रवाल (अमर उजाला)
54. श्री शंकर घोष (अमृत बाजार पत्रिका)
55. श्री राजेन्द्र प्रभु (हिन्दुस्तान टाइम्स)

56. श्री आदित्य विक्रम बिरला

57. श्री एस० एस० नाडकर्णी (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)

58. श्री दलीप सिंह (स्कोप)

59. श्री० एन० दत्ता (एफ० ए० एस० आई०)

60. श्री पी० पारूथाई पिल्लै (ए० आई० एम० ओ०)

61. श्री पी० ए० नायर (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था)

62. श्री के० एन० शिनाए (ए० आई० ई० आई०)

63. श्री चक्रधारी अग्रवाल (एन० ए० वाई० ई०)

64. श्री एस० पी० आचार्य (एसोचेम)

65. श्री डी० एन० पटोदिया (एफ० आई० सी० सी० आई०)

66. श्री वी० पी० पुंज (एफ० आई० ई० ओ०)

67. श्री एस० एल० शाह (वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद)

68. श्री नाथ (एक्सिम इन्टरनेशनल लि०)

69. आर० पी० झालानी (इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद)

70. श्री एम० मौहम्मद हाशिम (चमड़ा निर्यात परिषद्)

71. श्री बी० आर० शाह (हिन्दुस्तान लीवर लि०)

72. श्री एम० आर० मांसाली (हीरे और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्)

73. श्री मम्ताज अहमद

74. श्री वी० शिवरामण (यू० पी० ए० एस० एस० आई०)

75. श्री मथुरादास महता (कृषि निर्यात समिति)

76. श्री जी० वी० सरूर (भारतीय सोलेवें एक्सट्रेक्टर एसोसियेशन)

77. श्री प्रताप मोगीलाल (इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर)

78. श्री बी० एस० भटनागर

79. श्री सी० एम० चावला (रसायन और सम्बद्ध उत्पाद नि० सं० प०)

80. श्री अली ग्रोदरेज

81. श्री कल्याण बैनर्जी (आयात निर्यात बैंक)

अकबर होटल बन्द होने पर उसके कर्मचारियों को खपाना

1883. **चौधरी अख्तर हसन :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री काली प्रसाद पांडेय :
श्री श्रीराममूर्ति भट्टम :
श्री मानिक रेड्डी :

क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकबर होटल को बन्द करने और इसके स्थान पर इसमें कुछ सरकारी कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) होटल बन्द होने पर कितने कर्मचारियों की छंटनी होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस होटल के कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सरकार ने 1-4-1986 से अकबर होटल के भवन का विदेश मंत्रालय के कार्यालय के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया है ।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम ने होटल में कार्यरत अधिकाधिक कर्मचारियों को समाविष्ट (एब्जार्ब) करने के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है। शेष कर्मचारियों को भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न यूनिटों में वैकल्पिक रोजगार देने का प्रस्ताव है । औद्योगिक विवाद अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार कर्मचारियों को अकबर होटल में की गई विगत सेवा के लिए नकद प्रतिलाभ भी दिए जाएंगे ।

पर्यटन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि करना

1884. **श्री के० कुन्जम्बू** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्ष के दौरान पर्यटन से अर्जित राजस्व में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) पर्यटन से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान पर्यटन से हुई वास्तविक आय में किसी गिरावट के कोई संकेत नहीं है ।

(ग) देश के लिए विदेशी पर्यटक यातायात के प्रवाह में वृद्धि करके पर्यटन से होने वाली आय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में जो उपाय प्रारम्भ किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं—उपभोक्ता विज्ञापन पर बल देते हुए प्रचार अभियान का पुनर्विन्यास, विदेशों में यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं के साथ जन-सम्पर्क बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना, आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास और परिवहन प्रणाली में सुधार करना।

बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव

1885. **श्री सुभाष यादव :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों के विकास सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन से बौद्ध स्थानों का विकास किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस कार्य पर कितना धन खर्च होगा ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। कुशीनगर, श्रावस्ती, पीपरवाह (कपिलवस्तु), बोधगया, राजगीर और नालन्दा की मास्टर प्लान्स नगर व ग्राम आयोजना संगठन के जरिए और कुशीनगर-श्रावस्ती की, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के जरिए, माइक्रो-प्लान्स तैयार कराई गई हैं।

उत्तर-प्रदेश और बिहार में बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित सभी बौद्ध केन्द्रों को शामिल करते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से एक एकीकृत प्लान प्रारम्भ की गई है।

(ग) विभाग ने सभी सम्बन्धित राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बौद्ध केन्द्रों के विकास हेतु प्रस्ताव भिजवाएं।

(घ) वित्तीय आवंटन, प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, स्थान की संभाव्यता, निधियों की उपलब्धता और परस्पर-प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए, किया जायेगा।

सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों का विकास

1886. **श्री आर० एम० भीये** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कौन-कौन से नए पर्यटक केन्द्रों का विकास किया जा रहा है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से उस राज्य में कुछ और पर्यटक केन्द्र विकसित करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सामान्यत: पर्यटन विभाग किसी पर्यटक केन्द्र पर विकास कार्य प्रारम्भ नहीं करता। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, अजन्ता, एल्लौरा, नासिक, मुख्ड, जंजीरा, गणपतिफुले, वेन्नुर्ला, नागपुर, रामटेक, वर्धा, सेवाग्राम, चन्द्रपुर, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान को महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के रूप में अभिनिर्धारित किया है जिसका केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टर के मिश्रित संसाधनों द्वारा अवस्थाबद्ध विकास किया जाएगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने औरंगाबाद में बीबी-का-मकबरा पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को 5.12 लाख रुपए की मंजूरी पहले ही दे दी है। पर्यटन विभाग द्वारा अपनी अनुमोदित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए उपयुक्त स्कीमें भिजवाने हेतु, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

राज्यों में यात्री निवास खोलने की योजना

1887. श्री आर० एम० भोये : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में यात्री निवास (होटल) खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विदेशों और देश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) इस योजना में राज्य सरकारों द्वारा क्या योगदान किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) यात्री निवास विदेशी और स्वदेशी दोनों प्रकार के मितव्ययी (बजट) पर्यटकों के लिए आवास जुटाएंगे। इस आवास में डबल बैड वाले कमरों और 4-6 बैड शयनागारों (डोरमीटरी) के रूप में 60 बैड होंगे। टैरिफ शयनागार के लिए प्रति बैड प्रति दिन 15 रु० से लेकर डबल कमरे के

लिए 60 रु० के बीच होगा। बहु-उद्देश्य हाल, अल्पाहारगृह, रसोईघर, स्वागत-क्षेत्र, स्टाफ क्वाटर, आदि की व्यवस्था होगी।

(ग) राज्य सरकारों को बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शनों सहित विकसित भूखण्ड जुटाना होगा। सम्पत्ति पूरा होने पर उनके हवाले कर दी जाएगी; वे इसका परिचालन और रख-रखाव भी करेंगी।

[अनुवाद]

आटा मिलों के क्षमता उपयोग पर सरकारी नियन्त्रण का प्रभाव

1888. **श्री गुरुदास कामत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लगाये गए विभिन्न नियन्त्रणों से देश में आटा मिलों की क्षमता उपयोग पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के नियन्त्रण लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार लगाए गए नियन्त्रणों को वापिस लेने का है ताकि आटा मिलें अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सकें ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार चल रही खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोलर फ्लोर मिलों के लिए अपनाई गई नीति की समय-समय पर समीक्षा करती है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब इसमें परिवर्तन कर दिए जाते हैं।

अशोक ग्रुप आफ होटल्स का व्यापार

1889. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में अशोक ग्रुप आफ होटल्स ने कुल कितना व्यापार किया;

(ख) क्या इसमें गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कोवालम भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल के व्यापार में वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एस० भगत) : (क) से (ग) सूचना निम्नलिखित हैं :

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	अशोक ग्रुप के होटल अनुमानित टर्न ओवर	कोवलम अशोक समुद्र तट बिहार-स्थल अनुमानित टर्न ओवर
	(लाख रुपयों में)	
1984-85	2366.22	64.46
1985-86	2985.36	82.30

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अशोक-ग्रुप होटलों की कुल टर्न ओवर में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम समुद्र तट बिहार स्थल के टर्न-ओवर में भी पिछले वर्ष उसी अवधि की तुलना में 17.84 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

1890. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का: (ए) राज्य-वार, (दो) वर्ष-वार, (तीन) वित्तीय संस्था-वार, (चार) सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और (पांच) गैर-सरकारी उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के तीन वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित सहायता का संस्थावार, राज्यवार, उद्योगवार और क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-एक से चार में दिया गया है।

विवरण-एक

सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित सहायता का संस्थावार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
आई० डी० बी० आई	1040.03	1298.95	1432.92
आई० एफ० सी० आई०	196.19	224.46	272.88

1	2	3	4
आई० सी० आई० सी० आई०	271.15	294.98	343.98
एल० आई० सी०	86.60	140.90	161.54
यू० टी० आई०	71.69	139.34	236.24
जी० आई० सी०	44.70	84.54	110.54
आई० आर० बी० आई०	36.07	38.16	52.58
एस० एफ० सी० एस०	403.99	435.48	498.55
एस० आई० डी० सी० एस०	208.00	236.45	299.05
कुल	2358.33	2893.26	3408.28

टिप्पणी : 1. अन्तर संस्थागत सहायता के प्रयोजन से आंकड़ों का समायोजन कर दिया गया है ।

2. राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों से सम्बद्ध आंकड़े अनन्तिम हैं ।

विवरण-दो

सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित राज्य-वार सहायता

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	218.32	241.23	310.13
2.	असम	12.03	12.28	32.06
3.	बिहार	58.20	80.75	68.93
4.	गुजरात	279.68	289.95	311.55
5.	हरियाणा	62.40	77.17	125.94
6.	हिमाचल प्रदेश	27.75	30.34	39.64
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	23.77	25.18	31.44
8.	कर्नाटक	166.96	273.43	324.58
9.	केरल	64.23	66.05	98.24

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	93.78	145.54	197.36
11.	महाराष्ट्र	409.56	460.41	535.96
12.	मणिपुर	1.53	0.80	0.28
13.	मेघालय	2.67	3.26	3.65
14.	नागालैंड	2.21	1.00	2.37
15.	उड़ीसा	93.72	95.64	103.81
16.	पंजाब	91.97	119.44	102.33
17.	राजस्थान	138.66	169.68	145.38
18.	सिक्किम	0.37	0.87	2.01
19.	तमिलनाडु	217.47	345.58	360.20
20.	त्रिपुरा	3.19	1.14	0.47
21.	उत्तर प्रदेश	158.36	212.97	297.92
22.	पश्चिम बंगाल	136.28	169.06	199.66
23.	संघ राज्य क्षेत्र	92.15	99.53	105.63
	कुल	2355.26	2885.39*	3399.54

*इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भूटान को वर्ष 1983-84 में दी गई नौ लाख रुपए की सहायता भी शामिल है।

टिप्पणी 1. अन्तर संस्थागत सहायता के प्रयोजन से आंकड़ों का समायोजन कर दिया गया है।

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के आंकड़ों में शेयर पूंजी में अंशदान और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में अभिदान बीज पूंजी और गारण्टियों की राशि शामिल नहीं है।

विवरण-तीन

सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता का उद्योगवार ब्यौरा

	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
खाद्य	131.60	169.29	201.02
वस्त्र	379.80	417.12	421.89

1	2	3	4
कागज और कागज से बनी वस्तुएं	142.43	198.17	171.83
रबड़ उत्पाद	34.91	75.40	69.08
बुनियादी औद्योगिक रसायन रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	116.98	98.84	100.85
उर्वरक	65.14	42.27	37.25
विविध रसायन	195.80	211.32	284.53
सीमेंट	110.20	159.36	262.15
बुनियादि धातु उद्योग			
(क) लोहा और इस्पात	108.10	113.05	114.96
(ख) अलौह धातुएं	8.52	12.97	21.76
धातु उत्पाद (मशीनरी और परिवहन उपकरणों के उत्पादन को छोड़कर)	60.03	87.68	98.55
विद्युत मशीनरी से भिन्न	उपस्कर	उपकरण	
मशीनरी	188.65	286.36	319.20
विद्युत मशीनरी और उपस्कर	76.29	110.50	86.65
परिवहन उपकरण	79.86	76.85	139.66
बिजली का उत्पादन और वितरण	82.03	228.64	199.24
सेवाएं	322.78	326.57	485.81
अन्य	252.14	310.98	385.61
जोड़	2355.26	2885.39	3399.54

टिप्पणी: 1. अन्तर संस्थागत सहायता के प्रयोजन से आंकड़ों का समायोजन कर दिया गया है।

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के आंकड़ों में शेयर पूंजी में अंशदान और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में अभिदान बीज पूंजी और वारंटियों की राशि शामिल नहीं है।

विवरण-सार

सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा संक्षिप्त सहायता का क्षेत्रवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या क्षेत्र	1982-83	1983-84	1984-85
1. सरकारी क्षेत्र	286.46	562.40	499.01
2. संयुक्त क्षेत्र	170.42	134.38	190.33
3. सहकारी क्षेत्र	60.32	100.46	128.35
4. गैर-सरकारी क्षेत्र	1838.06	2088.15	2581.85
जोड़	2355.26	2885.39	3399.54

टिप्पणी: 1. अन्तर संस्थागत सहायता के प्रचालन से आंकड़ों का समायोजन कर दिया गया है।

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के आंकड़ों में शेयर पूंजी में अंशदान और वित्तीय संस्थाओं के बोर्डों में अभिदान बीज पूंजी और गारंटियों की राशि शामिल नहीं है।

1986-87 का निर्यात लक्ष्य

1891. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 का निर्यात लक्ष्य क्या है और किन वस्तुओं का पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ख) 1986-87 के दौरान किन वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और पूर्ति मंत्रालय में मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) 1986-87 के लिए निर्यात लक्ष्य अभी निश्चित नहीं किया गया है।

वस्तुओं का ब्रेड वस्तुओं निर्यात

1892. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मंत्री इह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में पिछले तीन महीनों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बिना आदेशों के करोड़ों रुपए का सामान निर्यात करने तथा बिक्री से प्राप्त राशि को विदेशों में रोके रखने के लिए भारी संख्या में निर्यातक गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में भण्डारण सुविधाओं के लिए धन का प्रावधान

1893. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल नागरिक पूर्ति निगम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पजा) : (क) केरल राज्य सरकार से केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भण्डारण सुविधाएं आदि बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना के दौरान विदेश व्यापार में गिरावट

1894. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं और उसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथापि, हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे निर्यातों को बढ़ाना, हमारे उत्पादक आधार का विविधिकरण, हमारे उत्पादक साधनों का आधुनिकीकरण कुछ ऐसे कदम हैं जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं। हमारी औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियों में परिवर्तन और आवधिक संशोधन भी ऐसे अतिरिक्त उपाय हैं जो समय-समय पर किये जाते हैं।

इलायची और लौंग के लिए दीर्घकालिक खरीद मूल्य

1895. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची और लौंग आदि जैसे मुख्य मसालों के खरीद मूल्य के बारे में कोई दीर्घकालीन नीति तैयार की जा रही है;

(ख) क्या इस बारे में उत्पादकों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) 1985 में कीमतों में हुई गिरावट को देखते हुए इलाइची के लिए समर्थन कीमत के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए। चूंकि इलाइची की कीमत में गिरावट भारतीय इलाइची उत्पादन के अपने सामान्य स्तर पर आने की वजह से था और हम अपने अधिकांश निर्यात योग्य उत्पादन का निपटान कर सके हैं अतः कीमत समर्थन कार्यक्रम का सहारा लेना आवश्यक नहीं था।

नीदरलैंड को वस्त्रों का निर्यात

1896. **श्री रेणुपद दास** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान नीदरलैंड की वस्त्र निर्यात में अपना हिस्सा बनाये रखने में सरकार के असफल रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उनका एक कारण करारों की बाध्यताओं का पालन न किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो करारों की बाध्यताओं का पालन न किए जाने के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गत तीन वर्षों में नीदरलैंड को वस्त्र निर्यातों के सम्बन्ध में भारत के बाजार का भाग बढ़ा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

1897. **श्री रेणुपद दास** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं, जिनमें पीतल और घैंघा धातु की वस्तुएं भी शामिल हैं, निर्यात में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चुर्लीक अलम खां) : (क) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों, जिनमें पीतल और कांसे के उत्पाद भी शामिल हैं, के निर्यात का अनन्तिम मूल्य नीचे दिया गया है :—

करोड़ रु०

	धातु की कलात्मक वस्तुएं	हस्तशिल्प जिनमें धातु की कलात्मक वस्तुएं शामिल हैं
1983-84	67.23	345.82
1984-85	83.11	397.37
1984-85 (अप्रैल-सितम्बर)	40.09	187.72
1985-86 (अप्रैल-सितम्बर)	43.12	213.15

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डिमांड ड्राफ्ट और चैकों पर कमीशन प्रभार बढ़ाना

1898. श्री दिग्विजय सिंह :
श्री एस० जी० घोलप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में डिमांड ड्राफ्टों और चैकों पर बैंक कमीशन प्रभार बढ़ाने और मानकीकृत करने का निर्णय किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस वृद्धि के विरुद्ध के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जवाहर पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मांग ड्राफ्ट जारी करने और बाहरी चैकों की वसूली के सेवा प्रभारों सहित अपने सेवा प्रभार बढ़ा दिए हैं। यह वृद्धियां बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की लागत को कम से कम आंशिक रूप से पूरा करने के लिए की गई है।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) चूंकि बढ़ाए गए सेवा प्रभारों का सम्बन्ध विशिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में बैंकों की लागत से है इसलिए बैंकों को कम से कम लागत का कुछ हिस्सा मिलना ही चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम के खरीद, भण्डारण और वितरण पर अधिक ऊंचे खर्च

1899. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और वितरण के ऊपरी खर्चे अत्याधिक है तथा ये खाद्यान्नों की कुल लागत के 65 प्रतिशत के बराबर हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के मार्गस्थ और भण्डारण घाटे जो 1978-79 में 1.30 रुपए प्रति क्विंटल थे, बढ़कर 1982-83 में 3.9 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान खाद्यान्नों की वाहन लागत 300 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन पर 1100 करोड रुपए के वार्षिक घाटे को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार किसानों को उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने तथा खाद्यान्नों की सुरक्षा के अन्य तरीके ढूंढने का है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम की 1978-79,1982-83 के वर्षों और बाद के वर्षों, जिनके लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध हैं, के लिए मार्गस्थ और भंडारण हानियां निम्नलिखित हैं :—

दर रुपये/क्विंटल

	के अंग के रूप में मार्गस्थ और भंडारण कमियां	
	वितरण लागत	बफर स्टाक रखने की लागत
1978-79	3.05	1.39
1982-83	8.16	4.70
1983-84	7.52	3.73
1984-85	6.88	2.43

(ग) 1985-86 के लिए खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने की लागत का, भंडारण और मार्गस्थ हानियों को छोड़कर 675.30 रुपये होने का अनुमान है ।

(घ) जी, नहीं ।

वातानुकूलन उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क समाप्त करने हेतु विश्वभारती विश्वविद्यालय का अनुरोध

1900. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांतिनिकेतन में रखी गई महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों, पेंटिंगों, पोशाकों और अन्य अमूल्य समृति चिन्हों के संरक्षण के लिए तत्काल अपेक्षित वातानुकूलन उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क समाप्त करने हेतु विश्व भारती विश्वविद्यालय ने बार-बार अनुरोध किया है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि समुचित वातानुकूलन व्यवस्था के अभाव में ऐतिहासिक वस्तुएं खराब हो रही हैं; और

(ग) क्या विश्वभारती के अनुरोध पर यथाशीघ्र स्वीकृति दे दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आयातित वातानुकूलन उपकरण पर सीमाशुल्क से छूट दिए जाने के लिये सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, विश्व भारती विश्वविद्यालय ने, अनुसंधान सामग्री के रूप में संरक्षण के लिए इस्तेमाल हेतु दो वातानुकूलनों पर उत्पादन शुल्क से छूट दिए जाने के लिए जून, 1985 में समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भोलपुर में अनुरोध किया था । समाहर्ता को यह सूचित किया गया था कि संस्थान को इस मामले में सरकार को लिखना पड़ेगा । विश्व भारती विश्वविद्यालय से अब तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यूरोपीय वाणिज्यिक बैंकों के संघ से ऋण लेने के बारे में बातचीत करने की अनुमति

1901. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यूरोपीय वाणिज्यिक बैंकों के संघ से 260 लाख डालर का ऋण लेने के बारे में बातचीत करने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण पर ब्याज की दर तथा इसकी अन्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विचार इस ऋण को किसी विशिष्ट औद्योगिक कार्य में उपयोग करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(आई० डी० बी० आई०) ने भारत सरकार की सहमति से यूरोपीय वाणिज्यिक बैंकों/संस्थाओं के संघ के साथ 250 लाख अमरीकी डालर के ऋण के बारे में बातचीत की है.

(ख) ऋण की शर्तें निम्नलिखित हैं :

(i) परिपक्वता अवधि	10 वर्ष
(ii) ब्याज दर	लन्दन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर (लिबर) से 1/16 प्रतिशत अधिक
(iii) वापसी अदायगी	करार की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने के बाद ग्यारह अर्ध-वार्षिक किस्तों में
(iv) बचनबद्धता शुल्क	करार की तारीख से 90 दिन से 3/16 प्रतिशत

(ग) ऋण की राशि किन्हीं विशेष औद्योगिक धन्धों के लिए निर्धारित नहीं की गई है लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस राशि से आवश्यकतानुसार परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में सातवीं योजना में पर्यटन विकास के लिए केन्द्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

1902. श्री हरीश रावत : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन विकास के लिए केन्द्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है :

(एक) 13.14 लाख रुपये से दुष्कर घाटों का सुधार और परिष्कार;

(दो) रणथम्बौर, भरतपुर और सरिसका (अलवर) में अभ्यारण्यों-प्रत्येक के लिये एक-एक मिनी बस और रणथम्बोर अभ्यारण्य के लिए एक जीप—5.35 लाख रुपये;

(तीन) पुष्कर मेले के लिए 200 टैंट—7.00 लाख रुपये।

केन्द्रीय सरकार पहले से चली आ रही निम्नलिखित स्कीमों के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है :—

(एक) मुमल पर्यटक बंगले का विस्तार।

(दो) रामगढ़ झील के लिए नौकाओं की खरीद।

(तीन) रणथम्बोर में वन गृह का निर्माण।

(चार) रनकपुर में पर्यटक बंगले का विस्तार।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति

1903. **श्री हुसैन दलवई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं के समान वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है :

(ख) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि वर्तमान वितरण प्रणाली वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही है; और

(ग) क्या सरकार का समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए एक नई प्रणाली तैयार करने का प्रस्ताव है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सारे देश में चलाई जा रही है और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों से पता चलता है कि यह प्रणाली, आबादी के वर्गों, जिनमें समाज के अधिक गरीब वर्ग भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामान्यतया ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, यद्यपि, इतने बड़े पैमाने पर चलाई जा रही प्रणाली में स्थानीय स्वरूप को कुछ अस्थायी कमियों से पूर्णतया इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह कहना सही नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए साफ्ट कोक तथा नियन्त्रित कपड़े के अतिरिक्त, कुछ मुख्य

आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ले रखी है। जब ये वस्तुएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उचित द की दुकानों के माध्यम से आबादी के सभी वर्गों के बीच वितरित करने के लिए इन्हें विभिन्न जिलों को उप-आवंटित करें। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही सलाह दे रखी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जारी की जाने वाली वस्तुएं, पूर्व निर्धारित मूल्यों पर, वास्तविक उपभोक्ताओं को, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग शामिल हैं, उचित रूप से वितरित की जाएं।

ऋण लेने और ऋण देने की ब्याज दर में अन्तर

1904. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में जमा धनराशि पर दी जाने वाली ब्याज की दर और बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर लिये जाने वाली ब्याज की दर में 9 से 10 प्रतिशत का अन्तर है;

(ख) क्या अन्य देशों में जमाराशियों और ऋण पर ब्याज की दरों में अन्तर, जो 3 प्रतिशत से कम बताया गया है, की तुलना में यह बहुत अधिक नहीं है;

(ग) क्या पूंजी निवेश और बचत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ब्याज की दरों में इस अन्तर को कम करने हेतु कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जमा राशियों पर 11 प्रतिशत की अधिकतम दर और ऋणों की 17.5 प्रतिशत की अधिकतम दर की तुलना से सही अन्तर का पता नहीं चलता। जमा और ऋण की दरों के अन्तरण का मूल्यांकन करते समय धन-राशियों की औसत लागत और उन धनराशियों से होने वाली औसत आमदनी को भी ध्यान में रखना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इस प्रकार परिकलित अन्तर 3 प्रतिशत से केवल थोड़ा सा अधिक है और यह मुख्यतः अधिक संख्या में छोटे खातों और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक परिचालनों की अधिक लागत के कारण भारत में अपेक्षाकृत अधिक है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ब्याज दर ढांचे पर बराबर नजर रखी जाती है और चालू तथा भावी प्रवृत्तियों को देखते हुए इसमें समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं। बैंकों की अधिकतम ब्याज दरों में बराबर कटौती की जाती रही है। मार्च, 1981 में 19.5 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर अप्रैल, 1985 में घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दी गई। अक्तूबर, 1982 में जमा राशियों पर अधिकतम अनुज्ञेय ब्याज दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दी गई है।

उपभोक्ता ऋण आरम्भ करना

1905. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने उपभोक्ता ऋण सुविधा आरम्भ करने के लिये अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे उपभोक्ता ऋणों पर फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री (फिकी) के किसी विशिष्ट अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है।

(ख) फिर भी, भारतीय अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ मेंजिसमें मांग की तुलना में ऋण के साधन सीमित हो जहां सरकार सामाजिक आर्थिक विकास और आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए वचनबद्ध हो और जहां उत्पादन प्रधान ऋण को तथा प्राथमिक क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र की खरीद/वितरण के लिए ऋण को महत्व दिया जाता हो, वहां वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में उपभोग ऋणों को अनिवार्यतः निम्न प्राथमिकता दी जाती है।

आदिवासियों को रियायती मूल्यों पर खाद्यान्नों की सप्लाई की नई योजना

1906. श्री अमरसिंह राठवा: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों को रियायती मूल्यों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिये नई योजना के अन्तर्गत गुजरात को अब तक खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने विषयक योजना के अधीन खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनको किए गए मासिक आवंटनों से पूरा किया जाता है। गुजरात को इस समय प्रति मास 40,000 मीटरी टन गेहूं और 20,000 मीटरी टन चावल के आवंटन किए जा रहे हैं।

(ख) विशेष रूप से सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न तरुण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पौषणिक कार्यक्रम के अधीन और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अधीन कामगारों को मुहैया किए जा रहे हैं।

प्रतियोगिता से बचने के लिए दक्षिण के देशों का संघ बनाने के लिए कदम

1907. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने चीनी, चाय, कपास, जस्ता और लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले दक्षिण के देशों का संघ बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ताकि उत्तर के देशों को इन वस्तुओं के निर्यात में प्रयियोगिता से बचा जा सके और इन वस्तुओं के लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सकें ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : जी नहीं। तथापि, भारत ने विकसशील देशों के उनकी प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातों के लिए लाभकारी कीमतें प्राप्त करने के लिए संघ बनाने अथवा प्रबन्ध करने की पहल को सदैव समर्थन दिया है।

पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाली लीजिंग कम्पनियों का तेजी से बढ़ना

1909. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूंजी बाजार में जनता के लिए इक्विटी जारी करने के लिए प्रवेश करने वाली लीजिंग कम्पनियों की संख्या में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या पूंजी बाजार में इस प्रकार के प्रवेश को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उनके मंत्रालय द्वारा कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि काले धन का अधिकतर हिस्सा अब इस प्रकार के इक्विटी शेयरों में बदला जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इतने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद धन में बदलने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1985-86 (28-2-1986) के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे उद्देश्यों वाली 5 कंपनियों को पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत शेयर पूंजी और ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी गई जबकि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान 45 कम्पनियों को अनुमति दी गई थी।

(ख) और (ग) सरकार ने मार्ग निर्देश जारी किए हैं कि कम से कम एक करोड़ रुपये से अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली लीजिंग कंपनियों को ही स्टाक-एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाने की अनुमति दी जायेगी। पूंजी निर्गम संस्थाओं पर लागू सामान्य मार्गनिर्देशों के अतिरिक्त, पूंजी निर्गम नियंत्रक ने नई लीजिंग कम्पनियों के पूंजी निर्गम के अनुमोदनों पर यह शर्त लगा दी है कि उनकी

कम से कम 40 प्रतिशत शेयर पूंजी की व्यवस्था प्रवर्तक ग्रुप द्वारा की जानी चाहिए और यह कि ऐसे शेयर उन शेयरों के आबंटन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि तक अन्तरित नहीं किए जाने चाहिए।

(घ) और (ङ) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि काले धन को लीजिंग कम्पनियों के सामान्य शेयरों में लगाया गया है।

अनिवासी भारतीयों के निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों की स्वीकृति

1910. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भावी अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनिवासी भारतीयों के औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक अभिस्वीकृति देने के प्रयोजन से औद्योगिक विकास विभाग में एक विशेष अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। औद्योगिक लाइसेंस से सम्बन्धित प्रस्तावों पर, उद्योग मंत्रालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख से, 45 दिन की अवधि में, पूंजीगत वस्तुओं के आयात से सम्बन्धित प्रस्तावों पर 60 दिन की अवधि में और मिले जुले प्रस्तावों पर 90 दिन की अवधि में अभिस्वीकृति दे दी जाती है। यदि प्रस्तुत आवेदन पत्र बाकायदा सही हो और आवेदनकर्ता ने समस्त आवश्यक जानकारी मुहैया कर दी हो तो इस निर्धारित समयावधि में ही आमतौर पर अभिस्वीकृति दे दी जाती है।

(ख) सम्भावित अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का ब्यौरा उस समय तक प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्तिम रूप से निर्णय नहीं ले लिया जाए।

उड़ीसा को कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता

1911. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा की समस्याओं का गहन अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एक विशेषज्ञ दल भेजने का है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में ऋण-जमा राशि अनुपात कम होने पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आदानों की पर्याप्त मांग की कमी को जिम्मेवार बताया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य में, जो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में उड़ीसा सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने के निर्देश जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) दिसम्बर 1984 के अन्त में उड़ीसा राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण: जमा अनुपात 85.7 प्रतिशत था जो 68.8 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर से काफी ऊंचा है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए कृषि और अन्य क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच की है और राज्य सरकार का ध्यान उन समर्थनकारी सेवाओं की ओर आकृष्ट किया है जो राज्य सरकार को प्रदान करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

सिण्डीकेट बैंक में आरक्षण नीति लागू करना

1912. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी सिण्डीकेट बैंक की शाखाओं में आरक्षण नीति लागू नहीं की गयी है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए पहले से आरक्षित पदों को नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है । बैंक आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है और गत वर्षों में उसे इन बकाया स्थानों को धीरे-धीरे भरने में सफलता भी मिली है ।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि वह अपने मांग पत्र पिछले बकाया स्थानों और वर्तमान आरक्षण स्थानों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों और रोजगार कार्यालयों आदि को भेज रहा है लेकिन पिछले बकाया में वास्तविक कमी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों और रोजगार कार्यालयों से मिलने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगी ।

[अनुवाद]

केरल में उत्तर और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत शाखाएं

1913. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत केरल में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों का कार्य संतोषजनक और लाभदायक रहा है; और

(ग) क्या इन बैंकों के कर्मचारियों को वेतन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को मिल रहे वेतन के समान दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केरल में कार्यरत उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक की शाखाओं की संख्या क्रमशः 118 और 144 है।

(ख) जबकि दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक को पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ हुआ है, लेकिन उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक को 1983 में लाभ के पश्चात् 1984 और 1985 में घाटा हुआ है।

(ग) उपर्युक्त दोनों ग्रामीण बैंकों सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) के अनुसरण में वहां की राज्य सरकारों के तुलनीय पदों के वेतन ढांचे को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं और इस प्रकार उनका वेतन ढांचा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों से भिन्न है।

नारियल का तेल सस्ती दरों पर बेचना

1914. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या घरेलू बाजार में नारियल का तेल सस्ती दरों पर बेचा जायेगा ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : केरल सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केरल में केवल राशन कार्डधारियों को 15 रु० प्रति कि० ग्रा०, जिसमें 7 रु० प्रति कि० ग्रा० की राजसहायता शामिल है, की दर से नारियल का तेल वितरित करने का निर्णय किया है। यह वितरण दिसम्बर, 1985 में आरम्भ किया गया है।

दैनिक जमा संग्रहण योजना को समाप्त करना

1915. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने दैनिक जमा संग्रहण योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दैनिक जमा संग्रह योजना के समाप्त किए जाने से बेरोजगार होने वाले जमा संग्रह-कर्ताओं की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के कई बैंक अलग-अलग नामों से दैनिक जमा संग्रह की लघु जमा योजनाएं चला रहेहैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत एजेंट जमाकर्ताओं के घर जाकर छोटी-छोटी राशियां जमा करते हैं। जमाराशियां इकट्ठी करने वाले ये व्यक्ति बैंकों के कर्मचारी नहीं होते बल्कि वे प्रचार करने वाले और रकमें इकट्ठी करने वाले एजेंट होते हैं और उन्हें उनकी इकट्ठी की गई धनराशियों पर कमीशन दिया जाता है और यह दर अलग-अलग बैंक के लिए अलग-अलग है।

दैनिक जमा संग्रह योजना को जारी रखने पर भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ के परामर्श से विचार किया गया था और उसकी जांच की गई थी। दैनिक जमा संग्रह योजना चलाने या बन्द करने या अनुभव के आधार पर इसमें संशोधन करने तथा सामान्य रूप से योजना के अलाभकर होने, लघु संग्रहकर्ताओं द्वारा नियमित बैंक कर्मचारी माने जाने के सम्बन्ध में विवाद और योजना में धोखाधड़ी की आशंका होने आदि जैसी अन्य बातों के आधार पर भारतीय बैंक संघ ने सदस्य बैंकों का अपना निर्णय स्वयं लेने का परामर्श दिया है।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

1916. श्री अनिल बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1983 में स्वरोजगार योजना की घोषणा होने के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का ऋण दिया गया है;

(ख) गत ढाई वर्षों के दौरान रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा ऋण की अदायगी के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1983-84 में शुरू की गई स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में बैंकों ने 401.54 करोड़ रु० और वर्ष 1984-85 में 429.53 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

1917. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1988 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के पक्ष मे कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंक गार्डों को प्रशिक्षण

1918. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर, राजधानी मे, बढ़ती हुई बैंक डकैतियो को ध्यान मे रखते हुए, सरकार का विचार बैंक गार्डों को पर्याप्त प्रशिक्षण किस प्रकार से देने का है;

(ख) यदि हां, तो बैंक गार्डों को उक्त प्रशिक्षण किस प्रकार से देने का विचार है;

(ग) राजधानी में बैंक गार्डों की लापरवाही के कारण गत दो वर्षों के दौरान कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं; और

(घ) बैंक गार्डों को पर्याप्त प्रशिक्षण दे दिये जाने के बाद बैंक डकैतियों की पुनरावृत्ति को किस सीमा तक रोका जा सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख) और (घ) बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के उपाय के रूप में दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान राजधानी के सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियां/लूटपाट की 11 घटनाएं हुईं।

आयल इण्डिया लिमिटेड को परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

1919. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक आगामी पाच वर्षों में शुरू की जाने वाली आयल इण्डिया लिमिटेड की अनेक परियोजनाओं के लिए धनराशि देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए कितनी राशि का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त ऋण को किस प्रकार खर्च किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) परियोजना के बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत की जा रही है ?

घेवरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के भण्डार में छापा

1920. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री नारायण चौबे :
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग तथा माप और तोल निदेशालय के अधिकारियों ने घेवरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के भण्डार में हाल ही में छापा मारा था और उचित दर की दुकानों के वितरण के लिये तैयार पड़ी गेहूं की अधिकांश बोरियों में कम गेहूं पाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और भारतीय खाद्य निगम के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) 31.1.1986 को दिल्ली प्रशासन के तौल और माप विभाग ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने घेवरा डिपो से उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी की गई गेहूं की 30 बोरियों में से 10 बोरियों का अचानक तौल किया था और उनमें 24.5 किलोग्राम मात्रा कम पायी गई थी ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए उन पर जिम्मेदारी निर्धारित करने की दृष्टि से इस मामले की जांच कर रहा है ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम को बोरियों का मानकीकरण करना और जारी किए गए स्टाक का शतप्रतिशत तोल करना सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं ।

पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार बढ़ाना

1921. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने हाल ही में भारतीय शिष्ट मंडल के दौरे के दौरान, भारत के साथ और अधिक व्यापार बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमी जर्मनी के साथ प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में किये जा रहे व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के बारे में कैसे पता लगाया जाएगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) विगत हाल में भारत से किसी सरकारी प्रतिनिधिमण्डल ने जर्मन संघीय गणराज्य के प्राधिकारियों के साथ व्यापारिक बातचीत के लिए जर्मन संघीय गणराज्य का दौरा नहीं किया। तथापि अगस्त, 1985 में हुई भारत-जर्मन संघीय गणराज्य संयुक्त समिति की छठी बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को विचार विमर्श के लिए एक मद के रूप में रखा गया था। भारतीय पक्ष ने व्यापार घाटे को देखते हुए जर्मन बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच में सुधार की जरूरत को महत्व दिया। जर्मन पक्ष ने भारतीय चिन्ता पर सहानुभूति दर्शायी और दोनों पक्ष अपनी-अपनी सम्भाव्यताओं के दायरे में सुधार के लिए प्रयास करना चाहते थे।

(ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान जर्मन संघीय गणराज्य के साथ भारत के व्यापार की स्थिति निम्नोक्त प्रकार रही है :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
1983-84	375.28	1120.42	—744.54
1984-85	470.95	1297.75	—826 80
1985 (अप्रैल-सितम्बर)	197.05	678.8	—481.43

जर्मन संघीय गणराज्य को भारत से होने वाले निर्यातों में कालीनों, वस्त्रों तथा परिधानों, चमड़ा तथा चमड़ा माल तथा तराशे तथा पालिश किए हुए हीरे तथा रंगीन रत्नों की प्रधानता है। जर्मन संघीय गणराज्य से हमारे आयातों में संयन्त्र तथा उपस्कर और रसायन उत्पादों की प्रधानता शामिल है।

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार गतिविधियों का पता लगाने के लिए, कार्यशालाओं, सेमीनारों के आयोजन, प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान आदि जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

वाशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के लिए आई० एस० आई० मार्क

1922. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में अत्यधिक बिकने वाले "निरमा" जैसे वाशिंग पाउडर और अन्य डिटर्जेंट पर आई० एस० आई० मार्क होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि बाजार में आई० एस० आई० मार्क वाशिंग पाउडर और डिटर्जेंट बिकें ताकि जनता उनकी किस्म के प्रति आश्वस्त हो जाये ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) व (ख) वाशिंग पाउडरों के लिए इस समय कोई भारतीय मानक नहीं है। अपमार्जकों, जिन्हें तकनीकी शब्दावली में कृत्रिम अपमार्जक कहा जाता है, के लिए दो भारतीय मानक पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। भारत सरकार, वाशिंग पाउडरों तथा कृत्रिम अपमार्जकों के बारे में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, कृत्रिम अपमार्जकों के कुछ विनिर्माता भारतीय मानक संस्था से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने के बाद स्वैच्छिक आधार पर आई० एस० आई० चिन्ह का पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं।

कर्नाटक में रुग्ण कपड़ा मिलें

1923. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रुग्ण कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन रुग्ण मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) रुग्णता के कारण बेरोजगार हुये कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या मैसूर में सबसे पुरानी कपड़ा मिल के० आर० मिल भी रुग्ण हो गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में सभी रुग्ण मिलों, विशेषकर के० आर० मिल्स, मैसूर को जहां पिछले एक वर्ष में 3000-4000 व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं, अपने अधिकार में लेने के लिये कदम उठाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तथा (ख) एक करोड़ रु० तथा उससे अधिक का बैंक ऋण लेने वाले रुग्ण वस्त्रों की भारतीय रिजर्व बैंक की सूची के अनुसार संलग्न विवरण के अनुसार कर्नाटक में पांच रुग्ण मिल हैं।

(ग) 31-12-85 को इनमें से केवल एक मिल बंद हुई जिससे लगभग 3000 कामगारों के रोजगार पर प्रभाव पड़ा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सरकार का इनमें से किसी रुग्ण वस्त्र मिल का अधिग्रहण करने का विचार नहीं है ।

विवरण

मिलों के नाम

1. बिन्नी लि०, बंगलौर
2. मिनर्वा मिल्स (एन टी सी)
3. मैसूर स्पि० एण्ड वीवि० मैन्यु० मिल्स लि० (एन० टी० सी०)
4. श्री कृष्ण राजेन्द्र मिल्स लि०
5. येलम्मा काटन मिल्स (एन० टी० सी०)

आवश्यक वस्तुओं के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली

1924. श्री नारायण चौबे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) व (ख) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सात मुख्य आवश्यक वस्तुओं, अर्थात गेहूं, चावल, चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्यतेल तथा साफ्ट कोक, की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ले रखी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी का निर्गम मूल्य 4.80 रुपये प्रति कि० ग्रा० की दर से सारे देश में एक समान है, जबकि राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए अन्य छः वस्तुओं का अन्तिम खुदरा मूल्य आनुषंगिक व्यय शामिल करने के पश्चात निर्धारित करती हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मूल्य निर्धारण के लिए मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और मूल्य न्यायाधिकरण

1925. डा० जी० विजय रामाराव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिब्बाबन्द वस्तुओं पर केवल मूल्य छापना ही अनिवार्य है, मूल्य का निर्धारण नहीं जो कि विक्रेता/निर्माता की इच्छा पर निर्भर है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उचित उत्पादक और उत्पादन मूल्यों के निर्धारण हेतु एक मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और एक मूल्य न्यायाधिकरण की भी स्थापना करना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों में विनिर्माता/पैककर्ता के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे पैकेज में रखी वस्तुओं, जिनका अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य किया जाता है, पर बिक्री मूल्य अंकित करें।

(ख) जी नहीं। तथापि, कृषि लागत और मूल्य आयोग चुनी कृषि जिंसों के समर्थन/वसूली मूल्यों के निर्धारण का कार्य करता है और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, सरकार द्वारा उसे भेजी गई विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करने का कार्य करता है।

खाद्यान्नों के भण्डार

1926. **श्री गदाधर साहा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्नों का कुल कितना भन्डार है; और

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने और खेती सम्बन्धी कार्य होने वाली अवधि के दौरान ग्रामीण खेतीहर मजदूरों के लिए रोजगार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये खाद्यानों के कितने भंडारों का उपयोग किया गया है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 1.2.1986 की स्थिति के अनुसार सरकारी एजेन्सियों के पास 237.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के लिए कुल लगभग 154.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उठान हुआ था।

"भारत में वन्य-जीव पर्यटन को बढ़ावा" देने सम्बन्धी विचार गोष्ठी

1927. **श्री आनन्द सिंह** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान तथा पर्यावरण विभाग के तत्त्वावधान में इस वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में "भारत में वन्य-जीव पर्यटन को बढ़ावा" देने सम्बन्धी एक दो दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वन्य-जीवन और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विचार गोष्ठी में क्या मुख्य सुझाव और विचार व्यक्त किए गए; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) जी, हां।

(ख) कुछ प्रमुख सिफारिशें/अभ्युक्तियां हैं—प्राकृतिक परिवेश के परिरक्षण की आवश्यकता और साथ ही साथ वन्य-जीवन पर्यटन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए समुचित व्यवस्था के आर्थिक विकास होने के अतिरिक्त रोजगार से यात्रियों में जागरूकता उत्पन्न करते हुए संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। इनमें वन विभाग, पर्यटन विभाग और यात्रा प्रचालकों आदि के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश की और वन्य जीवन पर्यटन यातायात के छितराव की भी इच्छा व्यक्त की ताकि कुछ लोकप्रिय विहारों पर दवाब को कम किया जा सके।

यह सिफारिश की गई कि अभ्यन्तर क्षेत्र (कोर एरियाज) में पर्यटक परिसरों का आगे और विस्तार न किया जाए और केवल बफर जोन्स में अधिमानतः स्थानीय निर्माण-सामग्री से साधारण परिसरों का निर्माण किया जाना चाहिए।

सेमिनार ने वन्य-जीवन पर्यटन के विकास की देखभाल करने के लिए वन्य जीवन विशेषज्ञों और सम्बन्धित अधिकारियों की एक समिति बनाने की सिफारिश की है।

(ग) सेमिनार में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि

1928. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 फरवरी, 1986 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रबन्धकों के आन्तरिक लेखा परीक्षा और नियन्त्रण में असफल हो जाने के कारण बैंकों में धोखा-धड़ी के मामले में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या ऐसे कार्यों से निपटने के लिए बैंकों के प्रबन्धकों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षण दिलवाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने कार्य को करने में असफल रहा है; और

(घ) क्या यह असफलता भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में विश्व बैंक के कार्य का जिसका भारतीय बैंकों के कार्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, बहुत थोड़ा अनुभव रखने वाले बैंक में कार्य न करने वाले अधिकारियों के प्रवेश करने और शामिल करने के कारण प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में भारत और भारत के बाहर

चाहे घटना की तारीख कुछ भी हो, हुई धोखाधड़ियों के मामलों में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या
1981	1892
1982	2078
1983	2371
1984	2469
1985	2189
	(आंकड़े अनन्तिम)

बैंक आन्तरिक लेखा परीक्षण/निरीक्षण मशीनरी सहित नियन्त्रण प ति को मजबूत तथा कारगर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि धोखाधड़ियों और कदाचारों की गुंजाइश न रहे। धोखाधड़ी की सूचना और उसका पता लगाने की पद्धति में भी सुधार किया जा रहा है। बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को भी गम्भीर रूप से ले रहे हैं और दोषी कर्मचारियों की अनियमितताओं की गम्भीरता को देखते हुए दण्ड देने की कार्रवाई करते हैं। अन्तर शाखा समाधान कार्य को भी तेज कर दिया गया है।

(ख) फिलहाल सरकार ने विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता ग्रुपों के विज्ञापन के लिए संहिता

1929. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता ग्रुप विज्ञापन दाताओं/विज्ञापन कम्पनियों और प्रचार माध्यमों के दिशानिर्देश के लिए विज्ञापन हेतु एक संहिता बनाने के लिए कहते रहेहैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी नहीं। तथापि, हाल ही में, नई दिल्ली में जनवरी, 1986 में हुए उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी अखिल भारतीय सेमिनार में कुछ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों ने सुझाव दिया था कि हर प्रचार-

माध्यम, अर्थात् आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, में दिए जाने वाले सभी उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापनों में अधिकतम बिक्री मूल्य बताए जाएं और जोखिम वाली वस्तुओं के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

(ख) सरकार ने विज्ञापनकर्ताओं और विज्ञापन एजेंसियों के मार्ग-दर्शन हेतु कोई विज्ञापन-संहिता निर्धारित नहीं की है।

प्राचीन किलों/महलों का सुधार

1930. **श्री उत्तमराव पाटिल।** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों में स्थित प्राचीन किलों/महलों विशेष रूप से रायगढ़, सिंहगढ़, पुरन्दर विशालगढ़, तोरण आदि जैसे प्रसिद्ध किलों की यात्रा करने हेतु विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए इन किलों/महलों के सुधार हेतु गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों की ओर से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पर्यटन विभाग, विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को सूचित और आकर्षित करने की दृष्टि से, पर्यटक अभिरुचि के विभिन्न स्थानों पर ब्रोशरों, निर्देशिकाओं और फोल्डरों का प्रकाशन करता है। जहां कहीं भी सुप्रसिद्ध किले और महल स्थित हैं, उन्हें "अभिरुचि के स्थान" कालम में निर्दिष्ट किया गया है। पहुंच सम्बन्धी सुलभता, आवास आदि को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान विभाग ने डोर्ग फिल्म प्रोडक्शन्स द्वारा निर्मित "दि फोर्ट्स आफ राजस्थान" नामक एक लघु फिल्म की 40 कापियां भी खरीदी हैं जिन्हें भारत में और विदेश स्थित कार्यालयों में वितरित किया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक केन्द्रीय अधिनियम के अधीन प्राचीन किलों/महलों के संरक्षण का कार्य करता है। संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव और मरम्मत कार्य पुरातात्विक संरक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। पुरातात्विक सर्वेक्षण एक नीति के अनुसार किन्हीं प्राइवेट पार्टियों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, मरम्मत या विकास की इजाजत नहीं देता।

पर्यटन विकास हेतु महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव

1931. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को लोकप्रिय बनाने हेतु ऐसे महोत्सव प्रति वर्ष आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसे कि हाल ही में यूरोप और अमरीका में भारत महोत्सव तथा एडिनबर्ग (स्काटलैंड) में इन्टरनेशनल म्यूजिक एण्ड डांस का वार्षिक महोत्सव आयोजित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से पर्वतीय स्थानों पर पर्यटकों को इस प्रकार की सुविधाएं देने का है जैसे कि स्विटजरलैंड जैसे छोटे देश में दी जाती हैं, क्योंकि इससे पर्यटन यातायात बढ़ेगा ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। भारत महोत्सव समिति का जिस पर विशेष रूप से संस्कृति विभाग के अधीन भारत महोत्सव आयोजित करने का प्रभार है, विदेश में हुए भारत महोत्सव की ही तरह, देश में महोत्सवों का आयोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

वर्ष 1985-86 के दौरान बैंकों द्वारा किसानों को दिया गया कृषि ऋण

1932. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1985-86 के वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा किसानों को कितनी धनराशि का कृषि ऋण दिया गया; और

(ख) यह ऋण कितनी ब्याज दर पर दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अद्यतन उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार, सितम्बर 1985 के अन्तिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कृषि अग्रिमों की 8174.30 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी।

(ख) कृषि कार्यों के लिए दिए जाने वाले अल्पावधिक ऋण की ब्याज दरें निम्नलिखित हैं :

(क) 5,000 रुपये तक	11.5 प्रतिशत
(ख) 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक	12.5 प्रतिशत
(ग) 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक	14 प्रतिशत से अधिक नहीं
(घ) 25,000 रुपए से अधिक	16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं

कृषि के लिए सावधि ऋणों की ब्याज दरें ये हैं :

(क) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.0 प्रतिशत
(ख) अन्य प्रयोजन	
(i) छोटे किसान	10.0 प्रतिशत
(ii) अन्य किसान	12.5 प्रतिशत

खाद्य तेलों की प्रौद्योगिकी और संसाधन के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ समझौता

1933. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु खाद्य और कृषि संगठन के साथ एक समझौता किया है;

(ख) क्या चावल की भूसी के तेल के संसाधन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकीविद् जापान और चीन से प्रौद्योगिकी प्राप्त करेंगे; और

(ग) विदेशों से अन्य क्या प्रौद्योगिकी प्राप्त की जानी है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार तथा खाद्य और कृषि संगठन के बीच हस्ताक्षर किए गए परियोजना करार के तहत दो भारतीय विशेषज्ञ चीन, बर्मा तथा थाइलैण्ड का दौरा उन देशों में अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए करेंगे।

(ग) सोया चूर्ण से सोया खाद्य का उत्पादन करने की विदेशों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात में कमी

1934. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात 200 करोड़ रुपए से गिरकर 160 करोड़ रुपए का रह गया और इसमें आगे भी गिरावट जारी है;

(ख) क्या इसका निर्यात केवल एक देश-सोवियत संघ द्वारा की जाने वाली खरीद पर निर्भर हो गया है;

(ग) क्या ऐसा भारतीय तम्बाकू की गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या गुणवत्ता में सुधार करने और उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए कोई कदम उठाया गया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्जीनिया फल्यू-क्योर्ड (एफ० सी० वी०) तम्बाकू का निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :

	मात्रा (हजार मैं० टन)	कीमत (करोड़ रु० में)
1982-83	83.7	195.11
1983-84	72.3	161.85
1984-85 (अनन्तिम)	58.2	139.57

(स्रोत: तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर)।

(ख) जी नहीं। भारतीय वर्जीनिया फल्यू-क्योर्ड तम्बाकू का निर्यात 30 से अधिक देशों को किए जाने की सम्भावना है। हमारे प्रमुख खरीदारों में एक सोवियत संघ है।

(ग) तथा (घ) भारतीय तम्बाकू की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, तम्बाकू बोर्ड किस्म सम्बन्धी परिक्षणों, एकीकृत कीटनाशी प्रबन्ध, टापिंग एवं डीसकरिंग जैसे विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है और राज्य सरकारों तथा तम्बाकू विकास निदेशालय तथा केन्द्रीय तम्बाकू अनुसन्धान जैसे अन्य अभिकरणों के सहयोग से विभिन्न अन्तर्निविष्ट साधनों, सुधरी प्रणालियों आदि जैसे अन्य उपाय कर रहा है ताकि क्वालिटी में और सुधार हो सके तथा उत्पादन लागतों में कमी आ सके।

बचत तथा पूंजी निवेश में गिरावट

1935. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी बाजार और बैंक जमा राशि में वृद्धि होने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात में देश में बचत और पूंजी निवेश में लगातार कमी हो रही है जैसा कि गत महीने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता जो वर्ष 1980-81 में 17.6 प्रतिशत थी, घटकर गत वर्ष 16.40 प्रतिशत हो गई है जबकि कुल पूंजी निवेश (विदेशी साधनों सहित) 19.5 प्रतिशत से घटकर 17.7 प्रतिशत रह गया; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों में से तीन वर्षों में बचत और पूंजी निवेश दोनों में ही गिरावट आने के क्या कारण हैं जबकि पहले दोनों मामलों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) घरेलू बचत और घरेलू निवेश की दरों में वर्ष प्रतिवर्ष घट-बढ़ होती रही है जो मुख्य रूप से देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर करती है। वर्ष 1981-82 में घरेलू बचतों की दर निएल राष्ट्रीय उत्पाद का 16.3 प्रतिशत थी और यह 1982-83 में बढ़कर 17.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1983-84 में यह दर 16.5 प्रतिशत थी और तब से लगभग इसी स्तर पर बनी रही है। निवेश में मामूली कमी विदेशी साधनों के आगम में कमी के कारण है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

निवल घरेलू बचतें और कुल निवेश

(मौजूदा बाजार कीमतों पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में)

(प्रतिशत)

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1. कुल घरेलू बचत	17.6	16.3	17.2	16.5	16.4
2. विदेशी साधनों का प्रवाह	1.6	2.2	1.6	1.7	1.3
3. कुल निवेश	19.5	18.5	18.8	18.2	17.7

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में ग्राहक सेवा का सर्वेक्षण

1936. प्रो० नारायण चन्द पराशर :
श्रीमती किशोरी सिंह :
श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने काउंटरों पर, विशेषकर चैकों का भुगतान स्वीकृति और अन्तरण करने हेतु लिए जाते समय के सम्बन्ध में दी जाने वाली सेवाएं सन्तोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में ये टिप्पणियां की गयी हैं और रिपोर्ट की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है;

(ग) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में दी जाने वाली सेवाएं विदेशी बैंकों में दी जा रही ऐसी ही सेवाओं की तुलना कैसी है; और

(घ) सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा सुधारने के लिए बैंकों की ओर से ठोस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई/अगस्त, 1985 में एक सरकारी सरसरी किया था जिसका उद्देश्य बैंकों की शाखाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की त्रुटियों का मूल्यांकन करना था ।, इस प्रयोजन के लिए सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों की विभिन्न शाखाओं में सर्वेक्षण किया गया । इस सर्वेक्षण से कुछ मामलों में काउंटर देरी से खोलने, चैकों के भुगतान अथवा चैक बुकें जारी करने और ड्राफ्ट जारी करने में देर होने तथा बाहरी चैकों की वसूली और नामांकन की सुविधाओं से कर्मचारियों के अनभिज्ञ होने जैसी कमियों का पता चला है ।

(ग) चूंकि यह सर्वेक्षण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुछ शाखाओं तक ही सीमित था और इनमें गैर-सरकारी क्षेत्र के अलावा विदेशी बैंक शामिल नहीं थे, इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं की विदेशी बैंकों में उपलब्ध ऐसी सेवाओं के साथ तुलना करना सम्भव नहीं है । लेकिन, यह ठीक है कि कुछ उन्नत देशों में उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की तुलना में हमारे बैंकों को अभी भी बहुत कुछ करना है ।

(घ) ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विभिन्न उपायों पर अमल करने के लिए कहा है । इन उपायों में निरीक्षण और समय की पाबन्दी का अनुपालन सुनिश्चित करना, रूटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए समय के मानक तैयार करना और उन्हें प्रदर्शित करना, बाहरी चैकों की शीघ्र वसूली के लिए उपाय करना, 25,00 रुपये तक के बाहरी चैकों के लिए तत्काल क्रेडिट देना, वसूली के मामले में 28 दिन से अधिक की देरी के मामले में बचत बैंक की दर से ब्याज देना, ग्राहक सेवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना, शिकायतें दूर करने के लिए और ग्राहकों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैंक कार्यपालकों के सम्पर्क को बढ़ाने के वास्ते आंतरिक तंत्र का गठन करना आदि शामिल हैं । दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में ग्राहक सेवा केन्द्रों का भी गठन किया गया है ताकि ग्राहक अपनी शिकायतों की ओर बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर सकें और उन्हें शीघ्र दूर करवा सकें । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शाखाओं के अचानक निरीक्षणों का आयोजन करें ताकि वे अधिकारी शाखाओं द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का मौके पर जाकर अध्ययन कर सकें ।

भारतीय रुपए का अवमूल्यन

1937. श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपए का अवमूल्यन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहु-राष्ट्रिकों ने कोई सुझाव दिए हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विकल्प के रूप में मूल्यांकन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अमेरिका के साथ व्यापार का सन्तुलन

1939. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका द्वारा आर्थिक विकास की घोषणा और डालर की विनियम दर में गिरावट के कारण भारत के अमरीका के साथ व्यापार में समुचित कमी आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कौन-सी मदों को इसके परिणामस्वरूप नुकसान पहुंचने की संभावना है; और

(ग) भारत के निर्यात में अन्तराल को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ऐसा समझा जाता है कि इस प्रश्न के भाग क में माननीय सदस्य का तात्पर्य अमरीकी आर्थिक विकास की मन्द गति है । अमरीकी डालर की विनिमय दर में गिरावट आने तथा अमरीकी आर्थिक विकास की मन्द गति से, संयुक्त राज्य अमरीका में आयातों की वृद्धि को नियन्त्रित करने की संभावना है । इस

परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात करने वाले देशों की निर्यात वृद्धि पर भी असर पड़ेगा।

(ख) जबकि संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले भारतीय निर्यातों पर उपरोक्त घटना का समग्र प्रभाव पड़ने की संभावना है, ऐसी मदों का पता लगाना कठिन है जिनको इसके परिणामस्वरूप नुकसान पहुंचेगा।

(ग) निर्यात संवर्धन उपाय भारतीय निर्यात नीति के स्थाई तत्व हैं और जब कभी आवश्यक होता है इस स्थिति का सामना करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। 1986-87 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका में इन उपायों को तीव्र किया जा रहा है।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

1941. श्री वी० एम० कृष्ण अय्यर :
श्री कमल नाथ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि आयात लाइसेंसों का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और निर्यातकों को उत्पाद का शत-प्रतिशत निर्यात करने की शर्त पर जारी किए गए आयात लाइसेंसों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी माल से तैयार किए गए परिष्कृत उत्पादों के निर्यात के कितने मामले पकड़े गए हैं; और

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि आयात करने वाले आयातित कपड़ों को अधिक मूल्य पर बेचते हैं और स्वदेशी माल से तैयार किए गए परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करके निर्यात आवेदन पूरा कर देते हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां। आयातित माल का दुरुपयोग सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दी गई वित्तीय सहायता

1942. डा० ए० के० पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक (एक) खाद्यान्नों की वसूली लागत, ढुलाई, भंडारण एवं खाद्यान्नों के वितरण तथा वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच अन्तर; और (दो)

रक्षित भंडार के सम्बन्ध में ढुलाई भाड़ों की प्रतिपूर्ति शीर्षों के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्लेम की गई उपभोक्ता राजसहायक (इसमें अनियमित हानियां शामिल नहीं हैं)	भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टाक रखने की क्लेम की गई लागत (इसमें अनियमित हानियां शामिल नहीं हैं)		भारतीय खाद्य निगम को वास्तव में दी गई राशि
				(करोड़ रुपयों में)
1982-83	645.90	163.97	809.87	710.00 (चालू 626.73 पिछली बकाया 83.27)
1983-84	715.33	244.37	959.70	835.00 (चालू 721.07 पिछली बकाया 113.93)
1984-85	769.20	469.70	1238.90	1100.00 (चालू 981.69 पिछली बकाया 118.31)
1985-86	951.35	675.30	1626.65	1472.7893 (चालू 985.87 पिछली बकाया 486.9193)
(समस्त वर्ष के लिए अनुमान)			(अनवरी, 86 तक)	

[अनुवाद]

अण्डमान में आश्रय और निशुल्क पत्तन

1943. श्री सैफुद्दीन चौधरी :
श्री दिग्विजय सिंह :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों के कहने पर अण्डमान में आश्रय और निशुल्क पत्तन बनाने से इस क्षेत्र का प्राकृतिक, पर्यावरण और जातीय सन्तुलन नही बिगड़ जाएगा;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को छोड़ने और अनिवासी भारतीयों के उपयोग के लिए अन्य क्षेत्र खोलने का है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को इस सुन्दर स्थल का उपयोग करने की अनुमति देने की बजाय सरकार का विचार मुख्य भूमि पर अपना अन्यत्र किसी दूसरे स्थान का चयन करने का है;

(घ) क्या इस क्षेत्र को अनिवासी भारतीयों के लिए आश्रय और निशुल्क पत्तन में बदलने से इस द्वीप के निवासियों को किसी प्रकार की सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) अण्डमान द्वीप समूह में आश्रय-सह-मुक्त पत्तन की स्थापना के प्रस्ताव के पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव का मूल्यांकन एक विशिष्ट स्थान का प्रस्ताव किए जाने और प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार कर लिए जाने के बाद ही हो सकता है जो अभी तक नहीं किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) आश्रय-सह मुक्त पत्तन की स्थापना के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का निर्धारण परियोजना के तैयार होने और विभिन्न पहलुओं की जांच हो जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

मानव उपयोग के अयोग्य गेहूं की बिक्री

1944. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1986 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारी मात्रा में मानव उपयोग के अयोग्य गेहूं का आटा बनाकर उसे राजधानी में भोले-भाले उपभोक्ताओं को बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं के बोरों पर "ट्रीटेड विद पाइजन" की स्पष्ट चेतावनी अंकित होने के बावजूद उन्हें बेचा गया था; और

(ग) दोषी आटा मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति राज्य मंत्रालय में मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) तथापि, जांच से पता चलता है कि कुछ किसानों ने नई बोरियों की लागत को बचाने के लिए खाने योग्य नये गेहूं को भरने के लिए बीज की खाली बोरियों का प्रयोग किया है। किसी भी फ्लोर मिल के इसमें अन्तर्ग्रस्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

असम के पाथिनी चाय बागान का क्षेत्रफल

1945. **श्री सुदर्शन दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के करीमगंज जिले में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में तथा भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रबंधाधीन पाथिनी चाय बायान का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) उसके कुल कितने क्षेत्र में चाय की खेती होती है;

(ग) वर्ष 1965 में, जब सरकार ने उक्त चाय बागान खरीदा था उसके कितने क्षेत्र में चाय की खेती होती थी;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त चाय बागान के कारखाने में चाय की पत्तियों की कमी के कारण पूरा क्षमता से काम नहीं हो पा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त चाय बागान को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अधिक क्षेत्र में चाय की खेती करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री० पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) पाथिनी चाय एस्टेट का कुल क्षेत्र 2374.44 हेक्टेयर है। हस्तांतरण विलेख में दी गई सूचना के अनुसार, 1965 में रोपणाधीन क्षेत्र लगभग 805 हेक्टेयर था, तथा वर्तमान रोपणाधीन क्षेत्र लगभग 810 हेक्टेयर बताया जाता है।

(घ) चाय की पत्तियों की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में लेवी चीनी के भाड़े में वृद्धि

1946. **श्री टी० बशीर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलों से लेवी चीनी की ढुलाई पर कम भाड़े की मन्जूरी दिए जाने के कारण केरल नागरिक पूर्ति निगम को एक वर्ष में लगभग एक करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि वास्तविक खर्च लगभग 15 से 19 रुपये प्रति क्विंटल आता है और केन्द्रीय सरकार ने केवल 9.70 रुपया प्रति क्विंटल की मन्जूरी दी है;

(ग) क्या लेवी चीनी पर भाड़ा-दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में केरल सरकार की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के पंजा) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1984 में केरल सरकार ने राज्य में लेवी चीनी को हैंडल करने के लिए केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 1.1.1983 से दिए जा रहे 9.70 रुपये प्रति क्विंटल के थोक व्यापारियों के मार्जिन को मुख्यतया इस आधार पर बढ़ाकर 19.58 रुपये प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया था कि उक्त निगम को अपर्याप्त मार्जिन होने के कारण लेवी चीनी के सौदों पर भारी हानि उठानी पड़ रही थी। चूंकि 9.70 रुपये प्रति क्विंटल का वर्तमान मार्जिन राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद केवल जनवरी, 1983 में निर्धारित किया गया था, इसलिए सरकार द्वारा इस मार्जिन में इतनी जल्दी वृद्धि करना उचित नहीं समझा गया था। राज्य सरकार को तदनुसार सलाह दी गई थी कि वर्तमान मार्जिन को कम से कम 3 वर्षों के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) केरल सरकार से हाल ही में एक नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के लिए वर्तमान मार्जिन में वृद्धि करने विषयक अपने पुराने अनुरोध को दोहराया है। सरकार ने इस अनुरोध पर अभी अपनी राय बनानी है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को लेवी की चीनी जारी करना

1947. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1984 और 1985 में केन्द्रीय पूल से कुल कितनी लेवी की चीनी जारी की गई;

(ख) उन वर्षों के दौरान उड़ीसा को कितनी लेवी की चीनी आवंटित की गई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 1984 और 1985 के पंचांग वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन राज्यों को जहां वह कार्यरत हैं, कुल क्रमशः 12.82 और 13.24 लाख मीटरी टन लेवी चीनी जारी की गई थी।

(ख) और (ग) 1984 और 1985 के पंचांग वर्षों के दौरान उड़ीसा को निम्नानुसार लेवी चीनी आवंटित की गई थी :

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	के० रि० पु० ब० के कोटे सहित मासिक कोटा	त्यौहारों के लिए कोटा	जोड़
1984	1.39	0.02	1.41
1985	1.39	0.09	1.48

[हिन्दी]

संसाधन, भंडारण और परिवहन के पुराने तरीकों के कारण संसाधित खाद्य पदार्थों का अपव्यय

1948. डा० ए० के० पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 6 अक्तूबर, 1985 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार संसाधन, भंडारण और परिवहन के पुराने तरीकों के कारण लगभग 30 प्रतिशत संसाधित खाद्य पदार्थों का अपव्यय हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इतनी बड़ी मात्रा में होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

चीनी की नई फैक्टरियां और विस्तार परियोजनाएं

1949. श्री बाला साहेब विखे पाटिल: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की नयी फैक्टरियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंसों की मन्जूरी के लिए सरकार के पास लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन आवेदन-पत्रों पर क्या निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) तमिलनाडु में चार और कर्नाटक में एक नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए पांच आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हुए है। इनके विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने हेतु अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों को बताने वाली लाइसेंसिंग नीति तैयार की जा रही है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मूर्त रूप देने के बाद ही इन आवेदन पत्रों के बारे में कोई निर्णय किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	प्रस्तावित फैक्ट्री का नाम	खाद्य विभाग में आवेदन-पत्र के प्राप्त होने की तारीख
1	2	3
तमिलनाडु		
1.	आंध्र पराशक्ति शुगर्स, ता० पोलुर, जिला नार्थ आरकोट	4-2-86
2.	वाणीयारू शूगर मिल्स लि०, ताहक्कर, जिला धर्मपुरी	12-2-86
3.	थीरू अरूरान शुगर्स लि०, ता० कुम्बाकोनम, जिला तंजावुर	11-2-86
4.	के० वी० कण्डास्वामी, तालुक—पोल्लाची, जिला कोयम्बतूर	4-2-86
कर्नाटक		
5.	श्री भीम शंकर एस० एस० के० लि०, तहसील इन्दी, जिला बीजापुर	7-2-86

जापान के साथ कंम्प्यूटर/रेलवे प्रौद्योगिकी के बारे में समझौता

1950. श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री मल्लिक रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की नवम्बर, 1985 में जापान यात्रा के दौरान कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और रेलवे प्रौद्योगिकी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) क्या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व सम्बन्धित भारतीय विशेषज्ञों की राय ली गई थी;

(ग) इस अम्ब्रेला समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान की बकाया राशि

1951. श्री मानिक रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सुभाष यादव :
श्री जगन्नाथ प्रसाद :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक गन्ना मिल की ओर गन्ना उत्पादकों की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) धन राशि की अदायगी कितने समय से बकाया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने गन्ने की सप्लाई के लिए कृषकों को देने हेतु मिलों को कितनी अदायगी की है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) एक विवरण ग्रंथालय में रख दिया गया है जिसमें 15 जनवरी, 1986 को 1985-86, 1984-85, 1983-84 और पूर्व के मौसमों के लिए व्यक्तिगत चीनी मिलों के बारे में राज्यवार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का ब्यौरा दिया गया है । (देखिए संख्या एल० टी० 2269/80) इसका अवलोकन करने से विदित होगा कि बकायों की अधिकांश राशि चालू मौसम से सम्बन्धित है । बकाया राशि व्यस्ततम पिराई मौसम में अधिक होती है लेकिन जैसे ही मौसम समाप्त होने को आता है तब इस राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जाता है । पिछले मौसम के लिए, कुल 1270

करोड़ रुपये के गन्ने के मूल्य में से 15-1-86 को केवल लगभग 2.94 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना शेष था। प्रतिशततावार, पिछले मौसम के लिए बकाया राशि केवल 0.23 प्रतिशत बैठती है। इन बकायों की राशि बहुत भारी संख्या में फैक्ट्रियों द्वारा अदा की जानी है। मामूली राशि सामान्यतया या तो उत्पादकों द्वारा इस राशि को लेने न आने अथवा कुछेक कानूनी कठिनाइयों आदि के कारण बिना अदा किए रह गई थी। 1984-85 मौसमों से पहले के दावों के बारे में भी यही स्थिति है।

(घ) केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। खरीदे गए गन्ने का भुगतान फैक्ट्रियों द्वारा किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारें उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने पर निगरानी रखती हैं और शीघ्र भुगतान करवाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पग उठाती हैं।

वनस्पति की स्वैच्छिक नियन्त्रण योजना समाप्त करना

1952. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक नियन्त्रण समाप्त करने के बाद वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) वनस्पति घी के थोक पैकों के मूल्य, मूल्य समझौते के दौरान के मूल्यों के बराबर अथवा लगभग बराबर चल रहे हैं। तथापि, छोटे पैकों के मूल्यों में विभिन्न पैकों के मामले में 3.8 से 7.5 प्रतिशत तक की वृद्धि दिखाई दी है।

(ग) उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) वनस्पति घी के मूल्यों पर, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय द्वारा और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता से निगरानी रखी जाती है।

(2) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर तैयार किए जाने वाले वनस्पति घी की 30 प्रतिशत मात्रा, राज्य सरकार के नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए अधिप्राप्त करें।

(3) उपचारात्मक उपाय, जिनमें आयातित तेलों का कारगर आपूर्ति-प्रबन्ध शामिल है,

किए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता तथा उचित मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें।

(4) उद्योग को आयातित तेलों की कुछ मात्रा सप्लाई करके वनस्पति घी का पर्याप्त उत्पादन तथा आसान उपलब्धता बनाए रखी जाती है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही मिलों के कार्यकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन

1953. श्री मुरलीधर माने :
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कितनी मिलें हैं;

(ख) कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही मिलों के कार्यकरण की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया था; और

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 125 मिलें हैं अर्थात् 103 राष्ट्रीयकृत मिलें तथा 22 प्रबन्धित मिलें।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1985 की अवधि के दौरान 64 राष्ट्रीयकृत मिलों (101 मिलें चालू हैं) तथा 15 प्रबन्धित मिलों को सकल घाटा हुआ।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों के कार्य की समीक्षा से पता चला कि 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान कुल हानियों का प्रमुख भाग 22 मिलों (19 राष्ट्रीयकृत तथा 3 प्रबन्धित) का था, सरकार द्वारा सबसे कमजोर 8 मिलों के कार्यचालन के गहराई से अध्ययन हेतु एक अध्ययन दल गठित किया गया।

(घ) अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि केवल अतिरिक्त निवेश से ये मिलें अर्थक्षम नहीं होंगी।

प्रोत्साहन योजना की पुनरीक्षा

1954. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग संगठन ने प्रोत्साहन योजना की पुनरीक्षा के लिए अभ्यावेदन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रोत्साहन योजना की पुनरीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन संगठनों की पुनरीक्षा के परिणामों से कब तक अवगत कराया जाएगा ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 1985-86 से सरकार की चीनी नीति में हुए परिवर्तन की दृष्टि में, प्रोत्साहन योजना की पूरी तरह से समीक्षा करना और इसमें संशोधन करना अपेक्षित है। इस पर कुछ समय लगेगा। इस सम्बन्ध में जैसे ही सरकार द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है तो उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगा।

चीनी के क्षेत्र-वार लेवी मूल्य

1955. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के मौसमों के लिए चीनी के क्षेत्र-वार लेवी मूल्यों के आधार तथा गणना के ब्यौरे क्या हैं और (एक) गन्ने के सूखे की बात को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-वार गन्ना लागत क्या हैं; (दो) खरीद कर/गन्ना उप कर/सोसाइटी के कमीशन के रूप में क्षेत्र-वार कितनी राशि की अनुमति दी जाती है; (तीन) क्षेत्र-वार कितनी परिवर्तन-लागत की अनुमति दी जाती है; (चार) क्षेत्र-वार कितने मुनाफे की अनुमति दी जाती है; और (पांच) क्षेत्र-वार वसूली कितनी है तथा उपर्युक्त बातों की गणना के लिए किस अवधि को ध्यान में लिया जाता है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : 1983-84 मौसम के लिए चीनी के जोनवार लेवी मूल्यों की गणना 1983-84 के लिए गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्यों और उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभिस्तावित रूपान्तरण लागत और लाभ के पैरामीटरों के आधार पर की गई है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को व्यापक केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी वर्ष 1983-84 के लिए लागू की गई थी।

1984-85 और 1985-86 के मौसमों के लिए चीनी के जोनवार लेवी मूल्यों की गणना उन वर्षों के लिए गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्यों और 16 जोन पैटर्न के बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा अपनी अगस्त, 1984 की रिपोर्ट में अभिस्तावित रूपान्तरण लागत और लाभ के पैरामीटरों के आधार पर की गई है।

ये जोनवार मूल्य विवरण में देखे जा सकते हैं।

विवरण

1983-84, 1984-85 और 1985-86 के चीनी वर्षों के लिए अधिसूचित किए गए लेवी चीनी के निकासी मूल्य

क्रम सं०	जोन	चीनी के निकासी मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)		
		1983-84 (डी-30 ग्रेड)	1984-85 (एस-30 ग्रेड)	1985-86 (एस-30 ग्रेड)
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	336.11	337.98	379.97
2.	हरियाणा	342.22	367.27	403.46
3.	राजस्थान	372.92	420.45	457.27
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	300.81	363.47	425.90
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	319.68	368.24	421.68
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	332.07	424.11	452.07
7.	उत्तरी बिहार	337.44	425.64	445.61
8.	दक्षिणी बिहार	403.90	443.19	490.53
9.	गुजरात	296.24	333.12	363.21
10.	मध्य प्रदेश	362.90	417.16	455.20
11.	महाराष्ट्र	297.66	3 .4.35	373.64
12.	कर्नाटक	300.04	33?.80	365.84
13.	आन्ध्र प्रदेश	322.12	345.94	368.29
14.	तमिलनाडू और पांडिचेरी	329.36	343.20	391.51
15.	असम और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और नागालैण्ड	343.67	366.37	414.74
16.	केरल और गोआ	347.81	375.90	429.39

नोट :—मूल्य अधिसूचना की अनुसूची-6 में शामिल किए गए कमजोर यूनिटों के मामले में, मूल्य में 26 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त की अनुमति दी गई है।

आयात लाइसेंसों का उल्लंघन

1956. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
डा० वी० वेंकटेश :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीमियर आटोमोबाइल्ज लि० ने लाइसेंस को तीसरे पक्ष को बेच कर और आयातित फालतू पुर्जों का दुरुपयोग खुले बाजार में बेच कर, आयात लाइसेंस से सम्बन्धित शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० ने आयात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन किया है।

आयात लाइसेंसों तथा मार्गीकृत मदों के आबंटन के सम्बन्ध में उनके आवेदन पत्रों को आदेश दिनांक 15-11-85 के द्वारा स्थगन अध्ययन रखा गया है।

आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 के खण्ड 8 के अन्तर्गत रोक लगाने के सम्बन्ध में एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

व्यापार नीति के रूप में वित्तीय नियंत्रण को टैरिफ में बदलना

1957. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में सरकार के व्यापार नीति के रूप में वित्तीय नियंत्रण के स्थान पर टैरिफ लगाने का विचार है;

(ख) क्या यह परिवर्तन दीर्घकाल में लाभपूर्ण सिद्ध होगा और लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है जिनके द्वारा लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सरकार ने कोटों के स्थान पर टैरिफ ओवरटाइम के रखे जाने के बारे में व्यापार नीति समिति की सिफारिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार करली है। व्यापार नीति समिति की रिपोर्ट की संगत सिफारिशों के अशों का विवरण संलग्न है। आयातों पर मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध की व्यवस्था के स्थान

पर टैरिफों के आधार पर नियंत्रण प्रणाली को सम्भव और वांछनीय सीमा तक अपनाने के लिए सिद्धान्त निर्धारित करने की दृष्टि से सरकार ने उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालय का समिति की स्थापना की है।

विवरण

व्यापार नीति की समिति की सिफारिश की प्रति

सिफारिश सं० 28

अन्तिम विश्लेषण में समय के साथ-साथ टैरीफ को कोटा में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की प्रक्रिया क्रमिक होगी क्योंकि टैरीफ और कोटे एक दूसरे के लिए सही प्रतिस्थापन नहीं है। जब कभी लाइसेंस टैरीफ द्वारा प्रतिस्थापन होते हैं तो उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है क्योंकि टैरीफ व्यापार नीति के उपस्कर हैं न कि राजस्व को बढ़ाने के साधन। परिवर्तन की अवधि के दौरान टैरीफ का ढांचा और आयात लाइसेंसिंग नीतियों को एक दूसरे के संगत होना चाहिए जो कि फिलहाल नहीं है। विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा समर्थित एक प्रणाली तैयार करनी अनिवार्य है जो कि टैरीफ ढांचे के योक्तिकीकरण तथा टैरीफ के साथ आयात लाइसेंसिंग की संगति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा तरीके तैयार करेगा, यह वित्त मंत्रालय को टैरीफ दरों की पुनसंरचना करने में सक्षम बनाएगा। यह कहना आवश्यक है कि वाणिज्य उद्योग और वित्त मंत्रालयों के बीच घनिष्ठ अन्तः विभागीय समन्वय शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परिवर्तन के लिए पूर्वापेक्षित है। समिति उम्मीद करती है कि यह अतरिम संस्थागत प्रणाली अततः एक उचित स्थायी व्यवस्था तैयार करेगी।

व्यापार नीति समिति की रिपोर्ट सम्बन्धित अंश

टैरीफ तथा कोटा में रुचि को व्यापार नीति के वैकल्पिक साधनों सम्बन्धी मुद्दे पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया। समिति का विश्वास है कि अन्तिम विश्लेषण में टैरीफ को कुछ समय बाद कोटे का स्थान प्राप्त करना चाहिए। सिद्धान्ततः यह अनेक कारणों की वजह से सही उपाय होगा। पहले कई वर्षों से आयात सौदों की संख्या में वृद्धि हुई है। आयात लाइसेंस प्रणाली उचित तरीके में नियंत्रण के लिए अधिक जटिल हो गई है। दूसरे, आयातकों के लिए कोटाओं की तुलना में टैरिफों के मामले में लागतों तथा उपलब्धता का मूल्यांकन करना आसान हो सकता है। तीसरे, राजकोषीय नियंत्रण प्रशासनिक शर्तों में वास्तविक नियंत्रणों के लिए अधिमानी हो सकते हैं क्योंकि उससे देरी तथा दुरुपयोग के अवसर कम होंगे। चौथे, कुछ समय बाद कमी करने के उद्देश्य के अनुसरण कोटाओं की तुलना में टैरिफों में कमी आयात-प्रतियोगी फर्मों के लिए और अधिक पारदर्शी और आसान होगी।

समिति की मान्यता है कि आवागमन की पद्धति अनुक्रमिक होगी क्योंकि टैरिफ और कोटे एक दूसरे के प्रणातः प्रतिस्थापन नहीं हो। कई मामलों में, उदाहरणार्थ पूंजी माल के मामले में कोटा समतुल्य टैरिफ इतना अधिक होगा कि इससे उत्पादन की घरेलू लागत मे और अधिक वृद्धि

होगी, जिसमें संरक्षण के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा; ऐसे मामलों में आयात लाइसेंस प्रणाली बनाए रखना बेहतर होगा। इस सामान्य सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे क्षेत्रों का सुझाव दिया है जहां टैरिफों के स्थान पर लाइसेंसिंग करना उपयुक्त होगा। जहां कहीं टैरिफों के स्थान पर लाइसेंस दिए गए है, इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि टैरिफ व्यापार नीति के एक साधन के रूप में हैं ना कि टैरिफ व्यापार नीति के एक साधन के रूप में हैं ना कि राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में। ऐसी स्थिति में, जहां घरेलू साधनों को एकत्र करना काफी कठिन है, इस बात की काफी संभाव्यता है कि राजस्व बढ़ाने का उद्देश्य महत्तव तथा उदाहरण हो, बरकरार रख सकता है। इसलिए समिति यह मानती है कि टैरिफों की भूमिका में प्रस्तावित परिवर्तन में राजस्व शामिल होगा जो व्यापार में वास्तविक से वित्तीय नियंत्रणों तक आदान प्रदान की अवधि के दौरान टैरिफों के ढांचों और आयात लाइसेंसिंग नीतियों को एक दूसरे के साथ संगत होता होगा, जो कि इस समय वही है। आरम्भ करना हमेशा कठिन होता है। फिर भी समिति का विश्वास है कि यदि कोटाओं से टैरिफों में आदान-प्रदान होता है तो विशेषज्ञों के उस समूह द्वारा समर्थित एक प्रणाली का पता लगाकर आसान होगा जो टैरिफ ढांचे के योक्तिकीकरण और आयात-लाइसेंसों और टैरिफों के बीच समन्वय करने के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्त और तरीके तैयार करेंगे, इससे वित्त मंत्रालय टैरिफ दरों की पुनसंरचना कर सकेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वाणिज्य, उद्योग और वित्त मंत्रालयों में एक निकटतम अन्त: विभागीय समन्वय लागू किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन के लिए पूर्वापेक्षित है। समिति को आशा है कि इस मध्याविध संस्थागत संरचना से उन्नत एक उपयुक्त स्थायी प्रबन्ध तैयार किया जाएगा।

उड़ीसा में पटसन मिलें

1958. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की पटसन मिलों के नाम क्या हैं, तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कुल कितने मूल्य का कारोबार किया तथा निर्यात से उन्हें कितनी आय हुई; और

(ग) क्या उड़ीसा में कुछ मिलों का आधुनिकीकरण, निर्यात राज-सहायता, भाड़ा रियायत आदि के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उचित दर की दुकानों को रियायती दर पर पुनर्वित्त की सुविधा

1959. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यि, बैंकों को खाद्य ऋणों और निर्यात ऋणों के वास्ते पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

उचित दर की दुकानों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के लिए बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने की भारतीय रिजर्व बैंक की कोई योजना नहीं है ?

[अनुवाद]

इलाहाबाद स्थित महालेखाकार के कार्यालय के अभिलेखों को नष्ट किया जाना

1960. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार के कार्यालय को 1 मार्च, 1984 को "लेखा" और "लेखा परीक्षा" में विभाजित किया गया था;

(ख) क्या इस विभाजन के बाद "लेखा" और "लेखापरीक्षा" के अभिलेखों को महालेखाकार के कार्यालय, इलाहाबाद, में सुरक्षित रखने की बजाय उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को नष्ट कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय लेखा परीक्षक और लेखपाल संगठन ने 21 जनवरी, 1986 को अभिलेखों के नष्ट किए जाने के बारे में उनसे शिकायत की थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस शिकायत की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। 1.3.1984 से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में पुनर्गठन योजना कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप देश भर के सभी महालेखा कार्यालयों को दो अलग-अलग कार्यालयों में विभाजित कर दिया गया था। एक का सम्बन्ध लेखा परीक्षा से था और दूसरे का लेखा तथा हकदारी कार्यों से।

(ख) लेखा-परीक्षा कार्यालयों और लेखा तथा हकदारी कार्यालयों को अलग-अलग करने में विद्यमान रिकार्ड को "लेखा" और "लेखा-परीक्षा" में बांटना शामिल नहीं था। रिकार्डों को उनकी सुरक्षित रखने की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर ही नष्ट किया जाता है। समय से पहले महत्वपूर्ण रिकार्डों को नष्ट नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) रिकार्डों को नष्ट किए जाने के बारे में शिकायत करते हुए महालेखाकार,

उत्तर प्रदेश के कार्यालय में "ब्रादरहुड" नामक स्थानीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य की हैसियत से श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव से दिनांक 21.1.1986 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के एसोसिएशन के लिए अथवा उसकी ओर से लिखे जाने का कोई आभास नहीं होता है। तथापि इस पत्र की जांच की गयी है और यह पाया गया है कि रिकार्डों की सुरक्षा से सम्बन्धित संगत हिदायतों का उल्लंघन करके वर्तमान रिकार्ड को मनमाने तौर पर नष्ट नहीं किया गया है। इसलिए यह आरोप कि सरकारी साजिश से रिकार्डों को नष्ट किया गया है, निराधार है।

मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के विरुद्ध आरोप

1961. **श्री एस० जयपाल रेड्डी :**
श्री सी० जगा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी, हैदराबाद और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से धोखाधड़ी करके भारी मात्रा में ऋण लेने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या यह भी पाया गया है कि इस फर्म ने भारी मात्रा में कर अपवंचन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना कर अपवंचन किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार को इस फर्म के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और सरकार ने मामले की जांच करवायी थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी जांच से यह पता चला है कि इस फर्म और इसकी सहयोगी कम्पनियों के कुछ बैंकों के साथ खाते संतोषजनक नहीं हैं। सम्बन्धित बैंक इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक कर सम्बन्धी मामलों का सवाल है, इसके अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक ही जगह पर गहन और समन्वित जांच की जा रही है।

प्रस्तावित जापानी सहायता करार

1962. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को जापान से सहायता सम्बन्धी करार पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करार में किन परियोजनाओं को शामिल किया गया है; और

(ग) करार कुल कितनी राशि का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजनाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

(एक) आसाम गैस टरबाइन पावर स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण परियोजना, और

(ख) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ।

(ग) आसाम गैस टरबाइन पावर स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण परियोजना के लिए, जापान सरकार ने 30 अरब येन, जो कि लगभग 166.94 करोड़ रुपये के बराबर है, का विशेष ऋण देना स्वीकार कर लिया है । जहां तक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ का सम्बन्ध है, जापान सरकार ने इस परियोजना के लिए विशेष सहायता अनुदान देना, सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है । जो सहायता प्राप्त होनी है उसकी मात्रा के बारे में जापान सरकार से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

कर्णाटक को सूखे के लिए सहायता

1963. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :**
श्री बी० बी० देसाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा सूखे की राहत के लिए कर्णाटक को वर्ष 1982 से वर्षवार कितनी धन-राशि प्रदान की गयी है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1982 से वर्षवार कितनी धनराशि की मांग की गयी; और

(ग) क्या कर्णाटक में पिछले तीन या चार वर्ष से लगातार सूखा पड़ने के कारण आठवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का विचार दिए गये ऋण को अनुदान के रूप में बदलने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ग) आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि सीमान्त धन से अधिक और सम्बन्धित राज्यों के अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय के 5% तक सूखा सम्बन्धित राहत पर किए गए, व्यय की व्यवस्था अग्रिम योजना सहायता के रूप में की जानी चाहिए । यदि परिव्यय के 5% से अधिक

कोई व्यय हुआ हो तो 50% ऋण और 50% अनुदान के रूप में दिया जाए और इसे राज्यों की योजनागत सहायता की हकदारी के प्रति समायोजित न किया जाये। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

कर्नाटक सरकार द्वारा सूखा राहत के लिए मांगी गई केन्द्रीय सहायता की राशि, अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा और 1982-83 से राज्य को वर्षवार जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि	अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा	पात्र व्यय और समायोजन के बाद उपलब्ध सीमान्त धन के आधार पर जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1982-83	34.20	8.81	15.00*
1983-84	16.81	14.00	4.00**
1983-85	209.50	32.73	29.86***
1985-86			
(I)	89.05	23.88	43.16
(II)	151.00†††	31.15	
(III)	271.00††	†	

* 1983-84 के लिए अग्रिम रूप में जारी की गई 6.66 करोड़ रु० शामिल हैं।

** 1983-84 में अग्रिम रूप से 1982-83 में जारी 6.66 करोड़ रु० को छोड़कर।

*** 1983-84 के लिए बकाया के रूप में 13 लाख रु० शामिल हैं।

† केन्द्रीय दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया है। रिपोर्ट के आलोक में अधिकतम सीमा का अनुमोदन किया जाना है।

†† मार्च, 1986 में प्राप्त पूरक ज्ञापन के माध्यम से 348.00 करोड़ रु० तक संशोधन किया गया।

††† इस ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा की गई कुछ मांगें 348.00 करोड़ रु० की मांग के लिए बाद के ज्ञापन में फिर से शामिल कर लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में धान की मजबूरन बिक्री

1964. श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में हाल में हुई वर्षा के कारण धान को भारी क्षति हुई है और किसान धान की मजबूरन बिक्री कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार किसानों को राहत देने के लिए भारतीय खाद्य निगम को उचित मूल्य पर भीगी धान खरीदने के लिए अनुदेश देगी ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1985 में अप्रत्याशित वर्षा होने के कारण गुंटूर और कृष्णा जिलों के भागों में काटी हुई कुछ धान को क्षति पहुंची थी। क्षतिग्रस्त धान को विहित विनिर्दिष्टियों से निम्न श्रेणी का पाया गया था और इसलिए देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उससे चावल तैयार करने हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसकी वसूली करना अनुपयुक्त समझा गया था। तथापि, विशेष परिस्थितियों में अनाज की विनिर्दिष्टियों में ढील दे दी गई थी ताकि राज्य सरकार वर्षा से प्रभावित धान से तैयार किए गए चावल की वसूली कर सके जिससे उसका स्थानीय वितरण किया जा सके और किसानों की धान के लिए मंडी ढूंढने में उनकी मदद की जा सके।

धारेपुरी ऐलीफेन्टा गुफा तक जाने के लिए भू-भाग

1965. श्री हुसैन दलवाई : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हार्बर में समुद्र-पार ऐलिफेन्टा गुफा को जाने वाले धारेपुरी का चार फुट चौड़ा भू-भाग उस स्मारक पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के आने-जाने के लिए अपर्याप्त और उनके लिए असुविधाजनक है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है जिनसे पर्यटकों के यातायात को बढ़ावा मिलेगा ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर विभाग ने ऐलीफेन्टा द्वीप पर जेटी को मजबूत बनाने और चौड़ा करने के लिए 10.50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और नवम्बर, 1984 में 8.00 लाख रुपए की अग्रिम राशि रिलीज की है। राज्य सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, अपनी सुरक्षा के बारे में आपसे एक निवेदन है। आज मैं रंगनाथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। कल एक श्री बजरंग सिंह वहां गए थे। किसी ने उन पर गोली चलाई थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मुझे मालूम है। मैं इन छुटपुट घटनाओं की चर्चा यहां नहीं कर सकता·····

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया अनुमति दीजिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता पर गृह मंत्री को वक्तव्य देने दीजिए। आज मैं रंगनाथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सारी जगह हो रहा है, ला एण्ड आर्डर का प्राबलम है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यह आयोग के समक्ष है। कृपया इसको इतने हल्के फुल्के ढंग से मत लीजिए। महोदय, उत्तेजित मत होइए। मंत्री जी को स्पष्ट करने दीजिए। गृह मंत्री जी एक वक्तव्य क्यों न दें ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जंचती नहीं बात। मैं डिस्टर्ब्ड तो बहुत हूं, बहुत सी बातों से।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : उच्च न्यायालय का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री·····

अध्यक्ष महोदय : यह विधान सभा का काम है। आप जानते हैं कि वहां एक विधान सभा है। वहां एक विधान सभा है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपका क्या निर्देश है ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : उप कुलपति को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आप इसको किसी और तरीके से पूछ सकते हैं । कुछ और तरीके हैं । आप आइए और मैं आपको बताऊंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं फिर से आपका ध्यान पंजाब में घट रही दुखदायी घटनाओं की ओर दिलाना चाहता है । (**व्यवधान**) दुर्भाग्य से आपकी यह टिप्पणी, कि पंजाब बूचड़खाना बन गया है, सही सिद्ध हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आम स्थिति की बात कर रहा था ।

प्रो० के० के० तिवारी : आज 6 से भी अधिक लोगों को गोली मार कर उड़ा दिया गया । क्या आप सोचते हैं कि सदन को इस मामले से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए ? आप इस पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं देते ? (**व्यवधान**) आप इतने महत्वपूर्ण मसले की उपेक्षा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? आप रोज दण्डवते जी की ऐसी बातों को क्यों सुनते हैं जो कम महत्वपूर्ण होती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुना है ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप उन्हें सदन का समय व्यय करने की अनुमति देते हैं । महत्व पूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं की जाती ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा उल्लेख मत करिए । मैं आपका समर्थन कर रहा हूं । महोदय, उन्हें मेरे रास्ते की बाधा मत बनने दें ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है । (**व्यवधान**)

यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब मैंने आपको बना दिया है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों क्यों बोल रहे हैं ।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : आपका वक्तव्य सही सिद्ध हुआ है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यह जो डिसकशन है, वह स्टेट गवर्नमेंट का मसला होता है। दूसरे तरीके से इस बारे में कुछ करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें स्थिति की जानकारी है। उन्हें इसे हल करना चाहिए। लोगों की जान, माल आदि की सुरक्षा की संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी का उन्हें पालन करना होता है। संविधान अपने ढंग से काम करेगा।

श्री अमल दत्त : 6,000 कामनाएं की छंटनी हो जाएगी। आपने कहा था कि आप पता लगाएंगे। यह चार दिन पहले की बात है। कृपया आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, पंजाब विधान सभा में राज्यपाल द्वारा दिए गए वक्तव्य पर हमें सख्त आपत्ति है। यह तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उग्रवादियों का मांग पत्र हो।

अध्यक्ष महोदय : इसका ध्यान रखना विधान सभा का काम है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, कितनी देर तक चुप रहा जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि राज्यों में विधान सभाएं हैं और यहां संसद है। उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं। वे भी निर्वाचित होते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : और वे अभी भी वहां हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे अभी भी वहां हैं। जहां तक राज्यपाल द्वारा विधान सभा में दिए गए अभिभाषण का सम्बन्ध है, वहां विपक्ष के तथा अन्य सदस्य उसकी आलोचना कर सकते हैं। सदन में वे जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आम स्थिति के बारे में आप सारे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन व्यवस्था तो अस्तव्यस्त हो गई है। वहां व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विशेष जोर नहीं दे सकता। मुझे भी चिंता है। मैंने भी कुछ कहा है। मैंने कहा है कि हम भारतीय और शांतिप्रिय नागरिक होने के नाते शांति चाहते हैं। हमारे देश में हर नागरिक की जान और माल का महत्त्व है, इसकी रक्षा की ही जानी चाहिए तथा कानून को इसके लिए गारंटी देनी चाहिए। हम अपनी इस सुन्दर सी भूमि पर खून खराबा नहीं चाहते।

प्रो० मधु दंडवते : एक रास्ता है। महोदय, तिवारी जी को पंजाब विधान सभा के लिए निर्वाचित करा जाए।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : इसमें सदन का एक माननीय सदस्य अर्थात् महर्षि दयानन्द विश्व-विद्यालय के उपकुलपति श्री राम गोपाल भी शामिल हैं.....

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। समय आने पर हम देखेंगे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : एक माननीय सदस्य भी शामिल हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बात क्या है ? हम देखेंगे कि उपयुक्त नियमों और विनियमों के अन्तर्गत आप किस सन्दर्भ में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं और तब देख लेंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मेरे ध्यान में यह बात अभी-अभी आयी है। गृह मंत्री जी यहां हैं। मैं इस तथ्य की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक तौर पर घोषणा किए जाने से पूर्व ही वेतन आयोग की रिपोर्ट का पता चल गया है। समाचार पत्रों ने उन सभी श्रेणियों और वेतनमानों के बारे में विस्तार से प्रकाशित किया है जिनकी सिफारिश वेतन आयोग ने की है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बता दें। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन ऐसा कैसे सम्भव है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। मैं एकदम से नहीं कह सकता;

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, आप तथ्यों का पता लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रेस में कुछ भी जा सकता है। वे हमारे बन्धु हैं। आप गलती कर सकते हैं, वे भी गलती कर सकते हैं। जो कुछ हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए।

जी हां, चौधरी जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय मैंने एक पत्रकार के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय पर कभी चर्चा नहीं की जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल भी ऐसा हुआ था, आप फिर रोब जमाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपका क्या विनिर्णय है?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है -- इसे स्वीकार नहीं किया जाता, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं, जनाब, जायका बदलने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं संतुष्ट हूं और मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम (नगरकुरनूल) : मैंने एक नोटिस दिया है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, किस नियम के अन्तर्गत ?

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहां पाकिस्तान ने हवाई अड्डा बनाया है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, आप एक आदरयोग्य युवा व्यक्ति हैं। कृपया अपनी सीमाएं पहचानिए और उसके अनुसार काम करिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या मजाक है। चौधरी जी मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम: मेरी बात नहीं सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आठ बैठ जाइए। लिख कर दीजिए। ऐसे यहां डिस्कशन नहीं होगा।

श्री वी० तुलसीराम : मैंने लिखकर दिया है। काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहां पाकिस्तान ने हवाई अड्डा बनाया है और वहां लेटेस्ट इम्पलीमेंट्स रखे हुए हैं, जिससे अपने देश के लिए खतरा है। इसलिए मंत्री महोदय को यहां रिप्लाई देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार भंग होने के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया है···

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नोट कर लिया है और लिख लिया है। मैं पता लगाऊंगा।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री शिव शंकर।

12.07 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

चाय व्यापार निगम सीमित, कलकत्ता, केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) :

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम सीमित, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2168/86]

(3) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2169/86]

(4) (एक) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2170/86]

(5) (एक) भारतीय माध्यस्थम् परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय माध्यस्थम् परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2171/86]

(7) (एक) चाय बोर्ड कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2172/86]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं चाहता ।

श्री खुर्शीद आलम खां ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर, भारतीय रेशम निर्यात सम्वर्धन परिषद बम्बई, आदि, के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1984 85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2173/86]

(3) (एक) भारतीय रेशम निर्यात सम्वर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात सम्वर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2174/86]

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं* के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2175/86]

(6) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित

*वार्षिक लेखे 10 अगस्त, 1984 को सभापटल पर रखे गए थे ।

अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2176/86]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 205(अ) से 237(अ) और 295(अ), जो 17 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय उन मदों पर सीमाशुल्क की विद्यमान दरों को बनाए रखना है, जिनके लिए नए टैरिफ में उनके नामों में परिवर्तन करने या विद्यमान उपशीर्षों के विलय के कारण शुल्क की ऊंची दरें लगानी पड़ी थीं।

(दो) सा० का० नि० 238 (अ) से 261 (अ), 268 (अ) से 291 (अ) और 298 (अ) से 301 (अ), जो 17 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय विद्यमान सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है अथवा उन्हें पुनः जारी करना है ताकि उन्हें नए सीमाशुल्क टैरिफ की अनुसूची के विभिन्न शीर्षों अथवा उपशीर्षों के अधीन रखा जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 262(अ) से 267(अ), जो 17 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय उपसंगी सीमाशुल्क से छूट से सम्बन्धित विद्यमान अधिसूचनाओं में संशोधन करना है अथवा उन्हें पुनः जारी करना है ताकि उन्हें नए टैरिफ के अन्तर्गत रखा जा सके।

(चार) सा० का० नि० 292(अ), जो 17 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 100 विद्यमान अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 293(अ) से 2^04(अ), जो 17 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय कतिपय विद्यमान अधिसूचनाओं में इस दृष्टि से संशोधन करना है ताकि मूल और अतिरिक्त सीमाशुल्क दोनों के लिए आशयित छूट को स्पष्ट किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2177/86]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 296(अ) से 297(अ) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 17 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय विद्यमान सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है अथवा उन्हें पुन: जारी करना है ताकि उन्हें नई सीमाशुल्क अनुसूची के विभिन्न शीर्षों अथवा उपशीर्षों के अन्तर्गत रखा जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2178/86]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 10 फरवरी, 1986, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 109(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 10 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 183(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1986 जो 10 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 187(अ), में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2179/86]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 110(अ) से 119(अ), जो 10 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के कतिपय उपबंधों तथा इन नियमों के अन्तर्गत

जारी की गई कतिपय उन अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा उनकी प्रथम अनुसूची का निर्देश हैं ताकि इन अधिसूचनाओं को नए टैरिफ अधिनियम और उसकी अनुसूची के अन्तर्गत रखा जा सके।

(दो) सा० का० नि० 120(अ), से 176(अ), जो 10 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन और जो कतिपय विद्यमान अधिसूचनाओं के स्थान पर या उनमें संशोधन करने के लिए जारी किए गए हैं ताकि उन्हें नए टैरिफ के विभिन्न शीर्षों अथवा उपशीर्षों के अन्तर्गत रखा जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 177(अ), जो 10 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी 181 विद्यमान अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 178(अ), जो 10 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी 24 विद्यमान अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 179(अ) से 182(अ) 184(अ) से 186(अ) तथा 188(अ) से 190(अ), जो 10 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा (क) मूल, विशेष तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों से सम्बन्धित कतिपय विद्यमान अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट दी गई छूटों को जारी रखने, (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क के अन्तर्गत प्रोफार्मा ऋण की विद्यमान योजना को जारी रखने तथा (ग) कुछ उत्पाद शुल्क्य वस्तुओं के नमूनों को कतिपय छूटों को जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

(छः) सा०का०नि० 191 (अ), जो 10 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी 23 विद्यमान अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2180/86]

(5) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चिकमंगलूर—कोडागू ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1224 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1125 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1226 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) साबरकांठा—गांधीनगर ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1227 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सहयादरी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1228 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1229 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) मेत्रावती ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1230 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) वरदा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1231 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1232 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1233 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1234 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम 1985, जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1235 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या का० आ० 1236 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1237 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) यवतमाल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना अधिसंख्या का० आ० 1238 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) गोतकंडा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1239 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) श्रीराम ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1985 जो 23 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1240 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2181/86]

(6) (एक) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की की एक प्रति (हिन्दी तथा संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1984-85 के लेखाओं पर भारत नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2182/86]

(8) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) तथा धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2183/86]

12.08 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1985-86

[अनुवाद]

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, मैं वर्ष 1985-86 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : आप जिद कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से सदन का समय खराब कर रहे हैं। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। बस। खत्म हुआ। इसकी आप चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपने कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यह मेरा विनिर्णय है। श्री माधवराव सिंधिया।

12.09 म० प०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1983-84

[अनुवाद]

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय, मैं वर्ष 1983-84 के बजट

(रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई सवाल नहीं। मैंने कहा था कि मैंने विनिर्णय दे दिया है। बस।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? चौधरी जी क्या अब आप बैठ जाएंगे ? अन्यथा मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आप सदन से बाहर चले जाइए। इस तरह का व्यवहार मैं पसन्द नहीं करता। कृपया बैठ जाइए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। इसकी अनुमति नहीं है। बस।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसके बारे में बताने वाला नहीं। कृपया बैठ जाइए। आप प्रश्न नहीं कर सकते। बस।

अब श्री एच० के० एल० भगत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हर बात समझता हूं। आप इस तरह नहीं कर सकते। आप शिष्टता की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मद संख्या 7 के बाद सामान्य चर्चा की जाएगी। 12.30 म० प० हम निकारागुआ की स्थिति पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम (नगरकुरनूल) : मैंने एक नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होगा डिस्कशन यहां पर। ठीक है, आप बैठिए। मैं देख लूंगा। आप लिखकर दीजिए।

[अनुवाद]

यह करना मेरा काम है। आप सदन में इसकी वकालत करने के लिए नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जायका बदलने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, बैठिए। मैं समझ गया। आपका शुक्रिया हो गया। आपने कहा और मैंने समझा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उनका तो वेलकम करता हूं लेकिन आपका शुक्रिया अदा करता हूं जीरो आवर की खायत बदलने के लिए।

[अनुवाद]

आशा है कि इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय के बारे में अध्यक्ष से कोई सवाल-जवाब नहीं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : (डायमंड हार्बर) : विनिर्णय में आप कुछ नहीं कह रहे हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कहना भी नहीं है । आप मेरे पास आएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वही कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री एच० के० एल० भगत ।

12.12 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय-कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 10 मार्च, 1986 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) आज की कार्य सूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार ।

(2) 1986-87 के लिए लेखा अनुदान मांगों (सामान्य) पर मतदान ।

(3) रावी और व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा रावी और व्यास जल अधिकरण विधेयक, 1986 पर विचार और पारित करना ।

(4) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

(क) 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) ।

(ख) 1983-84 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) ।

(ग) 1986-87 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

(घ) 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

(ङ) 1983-84 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) ।

(5) रेल अभिसमय समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा ।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मामले को आगामी सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाए ।

अनेक कारणों से भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कामगारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रबन्धकों को इन कामगारों की तकलीफों की जरा भी परवाह नहीं है। बल्कि वे तो उन्हें हर तरह से परेशान करते हैं। तुच्छ कारणों से बहुत से कामगरों की छंटनी की जा रही है। प्रबन्धक वर्ग ने कामगारों को तदर्थ बोनस की अदायगी न करके सरकार के निर्देश का उल्लंघन किया है। सुरक्षा उपायों की कमी हैं जिसके कारण दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां तक कि; दुर्घटना के शिकार लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इन सब बातों को लेकर कामगार क्षुब्ध हैं जिसके कारण कामगारों और प्रबन्धक वर्ग के बीच विवाद की पूरी संभावना है और कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।

इसके अलावा, पर्याप्त सुरक्षा के उपायों के अभाव के कारण खानो में हानि हो रही है और चोरियां होती हैं। प्रबन्धक वर्ग वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके सोने की खानों में सुधार करने की बजाय पुराने और अप्रचलित तरीके अपना रहा है। इसलिए इस बात की तत्काल जरूरत है कि :

(एक) सरकारी निर्णय के अनुसार कामगारों को तदर्थ बोनस की अदायगी की जाए;

(दो) दुर्घटना के कारण काफी संख्या में होने वाली मौतों से बचने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किये जाएं;

(तीन) कामगारों के मुआवजा सम्बन्धी दावों का शीघ्र निपटान किया जाए;

(चार) सुरक्षा उपायों के लिए सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक पुलिस बल की नियुक्ति की जाए;

(पांच) सूखा प्रवण कोलार जिले में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कम्पनी का विस्तार करके एक वैकल्पिक उद्योग की स्थापना की जाए।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखा पत्तनम): महोदय, निम्नलिखित मद को आगामी सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए—

आन्ध्र प्रदेश में यलेरू नदी पर यलेरू जलाशय परियोजना एक बड़ी सिंचाई परियोजना है। परियोजना के प्रथम चरण में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की 73 एम० जी० डी० पानी की सप्लाई सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए 18 टी० एम० सी० भंडारण क्षमता के जलाशय का निर्माण करने की परिकल्पना की गयी है।

अनुमान लगाया गया था कि परियोजना के प्रथम चरण की लागत 107 करोड़ रुपए आएगी और अंतिम चरण में लागत 147 करोड़ रुपए आएगी। यह योजना केन्द्र के समक्ष स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। बहरहाल आंन्ध्र प्रदेश सरकार ने अभी तक 87 करोड़ रुपए की राशि के लिए आंशिक प्रशासनिक अनुमति दे दी है। 1985-86 में लगभग 20 करोड़ रुपए देने के अलावा इसमें से अब तक 61.32 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सातवीं योजना में 103 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया था।

यलेरू जलाशय के निर्माण से आरक्षित वन का 1497 हेक्टेयर क्षेत्र डूब जाएगा। इसी तरह यलेरू बाई मुख्य नहर, जोकि कुल 1525 हेक्टेयर है, का संरक्षण करने से यह वन क्षेत्र से होकर गुजरती है।

आरक्षित वन क्षेत्र को अलग करने सम्बन्धी आन्ध्र प्रदेश के प्रस्ताव केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं।

आन्ध्र प्रदेश में उपर्युक्त चलेरू परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को 50 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने के अलावा केन्द्र को उपर्युक्त प्रस्तावों पर शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : निम्नलिखित विषय आगामी सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किये जाएं :—

(1) जैसा कि आप जानते ही हैं कि शक्ति प्राप्त समिति के निर्णय को उल्टा करने और इसे टर्न की आधार पर पूरा करने के सरकार के गलत निर्णय के कारण एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन के काम में 1½ साल की देरी हो ही चुकी है। इस परियोजना को पूरा करने में एक साल की देरी का मतलब है 2,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की हानि। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री नवल किशोर शर्मा ने लोक सभा में कहा था कि अन्तिम निर्णय दिसम्बर, 1985 के अन्त तक लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से बड़ी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव के कारण निर्णय लेने में अनिश्चित रूप से देरी हो रही है। इसलिए इस पर तत्काल चर्चा करने की जरूरत है।

(2) दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता की बात तो छोड़िए, दूरदर्शन के दर्शकों की अन्तिम रूप से यह बताने के बाद भी कि दूरदर्शन पर राजीवस "इंडिया (राजीव का भारत) और नई दिल्ली टाइम्स" नामक दो फिल्मों को दिखाया जायेगा, यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।

यह जानना आवश्यक है कि सरकार ने 'राजीवस इंडिया' (राजीव का भारत) नामक फिल्म को पहले किस प्रकार स्वीकृति दी क्योंकि यह इन्टरनेशनल सिंडीकेशन इनकस नामक अमरीकी कम्पनी द्वारा बनाई गई थी जिसके मालिक और अध्यक्ष श्री हुगेल हैं। उन्होंने पहले सी० आई० ए० के उपनिदेशक के पद पर कार्य किया था।

नई दिल्ली टाइम्स राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच के सम्बन्धों पर व्यंग्यात्मक कहानी के अलावा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे कि इस प्रकार की फिल्म को दिखाने की मंजूरी न दी जाये।

सदन में दूरदर्शन तथा रेडियो जैसे प्रसारण साधनों के कार्यों पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : सदस्य महोदय को यह टिप्पणी करने की आपने किस प्रकार अनुमति दे दी ?

अध्यक्ष महोदय : उसमें क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह रिकार्ड में किस प्रकार जा सकता है ? समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर क्या आप सदन में कुछ कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ गलती नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह रिकार्ड में शामिल किया जा रहा है। केवल समाचार पत्र में सी० आई० ए० का उल्लेख है। केवल इस आधार पर क्या वह सदन में इस प्रकार की टिप्पणियां कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री चम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, अगले सप्ताह की विषय सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए :

ट्रावनकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में ईसाई निजी कानून पर उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के कारण सीरियन ईसाई समुदाय की महिलाओं का उत्तराधिकार शून्य हो गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम विवाह के समय महिलाओं को धन देने से रोकता है। ट्रावनकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम 5000 रुपए या महिलाओं के हिस्से के रूप मे दहेज की राशि, जो भी कम हो, देने से रोकता है। महिलाओं को केवल अपने पिता की सम्पत्ति में आजीवन दिलचस्पी होती हैं। अब इस कानूनी स्थिति को ठीक करना होगा और ईसाई समुदाय से सम्बन्धित महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानना होगा। ईसाई महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए परिस्थितियों के अन्तर्गत समुचित कानून बनाना होगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न-निम्न विषयों का समावेश करवाना चाहता हूं :

1. आई० टी० डी० सी० द्वारा संचालित अकबर होटल को घाटे के कारण बन्द करने का निर्णय किया गया है। लम्बे अर्से तक लाभ कमाने वाले इस होटल के घाटे का कारण इसका कुप्रबन्ध है। कुप्रबन्ध के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के बजाए इस होटल में कार्यरत कर्मचारियों को अनिश्चित भविष्य के गर्त में डाल दिया गया है। सरकार इन कर्मचारियों को अन्य आई० टी० डी० सी० के होटलों में उनकी सेवा शर्तों पर खपाने के बजाए टालमटोल की नीति अपना रही है। अतः इस होटल के बन्द करने के कारणों व कर्मचारियों के भविष्य के सन्दर्भ में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए।

2. चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा मार्च 31 तारीख तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किए जाने व उसे लागू किए जाने का आश्वासन कर्मचारियों के संगठनों को सरकार द्वारा दिया गया था। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने में अत्यधिक विलम्ब होने की संभावना है।

कर्मचारी वर्ग इस सन्दर्भ में चिन्तित है। अतः इस बिन्दु पर भी सदन में चर्चा प्रार्थनीय है।

धन्यवाद।

12 21 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की सूची में सम्मिलित किया जाए :

हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में, जहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग बस्ते हों, जहां मुख्तलिफ तहजीबें और जुबानें नश्वोनुमा पाती हों, इख्तिलाफात का या तनाजों का पैदा होना कुदरती बात है लेकिन इसी के साथ हमारे निजामे हुकूमत में ऐसी सभी गुंजाइशें मौजूद हैं, जिनके जरिये हम सही बात मनवा सकते हैं और पुरअमन तरीके से अपने इख्तिलाफ को जाहिर कर सकते हैं, जिसकी शानदार मिसाल हाल ही में पिछले दिनों भोपाल के मुसलमान भाइयों ने पेश की थी। शाहबानों वाले मसले पर अपनी राय जाहिर करने के लिए जो पुरअमन तरीके से जुलूस निकाला गया, उसमें तीन लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। मौन जुलूस निकाला, नमाज अदा की, और खुदा के सामने दुआ के लिए हाथ फैलाए। इस तरह उन्होंने यह भी जाहिर किया कि वे इस्लाम के सच्चे मानने वाले हैं।

लेकिन इसके बरखिलाफ मुल्क के दूसरे मुकामों पर खून-खराबी, मारकाट और लूटमार के वाक्यात हो रहे हैं, जो सभी के लिए शर्म का बाइस है।

इन वारदातों के पीछे यकीनी तौर पर बेरूनी ताकतों के अलावा मुल्क में छुपे दुश्मन अनासिर के साथ-साथ मायूस और हताश सियासी जमायतें व लोग भी शामिल हैं। फिर इन सबका फायदा उठाने के लिए समाज दुश्मन अनासिर तो हमेशा मौजूद रहते ही हैं।

इस अहम मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए ताकि हम ऐसे चेहरों को बेनकाब कर सकें और तमसीली सजाएं भी दे सकें।

[अनुवाद]

श्री अनूप चन्द्र शाह (बम्बई उत्तर) : मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में चर्चा के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं :

बम्बई भारत की औद्योगिक राजधानी है। वास्तव में बम्बई छोटा भारत है। बदकिस्मती से बम्बई के लोग रेल, सड़क परिवहन, दूर-संचार, आवास, जल पूर्ति और झुग्गी झोंपड़ी सुधार जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त समस्याओं को हल करने के लिए बम्बई को तुरन्त विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से अगले सप्ताह की विषय सूची में सामान्य चर्चा के लिए निम्नलिखित विषय को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

बम्बई की तत्काल आवश्यकता—भारत सरकार द्वारा धन का विशेष आवंटन ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करौल बाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश करवाना चाहती हूं :

1. **करोड़ बाग क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं** : मेरे संसदीय क्षेत्र करौल बाग दिल्ली में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का कतई अभाव है । मेरा क्षेत्र विशेषकर अनुसूचित एवं जन जातियों का क्षेत्र है, तो भी वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । अब आप ही देखिए, मेरे क्षेत्र में एक भी जनरल हास्पिटल नहीं है । चारों तरफ घनी आबादी के क्षेत्र हैं और हमेशा भयानक संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है ।

इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस ओर तुरन्त ध्यान दें और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से मेरे क्षेत्र में लागू करें ।

2. **चार बड़े शहरों में आबादी को बढ़ने से रोकने की दीर्घकालीन नीति** : हर दिन चार बड़े शहरों में आबादी में बढ़ोतरी हो रही है । इसी की वजह से लोग फुटपाथों पर अड्डा जमाए हुए देखे जाते हैं । उनके खाने-पीने, रहने एवं रोजगार की समस्याएं दिन-प्रति-दिन बढ़ रही हैं । हालांकि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ सुविधाएं रेन बसेरा आदि की करती है लेकिन इस समस्या का यह पक्का सुलझाव नहीं है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में कोई दीर्घकालीन सुयोजना बनाएं और अगर आवश्यक हो तो कड़ाई के कुछ कानून इस बारे में बनाए जाएं ।

मेरा अनुरोध है कि उपर्युक्त मसले को अगले सप्ताह सदन में लाएं और इन पर बहस करें ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, 10 मार्च, 1986 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी विषय सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :

विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 9.1 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ उड़ीसा सरकार ने 1980 में उड़ीसा में हरभंगी सिंचाई परियोजना का कार्य शुरू किया था । 1985 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य था । सरकारी मशीनरी द्वारा उपेक्षा के कारण परियोजना का निर्माण कार्य अधिक नहीं हुआ और इस प्रकार 1980 तथा 1985 के बीच लगभग 43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बढ़ गई है और यह कहा जाता है कि यदि ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो परियोजना 1990 तक पूरी हो सकती है । मुख्य बांध के निर्माण की किसी भी तरह से प्रगति नहीं हुई है । गंजम जिले के पहले से ही सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में खेतिहरों को बहुत असन्तोष है क्योंकि पूरा कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है । इस क्षेत्र के हजारों मजदूर बाहर जा रहे

हैं क्योंकि यदि कार्य गम्भीरता से शुरू किया जाता है तो ददान मजदूरों के रूप में हजारों मजदूरी कमाने के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध होगा। इस परियोजना से खरीफ फसल की लगभग 1000 हैक्टेयर और रबी फसल की लगभग 6000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

इसी तरह, बागुआ के समीप बागुआ स्टेज II सिंचाई परियोजना को बिल्कुल भी शुरू नहीं किया गया है। इसके पूरा होने से यह गंजम जिले के सूखा-पीड़ित क्षेत्र में खेतिहरों की सुरक्षा करेगा। दोनों निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय तथा उड़ीसा सरकार दोनों को तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने के लिए मैं निवेदन करता हूं :

आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड भारतीय बिजली अधिनियम 1910 के 7क (2)(ii) के अन्तर्गत ट्रांसफारमर की लागत के लिए सेवा लाइन के रूप में गांवों में भी छोटे उपभोक्ताओं से खुले तौर पर अंशदान एकत्र कर रहा है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता इस सेवा को लेने की स्थिति में नहीं है। हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि सेवा लाइनों के क्षेत्र के अन्तर्गत ट्रांसफारमर की लागत नहीं आएगी। फिर भी वहां बिजली बोर्ड ट्रांसफारमर लागत के प्रभार एकत्र कर रहा है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत भारतीय बिजली अधिनियम में तुरन्त संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उस अधिनियम में से अधिनियम की 7क(2)(ii) के उपबन्ध को हटाया जा सके या उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव किया जाए ताकि बोर्ड द्वारा सेवा लाइनों का खर्चा उठाया जाए।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा है और मैं उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा। लेकिन सामान्य रूप से मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगें चर्चा के लिए आ रही हैं और कई मामले ऐसे हैं जिन्हें तभी उठाया जा सकता है जब इन मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। हर हालत में मैं उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इसे टेप कर लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : 12.30 बजने में केवल तीन मिनट बचे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम चर्चा कर सकते हैं.....

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप चाहते हैं तीन मिनटों में तो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए स्वतन्त्र हो। मुझे कोई

आपत्ति नहीं है परन्तु यह ठीक नहीं कि केवल इसे उठाने के लिए ही उसे रखा जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : हमें चर्चा करनी चाहिए।

12.28 म० प०

निकारागुआ में स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन निकारागुआ में स्थिति के बारे में चर्चा करेगा।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, यह चर्चा मंत्री जी के उत्तर सहित 2 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। हमें बजट (सामान्य) पर 2 बजे सामान्य चर्चा शुरू करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से बहुत संक्षिप्त तथा सहयोग करने की कोशिश के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : बोलने के लिए अधिक सदस्य नहीं हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय मुशरान। कृपया संक्षेप में बोलने की कोशिश करें। चर्चा 2 बजे तक पूरी होनी चाहिए।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निकारागुआ में स्थिति पर चर्चा को उठाने के लिए दिए गए समय के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह पांडिचेरी से भी छोटा देश है। लेकिन हमें विश्वास है और जैसा कि हम भारतीय विश्वास रखते हैं कि देश का आकार होने के बावजूद किसी भी देश की प्रतिष्ठा और प्रभुत्व अमरीका जैसे बड़े देश या किसी अन्य बड़े देश की ही तरह है। उस सन्दर्भ में और इस सन्दर्भ में कि निकारागुआ को आर्थिक रूप से कमजोर करने में अमरीकी हस्तक्षेप और देश के राजनैतिक प्रभुत्व को धमकी देने की कोशिश करने के बारे में हम जो हाल ही में सुन तथा पढ़ रहे हैं उसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तीसरी दुनिया के नेता के रूप में भारत को निकारागुआ के लोगों की विपत्ति और समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रसंग से बाहर नहीं होगा कि उस देश के इतिहास पर दो मिनट के लिए बोला जाए जो बहुत छोटा देश है और मध्य अमरीका के बीच में स्थित है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के दोनों ओर इसके तट हैं। देश में झीलें और ज्वालामुखी पर्वत हैं और अमरीकी देशों कैंटाडोरा ग्रुप का एक भाग है। जैसा कि मैंने बताया है कि इसका क्षेत्र बहुत कम है। यह लगभग 128 वर्ग कि० मी० है। इसकी जनसंख्या करीब 30 लाख है जिसमें से 96% प्रशांत के मैदानी क्षेत्र के और एटलांटिक तट में 4% रहते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। अन्यथा स्पेनिश भाषा बोलने

वालों का बहुमत है। 16 वीं शताब्दी में यह देश स्पेन के प्रभुत्व में आया था। यह एक कालोनी बन गई थी जो 200 वर्ष तक रही। 1821 में पहली बार निकारागुआ स्वतंत्र हुआ परन्तु बदकिस्मती से यह अमरीका के अधिकार में आ गया। किन्तु अमरीका द्वारा पहला सैनिक हस्तक्षेप 1855 में किया गया था। एक साहसी व्यक्ति विलियम वाकर ने इस पर हमला कर दिया जिसने अपने आप को निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में घोषणा की थी। उसने गुलामी की प्रथा शुरू की और अंग्रेजी को देश की राष्ट्रीय भाषा बना दिया लेकिन बाद में मध्य अमरीकी यूनाइटेड फोर्स ने उसका प्रभुत्व समाप्त कर दिया।

1912 में पहली बार अमरीका ने इस छोटे देश के आन्तरिक मामलों में अपने समुद्री जहाजों द्वारा हस्तक्षेप किया था। हालांकि उन्होंने उदार राष्ट्रवादी राष्ट्रपति को त्यागपत्र के लिए मजबूर किया किन्तु समुद्री सैनिक लगभग 14 वर्षों के बाद वहां से हटे और उसके बाद वह व्यक्ति आया जिसने वास्तव में निकारागुआ को स्वतंत्र किया। वह जनरल सेंडिनो था जिसने अमरीकी हस्तक्षेप को रोका और छः वर्षों तक लड़ने के बाद देश को अमरीका से बचाया। परन्तु दुर्भाग्यवश अमरीका में सोमोज़ा में एक पिछलग्गू मिल गया। जिसने जनरल संडिनो की हत्या के लिए परिस्थितियां तैयार कीं।

मेरा ऐतिहासिक घटनाक्रम में जाने का कारण यह है कि बीसवीं शताब्दी के शुरू से ही अमरीका निकारागुआ के लोगों पर अपनी पसन्द की तानाशाही थोपने की कोशिश करता रहा है और जनरल सॉनडिनो तथा उनके कत्ल के बाद उनके अनुयायी लगातार अमरीकी सरकार के इन एजेन्टों का विरोध करते रहे हैं। केवल 1939 से 1979 के बीच के वर्षों का संघर्ष ही तानाशाही विरोधी संघर्ष था। जनरल सॉनडिनो के उत्तराधिकारी कार्लोस फोनसेका के नेतृत्व में 19 जुलाई, 1979 को निकारागुआ के लोगों ने वास्तविक विजय प्राप्त की। उस समय से इस देश की सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में लगी हुई है। एक ऐसी सरकार का गठन किया गया है जिसे देश के शासकीय एवं राजनैतिक प्रणालियों के पुनर्गठन जैसे कठिन कार्यों का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिका के पिट्ठू सोमोजा ने सेना, पुलिस, कोष, न्यायाधीश, विधान मण्डल, स्थानीय शासन देश में कोई भी संस्था नहीं छोड़ी। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या वह शाकाहारी 'समोसा' था अथवा मांसाहारी 'समोसा'?

श्री अजय मुशरान : इसका अंग्रेजी उच्चारण 'सोमोज़ा' है, परन्तु वे इसका उच्चारण 'समोसा' कहकर करते हैं।

पहले पहल चुनाव नवम्बर, 1984 संक्षेप में 4 नवम्बर को हुए थे जब वर्तमान राष्ट्रपति सत्ता में आये। नये उप राष्ट्रपति का चुनाव भी तभी हुआ था और 96 सदस्यों की एक राष्ट्रीय सभा का चुनाव हुआ। ये सदस्य सात साजनैतिक दलों से सम्बन्धित हैं।

फिर भी अमरीका सांदीनीसता नेशनल लिबरेशन फ्रंट सरकार को मान्यता नहीं दे रहा है।

वे कॉलेरो नामक कठपुतली को मान्यता देते रहे हैं। वह अभी भी वहां हैं। राष्ट्रपति रीगन कॉलेरो को ही मान्यता देते हैं और उसी से बातचीत करते हैं। यहां तक कि अमरीका के राष्ट्रपति दो-तीन दिन पहले कॉलेरो के साथ अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश हुए थे। राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया और उसको पूरा सम्मान दिया तथा उससे विचार विमर्श किया। ये कुछ विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप हैं जो अमरीकी सरकार पिछले बहुत से सालों से मध्य अमरीका के इस छोटे से देश में करती रही है।

यह सत्य है कि राष्ट्रीय सरकार देश के आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचे के पुनर्निर्माण में लगी हुई है। वे संविधान का मसविदा तैयार कर रहे हैं। वे निकारागुआ के सभी निवासियों को क्षमादान दे रहे हैं चाहे वे क्रांति के विरोधी रहे हों परन्तु जिन्होंने अपने हथियार डाल दिये हैं। वे किसी प्रकार की प्रणाली स्थापित कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोण्टाडोरा समूह के सभी देश 1983 में एक बहुमुखी समझौते पर, जिसका स्वरूप एक अधिनियम जैसा है, विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए। इसके अन्तर्गत ये सभी देश एक-दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। जहां तक एक-दूसरे का राजनैनिक प्रभुसत्ता का सम्बन्ध है, वे एक-दूसरे का समर्थन करेंगे। 36 महीने के वार्तालाप के बाद भी वे कुछ ही बातों के बारे में संतोषजनक समझौते पर पहुंचे हैं परन्तु कुछ बातों पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है। विचार-विमर्श जनवरी, 1983 से चल रहा है। अन्तिम विचार-विमर्श 11 तथा 12 जनवरी, 1986 को हुआ था। अब अखबारों से एक बहुत रोचक सूचना प्रकाश में आई है। अमरीका सरकार इस बात से बहुत चिन्तित है कि निकारागुआ की सरकार के कारण ब्राजील, अर्जेण्टीना, मैक्सिको, कोलम्बिया तथा पनामा, जो निकारागुआ के पड़ोसी देश हैं, की सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है। इस बात से मुझे एक हाथी की याद आती है जिसे एक चूहे या मक्खी से डर लगता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के तर्क अमरीका सरकार को उपहास का पात्र बनाते हैं। जहां तक निकारागुआ की सरकार के बारे में अमरीका के भ्रम का सम्बन्ध है, इस बात का प्रमाण मौजूद है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति ने अमरीका के राष्ट्रपति का झूठ मापकयन्त्र का सामना करने की पेशकश की है। अमरीकी राष्ट्रपति ने इस बारे में अभी तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

निकारागुआ के लोगों की आर्थिक दशा का जहां तक सम्बन्ध है, मैं कुछ तथ्य एवं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि अमरीकी एजेंटों ने, जो जनरल सॉनडिनो जो इस देश की स्वाधीनता के वास्तविक जनक हैं, द्वारा निकाल दिये गये थे, देश को किस हालत में छोड़ा था। इस वर्ष निकारागुआ का निर्यात लक्ष्य 3500 लाख डालर है। निकारागुआ मूल रूप से कहवा, कपास, केला, चीनी तथा तम्बाकू निर्यात करता है। जहां तक उसके आयात का सम्बन्ध है वह 9200 लाख डालर मूल्य की वस्तुओं का आयात करने जा रहा है।

जो मैंने पहले बताई हैं, उन पांच वस्तुओं को छोड़कर वे सभी चीजों अर्थात् पैन, पैंसिल, अभ्यास पुस्तकों आदि का आयात करते हैं। इन पांच वस्तुओं के अलावा इस देश को सभी कुछ आयात करना पड़ता है।

देश में घाटे का बजट, जिसकी इसे बाहर से आवश्यकता होती है 5700 लाख डालर के लगभग है। विदेशी ऋणों से शीघ्र भुगतान के लिए इस राशि के अतिरिक्त देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से 17000 लाख डालर का प्रबन्ध करना होगा। उक्त आयात अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए है न कि विकास हेतु। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के किराए के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए युद्ध की लागत लगभग 20000 लाख डालर है। कल कोस्टा-रिका के विदेश मंत्री ने अमरीकी सरकार को यह सुझाव दिया कि वे निकारागुआ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करें और द्विपक्षीय चर्चा की जाए ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके और अमरीका द्वारा इस देश के लिए उत्पन्न किए गए आर्थिक संकटों को दूर किया जा सके। मेरा विचार है कि भारत तीसरी दुनिया का नेता होने के नाते इस छोटे से देश की आवाज सुनाने के लिए इस समस्या के आर्थिक पहलू के बारे में अवसर अनुकूल कार्रवाई करेगा क्योंकि जहां तक देश की अखण्डता का सम्बन्ध है, एक बड़े देश और एक छोटे देश की प्रभुसत्ता एक समान होती है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्व में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने खुल कर अपनी आवाज उठाई है और हम उन सब से आगे हैं। आज मैं समाचार पढ़ कर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। कल राज्य सभा में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य इस सरकार का सही दृष्टिकोण है जिससे हमारी विदेश नीति की दृढ़ता का आभास होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी सभा सरकार से यह आशा करेगी कि तीसरी दुनिया के नेता के रूप में भारत निकारागुआ के समर्थन में अपनी आवाज उठाए, न केवल राजनीतिक कारणों के लिए अपितु इस छोटे से देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए।

श्री एन० वेंकट रत्नम (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निकारागुआ में अमरीकी गतिविधियों की भर्त्सना करता हूं। महोदय मुझे लगता है कि हमारी सरकार विदेशी मामलों में बहुत नरम रवैया अपनाती रही है जो कि हमारे देश के आकार और मर्यादा के प्रतिकूल है। इस नरमी का लाभ उठाते हुए कई देश यहां तक कि निकारागुआ, पाकिस्तान तथा अन्य छोटे-छोटे देश भी भारत के विरुद्ध अमैत्रीपूर्ण रवैया अपनाते रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारा दृष्टिकोण विदेशी मामलों के सम्बन्ध में अत्यन्त मजबूत होना चाहिए, इस प्रकार नरम नहीं ताकि जब ऐसी बातें सामने आएं तो हम उन्हें गैर-मित्रतापूर्ण भाव रखने वाले देश घोषित कर सकें। हमें इस तरह नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। महोदय हममें साहस होना चाहिए और हमें यह घोषित करना.....

उपाध्यक्ष महोदय : निकारागुआ हमारे लिए कब अमैत्रीपूर्ण रहा है?

प्रो० मधु दण्डवते : स्वाधीनता से पूर्व।

श्री एन० वेंकट रत्नम : जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, हमारा दृष्टिकोण सख्त होना चाहिए। और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रति भी हमारा रवैया अत्यन्त नरम रहा है जो कि अवांछित है।

हम देखते हैं कि एक ओर तो संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन हमें अपना सहयोग देते हैं

और यह घोषित करते हैं कि वे भारत के मित्र-देश हैं, दूसरी ओर उनकी हमारे विरुद्ध गतिविधियां खतरनाक हैं।

ब्लू-स्टार आपरेशन के दौरान एक आतंकवादी सिख जगजीत सिंह चौहान का, जो ब्रिटेन चला गया था, वहां स्वागत किया गया। यह एक मित्र देश की अजीब हरकत है। ब्रिटेन में उसे न केवल निःशुल्क सरकारी क्वार्टर दिया गया बल्कि उस देश द्वारा उसे वित्तीय सहायता भी दी गई। क्या यह एक मित्र देश का काम है। ब्रिटेन की सरकार यह घोषणा करती रही है कि वह मित्र देश हैं किन्तु क्या हम इसे मित्र देश का काम मान सकते हैं?

समाचार-पत्रों में यह भी छपा था कि सिख आतंकवादियों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन वहां धन एकत्रित करके भारत में सिख आतंकवादियों को भेजता रहा है। ब्रिटेन सिख आतंकवादियों को नकली दवाओं के व्यापार की भी अनुमति देता रहा है और वे उस धन से शस्त्र और बारूद खरीदकर यहां सिख आतंकवादियों को भेजते रहे हैं।

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान खुले रूप में भारत के साथ अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करता रहा है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण इतना नरम है कि हम खुले तौर पर यह घोषणा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान हमारे लिए अमैत्री-पूर्ण भाव रखता है।

संयुक्त राज्य अमरीका भी यह घोषणा करता रहा है कि वह हमारा मित्र देश है किन्तु उनके कार्यों से ऐसा नहीं लगता। अमरीका सिख आतंकवादियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता रहा है, उन्हें प्रोत्साहन देता रहा है, उनकी न केवल स्वयं अपितु पाकिस्तान के माध्यम से भी सहायता करता रहा है। मेरे विचार में कनाडा इस सम्बन्ध में बेहतर रहा है। बताया गया है कि हमारे आपत्ति उठाने के बाद कनाडा सिख आतंकवादियों को निरुत्साहित करता रहा है।

मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि ऐसे देशों के साथ, जो भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण रवैया रखते हैं, नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से पेश आएं। मैं सरकार से विदेशी मामलों में अधिक कड़ा दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता हूं जो कि कई बार नहीं होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे साहसपूर्वक अपनी कड़ी और सही नीति सामने रखें। बाहर और भीतर अलग-अलग नीतियां अपनाने से कुछ नहीं होगा। सरकार कह सकती है कि व्यवहारिक कारणों से उन्हें ऐसा करना पड़ा। किन्तु ऐसा नहीं होता हम तथ्य जानते हैं। हमारे देश को सही तथ्यों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करता हूं कि वे आने वाले समय में अधिक मजबूत बनें।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय अमरीकी प्रशासन जो कदम उठा रहा है वे निकारागुआ में खतरनाक रूप से सशस्त्र हस्तक्षेप की भांति हैं। यह हंडूरास तथा कोस्टा-रिका में रह रहे 'कोंतरा' को निकारागुआ की जनता पर सशस्त्र हमला करने के वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष 1979-1984 के दौरान अमरीका ने इन किराए के सैनिकों की सहायता के लिए

700 लाख डालर प्रदान किए हैं 1985 में रेगन प्रशासन ने अमरीकी कांग्रेस से इन किराए के सैनिक के लिए मानवीय सहायता के रूप में (जैसा कि वे कहते हैं) 270 लाख डालर की स्वीकृति प्राप्त की है।

अब रेगन प्रशासन यह प्रयत्न कर रहा है कि इन 'कोंतरःओं' के लिए 1000 लाख डालर की सहायता की स्वीकृति अमरीका कांग्रेस से प्राप्त की जाए। किस काम के लिए? यह पैसा निकारागुआ जैसे छोटे देश के नागरिकों को मारने तथा वहां के जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था को भंग करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, निकारागुआ गुट-निरपेक्ष देश है। इसका दोष केवल यही है कि इसने तानाशाह समोजा का तख्ता पलट दिया जो कि अमरीका का कृपा पात्र था।

लेटिन अमेरिकी देशों तथा सरकारों ने निकारागुआ में बढ़ते हुए हस्तक्षेप पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है। मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलम्बिया तथा पनामा जैसे देशों का कोंटाडोरा समूह 1983 से मुख्य समस्याओं के शान्तिपूर्ण निपटास के लिए प्रयत्न करता रहा है। किन्तु अभी तक इन रचनात्मक प्रस्तावों को राष्ट्रपति रेगन द्वारा अस्वीकार किया जाता रहा है यद्यपि निकारागुआ की सरकार ने विवाद के निपटान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

निकारागुआ पर अब न केवल सशस्त्र हमला किया जा रहा है बल्कि इस छोटे देश पर अमरीकी साम्राज्यवादी बलों द्वारा आर्थिक रूप से भी हमला किया जा रहा है। अमरीका ने मई, 1985 में इस देश पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए थे। गरीबी हटाने के लिए लड़ रहे 30 लाख जन-संख्या वाले इस देश पर अमरीका द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं तथा सैनिकों द्वारा हमला करवाया जा रहा है। अभी तक 4000 लोगों को मार दिया गया है और 8000 जख्मी हुए हैं अथवा अमरीका से वित्तीय सहायता प्राप्त किराए के सैनिकों (कोंतरा) द्वारा अपहृत कर लिए गए हैं। इन आपराधिक गतिविधियों की इस सभा द्वारा आलोचना की जानी चाहिए।

महोदय, अमरीका का यह षड्यन्त्र है कि भारत को चारों ओर से अमरीकी साम्राज्यवाद के समक्ष झुकने वाली प्रतिक्रियावादी सरकारों से घेर लिया जाए। वे भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को आधुनिक शस्त्र दे रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी श्रीलंका में जातीय विवाद का लाभ उठाकर भारत में कट्टरता की भावना जागृत करना चाहते हैं। वे देश को खण्डित करने के लिए अन्दरूनी अलगाववादियों का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश तथा हिन्द महासागर में अपने अड्डे बना कर भारत को चारों ओर से घेर लेना चाहते हैं। हिन्द महासागर के डिएगो-गार्शिया में उनका स्थायी सैनिक अड्डा है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कोरिया और वियतनाम में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं और फिली-स्तीनी मुक्ति आन्दोलन को समाप्त करने के लिए इसराइल में क्या कर रहे हैं। आजकल अमरीकी साम्राज्यवादी निकारागुआ में भी यही सब कर रहे हैं।

भारत सरकार को गुट-निरपेक्ष राष्ट्र आन्दोलन का अध्यक्ष होने के नाते निकारागुआ की सरकार का समर्थन करना चाहिए। अमरीका की सरकार को दृढ़तापूर्वक यह बता दिया जाना चाहिए

कि निकारागुआ के विरुद्ध आक्रामक गतिविधियां तत्काल समाप्त की जाएं तथा शान्ति, न्याय और अखण्डता की रक्षा के लिए निकारागुआ की वीरतापूर्ण लड़ाई के समर्थन में सभी गुट-निरपेक्ष देशों तथा विश्व की राय अमेरिका के सामने रखी जानी चाहिए।

मैं निकारागुआ के राष्ट्रपति श्री साबाडेरा के एक पत्र में से उद्धरण से अपनी बात समाप्त करता हूं :

> "निकारागुआ के लोग शान्ति और न्याय के अपने अधिकार के लिए इस विश्वास पर अपना खून बहाते रहेंगे कि बल प्रयोग की नीतियों पर तर्क और बुद्धिमता की जीत होगी और मध्य अमेरिका में शान्ति होकर रहेगी।"

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे निकारागुआ मे साम्राज्य-वादियों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष के समर्थन में इस सभा में एक संकल्प पारित किया जाए। निकारा-गुआ की जनता को हमारे नैतिक, आर्थिक एवं सभी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है। अत: हमें आगे बढ़कर उनके संघर्ष के समर्थन में अपनी निष्ठा प्रकट करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जो बातें इस सिलसिले में थीं वह हमारे मित्र ने भी कही हैं। मेरा कहना यही है कि अमेरिका हमेशा गलत घोड़े को शह देता है। निकारागुआ में एक सही ढंग की सरकार है और उसे हर तरह से तंग करने की कोशिश की जाती है। इकोनमिक एग्रेशन पोलिटिकल एग्रेशन से ज्यादा बड़ा होता है। उसकी तबाही धीरे-धीरे महसूस होती है। अमेरिका गुरिल्ला की मदद कर रहा है और इकोनमिक ब्लौकेड भी कर रहा है। वहां से जो चीनी अलग-अलग देशों को जाती थी, वह चीनी जानी बन्द हो गई है। यानि कि वहां का एक्सपोर्ट बिल्कुल ठप्प हो गया है।

यहां तक कि अमेरिका ने विश्व-बैंक पर भी प्रैशर डाला है कि वह निकारागुआ की मदद न करे। निकारागुआ की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है। कल जैसा कि राज्य सभा में डिसकशन हुआ, उसको सुनकर मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि भारत सरकार ने कहा कि हम निकारागुआ की जनता और सरकार के साथ हैं। श्रीमन्, वक्त आ गया है कि हमने एक डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट की मदद की है। पहले जब चीन जापान की इम्पीरियलिस्ट सरकार से लड़ रहा था उस समय भी हमने चीन की मदद की थी। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार का जो स्टैंड है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। हम एक स्वर से भारत सरकार के हाथों को मजबूत करें और कहें कि हम निकारागुआ की जनता के साथ हैं।

जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हमें दुनिया में जनमत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि जनमत बना नहीं होता तो रेगन की सरकार मारकोस के साथ चिपकी रहती और एक्विनो की जो सरकार निर्वाचित होकर आई है जिसने कि सही इलेक्शन जीता है, वह पावर में नहीं आ सकती

थी। रेगन को लाचार होकर एक्विनों की मदद करनी पड़ी। हमारी इस आवाज को दुनिया में सुना जायेगा।

हमें अमेरिकन जनता और अमेरिकी सरकार के बीच में भेद करना चाहिए। अभी भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि अमेरिकी सरकार की दादागिरी को पसन्द नहीं करता। यदि हम एक पब्लिक अपोनियन बना सकें तो दुनिया को इन मामलों में एक बहुत बड़ा नैतिक सहारा मिल जाएगा। अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमारी पूरी सहानुभूति निकारागुआ की सरकार और जनता के साथ है।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मुझे सन्तोष है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण बहस के लिए कुछ समय, चाहे वह कितना ही कम हो, आवंटित किया गया है, यदि सरकार इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर सहमत हो जाती तो मुझे प्रसन्नता होती। लेकिन दुर्भाग्य से, मुझे बताया गया है कि यह सम्भव नहीं है। अतः हमें अब केवल अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। इस विषय में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। यह एक ऐसी संसद है जो अभी भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष है। अतः महोदय, निकारागुआ को हमारे सक्रिय समर्थन तथा सहानुभूति पाने का पूरा अधिकार है—मैं तो कहूंगा वह इसके लिए दावा कर सकता है—जबकि वह अपनी स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता के विरुद्ध बढ़ती हुई धमकियों—आक्रामक धमकियों—के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां जो कि कई देशों के विरुद्ध की जाती हैं, सामान्यता चोरी-छिपे की जाती हैं। हम भी इसके शिकार हुए हैं। और आप देखिए कि हम श्री भगत के कुछ दिन पूर्व यह कहने के बावजूद कि आतंकवादियों को सीमा के उस पार पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिए जाने के पक्के सबूत हमारे पास हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हम असहाय हैं, हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। यह सब गुप्त रूप से हो रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। हिन्द महासागर स्थित डिएगो गार्सिया में अड्डे हैं जो कि स्पष्टतया हमारे लिए एक खतरा हैं। हमारे प्रधान मंत्री की देश में ही हत्या कर दी गई। अतः यह समझना हमारे लिए कठिन नहीं है कि निकारागुआ जैसे छोटे देश को, जोकि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के इतने निकट स्थित है, और जिसकी आबादी केवल 30 लाख है, केवल इसलिए धमकाया जा रहा है कि जो तानाशाह वहां था वह एक अमरीकी कठपुतली है। इन सन्दिनो सैनिकों का वहां के लोगों द्वारा तख्ता पलट दिया गया ठीक उसी तरह जिस प्रकार हमने फिलीपीन्स में मार्कोस का तख्ता पलटते हुए देखा। इन अमरीकी साम्राज्यवादी तानाशाहों का, जोकि अपने लोगों से पूरी तरह कटे हुए हैं, प्रत्येक जगह तख्ता पलट दिया जायेगा और महोदय, इस मामले में, वह एक ऐसी सरकार है जो साम्यवादी नहीं है—यह डैनियल ओर्टेगा की सरकार है जो देश के राष्ट्रपति हैं और केवल 38 वर्ष के हैं।

वह साम्यवादी नहीं हैं और उस देश को धमकी दी जा रही है क्योंकि वे गुट-निरपेक्ष

आन्दोलन के सदस्य हैं। साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं, वे अपनी स्वतन्त्रता और आजादी की रक्षा करना चाहते हैं।

कुछ देर पहले ऐसा कुछ कहा गया कि अमरीकी कहते हैं कि दरअसल निकारागुआ आस-पास के दूसरे देशों के साथ गठजोड़ कर सकता है और इसलिए अमेरिकी सुरक्षा के हित में कार्यवाही करना आवश्यक है। यह बहाना है, लेकिन हर कोई जानता है कि लैटिन अमेरिकी देशों में से बहुत से प्रमुख, बड़े देश—कान्टाडोरा समूह जो कि मैक्सिको, पनामा, कोलम्बिया तथा वेनेजुएला से मिलकर बना है, बहुत लम्बे समय से सक्रिय रूप से प्रयत्न कर रहे हैं कि एक शान्तिपूर्ण समझौते पर बातचीत द्वारा पहुंचा जा सके और उस क्षेत्र के देशों की स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता पर जो बाहरी खतरे हैं उनका सामना किया जा सके और उन्हें रोका जा सके। इन देशों को ब्राजील, अर्जेन्टाइना, पेरु और उरुग्वे का समर्थन प्राप्त है, यहां उस महाद्वीप के आठ बड़े देश हैं, उनमें से कोई भी साम्यवादी देश, और यहां तक कि समाजवादी देश भी नहीं है, वे उस क्षेत्र में, अपने महाद्वीप में बाहरी आक्रमण तथा बाहरी धमकियों को टालने के लिए कटिबद्ध हैं।

अतः, हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद का निशाना गुट-निरपेक्ष आन्दोलन है। स्वयं अपने देश में हमने इस कारण मुसीबत उठाई है। हमें चारों ओर से घेरा भी जा रहा है, हम जानते हैं कि बंगलादेश के मुजीब को भी इसी कारण रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि उनका अपराध यह था कि वे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के कट्टर समर्थक थे तथा भारत के साथ उनके मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे।

1.06 म० प०

(श्रीमती वसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

अब, भारत के एक और मित्र, स्वीडन के प्रधान मंत्री जी ओलोफ पामे की हत्या कर दी गई जो कि उन छः सदस्यों में से एक थे जिनको छः के समूह के रूप में एक स्थान पर लाने में हमारी भारत सरकार ने पहल की तथा जो शान्ति, निशस्त्रीकरण तथा ऐसी ही अन्य बातों के हित में दुनिया भर में बहुत बातों में पहल करता आ रहा है, किसने उन्हें मारा, यह सिद्ध नहीं हो सका है। लेकिन इसके पीछे किसी का हाथ होने का हमें पूरा सन्देह है। लेकिन अमेरिका में, चोरी-छिपे काम करने का प्रश्न नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की कांग्रेस से उन प्रति-क्रान्तिकारियों को सहायता देने के लिए, जो निकारागुआ से भाग खड़े हुए हैं और जो सामोजा का तख्ता पलटे जाने से पूर्व उसके भाड़े के सिपाही थे और जो अब ह्यौन्डुएस तथा कोस्टारिका को पड़ोसी देशों में जमे हुए हैं, 100 मिलियन डालर की राशि स्वीकृत करने के लिए खुलेआम कहा जा रहा है तथा निकारागुआ मुक्ति आन्दोलन का गला घोटने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा भारी पैमाने पर उन्हें हथियारों से और धन से सहायता दी जा रही है।

महोदया, अतः मैं केवल यह कहूंगा कि हमने हाल ही में निकारागुआ से पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं। यह एक सुखद घटना है। और हमारे देश में निकारागुआ की राजदूत एक महिला है, जिनके पिताजी भारतीय थे और मेरे राज्य के ही एक बंगाली थे, उन्होंने अपील की है और सार्वजनिक रूप से, भारत से सहायता के लिए एक जोरदार अपील की है। यह केवल नैतिक तथा

राजनैतिक समर्थन ही नहीं चाहतीं। वह हम अवश्य देंगे, लेकिन दवाइयों, रक्त प्लाजा आदि वस्तुओं के रूप में भी कुछ सहायता भी देंगे। और वे हमसे हथियार नहीं मांग रहे हैं। लेकिन वे कागज और पेन्सिल मांग रहे हैं क्योंकि वे निरक्षरता से लोहा लेना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि उस जैसा देश निरक्षता के खिलाफ संघर्ष को कैसी प्राथमिकता दे रहा है। क्या हम उन्हें कागज और पेन्सिल की आपूर्ति नहीं कर सकते, और उन्हें दवाइयां, कपड़े तथा अन्य वस्तुएं, जिनकी उन्हें अपने संघर्ष के दौरान आवश्यकता है, नहीं भेंट कर सकते ?

निस्सन्देह, सरकार द्वारा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के एक सदस्य को समर्थन न देने का कोई प्रश्न ही नहीं है, विशेषकर एक ऐसे खतरे के विरुद्ध, जिसका यदि समय पर मुकाबला नहीं किया गया तो वह दुनिया भर में फैल जाएगा। पहले से ही यह अपने आकार-प्रकार में विश्वव्यापी है; और स्वयं हमारा देश भी उसका शिकार है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से, जिस समय वह उत्तर दे रहे होंगे, और अधिक स्पष्ट रूप में यह जानना चाहूंगा कि हमारा क्या करने का प्रस्ताव है।

यहां भाषण देना बहुत अच्छा है। मुझे खेद है कि इसी विषय पर कल राज्य सभा में हुई चर्चा को प्रेस में लगभग पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है, हमारे महान् राष्ट्रीय प्रेस में इस बारे में एक भी शब्द नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे प्रेस की किस प्रकार की प्राथमिकताएं हैं। मैं दीर्घा में बैठे हुए पत्रकारों को दोष नहीं देता हूं लेकिन जो इन अखबारों का प्रबन्ध करते हैं तथा उनके स्वामी हैं, उन्हें जरूर दोष देता हूं ? ये लोग इन बातों में जरा भी रुचि नहीं रखते। मुझे आशा है कि हमारे सदन को प्रेस के हाथों अच्छा व्यवहार प्राप्त होगा। खैर जो भी हो, मैं उनसे अधिक ठोस रूप में यह जानना चाहूंगा—यह मेरा अन्तिम सुझाव है—कि क्या सरकार "निकारागुआ को सहायता देने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति" की नियुक्ति किए जाने के विचार का समर्थन करेंगी। जरूरी नहीं कि यह एक सरकारी समिति हो, यह विभिन्न देशों के संसद सदस्यों की एक गैर-सरकारी समिति होगी।

यहां, हमारा दलगत भेदों से कोई लेना-देना नहीं और उस समिति के माध्यम से हम निकारागुआ के लोगों से सहानुभूति के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ कर सकते हैं और धन, साज-सामान तथा ऐसी ही अन्य चीजों को एकत्र करने का काम किया जा सकता है। और मैं तो कहूंगा कि यदि आवश्यक हो तो सरकार को, किसी प्रकार का एक सहानुभूति मिशन, एक सद्भावनापूर्ण सहानुभूति मिशन भारत की संसद की ओर से निकारागुआ भेजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे सहायता दी जानी चाहिए जो कि वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से हमारा समर्थन और सहानुभूति प्रकट करे जैसा कि हमने चीन के मामले में किया था जब कि वे जापानी आक्रमण के विरुद्ध उन दिनों लड़ रहे थे, और जैसा कि हमने स्पेन के मामले में किया जहां पण्डित नेहरू स्वयं गए। अतः, कोई कारण नहीं कि लैटिन अमेरिका के महान् महाद्वीप के लिए, जिसके साथ हाल के वर्षों में हमने कुछ सार्थक सम्बन्ध बना लिए हैं, और जिस देश की आर्थिक नाकेबन्दी की जा रही है तथा सैनिक कार्यवाही से धमकाया जा रहा है, और जो हमारी सहायता मांग रहा है, उसके लिए हम कुछ ठोस न करें। मुझे आशा है कि अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी दिखाएंगे कि हम समर्थन के एक पवित्र प्रस्ताव द्वारा ही बात समाप्त नहीं कर देंगे, बल्कि कुछ ठोस कदम भी उठाएंगे।

श्री एडुआर्डो फैलोरो (मारमागाओ) : इस सभा में निकारागुआ पर आयोजित इस चर्चा का मेरे साथियों द्वारा जो स्वागत किया गया है। इसमें मैं उनके साथ हूं। निकारागुआ हमसे बहुत दूर स्थित है। साथ ही, यह चर्चा आज 6 बजे निर्धारित की गयी थी लेकिन इस बात की दोहरी सराहना की जानी चाहिए कि यह चर्चा हो रही है और इस समय चर्चा होने से पता चलता है कि निकारागुआ की स्थिति के सम्बन्ध में हम सचमुच चिन्तित हैं।

विदेश नीति के मुददे पर सभा में मोटे तौर पर मतैक्य है और चरेलू मामलों के सम्बन्ध में हम भले ही कितना ही भिन्न-भिन्न रुख अपनायें, विदेश नीति के सम्बन्ध में हममें यह मतैक्य है, मतैक्य जो कि कल ही स्थापित नहीं किया गया था वरन् एक ऐसा मतैक्य जो हमारे स्वतन्त्रता प्राप्त करने से भी पहले स्थापित हो चुका था; और विदेश नीति पर इस मतैक्य के स्तम्भ हैं—साम्राज्यवाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, इसी संदर्भ में इस सभा में एक चर्चा बहुत संगत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो,कि हमेशा ही तथा प्रत्येक चीज के लिए अमेरिका-विरोधी बातें करते हैं। अमेरिकी समाज तथा अमेरिकी सभ्यता की कई विशेषताओं के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है, विश्व की सभ्यता को उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के प्रति सम्मान रखता हूं। यह भी सही है कि जब लैटिन अमेरिका, या मध्य अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की बात आती है, तो इस देशों को "कदली गणतन्त्र" कहते हैं क्योंकि संयुक्त राज्य की खाद्य कम्पनियां उनका इस तरह शोषण करती थीं मानों वे उनके राज्य के ही अंग हों; हमेशा ही संयुक्त राज्य के अधिराज्य की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था; और हमेशा ही पिछली एक शताब्दी से भी अधिक समय से, जब से उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त की, अमेरिकी प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखा कि वे उस व्यवस्था की सुरक्षा करें जिसे जनरल आइजनहावर के शासन काल के बाद उनके सैनिक-औद्योगिक ढांचे के रूप में जाना जाता है और जो संयुक्त में वास्तविक शासन करता है भले ही रीगन नाम का या कार्टर नाम का कोई राष्ट्रपति भी हो। लेकिन स्थायी क्या है? आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति बदल रहा है। लेकिन स्थायी रही जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, फूड कम्पनी; और ये सब कम्पनियां संयुक्य राज्य के औद्योगिक-सैनिक ढांचे का निर्माण करती हैं। और पेंटागन, जो औद्योगिक-सैनिक ढांचे का अंग भी है, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अमेरिकी व्यापारिक हित सुरक्षित रहें। अमेरिकी विदेश नीति में यह महत्वपूर्ण शब्द है। हमारी विदेश नीति तथा अमेरिकी विदेश नीति में केवल एक ही शब्द है, अर्थात, व्यापार और केवल व्यापार; और इसी-लिये विभिन्न प्रकार के तानाशाह हैं जिनको जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है जिन्होंने सैनिक औद्योगिक ढांचे से गठजोड़ करके लोगों का शोषण किया, और संयुक्त राज्य के सैनिक-औद्योगिक ढांचे में, जो कि इन मध्य अमेरिकी तथा दक्षिण अमेरिकी गणतन्त्रों का जिन्हें "कदली गणतन्त्र" नाम से जाना जाता है, शासन करता था, वे शामिल हो गये, क्योंकि वे संयुक्त राज्य की खाद्य कम्पनियों की जागीर थे।

इनमें जो सबसे बुरे थे उनमें से एक थे श्री एम० सामोजा। वह एक सामोजा नहीं थे; एक ही बहुत बुरा था; यह तो सामोजाओं का परिवार ही था। एक शोषण करता था और फिर मर जाता था, और फिर लड़का उत्तराधिकारी बन जाता था। अब हम "पापा डोक" के बारे में बात कर रहे हैं, और पापा डोक से पहले हैती में कई पापा डोक थे जो कि कुप्रसिद्ध तथा प्रसिद्ध हो गये थे। इन

लोगों में से कुछ हैती के पापा डॉक या बेबी डॉक से जरा भी अच्छे नहीं थे। अब निकारागुआ के लोग तंग आ गये और उन्होंने सामोजा का तख्ता पलट दिया; और सामोजा, पिता और शासक, की उचित मरहम-पट्टी तब हुई जब वह निकारागुआ में नहीं वरन् कहीं और मारे गये। और ये युवा लोग सत्ता में आये। निकारागुआ क्या है? निकारागुआ की जनसंख्या 3.5 मिलियन है जिसमें से 55 प्रतिशत लोगों की आयु 16 वर्ष से कम है। वर्तमान स्थिति यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका, जो संसार का सबसे शक्तिशाली देश है, यहूदी राष्ट्र से लड़ रहा है और क्या हमें चुप्पी साध लेनी चाहिये? क्या हमें चुप रहना चाहिए?

4 नवम्बर, 1984 को निकारागुआ के इतिहास में पहली बार प्रजातान्त्रिक चुनाव हुये। और ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीडन की एक संस्था की तथा एक ऐसे देश की संस्था की देख-रेख में हुए जो सामान्यतः संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति का समर्थन करती है, या एक गैर सरकारी संस्था है जो साधारणतया संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति का समर्थन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह स्वीकार किया कि चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से हुए हैं और इस प्रकार वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई है। यहां यह भी कहा गया है कि यह कम्युनिस्ट सरकार नहीं है। वास्तव में मैं सोचता हूं कि संसार के देशों में यह एक ऐसा देश है जहां मन्त्रि स्तर पर इसाई पादरियों की संख्या सर्वाधिक है और एक सामान्यतया कोई भी यह आशा नहीं करता कि इसाई पादरी भी साम्यवादी होते हैं। यह परस्पर-विरोधी है। परन्तु विदेश मन्त्री एक इसाई पादरी हैं, सांस्कृतिक मन्त्री तथा वहां के वरिष्ठतम मन्त्री भी इसाई पादरी हैं।

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : वे गांधीवादी हैं। वे ऐसा संसार की आत्मिक जागृति के लिए कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वे महात्मा गांधी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को दिया गया समय अब समाप्त हो गया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदया, मैं वहां दो बार जा चुका हूं। प्रथम बार मैं चुनाव होने से पहले गया था तथा दुबारा चुनाव होने के बाद गया था। वहां की स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखी है। मुझे कुछ और समय की आवश्यकता है।

मैंने लोगों को गावों में शराबखानों में और अपने घरों में करेजो सरकार की जीत पर खुशियां मनाते देखा है। जब वह युवकों की सरकार अस्तित्व में आई तो लोगों को पता था कि उन्हें इस सरकार का समर्थन करना है। संयुक्त राज्य अमरीका और श्री रीगन क्या कर रहे हैं? वे इन लोगों को अपने तेज गति वाले एफ-7 जैसे बमवर्षक विमानों से तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदया आपने तो घंटी बजा दी, इस बारे में कुछ ठोस सुझाव देने दीजिए।

मैंने यह देखा है कि हमारी विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है और

इस प्रकार गुटनिरपेक्ष तथा अहस्तक्षेप जैसे सिद्धान्तों के प्रति, जिनके प्रति हम वचनबद्ध हैं, पुनः अपनी निष्ठा व्यक्त करना है। परन्तु इन सिद्धान्तों को लागू करने के लिए हमने क्या किया है ?

हमारे एक मन्त्री महोदय हैं जो एक राजनैतिक व्यक्ति हैं और स्वतन्त्रता संग्राम में अग्रणी रहे हैं। अतः गुटनिरपेक्षता का समस्त सिद्धान्त एवं नीति एक ऐसी नीति है जो कुछ सालों से अस्तित्व में है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें हमारा योगदान बहुत कम और संयुक्त राष्ट्र में दिये गये अलंकार युक्त वक्तव्य से कुछ अधिक नहीं रहा है। गुटनिरपेक्षता के क्षेत्र में अभी तक हमने जो कार्य किया है उससे कहीं अधिक कार्य हमें और करना है।

उस छोटे से देश की दशा की ओर गौर कीजिए जो ऋण भार से दबा पड़ा है। हमने उसकी सहायता के लिए क्या किया है ? उनके कष्टों में सहायता करने के लिए हमने क्या किया है ? मैं जानता हूं कि एक आर्थिक मिशन निकारागुआ जा रहा है। परन्तु उसमें देर होने के क्या कारण हैं ? निकारागुआ के लोगों ने मुझे बताया कि उनको एक पेपर रीसाईकलिंग मशीन चाहिए। हमारा आर्थिक मिशन वहां पहुंचे उससे पहले ही उनको यह मशीन चाहिए। इस मशीन की कीमत आर्थिक मिशन में जा रहे एक सदस्य पर होने वाले खर्च से भी कम होगी। मुझे बताया गया है कि सात सदस्यों का दल जा रहा है। वहां के लोग पैसा नहीं मांगते। उनको वस्त्र और ऐसी ही वस्तुयें चाहिए।

उनको जो विभिन्न वस्तुयें चाहिए यदि वे हम समय पर उनको नहीं दे सकते तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है हम उनके लिए कर ही क्या रहे हैं ?

मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा और मैं यह पहले ही इस सभा में कह चुका हूं। हमारे कूट-नीतिज्ञ संसार में सबसे अच्छे है यहां तक कि बहुत विकसित देशों से भी अच्छे हैं। परन्तु हमारे कूट-नीतिज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं। हमने उनको बता दिया है कि हमने अंग्रेजी नौकरशाही प्रणाली का अनुसरण किया है। वे प्रशिक्षित नहीं हैं : वे राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करना है। भारतीय जनता साम्राज्यवाद एवं उप-निवेषवाद के विरुद्ध है क्योंकि वे पहले ही अंग्रेजी दासता की बेड़ियों में रह चुकी है। अतः भारतीय जनता के रूप में हम निकारागुआ के लोगों का ठोस समर्थन करते हैं। यह हमारी कूटनीति से सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली के तहत हमारे कूटनीतिज्ञ जनता के लिए नहीं हैं, ब्रिटिश प्रणाली के अधीन हमारी नीति जनता के लिए नहीं है और हमें इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है कि हमारी कोई भावनायें ही न हों। और इसलिए सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि हमें आर्थिक मिशन के बावेला और इसी प्रकार की बातों को जो हमेशा चलती रहती हैं, को भूल जाना चाहिए। हमें कुछ न कुछ तुरन्त करना चाहिए। अब क्या हम अमरीका के लोगों से डरते हैं, नहीं जैसाकि हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बताया है कि हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए चाहे यह अमरीका हो या सोवियत संघ, हम किसी से नहीं डरते हैं। पंडित नेहरू ने यही कहा था और श्री राजीव गांधी भी यही कह रहे हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं चाहे यह संयुक्त राज्य अमरीका हो, चाहे सोवियत संघ, चीन या

कोई दूसरा देश हो। हम अपने सिद्धान्तों के पक्के हैं। आपको चिन्ता केवल तब करनी चाहिए जबकि हम सिद्धान्तों के विरुद्ध चलते हों। मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत से देश हैं जो संयुक्त राज्य अमरीका के मित्र हैं और निकारागुआ के लोगों की सहायता कर रहे हैं। ई० ई० सी० एक समूह के रूप में उनकी सहायता कर रहा है। जब मैं वहां गया था, तो मैं ई० ई० सी० के वरिष्ठ अधिकारी से मिला था जो वहां ई० ई० सी० की योजना के अन्तर्गत निकारागुआ के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए था। अब ई० ई० सी० ने 12 नवम्बर को लक्समबर्ग में एक बैठक में निर्णय लिया है और निकारागुआ के लोगों को आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है। दो दिन पहले इटली और स्पेन आर्थिक सहायता के एक संयुक्त समझौते पर भी सहमत हुए हैं इसके अतिरिक्त इटली, स्पेन, जर्मनी डेनमार्क, स्वीडन, हालैंड, फिनलैंड, फ्रांस ऐसे देश हैं जो पश्चिमी गठबन्धन से सम्बन्धित हैं और सामान्यतया संयुक्त राज्य अमरीका का इसकी विदेशी नीति के मामले में समर्थन करते हैं। वे निकारागुआ को ठोस आर्थिक सहायता दे रहे हैं। अब हमें भी कुछ ठोस कार्यवाही करने दो। मैं अपने मंत्री से जो एक राजनीतिक मंत्री हैं, इस देश की सहायता करने का अनुरोध करता हूं जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बनी रहे।

अब हम दूतावास के बारे में बात कर रहे हैं। हमें उसे कोई भवन या कुछ सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे कार्य कर सकें। यह एक छोटा सा देश है यहां पर उपस्थित सभी बनियों को उचित सम्मान देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमें बनिया प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। हमें आगे बढ़कर उनकी थोड़ी सी सहायता करनी चाहिए। हमारा देश एक गरीब देश है। हम कम दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम निकारागुआ के लोगों में बांट सकते हैं जैसा कि हमने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ किया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जन संगठन से लोगों के साथ और विश्व के अन्य पददलित लोगों के साथ किया है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं एक उद्धरण से आरम्भ करता हूं जो मैं समझता हूं कि स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रखेगा। इससे ज्ञात होता है कि श्री रीगन और उनके नेतृत्व में अमरीकी प्रशासन निकारागुआ में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में करने का प्रयास कर रहा है और किस प्रकार उनकी नेतागीरी और हस्तक्षेप से तीसरी दुनियां के देशों की स्वतन्त्रता और अखण्डता पर साम्राज्यवादी आक्रमण हो रहा है। मैं श्री रीगन के बारे में निम्न पंक्तियां उद्धृत करता हूं :

> "वह दिन में केवल 3 या 4 घंटे काम करते हैं। वह सोच विचार करके कार्य नहीं करते हैं। वह अपने कार्य से संबंधित विवरण दस्तावेज नहीं पढ़ते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति हैं।"

ये विचार हाउस आफ० रिप्रेजेन्टेटिव के अध्यक्ष श्री थामस पी० ओ० नील जूनियर के हैं। इन विचारों द्वारा उन्होंने रीगन के प्रशासन की दार्शनिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जो निकारागुआ में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। निकारागुआ एक छोटा देश हो सकता है। लेकिन इसे सहायता की आवश्यकता है और हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन उससे भी अधिक निकारागुआ को साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने के एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना होगा,

क्योंकि सी० आई० ए० के नेतृत्व में गुप्त कार्यों द्वारा अमरीकी हस्तक्षेप केवल निकारागुआ में ही नहीं, बल्कि भारत के साथ-साथ विश्व के दूसरे भागों में भी हो रहा है। निकारागुआ ने अमरीकी साम्राज्यवाद के आक्रमण से हानि उठाई है। पिछले 8 वर्षों से इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि घृणित सोमोजा राज्य को किस प्रकार संगठित कम्युनिस्ट ग्रुप ने ही नहीं बल्कि निकारागुआ के लोगों ने उखाड़ फैंका था जिन्होंने पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से पूर्व निर्दयी और जंगली राज्य देखा था। अमरीकी सुरक्षा के नाम से अपने हितसाधन के लिए अमरीकी लोग सारे मध्य अमरीका को अपना चरागाह समझते थे। वे सैनिक तानाशाहों के नेतृत्व में घृणित सैनिक गुटों का शासन थोप रहे हैं।

महोदय, जब हम निकारागुआ और समोजा की और उसके बाद क्या हुआ इसकी बात करते हैं, तो हमें इसी तरह से दूसरे देशों की स्थिति याद आ जाती है। श्री इन्द्रजीत गुप्त 'बेबी डाक' और "पापा डाक" का हवाला दे रहे थे। उससे भी अधिक दक्षिण अमरीका में नरसंहार हुआ। इस नरसंहार प्राटोरिया शासन, रंगभेद शासन के लोगों—स्वतन्त्रता प्रेमी लोगों के दमन और नामीबिया में उनके वीरतापूर्ण संघर्ष के पीछे कौन लोग हैं? ईजराइलियों भी फासिस्टवादी गतिविधियों, फिलिस्तीन के लोगों के नरसंहार के पीछे किसका हाथ है। इसलिए अमरीकी आधिपत्य के कुछ चिह्न मिलते हैं और इसी तरह से निकारागुआ को समझा गया है। उस समय हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उन बातों को याद करते हैं कि किस प्रकार निकारागुआ के लोगों पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए गए, बन्दरगाहों में किस प्रकार सुरंग बिछाई गई, आर्थिक नाकेबन्दी की योजना बनाई गयी। इस वाद विवाद के दौरान इस बात का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि निकारागुआ की सरकार इस बन्दरगाह में सुरंग लगाने के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। जब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अमरीका पर इसके हस्तक्षेप के कारण अभियोग लगाया तो अमरीका ने चुपचाप कहा :

> "हमें इसमें कोई रुचि नहीं है और इसलिए अब हम किसी द्विपक्षीय विवाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जायेंगे।"

जब इस मामले सी० आई० ए० ने कार्य शुरू किया तो मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि किस प्रकार श्री रीगन ने अमरीकी जनमत, राज्य के तंत्र, सीनेटर गोल्डवाटर, जोकि तृतीय विश्व देशों के मित्र नहीं है, को भी नजर अन्दाज कर दिया। वह हठधर्मी, कट्टर रूढ़िवादी हैं। उसने सी० आई० ए० के अध्यक्ष श्री विलियम कैसीन को लिखे गए एक पत्र में लिखा है। उनका यह कहना है और मैं उसे उद्धृत करता हूं।

> "मैं पिछले सारे सप्ताह इस बात का प्रयत्न करता रहा कि मध्य अमरीका के बन्दरगाहों में सुरंग लगाने की जो अनुमति राष्ट्रपति ने दी उसके बारे में मैं आपको अपनी भावनाओं को कैसे बताऊं। इसे एक छोटे से सरल वाक्य में कहा जा सकता है..."

यह असंसदीय है लेकिन चूंकि मैं उनकी बात को उद्धृत कर रहा हूं इसलिए मुझे इसे अवश्य उद्धृत करना होगा :

**

वह आगे कहते हैं :

"बिल, यह रेल-सड़क चलाने का कोई ढंग नहीं है और मैं अपने आपको असमंजस में पाता हूं···राष्ट्रपति ने हमें उनकी विदेश नीति का समर्थन करने के लिए कहा है। बिल, हम उनकी विदेशी नीति का किस प्रकार समर्थन कर सकते हैं जबकि हमें यह मालूम नही है कि वह क्या कर रहे हैं ? हां, हम सबको पता है कि उन्होंने लेबनान में फौज भेजी थी, लेकिन निकारागुआ के बन्दरगाहों में सुरंग लगाओ ? यह तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना है। यह एक युद्ध की कार्यवाही है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं।"

श्री बी० आर० भगत : वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे !

प्रो० के० के० तिवारी : हां, वह राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार थे, अमरीका की बहुत प्रसिद्ध हस्ती थे, लेकिन अमरीकी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून, संधियों और परंपराओं का उल्लंघन करते हुए वे समूचे विश्व में इस प्रकार की अस्थिरता पैदा करने और हस्तक्षेप के कार्य में लगे हुए हैं। निकारागुआ में जो हो रहा है, वह एक अघोषित युद्ध है। अतः गुटनिरपेक्ष देशों के नेता के रूप में हम जो कुछ करना चाहते हैं उसे हमें तुरन्त करना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से राष्ट्र को दबाये जाने की कोशिश की जा रही है।

मैं अमरीकी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए खतरे, राष्ट्रों, चाहे वे छोटे हैं या बड़े, की सार्वभौमिकता को सुव्यवस्थित रूप से समाप्त करने के ढंग, तथा उनके अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के प्राधिकार के महत्व को कम करने के ढंग की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से मामला वापस ले लिया है। अब वे संयुक्त राष्ट्र संघ में एक नई संकल्पना का प्रतिपादन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चूंकि वे संयुक्त राष्ट्र संघ को धन देते हैं और उनका अंशदान सबसे अधिक है, इसलिए इनका उसमें बोल बाला होना चाहिए। उनका कहना है कि सदस्य राष्ट्र का महत्व इस बात पर निर्भर होगा कि वह कितना अंशदान करते हैं और उन्होंने अपनी कांग्रेस में एक संकल्प पारित किया है कि 1987 के बाद वे संयुक्त राष्ट्र संघ को अंशदान नहीं करेंगे। अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के प्राधिकार के महत्व को कम करने और समस्त विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों का गला घोटने का प्रयास है। अतः यह आवश्यक है कि हम विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर निकारागुआ के लोगों के संघर्ष में उनकी मदद करें। क्योंकि वह अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है जो निकारागुआ की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और एकता को समाप्त करना चाहता है। श्री गुप्त जी ने हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया। जो देश अपेक्षाकृत स्थिरता हासिल कर चुके हैं और विशाल हैं उनके नेताओं की

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हत्या की जा रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी गुट-निरपेक्ष देशों की नेता थीं। और आज के विश्व के इतिहास में सबसे महान नेता थीं। उनकी हत्या की गई। औद्योगिक देशों के महान नेता ओलाफ पाल्मे की हत्या की गई। उनमें तृतीय के विश्व देशों के तथा विकासशील राष्ट्रों को आशा की किरण नजर आ रही थी। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में थे तो वह एक महान हस्ती थे और उन्होंने अमरीका को चुनौती दी थी और कहा था ठीक है आप अपनी सदस्यता के बारे में निर्णय ले सकते हैं किन्तु जहां तक धन का सम्बन्ध है विश्व के सभी देश चाहे वे तृतीय देशों से हों या औद्योगिक विश्व से हों, सब मिलकर अंशदान करेंगे और संयुक्त राष्ट्रसंघ को कायम रखेंगे। अतः अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सी० आई० ए० की भद्दी चाल अब सारे विश्व में नजर आने लगी है। अन्त में मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार हाईग्रेव प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों कर रही है जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की साजिश की बात कही गई है। हार्डग्रेव में अमरीका के विदेश विभाग के अनुदेश पर अध्ययन किया था यह प्रतिवेदन 1983 में आ चुका था उसमें सम्पूर्ण भारत की स्थिति चित्रित की गई थी। उसमें कहा गया कि क्या कुछ होगा और इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद किस तरह से भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। यह प्रतिवेदन अमरीका में उपलब्ध है। जिसे सी० आई० ए० ने तैयार किया था। कम से कम मुझे तो सी० आई० ए० का इसमें हाथ दोनों के बारे कोई संदेह नहीं है। प्रायः विदेशी ताकतों के हाथ होने की चर्चा की गई है किन्तु इन्दिरा गांधी की हत्या में सी० आई० ए० का हाथ अवश्य रहा है। हार्डग्रेव के प्रतिवेदन को भारत में प्रकाशित किया जाना चाहिए और इस सभा के सभी सदस्यों को उसकी प्रति उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि निकारागुआ में लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं शांतिप्रिय ताकतों को सुदृढ़ करने के लिए हमें राजनयिक तथा अन्य सभी तरह की सहायता करनी चाहिये और निकारागुआ पर साम्राज्यवादी ताकतों के आक्रमण को रोकना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदया, मुझे बहुत कम समय दिया गया है और इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

मैं इस सभा का तथा आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दो महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक मुद्दे के बारे में श्री फैलीरो जी पहले ही कह चुके हैं। वह मुद्दा भारत में निकारागुआ के राजदूतावास के लिए जगह देने के बारे में है। (व्यवधान) उन्होंने इसका अनुरोध किया है, किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। मैं इस मुद्दे के बारे में विस्तार से कहने नहीं जा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आवास समिति से स्थान उन्हें दिया जा सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम हमेशा उनका समर्थन करते हैं और पूरा देश उन्हीं का समर्थन करेगा। आप उन्हें जगह दीजिए, लोगों को बहुत खुशी होगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

विदेश मंत्री महोदय, जिस दूसरे मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि क्या निकारागुआ सरकार ने हमारी सरकार से एक गुट-निरपेक्ष दल, जिसमें मुख्यतः भारत के प्रतिनिधि हों, जोकि कॉन्टाडोरा ग्रुप के साथ रहेंगे, भेजने का कोई अनुरोध किया है। वे समझते हैं

कि इससे उन्हें बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि वे भारत को ऐसा महान देश समझते हैं जो उस स्थिति में कुछ सहायता कर सकता है और उससे वहां अमेरिकी षडयन्त्र, साम्राज्यवादी षडयन्त्र को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा अनुरोध किया है और यदि हां, उस अनुरोध के प्रति हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

मैं उन्हीं दो मुद्दों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं भाषण देना नहीं चाहता। हम उनके साथ हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारी सरकार उनका समर्थन करने और उनके साथ एकता जाहिर करने के लिए हर संभव कदम उठाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : महोदया, निकारागुआ में जब से लोकतन्त्र की स्थापना हुई है वहां की जनता में तनाव की स्थिति बनी हुई है और 19 जुलाई, 1979 को वे सरकार बनाने में समर्थ हुए, किन्तु अमेरिका विभिन्न अन्य उपायों के माध्यम से बन्दरगाहों में सुरंगें बिछाने पर दबाव डालने में सफल हुआ है, इस बारे में मेरे मित्र विस्तार से बता चुके हैं।

मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक प्रतिनिधि के रूप में 1984 में लिसबन में निकारागुआ के सम्बन्ध में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला और मुझे याद है कि निकारागुआ के संघर्ष के पक्ष में काफी लोग थे। वह दृश्य देखने वाला था कि एक के बाद एक प्रतिनिधि उनके साहसपूर्ण संघर्ष का समर्थन कर रहा था जैसा कि उस देश के एक महत्वपूर्ण मंत्री द्वारा दिए गए भाषण में बताया गया कि उनके संघर्ष का क्या कारण था। सभा को यह जानकारी होगी कि इस वीरतापूर्ण संघर्ष में 2817 निकारागुआ निवासी मारे गए, 3020 लोग घायल हुए, 3825 लोगों का अपहरण किया गया और 73000 लोग विस्थापित हो गए। इतने लोगों को क्षति पहुंची और पिछले एक ही वर्ष में आर्थिक दृष्टि से 3060 लाख डालर का नुकसान हुआ। स्पेन के विरुद्ध किए गए संघर्ष और उनके आधिपत्य से मुक्त होने के बाद निकारागुआ वासियों ने सोचा कि वे भी इस स्वतन्त्र विश्व में अपनी बात कह सकेंगे। लेकिन चूंकि वे अमेरिका के मध्य हिस्से में स्थित है। जिसके एक ओर उत्तरी अमरीका और दूसरी ओर दक्षिण अमरीका है, इन 5-6 छोटे देशों को बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा और उनके लिए उनके दबावों का मुकाबला करना बहुत कठिन है, क्योंकि विडम्बना यह है कि अमरीका हर तरह से दबाव डाल रहा है। निकारागुआ की अधिकांश मशीनरी अमरीका में बनी है, वहां मशीनें आदि और अन्य जो भी वस्तुएं हैं वे अमरीका में बनी हैं और कल तक अमरीका की सरकार इस छोटे देश की अर्थ-व्यवस्था को निचोड़ रही थी और अब वे उनके रास्ते में हर तरह की बाधाएं पहुंचा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अमेरिका की चालें बहुत बड़ी हैं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : उनकी चालों के दो रूप हैं। जैसा कि प्रो० दंडवते ने इसका समर्थन किया कि मशीनों और कूटनीति के रूप में चालें। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ यही समस्या है। विश्व में सबकी यह राय है कि निकारागुआ ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को इसका हवाला दिया था। वे चुनाव कराने में सफल हुए और परिणाम उनके पक्ष में गए। वर्तमान सरकार चलाने

वाली पार्टी संदानिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट को बहुमत मिल गया और कुछ बाहरी एजेंसियां इसका निरीक्षण कर रही थीं—यह एक सुस्पष्ट प्रणाली थी। यह चुनाव बढ़िया था लेकिन यह बड़ी विडम्बना की बात है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने निर्वाचन मंडल के निर्णय का सम्मान नहीं किया, विश्व न्यायालय में उनका जो हवाला दिया गया था, उसका भी उन्होंने आदर नहीं किया और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों की राय का सम्मान नहीं किया। उन्होंने इस देश को तबाह करने तथा इसे सी० आई० ए० का अड्डा बनाने की इच्छा के अलावा किसी बात का सम्मान नहीं किया।

महोदया, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष होने के नाते भारत को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। हमें निकारागुआ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण संघर्ष के समर्थन में केवल संकल्प पारित नहीं करने अथवा भाषण ही नहीं देने हैं अपितु हमें वास्तव में कुछ करना चाहिए। यदि हम इस छोटे परन्तु वीर देश द्वारा किए गए संघर्ष को मान्यता देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और वहां कोई संसदीय दल भेजा जाए जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो। उन्हें जो भी छोटी-छोटी चीजों की जरूरत हो—हथियार, शस्त्र या लड़ाकू विमान नहीं—अपितु यदि उन्हें निरक्षरता का सामना करने के लिए पेंसिलों, कागजों और उस तरह की दूसरी चीजों की जरूरत है तो हमें वे चीजें भेजने की चिन्ता करनी चाहिए। विकासशील देश होने के नाते हमें आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। अतः महोदया, निकारागुआ की जनता द्वारा किए जा रहे संघर्ष के इन क्षणों में उन्होंने हमारे साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं। यह संयोग की बात है कि उस देश की महिला राजदूत हममें से ही एक है क्योंकि उनके पिता भारतीय थे। यह भारत और निकारागुआ के बीच सौहार्द का दूसरा प्रमाण है और उन्होंने भारत में अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उन्हें चुना है। हम उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। विभिन्न दलों और गुणों वाले इस सदन को एकमत से उनका समर्थन करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : कोई भी सदस्य दीर्घा में बैठे किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं कर सकता।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : मैंने कहा है कि समूचे सदन को इसका समर्थन करना चाहिए। मैंने ऐसे किन्हीं लोगों का जिक्र नहीं किया जैसा कि प्रो० दण्डवते जी समझते हैं। मैंने केवल इस सभा के सभी सदस्यों को इसका समर्थन करने और इस छोटे किन्तु वीर देश की सहायता के लिए दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा है। हम अपने उन सब साथियों से सहमत हैं जो उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के किसी तरह के दबाव से—बन्दरगाहों में सुरंगें बिछाने, मृतक सैनिकों को वहां भेजने, इन तथाकथित लड़ाकुओं को, जिन्हें वे संयुक्त राज्य अमरीका से उस देश को अस्थिर करने के लिए वहां भेज रहे हैं, शस्त्रास्त्र देना आदि से जनता की राय को बदला नहीं जा सकता, यह राय एक संयुक्त, सुदृढ़, स्थिर और लोकतन्त्रीय निकारागुआ के लिए है, जिसका हम समर्थन करते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदया, हमने कई दशकों के संघर्ष के

बाद राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की है। अतः हमें राष्ट्र को राजनीतिक स्वतन्त्रता के महत्व का पूरी तरह से पता है। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमरीका को जिसे पिछले 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले स्वतन्त्रता मिली है, अब विश्व के कई देशों को, विशेष रूप से दक्षिण अमरीका के सभी देशों की स्वतन्त्रता को संकट में डालना चाहिए। यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमरीका पर अब भी वह पुराना सिद्धान्त, मुनरो सिद्धान्त हावी है, जिसके अनुसार अमरीका दक्षिण अमरीका में पड़ने वाले सारे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है।

मेरे विचार से उस सिद्धान्त के अनुसरण में, रीगन प्रशासन अब निकारागुआ के विरोधियों की सहायता के लिए संयुक्त राज्य अमरीका कांग्रेस से 1000 लाख डालर प्राप्त करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि 30 वर्षों से जो लोकतन्त्रवादी ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमरीका में है उनको क्या हो गया है जबकि निकारागुआ में तानाशाही शासन था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन 1000 लाख डालरों के अतिरिक्त, जिसकी वह मांग कर रहे हैं, वहां का प्रशासन निकारागुआ में प्रगतिशील और लोकतन्त्रीय प्रशासन को अस्थिर बनाने के लिए 1979 और 1984 के बीच 700 लाख से अधिक डालर पहले ही खर्च कर चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। "बे आफ पिग्ज" क्षेत्र की स्मृति आज भी हमारे मन में ताजा है। हम यह भी जानते हैं कि प्रजातान्त्रिक तरीके से निर्वाचित होकर आए नेता की चिली में नृशंस हत्या कर दी गई थी और किस तरह अमरीका एल० सल्वाडोर और अन्य देशों में बुरी तरह हस्तक्षेप कर रहा है। यह ठीक है कि हमारी सरकार को कॉन्टाडोरा ग्रुप द्वारा शान्ति स्थापित करने के लिए की जाने वाली पहल का समर्थन करना चाहिए। परन्तु सिर्फ राजनयिक समर्थन से काफी नहीं होगा जैसा कि श्री फैलीरो ने कहा है। हमें इस छोटे से देश को आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए जो दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली देश के साथ साहसपूर्ण एवं वीरता से लड़ता आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वीर वियतनाम वासियों की भांति निकारागुआ भी अमरीका को सबक सिखायेगा।

सभापति महोदया, यह अत्यन्त दुःख की बात है कि इस वर्ष, जबकि 1986 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति वर्ष घोषित किया गया है, हम अस्त्रों पर 9700 लाख डालर खर्च कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैसा अमरीका द्वारा खर्च किया जाता है। अमरीका आर्थिक प्रतिबन्धों द्वारा निकारागुआ शासन को धमकाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति रीगन को, जो दक्षिण अफ्रीका के मामले में आर्थिक प्रतिबन्धों का सहारा लेने में झिझक महसूस कर रहे थे, इतनी आसानी से निकारागुआ पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए मान जाना चाहिए ?

वास्तव में यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष होने के नाते निकारागुआ की, जो वास्तव में गुट-निरपेक्ष देशों में से एक है, आजादी के लिए पहल करनी चाहिए। हम, अर्थात् जनता पार्टी के सदस्य निकारागुआ की आजादी की सुरक्षा एवं संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का स्वागत करेंगे।

सभापति महोदया : श्री हरीश रावत, दो मिनट का समय है। आपके पश्चात् मंत्री जी उत्तर देंगे। वे अन्तिम वक्ता होंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैडम चेयरपर्सन, मैं अपने मित्र अजय मुशरान साहब को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने निकारागुआ की जनता के साथ और वहां की लोकतांत्रिक सरकार के साथ, हमें अपनी भावनात्मक एकता जाहिर करने का अवसर दिया है। आज जो कुछ निकारागुआ में घटित हो रहा है वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वहां पर अमरीका की सरकार ने, जैसे ग्रेनेडा, चिली और अन्य कई दूसरे देशों की तरह, हस्तक्षेप कर के वहां के लोकतंत्र को समाप्त किया है, उसी रास्ते पर निकारागुआ को ले जाने की चेष्टा अमरीका कर रहा है। हम इस संसद में भगवान से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान निकरागुआ की जनता को इस बात की ताकत और शक्ति दे जिससे वह अमरीका का मुकाबला कर सके और विएतनाम की तरह मिलिटिरियन के रूप में लोग निकारागुआ का नाम ले सकें।

मैडम, मैं माननीय विदेश मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले दिनों कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्रीलंका के विषय में उनका जो वक्तव्य था उसको लेकर के श्रीलंका में भले ही उनकी आलोचना हुई है, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करने की चेष्टा की गई है, लेकिन भारत की जनता यह महसूस करती है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह भारत की जनता की भावनाओं के अनुरूप किया है। उसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की भावनात्मक एकता को निकारागुआ के सम्बन्ध में भी वे जाहिर करेंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि निकारागुआ को हमसे जो आर्थिक मदद की अपेक्षा है, वह भी हमको करनी चाहिए।

महोदया, निकारागुआ, जो काफी, केले और अन्य सामान पैदा करता था तथा इस प्रकार के और कच्चे माल को अमरीका को एक्सपोर्ट करता था और उसी पर उनकी आर्थिक व्यवस्था निर्भर थी, किन्तु आज अमरीका उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाकर और दबाव डालकर, आर्थिक व्यवस्था को चिन्तनीय हालत में बना रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से और माननीय विदेश मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि वे निकारागुआ की सरकार को आर्थिक सहायता, चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता तथा इनके अतिरिक्त और भी ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां हम उनकी मदद कर सकते हैं, मदद देने के लिए हमें आगे आना चाहिए और इसमें सारे भारत की जनता हमारा यह सदन मंत्री जी के साथ होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : सभापति महोदय, निकारागुआ स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता के जीवन-मरण की लड़ाई लड़ रहा है। इस मुद्दे पर सभा के सभी पक्षों में पूर्ण एकता देखकर गर्व का अनुभव होता है। यह हमारी शानदार परम्परा रही है और यह भारत का यह शानदार रिकार्ड रहा है कि इसने न केवल अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया है बल्कि दुनिया के हर हिस्से में स्थित अन्य देशों की, चाहे वे बड़े हों या छोटे, उनके स्वतन्त्रता संग्राम में, सहायता की है।

निकारागुआ के प्रति भी हमारा यही दृष्टिकोण है, निकारागुआ की आबादी 30 लाख है, वहां के निवासी वीर हैं, तथा दृढ़ इच्छाशक्ति वाले हैं तथा वे अपनी आजादी एवं स्वतन्त्रता के सिवाय सभी कुछ त्याग सकते हैं।

मुझे खुशी है कि सभा ने अपनी एकता व्यस्त की है। इससे निकारागुआ के लोगों का महान एवं बहादुर निकारागुआ व्यक्तियों का, जो कि स्वतंत्रता संघर्ष में लगे हुए हैं, मनोबल बढ़ेगा।

माननीय सदस्यों ने यह बिल्कुल ठीक सुझाव दिया है कि हमें केवल अपनी पवित्र भावनाएं ही व्यस्त नहीं करनी चाहिए केवल संकल्प ही पारित नहीं करने चाहिए अपितु वहां के लोगों की मदद के लिए कुछ न कुछ ठोस कार्यवाही भी करनी चाहिए। यही सही दृष्टिकोण है भारत निकारागुआ को अपना एक गहरा मित्र समझता है और गुट-निरक्षेप आन्दोलन का एक साथी समझता है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में यह एक महत्त्वपूर्ण साथी है। अपना स्वतंत्रता एवं सार्वभौमिकता के लिए अपने संघर्ष के द्वारा निकारागुआ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मूल सिद्धांतों के लिए लड़ रहा है तथा भारत सभी मुमकिन सहायता देने का प्रयास कर रहा है। हमने निकारागुआ ने लोगों द्वारा मांगी गयी चिकित्सा सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी है ; हमने वहां एक लाख रुपए कीमत की चिकित्सा सामग्री भेज दी है। हम·····

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत कम है।

श्री बी० आर० भगत : हम वहां एक तकनीकी-आर्थिक दल भेज रहे है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप राजदूतावास के लिए जगह क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

इस महीने हम तकनीकी-आर्थिक दल भेज रहे हैं ताकि लघु क्षेत्र एवं कृषि तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों, और अन्य सुविधाओं का पता लगाया जा सके ताकि हम अर्थ-व्यवस्था को विकसित कर सकें। सैनिक हस्तक्षेप तथा तोड़-फोड़ के अलावा निकारागुआ के सामने आर्थिक दबावों तथा प्रतिबन्धों की चुनौतियां हैं।

निकारागुआ संसाधन समृद्ध देश है। वहां के लोग परिश्रमी हैं। आज यह आर्थिक रूप से इतना समृद्ध है कि यहां से करोड़ों डालर का निर्यात किया जा सकता है। इसने 3000 लाख डालर मूल्य का निर्यात किया है। परन्तु आज यह घटकर 1000 लाख डालर रह गया है तथा हमें अन्य गुट-निरपेक्ष आन्दोलनकारी मित्रों के साथ मिलकर निकारागुआ की अर्थ-व्यवस्था बनाने में उसकी मदद करनी है।

जहां तक यहां पर एक मिशन खोलने के बारे में सहायता करने का संबंध है, हम इसकी जांच कर रहे हैं क्योंकि इसमें कई नाजुक मामले जुड़े हुए हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला चाहता हूं कि इस मसले पर हम विचार कर रहे हैं तथा उनका दूतावास यहां हमारे देश में कारगर ढंग से कार्य करे इसके लिए हम सभी मुमकिन प्रयास करेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि पूर्ण अस्थिरता, टकराव सैनिक कार्यवाही और सैनिक संघर्ष की स्थिति न केवल निकारागुआ में ही है अपितु निकारागुआ के चारों ओर व्याप्त है। तथा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है विशेष रूप से विगत पांच वर्षों से। माननीय सदस्यों को याद होना कि प्रधान मंत्री जी ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले मध्य अमरीका में बढ़ते हुए तनाव के बारे में और निकारागुआ और उसके पास के क्षेत्र में सशस्त्र टकराव के बढ़ते हुए खतरों के संबंध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बढ़ते हुए तनाव के लिए कौन जिम्मेदार है ? यह अपने आप नहीं बढ़ रहा है। कोई न कोई तो इसे बढ़ा ही रहा है। वह कौन है ?

श्री बी० आर० भगत :···जिससे सार्वभौमिकता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय एकता के लिए खतरा है। इस क्षेत्र के देशों के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा और विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए चुनौती है। शुरू से ही इस समस्या की ओर हम ध्यान दे रहे हैं और वर्ष 1983 में दिल्ली शिखर वार्ता में निकारागुआ की स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता और अखन्डता के खतरे के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी।

लुआण्डा में सितम्बर, 1985 में हुई गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मंत्रियों के ब्यूरो की पिछली बैठक में मैं क्रमवार ब्यौरा दे रहा हूं—इस बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था—वह निकारागुआ में गम्भीर विवाद के बारे था उन्होंने अमरीकी सरकार से उपरोक्त आधार पर ठोस समझौता करने के उद्देश्य से निकारगुआ सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए अनुरोध किया था। तनाव, आर्थिक दबाव, हस्तक्षेप, अनुचित दखल की नीति त्याग कर समझौते की प्रक्रिया शुरू कर बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण हल ढूंढना ही इसका आधार है क्योंकि मौजूदा स्थिति यह है कि निकारागुआ और अमरीका दोनों देशों में परस्पर राजनयिक सम्बन्ध हैं। उन्होंने राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किए हैं। उनके वर्तमान समय में सामान्य सम्बन्ध है और इसलिए ऐसी बात नही है कि इस प्रश्न को हल हो न किया जा सकता हो।

यह अच्छा लक्षण है कि प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष सैनिक और आर्थिक दोनों प्रकार की सहायता मांगी गई थी। कांग्रेस ने न केवल सहायता की रकम में कमी कर इसे 270 लाख डॉलर कर दिया बल्कि सैनिक सहायता भी बिल्कुल समाप्त कर दी। कांग्रेस ने सैनिक सहायता अस्वीकृत कर दी और केवल मानवतापूर्ण सहायता के लिए मंजूरी दी जो मुख्यत: आर्थिक सहायता ही है। इस वर्ष प्रशासन ने 1000 लाख डॉलर सहायता मांगी है—इसमें सैनिक और आर्थिक दोनों प्रकार की सहायता शामिल है·····

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन यह सहायता उन्हें दी जा रही है जो स्वतंत्रता सैनानी कहलाते हैं जबकि वे ठग हैं।

श्री बी० आर० भगत : मुझसे यह मालूम है अमरीका में भी ऐसे तत्व हैं जो शान्तिपूर्ण प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, जो सरकार की वैधता को स्वीकार करते हैं, जो यह मानते हैं कि निकारागुआ सरकार विधि समस्त तरीके से बनी सरकार है और किसी भी रूप में हस्तक्षेप करना

सरकार के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है और उसे अस्थाई करना है। हमें आशा है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांग्रेस इस रकम में केवल कमी ही नहीं करेगी बल्कि सैनिक पहलू को भी सर्वथा समाप्त कर देगी। इसलिए उन पर यह दबाव हमें बराबर रखना है·····

श्री अजय मुशरान : श्री फैलीरी ने उचित बात कही है। आपने यह प्रस्ताव उचित रखा है कि निकारागुआ में एक दम भेजा जाए जो इस बात का पता लगाए कि उन्हें कितनी सहायता दी जानी चाहिए। किन्तु क्या यह सम्भव है कि हम प्रतीक रूप में आर्थिक सहायता तुरन्त भेज दें? उन्हें तुरन्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। क्या इस विषय में आप अपने विचार प्रकट करेंगे?

2.00 म० प०

श्री बी० आर० भगत : यह यहां विदेश मंत्रियों से हुई चर्चा के फलस्वरूप किया जा रहा है। यह मिशन विकास के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने और दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमत परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए जा रहा है।

हम केवल प्रतीक रूप में सहायता नहीं देने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम हर सम्भव सहायता करेंगे। इसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। इसमें केवल यही बाधा है कि हमारा सामर्थ्य कितना है और उसी के अनुरूप हम पूरी सहायता करेंगे और यह बात आप भी जानते हैं कि उनकी मांग बहुत अधिक नहीं है। लेकिन हम इस दल के साथ संतोषजनक हल ढूंढ़ लेंगे। यह बात दोनों पक्ष में तय हो गई थी। यदि वह तदर्थ सहायता चाहते हैं जैसे एक लाख—यह काफी कम रकम है—लेकिन वह तुरन्त कुछ सहायता भेजने की मांग कर रहे थे···

(व्यवधान)

प्रो० जी० जी० स्वैल : यह कम से कम दस लाख होनी चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : उन्हें दस लाख की चिकित्सा सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रो० जी० जी० स्वैल . चिकित्सा सम्बन्धी ही नहीं, अन्य सहायता भी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : इस दल का यह कार्य है। मैं सभा के विचारों से सहमत हूं और माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उन पर पूरा ध्यान दूंगा और हम यथा सम्भव सहायता देने का प्रयत्न करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं किसी प्रकार व्यवधान नहीं चाहती। माननीय मंत्री को पूरी बात कहने दीजिए।

श्री बी० आर० भगत : और एक रचनात्मक प्रगति यह हुई है कि, अमरीकी जनता का एक भाग और कांग्रेस, जैसा आप जानते हैं किसी अन्य देश में सैनिक हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। सारा कुछ गुट निरपेक्ष आन्दोलन की इस समय चल रही गतिविधियों के कारण हो रहा है। इनके क्षेत्र में गतिविधियां सहायक हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जिस रचनात्मक कारण का उल्लेख किया है वह "कॉन्टाडोरा समूह" अर्थात मेक्सिको, पानामा, कोलम्बिया और वेन्जवेला है जिन्होंने अपने आपको इस काम में व्यस्त रखा कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, केवल यही समस्या ही नहीं अपितु पूरे मध्य अमेरिका के क्षेत्र की स्थिति, झगड़े के सभी मामलों को शान्तिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए इस काम में संयुक्त राज्य अमरीका भी साझीदार है। उन्होंने सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया है कि वह कॉन्टाडोरा समूह द्वारा समस्याओं को शान्तिपूर्ण हल किये जाने के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : किसी प्रकार का व्यवधान मत डालिए।

श्री बी० आर० भगत : कृपया मुझसे कुछ मत कहलवाइये। मुझे अपनी बात व्यक्त करने दीजिए। मैं बातों को स्पष्ट और सही ढंग से कहने का प्रयास कर रहा हूं।

दूसरा, इसकी सहायता के लिए इस क्षेत्र में लातीनी अमरीका के चार महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों अर्जेन्टीना, ब्राजील, पेरू और उरुगुए का अलग समूह था और उन सबने कहा कि उन्हें इस कार्य को आरम्भ करना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में शान्ति तथा स्थिरता लाई जा सके, क्योंकि उन्होंने सिद्धान्तिक रूप से यह बात स्वीकार की कि निकारागुआ के अन्दर और आस-पास ऐसी स्थिति है जिससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता अपितु विश्व शान्ति और स्थिरता को भी खतरा है। इस कार्यवाही में पहले "कॉन्टाडोरा समूह" द्वारा पहल की जानी चाहिए कि बातचीत के द्वारा क्षेत्र के सभी झगड़े सुलझाये जाएंगे न कि किसी सैनिक अथवा आर्थिक हस्तक्षेप द्वारा। किसी क्षेत्र में किसी देश की स्वतन्त्रता भंग करना एक खतरनाक प्रक्रिया है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार इन मध्य अमरीका के इन आठ देशों के मध्य अमरीकी विदेश मंत्री सम्मेलन, उनकी बैठक कारा बल्लेडा में हुई, के अवसर पर जारी की गई एक घोषणा में, विदेश मंत्रियों ने एक वक्तव्य जारी किया और एक सूची प्रस्तुत की, जिसे "कॉन्टाडोरा सन्देश" कहा गया और विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का तनाव हो तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिएं जिससे सभी मामले सुलझाये जाएं और वे सभी शान्तिपूर्ण मामले हैं और उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप अथवा किसी प्रकार की लड़ाई का पूर्ण रूप से विरोध किया। परन्तु फिर भी निकारागुआ की जनता अनेक कठिनाइयों का सामना कर रही है। हस्तक्षेप, आर्थिक दबाव, सैनिक लड़ाई, आंतरिक झगड़े और लड़ाइयां चल रही हैं। हम सभी लोगों को स्वतन्त्र पूर्वक अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के पथ का चयन करने के अधिकार को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण गुट निरपेक्ष सिद्धान्त है। किसी देश की सरकार

कैसी हो यह तो उस देश की जनता को अपनी स्वतन्त्र इच्छा से निर्णय लेना होता है। हमारा विचार-धारा से कोई सम्बन्ध नहीं है। विचारधारा और देश का ढांचा उसका रूप रंग कैसा हो इसका निर्णय तो जनता ही लेती है। कोई अन्य सरकार अथवा बाहर की सरकार, चाहे वह बड़ी हो अथवा छोटी, यह नहीं कह सकती कि इस सरकार को इस बात अथवा अन्य विचारधारा का पालन करना चाहिए। इस क्षेत्र में अशान्ति का एक कारण इस सिद्धान्त का विरोध करना है। जब हम किसी सरकार के गठन का निर्णय लेते हैं, अथवा बाह्य दबाव से किसी सरकार के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इस सिद्धान्त अथवा प्रक्रिया का विरोध होता है और यह मध्य अमरीका की अशान्ति का एक कारण है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस मामले में बाहर से इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है।

अन्तरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कॉन्टाडोरा देशों के प्रयासों में जो आशा की अपेक्षा की जाती हैं, वह बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक ओर हम आशा करते हैं कि भारत की जनता तथा संसद द्वारा उनके साथ जो पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है, उससे शान्तिपूर्वक समझौते और बात-चीत और कॉन्टाडोरा की इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

2.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र की समस्या के लिए एक व्यवस्थित राजनीतिक समाधान में नई कठिनाइयों तथा दबावों के कारण बाधा पड़ गई है। फिर भी हमें आशा है कि मध्य अमरीका की जनता की सामूहिक इच्छा अन्त में विजयी होगी और शान्ति के प्रयासों में वर्तमान रुकावटें दूर हो जाएंगी। कॉंटाडोरा प्रक्रिया को तेज करने के लिए और किसी प्रक्रिया का विचार करना कठिन है। यह बात भी इतनी ही महत्त्वपूर्ण है कि इस समय के महत्त्वपूर्ण प्रश्न इससे सुलझ जाएं। अतः अन्त में हम यह आशा करते हैं कि शान्ति की कार्यवाही में जो वर्तमान व्यवधान आया है उसको सम्बद्ध देशों के सयुक्त प्रयासों तथा सूझ-बूझ से सुलझाया जा सकता है। ऐसा न करने से न केवल मध्य अमरीका की जनता के लिए दुःखद परिणाम होंगे अपितु विश्व-शान्ति और सुरक्षा को भी भयंकर खतरा है। इस कठिन समय में—सदस्यों ने पहले ही उनके साथ अपना समर्थन व्यक्त किया है—हम निकारागुआ की सरकार और जनता के प्रति भारत की सरकार तथा जनता का समर्थन तथा सहयोग व्यक्त करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दूंगा। हम सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ कर रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : केवल एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं श्री माधव रेड्डी का नाम बुला रहा हूं ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हमें सूचना प्राप्त हुई है कि काश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है । पी० टी० आई० और यू० एन० आई० ने पहले ही यह समाचार दिया है। इस सदन में हमें कुछ नहीं कहा गया । गृह मंत्री को आकर इस सदन को यह समाचार देना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अभी कुछ नहीं मिला है । हमें कैसे मालूम कि यह समाचार सही है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप गृह मंत्री से वक्तव्य देने को क्यों नहीं कहते ?

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, समाचार एजेंसी ने पहले ही यह घोषणा की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात है, तो वह आकर घोषणा करेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? बहुत सारी बातें बाहर फैलाई जाती हैं । यदि ऐसी कोई बात है भी तो वह आकर इसकी घोषणा करेंगे ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल और परसों छुट्टी है अतः आज ही यह होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कुछ हुआ है तो वह निश्चित रूप से आएंगे । (व्यवधान)—मुझे अब किसको आदेश देना है ?

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जब संसद का सत्र चल रहा हो तो गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी कोई बात है तो वह अवश्य आएंगे ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आप संसदीय कार्य मंत्री को आदेश दे सकते हैं कि वह यह सन्देश गृह मंत्री तक पहुंचा दें और वह एक वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वह कह रहे हैं कि समाचार पहले ही फैल चुका है । कृपया यह कह दीजिए ।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखा पत्तनम) : वास्तविक तथ्य सदन को बता दिए जाने चाहिए ।

श्री एच० ए० डोरा : क्या यह सत्य है कि काश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ?

(व्यवधान)

2.13 म० प०

सामान्य बजट, 1986-87—सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री सी० माधव रेड्डी चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे समय सामान्य बजट पर बोल रहा हूं जब सदन में इतनी उत्तेजना फैली हुई है और जब स्वयं वित्त मंत्री अनुपस्थित हैं जब मैं बजट के प्रति विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कर रहा हूं।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वित्त मंत्री ने मुझसे व्यक्तिगत रूप में बात की कि उन्हें एक निकट सम्बन्धी की अन्त्येष्टि में भाग लेने जाना है। इसे टाला नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री को कोई काम है। श्री जनार्दन पुजारी बैठे हैं। वित्त मंत्री भी आएंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : सामान्य बजट पर चर्चा का महत्त्व कम हो रहा है क्योंकि चर्चा एक ऐसे समय आरम्भ हो रही है जब केवल एक घण्टा बाकी है और सदन गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य पर चर्चा आरम्भ करने जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं जबकि बजट के विभिन्न पहलुओं को उभारा जा रहा है और उन पर चर्चा हो रही है। इससे केवल यह स्पष्ट होता है कि हम इस चर्चा को अधिक महत्त्व नहीं दे रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वित्त मंत्री अपने एक निकट सम्बन्धी की अन्त्येष्टि में भाग लेने गए हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप सोमवार को चर्चा आरम्भ कर सकते थे। इसमें कोई जल्दी नहीं है।

महोदय, मैं सामान्य बजट पर बोलने के लिए उठता हूं जो 28 फरवरी को वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था। यह एक बहुत ही लम्बा भाषण था और मेरा विचार है कि श्री जॉन मथाई और श्री चिन्तामणि देशमुख के समय से इतना लम्बा भाषण सदन में पहली बार हुआ है। यह सदन में दो

घण्टे और पन्द्रह मिनट जारी रहा। यह एक बड़ा भाषण था, वादों में बड़ा और कार्य में बहुत छोटा !

इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद से समाचार पत्रों में विभिन्न टिप्पणियां प्रकाशित हुई हैं। वित्त मंत्री ने बजट पश्चात् एक समाचार-पत्र सम्मेलन को सम्बोधित किया और बजट की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया। विभिन्न नेताओं और विभिन्न संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार से इसका वर्णन किया और कहा कि यह एक सरचनात्मक बजट है। यह गरीब आदमी का बजट है और किसी ने कहा कि यह एक ठठेरे का बजट है। मैं नहीं जानता कि क्या वित्त मंत्री संरचनाकार हैं अथवा ठठेरे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है। यह लोकप्रियता प्राप्त करने वाला बजट है।

महोदय, वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष कमजोर वर्गों के लिए आबंटन में भारी वृद्धि हुई अर्थात् लगभग 64 प्रतिशत की वृद्धि। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि गत वर्ष आबंटन रोकने के पश्चात् सरकार ने कमजोर वर्गों के प्रति पुनः रुचि लेना आरम्भ किया है। गत वर्ष बजट के पश्चात् वित्त मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा; "गरीबी-विरुद्ध कार्यक्रम अन्तरात्मा के प्रति केवल एक युक्ति हैं। इससे सामाजिक तनाव चरम सीमा तक पहुंचने से रुक जाता है।" यही एक-मात्र लक्ष्य है। यदि आप गरीबी-विरोधी कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप इस बारे में सोचते हैं और यदि आप ऐसा नहीं करते तो सामाजिक परेशानी बढ़ती जाएगी। अन्ततः ऊंची विकास दर के माध्यम से गरीबी तथा बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। पिछले वर्ष के बजट का दर्शन यही था। उसीलिए कमजोर वर्गों के लिए आबंटन स्थिर रह गया।

अब श्रीमान्, सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए इतना भारी आबंटन देना उचित समझा। हम इस बारे में बहुत प्रसन्न हैं, परन्तु दूसरे सदन में प्रधानमंत्री की यह आलोचना विपक्ष ने इसकी उस समय प्रशंसा नहीं की, जब वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की, अच्छी बात नहीं है। यदि सरकार चाहती है कि विपक्ष प्रशंसा करे तो निश्चय ही कार्यक्रम प्रशसनीय होने चाहिए। सरकार की आलोचना करना, आपकी कमियों का उल्लेख करना हमारा कर्त्तव्य है। जब हम आपकी योजनाओं की प्रशंसा नहीं करते तो आप इतने संवेदनशील क्यों बनते हैं ?

श्री एच० के एल० भगत : मैं समझता हूं कि आपका कार्य केवल सरकार की आलोचना करना ही है।

श्री सी० माधव रेड्डी : जब आप जनता के लिए उचित कार्य करने मे विफल रहते हैं, तब हम आपकी आलोचना करते हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम यहां पर आलोचना करने के लिए ही हैं। हम सरकार की नीतियों का समर्थन भी करते आए हैं। सभा में अनेक बार हमने सरकार को समर्थन दिया। हमने कभी भी सभी बातों का विरोध नही किया। अतः हमे गैर-जिम्मेदार ठहराना तथा यह कहना कि हम हर मामले की केवल आलोचना ही करते हैं, गलत है।

मुझे खुशी है कि इस वर्ष कमजोर वर्गों के लिए आबंटन में 65% की वृद्धि हुई है। मैं अपने

भाषण के दौरान बताऊंगा कि सरकार ने कुछ योजनाएं अच्छी शुरू की हैं और हम यहां सरकार का समर्थन करते हैं, परन्तु बहुत से पहलुओं की गम्भीरता से बातचीत किए जाने की आवश्यकता है। अपने विचार व्यक्त करते समय मैं यह भी आपको बताऊंगा।

यदि आप समृद्ध वर्ग के समर्थक इस बजट की बातों का गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोगों को धोखा देने का यह एक प्रयास है। मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का बजट तैयार किया है जिसमें सस्ती लोकप्रियता दिखाई देती है।

हम क्या पाते हैं? सचाई क्या है। पर्दा हटाकर हम क्या पाते हैं। बजट की भूलों को मैं एक एक करके मद-वार बताऊंगा, तथा क्या हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में हैं अथवा समृद्ध वर्ग के पक्ष में हैं। इसे मैं बाद में लूंगा।

पहले मैं विकास दर को लेता हूं। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष उन्हें 4.5 से 5 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद की उम्मीद है। पिछले वर्ष उन्होंने 4 प्रतिशत की उम्मीद की थी। परन्तु आंकड़े आने पर यह केवल 3.5 प्रतिशत ही रही। ये तथ्य हैं। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अन्य वित्त मंत्रियों ने पहले इस प्रकार की अनेक कल्पनाएं कीं और हर बार विकास दर 3.5 प्रतिशत ही रही। इस वर्ष उन्होंने बताया है कि यह 4.5 से 5 प्रतिशत होगी। मुझे इसमें आशंका है। विश्वासनीय सूत्रों में दिए गए आंकड़ों से मैं सिद्ध कर सकता हूं कि इस वर्ष फिर यह 3.5 अथवा थोड़ी ज्यादा रहेगी। यह कहते हुए मुझे प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री स्वर्गीय प्रो० राज कृष्ण के शब्द याद आते हैं। हर बार वह कहा करते थे कि हमारी विकास दर "हिन्दू विकास दर" है—हिन्दू समाज, जो कि स्थिर समाज है, हमारी विकास दर भी 3.5 प्रतिशत पर कई वर्ष से स्थिर है।

पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने विकास दर में वृद्धि का उल्लेख किया। मुझे प्रसन्नता हुई—मैंने सोचा कि हम 4% विकास दर प्राप्त कर लेंगे तथा 3.5 प्रतिशत की सीमा समाप्त हो जाएगी। मैंने सोचा कि वित्त मंत्री सिकन्दर महान् की तरह इसे प्राप्त कर लेंगे। परन्तु हुआ क्या? आप कुछ भी योजना बनाएं विकास दर 3.5% पर स्थिर है। हमारी अर्थ-व्यवस्था स्थिर है। हमारी समूची आर्थिक नीति का सार यही है।

अब वित्त मंत्री आम व्यक्ति के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। आइए, हम देखें कि बजट में आम आदमी के लिए क्या है। यदि आप मूल्य वृद्धि को लें जिस पर कि सभा में चर्चा हो चुकी है। यह बताया गया था कि प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि के कारण जीवन-निर्वाह व्यय में असाधारण वृद्धि हो गई है। परन्तु वित्त मंत्री ने बताया कि जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक से पता चलता है कि थोक मूल्य सूचकांक इस वर्ष 2 प्रतिशत कम हो गया है। पिछले वर्ष यह 5.5% था तथा उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष यह घटकर 3.5% रह गया है। यह कैसे हुआ? फिर ये अपने आप में विवादास्पद आंकड़े हैं, क्योंकि हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम थोक मूल्य सूचकांक को अपना रहे हैं। यह घट कर 3.5% रह गया है अतः सरकार मूल्यों पर नियन्त्रण पा सकी है। यह सच्चाई सच नहीं है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। सभी जानते हैं कि मूल्यों में किस

तरह वृद्धि हुई है। इस बात को मान भी लें कि पिछले वर्ष के मुकाबले में मूल्य सूचकांक में 2% की कमी आई है, तो भी हमें देखना चाहिए कि यह किस कीमत पर कैसे प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्री इस बारे में बहुत चिन्तित थे कि सभा में जो भी आश्वासन वह दें वह सच सिद्ध हों। इसके लिए वह सभी कुछ करेंगे। मुझे वह भावना समझनी चाहिए। परन्तु उन्होंने क्या किया ? उन्होंने बहुत सी वस्तु जैसे चीनी, खाद्य तेलों, इस्पात तथा कई अन्य वस्तुओं के भारी मात्रा में आयात की अनुमति दी। इस आयात से जो कि पूर्व वर्षों की तुलना में बहुत अधिक था। सरकार मूल्य वृद्धि को कुछ हद तक रोक पाई। परन्तु किस कीमत पर। 7,000 करोड़ रुपए की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि की कीमत पर। आज यह हमारा घाटा है। हमारी शोधन संतुलन स्थिति इतनी खराब है और आज हमारा व्यापार घाटा लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। अगले वर्ष आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मूल्य वृद्धि को रोक नहीं सकते। आप आंतरिक खपत को भी कम नहीं कर सकेंगे। तब क्या होगा। माल कम होगा और मांग अधिक होगी। पिछले तीन वर्षों की घाटे की अर्थव्यवस्था का संचित प्रभाव भी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वर्ष के घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव आने वाले वर्ष में नहीं पड़ता है। धन की वृद्धि के प्रभाव के कारण इसमें समय लगता है तथा तीन वर्षों की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव अगले वर्ष नजर आएगा। मुझे विश्वास है कि मूल्य वृद्धि होगी तथा मूल्य सूचकांक में लगभग 6 अथवा 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

अब समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के संबन्ध में वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की उस बात को उद्धृत कर रहे थे कि हमारे विकास के साथ समानता तथा सामाजिक न्याय की बात भी साथ साथ चलनी चाहिए। मैं बहुत से पहलुओं का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिनका कि सामाजिक न्याय पर सीधा सम्बन्ध है। मैं केवल एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि पिछले वर्ष शुरू की गई उदारीकरण की नीति का क्या प्रभाव पड़ा ? वित्त मंत्री का विश्वास है विकास केवल तभी हो सकता है जब खुली स्पर्धा हो। उसी कारण से उदारता बरती जा रही है। बात यह है कि यदि खुली प्रतिस्पर्धा होने दी जाती है जैसा कि पिछले वर्ष हुआ है तो औद्योगिक मोर्चे पर उसका प्रभाव क्या होगा। कई उद्योगों को इसने लाइसेंस से मुक्त कर दिया है। हमने एकाधिकार गृहों को बहुत से क्षेत्रों में उद्योग लगाने की छूट दी है। प्रतिबन्ध हटाये जाने के कारण क्या हुआ है। इस नीति का परिणाम क्या निकला। अंततः उदारीकरण की नीति का फल क्या निकला है इसका पता अर्थ-व्यवस्था पर पड़े इसके प्रभाव से चलेगा। बड़े व्यापार गृहों ने उदारीकरण की नीति के कारण कितने उद्योग लगाए। बड़े उद्योग गृहों ने सैकड़ों उद्योगों के लाइसेंस प्राप्त कर लिए है जो कि पहले उनके लिए खुले नहीं थे। उसी प्रकार क्षमता वृद्धि के बारे में उन्हें रियायतें मिली हैं।

फिर जिन औद्योगिक मदों, जो अभी तक लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित थी, के निर्माण के बारे में प्रतिबन्ध लगा था वे भी बड़े व्यापारिक गृहों के पास चली गई। जो 259 मदें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। जिसके कारण प्रमुख उद्योगों ने पूरा लाभ उठाया है। उन्होंने उद्योग लगा लिए हैं। माचिस उद्योग जिसके लिए उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकी

की आवश्यकता नही होती है, जिसे बड़े उद्योगों द्वारा निर्माण किए जाने पर रोक थी, तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था आज बड़े उद्योग आगे आकर ऐसे उद्योग लगा रहे हैं।

उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपने कुछ रियायतें दी हैं। यह उचित हो सकता है। परन्तु माचिस जैसे उद्योगों को अनारक्षित करने की बात को आप उचित कैसे ठहरा सकते हैं। इसके विपरीत आपने क्या किया है ? लघु उद्योग क्षेत्र को कौन सी रियायतें आपने दी हैं।

यह बताया गया है "मोडावट" योजना से हमें लाभ होगा। लघु क्षेत्र के उद्योगों को उत्पाद शुल्क में कुछ रियायतें दी गई हैं। इससे लाभ होगा। परन्तु इसमें संदेह है कि किस प्रकार के छोटे उद्योगों को मुझे विश्वास है कि इससे लघु उद्योग क्षेत्र में बड़े व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। लघु उद्योग वर्तमान लाभों से वंचित रह जायेंगे। हमें बताया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अंतर्गत एक निधि लघु उद्योगों की सहायतार्थ स्थापित की गयी है। मैं नहीं जानना कि यह किस तरह की निधि है। इससे लघु उद्योगों को कैसे लाभ पहुंचेगा ? क्योंकि लघु उद्योगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले ही सहायता दी जाती है। आई० डी० बी० आई० से पुनर्वित्त योजनाओं इत्यादि के अधीन अधिक सहायता पहले ही मिलती है। जब तक लघु उद्योगों में रुग्ण एककों, जिनकी संख्या एक लाख है, को पुनर्जीवित करने के लिए इस निधि का उपयोग नहीं किया जाता तब तक मैं नही समझता कि हमें इसका कोई लाभ होगा।

छोटे लोगों को कुछ छोटी रियायतें दी गई हैं तथा उनके लाभ के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। छोटे वर्गों, विशेषकर शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों—मोचियों, रिक्शा चलाने वालों, नाइयों, धोबियों, आदि के लिए कुछ योजानाएं शुरू की गई हैं। छोटे लोगों के लिए कुछ योजनाएं आप शुरू करना चाहते थे। ये योजनाएं उस परिधि में आती हैं ताकि प्रकाधिकारवादियों को दी गई बड़ी रियायतों में संतुलन रखा जा सके। जिस सीमा तक लघु उद्योगों को सहायता दी जा रही है उस पर हमें खुशी है। परन्तु मैं आपको बनाना चाहता हूं कि यह इसलिए किया जा रहा है कि यह बजट बड़े लोगों का बजट प्रतीत न हो।

आखिर इससे कितने लोगों को लाभ होगा ? बजट में जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है उससे कितने लोगों को फायदा होने जा रहा है ?

मैं धन को दूसरे कामों में लगाए जाने की बात कहूंगा। हमें कहा गया था कि राज्यों को केन्द्र से बड़ी राशि मिल रही है। यह कहा गया था कि कुल 20,000 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को दी जाएगी और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह राशि पिछले वर्ष से 22% अधिक है। जबकि हम जानते हैं कि 8 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण ही ऐसा किया गया है, यह सच है कि इस वर्ष करों, जो कि राज्यों की धनराशि में डाल दिए जाते हैं, की अधिक वसूली के कारण भी ऐसा किया गया है।

मैं इसका स्वागत करता हूं और यह बहुत अच्छी बात है कि हमें करों की काफी वसूली हुई है, करों की अधिक वसूली का कारण क्या है ? यह कहा गया था कि पिछले वर्ष हम लोगों ने पहले ही से बता दिया था, करदाताओं को विशेष रूप से प्रत्यक्ष कर अर्थात आयकर के सम्बन्ध में जो ये रियायतें दी गई हैं, उससे वसूली कम हो जाएगी। वित्त मंत्री जी ने कहा था कि भविष्यवक्ताओं

द्वारा ऐसी भविष्यवाणी किए जाने के बावजूद, आयकर से होने वाली वसूली में 36% तथा अन्य करों से होने वाली वसूली में 22% वृद्धि हुई है ।

मैं समझता हूं कि इस वर्ष वित्त मंत्री जी थोड़े भाग्यशाली रहे। मैं केवल यही कह सकता हूं। (व्यवधान) मैं जानता हूं कि इसका कारण क्या है! मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक कारण क्या है। वास्तविक कारण यह है कि ये सब वसूलियां इस वर्ष नहीं की गई थीं। इसमें गत वर्ष एवं उससे पूर्व के वर्ष की बकाया राशियां शामिल हैं। और आप इन्हें इस वर्ष की वसूलियों के रूप में दिखा रहे हैं। यह तथ्य है कि यह इस वर्ष की वसूलियां हैं लेकिन इसमें बकाया राशियां शामिल हैं। लेकिन ये वसूलियां वित्त मंत्री द्वारा छापे डलवाने और कर तंत्र को सुगठित करके कुशलतापूर्वक वसूलियां बढ़ाने के कारण हुई जिसके लिए वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन मैं वित्त मंत्री की इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि यदि कर घटाएं जाएंगे तो अनुपालन अच्छा होगा। मैं इसको चुनौती देने को तैयार हूं।

मंत्री महोदय को पूर्ण आंकड़े देने चाहिए। हमें इन आंकड़ों को विभाजित करके यह देखना चाहिए कि इसमें कितना अंश बकाया राशियों की वसूली का है और कितना अंश कर तंत्र को सुगठित करने के कारण प्राप्त हुआ है।

मेरा मत है कि ये कर वसूलियां कर दरों में कटौती करने के कारण नहीं हुई हैं। यह बात गत 35 वर्षों से सिद्ध हो चुकी है कि जब हम कर कम करते हैं तो हमारा राजस्व नहीं बढ़ता। इसमें इस वर्ष वृद्धि किस प्रकार हुई (व्यवधान) यह वित्त मंत्री की नीति के कारण नहीं हुआ जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया है और जिसका वह सदन में जोरदार समर्थन कर रहे हैं। यह वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि वित्त मंत्री ने छापे डलवाने के लिए हर संभव कार्य किया और भय संधारणा पैदा की। यह अच्छी बात है क्योंकि कर अपवंचकों के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं। मैं छापों का और ऐसे राजनीतिज्ञों पर पड़े छापों का स्वागत करता हूं जो मंत्री रहे हैं और जो व्यापारी है। सभी राजनीतिज्ञों पर छापे पड़ने चाहिए केवल व्यापारियों पर ही नहीं।

मैं छापों का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे भय की भावना पैदा हुई और अधिक कर वसूल करने में सहायता मिली। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यों को अधिक कर वसूलियां हुई हैं क्योंकि जैसाकि आप जानते हैं, कई राज्यों ने पहले ही घाटे के बजट पेश कर दिए हैं। इन घाटों के कारण ही राज्यों के संसाधनों में कमी आई है। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष केन्द्र द्वारा अधिक कर वसूलियों के परिणाम-स्वरूप घाटे समाप्त हो जाएंगे। जहां एक ओर सरकार राज्यों को अधिक संसाधन दे रही है, वहां यह स्पष्ट है कि सरकार केन्द्र के लिए राज्यों के संसाधन भी ले रही है क्योंकि आय कर विभाज्य पूल में आता है और सरकार इसे कम कर रही है क्योंकि सरकार की आय कर में रुचि नहीं है। आज सरकार की रुचि आय कर में न होकर निर्मित करों और आयात शुल्क में है जिसका अंश हमें नहीं मिलता। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियंत्रित मूल्यों के कारण, कतिपय ऐसे करों के कारण जो विभाज्य पूल में नहीं आते हैं, सरकार राज्यों के हितों को हानि पहुंचा कर लोगों को रियायत दे रही है। सरकार आयात शुल्क बढ़ाकर स्वयं को लाभ पहुंचा रही है। इस वर्ष सरकार ने क्या किया?

सरकार ने उत्पादन शुल्क कम कर दिया और आयात शुल्क बढ़ा दिया। इससे सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी और यह राशि केन्द्रीय पूल में, ब्लास्ट की रक्षित निधि में जाएगी ; राज्यों को विभाज्य पूल में प्राप्त नहीं होगी। करों से राज्यों को 85% और सरकार को 15% अंश प्राप्त होता है। सरकार को इसमें इसलिए रुचि नहीं है क्योंकि सरकार को इसमें केवल 15% अंश प्राप्त होता है। सरकार आय कर रियायत दे सकती है और आयात शुल्क बढ़ा सकती है क्योंकि उसे वह शुल्क राज्यों को नहीं देना होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार राज्यों को नहीं देती है। लेकिन कैसे ? जब हम सरकार से भीख मांगते हैं। सरकार इसे हमारा अधिकार समझकर नहीं देती है। जो वसूलियां राज्यों ने की हैं, सरकार उसे राज्य से बिना परामर्श किए ले लेती है। जब राज्य आय कर 85% अंश प्राप्त करते हैं तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि वह राज्यों से परामर्श करे। सरकार क्या कर रही है ? सरकार ऐसे कर कानून बना रही है जो राज्यों को प्रभावित करते हैं। क्या किसी स्तर पर राज्यों से परामर्श किया गया ?

जब हम कर वसूल करते हैं तो हमारे वसूली प्रभार होते हैं। आय कर और नियमित कर एक ही विभाग द्वारा वसूल किए जाते हैं। इसके लिए कोई अलग विभाग नहीं है। आज दोनों बराबर हैं। आगे जाकर हो सकता है कि आय कर कम हो जाए और कम्पनियों के विकास एवं नई कम्पनियों के बनने से निगमित कर बढ़ जाए। विभाग के वेतन, यात्रा भत्ते, महंगाई भत्ते के कारण वसूली प्रभार करोड़ों रुपयों में होता है। लेकिन सरकार राज्यों को किन दरों पर व्ययों का बंटवारा करती है ? वे सभी वसूली प्रभार सकल आगम राशियों, विभाग की सकल आय से कम कर दिए जाते है। अत: अनुपात क्या रहा ? यह अनुपात 7:1 रहा अर्थात् आप राज्यों से 7 के अनुपात में आय कर और 1 के अनुपात में निगमित कर लेते हैं। ऐसा क्यों है ? जब सरकार को नियमित करों से राजस्व प्राप्त होता है तो क्या यह अनुपात के अनुसार नहीं होना चाहिए ? इसी कारण हमें हर वर्ष करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। यह बात वित्त आयोग ने कही है और सरकार को यह निदेश दिया है कि वह इस प्रणाली को बदले लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

जहां तक नियंत्रित मूल्यों का सम्बन्ध है, हमें इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है; इसके विपरीत राज्यों द्वारा निष्पादित सभी परियोजनाओं की लागत बढ़ती जा रही है; सीमेंट, अन्य सामग्रियों एवं उपादानों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लागत बढ़ती जा रही है।

इसके अतिरिक्त इन नियंत्रित मूल्यों के बारे में आठवें वित्त आयोग ने स्पष्ट सिफारिश की है। सरकार ने यह माना कि वह आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती है परन्तु उक्त सिफारिश को स्वीकार करने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आठवें वित्त आयोग की सिफारिश को नीचे उद्धृत कर रहा हूं :—

> "हमने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमारा विचार है कि नियंत्रित मूल्य तभी न्यायोचित है जब उत्पादन लागत में वृद्धि हो बशर्ते कि सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र उपक्रम संगत कुशलता से कार्य कर रहा हो। साथ ही, नियंत्रित मूल्यों को नियत करते समय संगत लाभ का प्रावधान भी किया जा सकता है। लेकिन यदि राजस्व प्राप्त करना ही

एक मात्र उद्देश्य हो तो हमें लगता है कि उत्पादन शुल्क में वृद्धि करना ही उपयुक्त कदम होगा।"

यह आठवें वित्त आयोग की स्पष्ट सिफारिश है जिसका उल्लंघन किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के बोलने का समय समाप्त हो चुका है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं केवल एक मिनट और बोलूंगा।

महोदय, मैं राज्यों के राजस्व की बात कर रहा था। राज्यों की आवश्यकताएं केन्द्र द्वारा पूरी की जाती हैं। वस्तुतः हमें केन्द्र से मांगना पड़ता है। जब हम आते हैं तो सरकार हमें कुछ देती है लेकिन साथ ही वित्तीय तौर पर नहीं तो राजनीतिक तौर पर हमें नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि सरकार के पास असीमित वित्तीय संसाधन हैं। राज्यों के पास भी अपने साधन हैं लेकिन सीमित हैं। सरकार राज्यों को वित्तीय तौर पर कमजोर बनाना चाहती है ताकि सरकार उसे संरक्षण दे सके। यह स्थिति है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे अवध के नवाबों की याद आ जाती है।

[हिन्दी]

नवाबे-अवध के बारे में कई चीजें मशहूर थीं। नवाब क्या करते थे ? वह अपने किसानों से लूट-खसोट करके सारा रैवेन्यु कलैक्ट करते थे, जैसे अब अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। नवाबे-अवध और क्या करते थे कि इस रैवेन्यु में से दिल खोलकर किसानों के ईद और विवाह के वक्त खर्चा करते थे। इस तरह से वह किसानों को कन्ट्रोल करते थे। जब भी ईद आई, किसी के शादी आई तो उन्होंने किसानों की मदद कर दी। इस तरह से नवाबे-अवध बहुत मशहूर हो गये यू० पी० में।

तो यह हालत है, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नवाबे-अवध तो बन गए, लेकिन वह नवाबे अवध पैसा देते थे, लेकिन ये पैसा भी नहीं देते। हम आन्ध्र प्रदेश से आते हैं, कई बार हम इनको लिखते हैं जैसे हमारे यहां ड्राउट के लिये 1 करोड़ रुपया दीजिए तो यह देते हैं 5 लाख। ऐसा न करें। नवाबे-अवध की नकल करो को पूरी करो, यह मैं कहना चाहता था।

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी मित्र के विचारों के विपरीत बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एक माननीय सदस्य : आपका यही कार्य है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह सच है कि वह अपने राज्य के सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं और मैं यहां सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधि हूं लेकिन राज्य में प्रतिपक्ष का सदस्य हूं।

महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि हम केन्द्र अथवा राज्य में क्या हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा एक दूसरे के दोष ही निकालने चाहिए।

मुझे खेद है कि सरकारिया आयोग की नियुक्ति के बाद भी···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : तीन वर्ष पूर्व।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कृपया मुझे बोलने दें। अभी मैंने बोलना शुरू ही किया है। चाहे हम राज्यों को देखें या केन्द्र को समय की यह मांग है कि हमें अपने ध्यान में पूरे देश को रखना चाहिए। परन्तु यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी भी दो आवाजों मे बातें करते हैं। हम भारतीयों के पास बहुत महान विरासत हैं। हमारा संघर्ष और दुःख हमारी राष्ट्रीय जिन्दगी का एक भाग है। इस संघर्ष ने हमें कमजोर नहीं किया है। बल्कि इसने हमें मजबूत किया है। इसने हमें साहस, दृढ़ विश्वास और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प दिया है। हमारा क्या लक्ष्य था? हमारा लक्ष्य राजनैतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए लड़ना था। हमने केवल एक को प्राप्त किया। हम अब दूसरे पर हैं। अब हमारी लड़ाई आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए है। यह निरन्तर संघर्ष है। यह एक या दूसरे राज्य का प्रश्न नहीं है। हमारा संघीय ढांचा है। हम सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : लेकिन आपका दल इसमें विश्वास नही करता।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यदि मेरा दिल इसमें विश्वास नहीं करता तो आपमें से कई लोगों का अस्तित्व नहीं होता। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि नए प्रधानमन्त्री जी को इस बात का उचित श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने संघीय ढांचे को बनाए रखा तथा और अधिक मजबूत किया लेकिन मुझे कहते हुए दुःख होता है कि विपक्ष का परस्पर विपरीत स्वर सुनाई पड़ता है।

हमें यह देखना होगा कि हमारी मूल स्थिति क्या है और देश के बारे में पूर्ण रूप से विचार करते समय हमारा क्या रवैया होना चाहिए। हमें लोगों के सामने एक निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए। जैसा कि हमारे पास महान विरासत है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी अपना अंशदान देने के विरुद्ध नहीं होगा। हममें से सभी ने चाहे वह गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी जो भी हो आजादी के संघर्ष के लिए सभी ने थोड़ा सा अपना योगदान दिया है। और सभी आर्थिक आजादी में भाग लेने के इच्छुक हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम यहां बैठे हुए हैं और अपने लाभ के लिए लोगों का ध्यान बंटाते हैं तथा उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने प्रशंसा की होती यदि वे यह बताते कि हम अपने रास्ते या लक्ष्य से कहां हट गए हैं। मेरे दोस्त ने अभी अधिक राजस्व एकत्र करने के लिए सरकार की कार्यक्षमता की प्रशंसा की है। वह पर्याप्त होनी चाहिए। तब आप इधर-उधर दोष क्यों निकालना चाहते हैं? आप गलतियों को ढूंढते और तथ्यों को बिगाड़ने के लिए कोशिश करें। यह उचित नहीं है। आप इसे क्यों करना चाहते हैं। आज हम यहां हैं, कल आप यहां हो सकते हैं। लेकिन देश वही है। अतः हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हमें रंगीन चश्मों से नहीं देखना चाहिए। हम महसूस नहीं करते कि हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यदि हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, चाहे इस तरफ हो या उस

तरफ तो मुझे आपको बताना चाहिए कि इस प्रणाली पर तनाव बढ़ रहा है तथा हम लोगों को दोष लगा कर उन्हें और ज्यादा मूर्ख नहीं बना सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। लोग हमारे भाषणों के साथ सम्बन्धित नहीं है। वे परिणाम चाहते हैं। यदि हम परिणामों को नहीं दे सकते तो हम जड़ से उखड़ जाएंगे। अत: हमें अपने आपको काम मे लगाना चाहिए।

श्री अमल दत्त : अब आप बजट पर आइए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे बल्कि कहना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी है जब हम इस तरह के सामान्य बजट की चर्चा कर रहे हैं तो वित्त मंत्री जी को आगे आना चाहिए। मैं निजी-तोर से महसूस करता हूं कि हमें अपने आपको आगे आने वाले बड़े कार्यों में लगाना चाहिए।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे दल को संबोधित करते हुए एक भाषण में कहा कि सातवीं योजना के अन्त तक हम गरीबी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं और उसी प्लेट फार्म से मुझे बोलना पड़ा कि जब हम जनसंख्या की वृद्धि पर विजय प्राप्त करेंगे तभी हम गरीबी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। क्या हमारे लोगों में से कोई इस कार्य को देखने या इसके बारे में कुछ कहने को तैयार है ? हम कमियों को ढूंढते रहते हैं, हम दूसरों की आलोचना करते रहते हैं परन्तु क्या हम सही प्रकार का वातावरण पैदा कर रहे हैं जिसके लिए यह करना आवश्यक होगा ? स कार केवल कुछ योजनाओं को बना सकती है। कुछ आबंटन कर सकती है लेकिन हमें स्वयं यह कार्य करना होगा। फिर चाहे कोई इस दल से सम्बन्धित हो या इस दल से इन योजनाओं को लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अभी एक आरोप लगाया गया था। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से आने वाली राशि को एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली है, रुख था जो केन्द्र के पास तथा जिसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को जायेगा और केन्द्र राज्यों से यह आशा करता है कि वे भिक्षा पात्र सहित आएं। हम कर्नाटक में कठिन सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री और भारत सरकार को इस समय लोगों को बचाने के लिए उदारतापूर्वक सहायता करें। मैं समझता हूं कि न केवल कर्नाटक में बल्कि अन्य राज्यों में भी यही स्थिति मौजूद है। जहां कहीं लोगों को कष्ट हो रहा है वहां केन्द्र और राज्यों को देखने की जिम्मेदारी है कि उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। मैं समझता हूं कि हमें इन मामलों में संकीर्ण विचार नहीं रखने चाहिएं।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय लोग हमेशा अपना योगदान देने में कुछ गर्व महसूस करते हैं। आप एक छोटे गांव में जाइए और आप देखेंगे कि एक गरीब व्यक्ति भी जो स्वतन्त्रता सैनानी है वह भी गर्व करता है कि उसने देश की आजादी के लिए कुछ योगदान किया है। इसी तरह मैं जानता हूं कि खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी कुछ अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं जिससे आम लोगों को कुछ कठिनाई हो गई है परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हम उनमें एक बुरी भावना को पैदा करने की कोशिश नहीं करते जब तक हम उनमें कटुता डालने की कोशिश नहीं करते तब तक भारतीय लोग इस प्रकार के नहीं होते हैं। उनके पास यह समझने की भावना होती है कि वे आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं उस पर गर्व करें कि हमें लोगों के विचारों में इस भावना को लाना चाहिए। यह

वह संदेश है जिसे हमें लोगों के लिए देना होगा । मुझे कहना चाहिए कि पिछले समय की अपेक्षा अब हमारे लोगों में हमारे लिए पर्याप्त विश्वास है। अब वितरण इतना उचित है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर गरीब को लाभ दिया जा रहा है । मुझे वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहिए कि मेरी राय में उन्होंने संगठित क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है। लेकिन असंगठित क्षेत्र की क्या स्थिति है ? यह क्षेत्र देश की स्थिरता प्रदान करता है । इसलिए हमें असंगठित क्षेत्र को भूलना नहीं चाहिए । जैसे कि समृद्ध लोग अपनी देखभाल कर सकते हैं उसी प्रकार संगठित क्षेत्र भी अपनी देखभाल कर सकता है । यह कहीं से किसी भी कोने से दबाव डाल सकता है । असंगठित क्षेत्र की ओर हमे ध्यान देना होगा। अत. मैं वित्तीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि उन्हें यह पूरी तरह से देखना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र पर किसी का अधिकार न हो। सरकार को उनके पास जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए वे क्या कुछ कर सकते हैं ।

महोदय, दूसरा, मेरा कहना यह है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सुना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा विद्युत जैसी अन्य चीजें हैं। देश के विकास के लिए ये मूल आवश्यकताएं हैं, चाहे यह कृषि विकास हो या औद्योगिक विकास हो। जब तक हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तब तक देश में सुधार नहीं हो सकता। महोदय, मुझे खुशी है कि पड़ोसी देशों के साथ मधुर और अच्छे सम्बन्ध को बनाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं इससे हमारा रक्षा व्यय कम होगा। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है । इसकी प्रत्येक द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए। परन्तु यहां मैं अपने वित्त मंत्री जी को एक बात से सावधान कराना चाहता हूं। यह छापे मारने आदि से सम्बन्धित है। मैं वित्त मंत्री जी के साथ इस बात से सहमत हूं कि जो लोग सरकार को धोखा देना चाहते हैं उन लोगों से समझौता नहीं करना चाहिए, जो लोगों के साथ विश्वास घात करना चाहते हैं चाहें वह राजनैतिज्ञ हो या कोई और । महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने उदार नीतियों के बारे में बात कही, ठीक है हम उदार नीति न अपनायें। परन्तु आपके पास कितने संसाधन हैं ? आपकी क्या क्षमता है ? आप कितना निवेश कर सकते हैं ? क्या आप इन सभी समस्याओं पर ध्यान दे सकते हैं तो हमारे पास हैं ? अत: यदि निजी क्षेत्र आता है तो क्या बुराई है ? यदि कोई व्यक्ति आता है और राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है इसमें क्या बुराई है ? ऐसी बात नहीं है कि सारा समय वे अपने लिए ही लगायेंगे । ऐसा नहीं है । यदि आप महसूस करते हैं कि वे अपनी सीमा से बाहर है तो आप उनके ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : इससे चालाकी स्पष्ट हो जाती है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आपका सोचना गलत है । महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सभी बकाया राशियों को मिला करके आशावादी बजट पेश करने का प्रयास किया गया है। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं, हमें अपने लोगों के साथ ईमानदार होना चाहिए और यह विश्लेषण करना चाहिए कि कितने क्षेत्रों में हमारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करते । हम रास्ते से हट रहे हैं तथा अनावश्यक रूप से पैसा खर्च कर रहे हैं । अत:, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें निजी क्षेत्र देख सकता है । इसे क्यों नहीं किया जाता ? ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ओर हमें अपने आप कुछ अधिक ध्यान

देना चाहिए। सरकार को पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हमें अमीरों का ख्याल क्यों करना चाहिए? हमें संगठित क्षेत्र की परवाह क्यों करनी चाहिए? असंगठित लोगों के लिए हमें ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? हम गरीब लोगों के लिए ध्यान क्यों न दें? ये मूल प्रश्न हैं। हमें इन बातों का विश्लेषण करना चाहिए। यदि आप हमारे अन्दर कोई गलती पाते हैं तो मेरा दल और मेरी सरकार इसे सुधारने में झिझकेगी नहीं। जब गत वर्ष आपने हमारी आलोचना की तब हमें कुछ सन्देह था। हो सकता है कि आपके यह कहने के कारण कि सरकार एक बहुत विभिन्न विचार ले रही है, समाचार पत्रों में और बाहर काफी बहस हुई है। मुझे कहना चाहिए कि वर्तमान बजट में सभी सन्देहों को दूर कर दिया गया है। हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। हम यहां लोगों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने के लिए हैं। मैं निजी तौर से महसूस करता हूं कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल आपसे अपील करता हूं। पक्षपात रहित ढंग से इस बजट को देखिए। उद्देश्यपूर्ण रूप से इस बजट को देखिए। हमें केवल एक बात यह जाननी चाहिए कि मूल जिम्मेदारी हमारी है। हम लोगों को और अधिक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। प्रणाली को बनाए रखने की सबसे अधिक जिम्मेदारी हमारी है। यह इस भावना से है कि इस महान् सदन को लोगों की आशाओं के लिए आगे आने की कोशिश करनी चाहिए तथा हमारी विश्वसनीयता स्थापित होनी चाहिए ताकि प्रणाली बनी रह सके और हम इसे भावी पीढ़ी के लिए छोड़ सकें ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री ए० सी० षण्मुगम (वेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1986-87 के बजट का सामान्य रूप से समर्थन करते समय मैं कुछ मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

सत्तादल से सम्बन्धित माननीय सदस्य ने, जो मुझसे पहले बोले थे, कहा कि हम सभी का यह प्रमुख कर्त्तव्य जनसाधारण की सेवा करना है। उन्होंने राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण न अपनाए जाने की आवश्यकता पर दबाव डाला है। मैं पूरे दिल से उनके इस विचार से सहमत हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यदि राज्य कमजोर नहीं होते तो केन्द्र मजबूत और प्रभावी हो सकता है। यदि राज्य मजबूत नहीं होते तो यह कोई राष्ट्रीय मामलों का समाधान नहीं करेगा। राज्य सरकारों द्वारा लोगों की दैनिक समस्याओं को पूरा किया जाता है। केवल इसी बुनियाद पर केन्द्रीय सरकार की अधिरचना बनाई जा सकती है। यदि बुनियाद अपने में मजबूत नहीं है, यदि राज्य सरकारें लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते तो वास्तविक रूप से अधिरचना के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को अपनी विभिन्न गतिविधियों में इस मुख्य तथ्य को सदैव ध्यान में रखे।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरे माननीय साथी श्री माधव रेड्डी ने 495 करोड़ रुपए तक की सीमा शुल्क लगाए जाने के बारे में उल्लेख किया है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि यह सारा पैसा केन्द्रीय सरकार के पास चला जाता है। अगर केंन्द्र सरकार ने उत्पाद शुल्क या आयकर में वृद्धि की थी तो राज्यों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए था। बजट के एकदम पहले केन्द्र ने प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि करके 2000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया था। यह सारा पैसा केन्द्रीय राजकोष में जाता है। क्या इससे केन्द्र सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये का आभास नहीं मिलता है ? मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि ये कदम राज्य सरकारों को राजस्व संसाधनों मे वंचित करने के लिए उठाए गए हैं। फलस्वरूप राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगी तथा केन्द्र सरकार के हाथों वे कठपुतलियां होंगी। राष्ट्र के हित में इस तरह की बातों को टालना चाहिए।

इस वर्ष के बजट में 3650 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। सामान्य चर्चा जवाब में माननीय वित्त मंत्री को यह बताना चाहिए था कि वे इस घाटे को किस प्रकार से पूरा करेंगे। इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री जी ने बताया है कि पिछले वर्ष 4000 करोड़ रुपए के घाटे की अर्थ-व्यवस्था में खपा दिया गया है। मैं नहीं समझता यह किस प्रकार किया गया है। सदन इस बारे में जानने के लिए इच्छुक होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसे 1987-88 के बजट में नहीं दोहराएंगे। उन्हें चर्चा का उतर देते समय इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए।

सत्ता पक्ष के सदस्य द्वारा प्रवाह रूप से कह रहे थे तथा यह सुनने में भी अच्छा लगा। यह राज्य की योजनाओं को धन राशि देने के बारे में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कम करने के बारे में है। जहां तक प्रमुख राज्यों का सम्बन्ध है, योजना सहायता छठी पंचवर्षीय योजना में कम होकर 31.6 प्रतिशत हो गई है जबकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह 41.5 प्रतिशत थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण अनुमोदित परिव्यय 23 प्रतिशत ही रह गया। इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की मार्फत राज्य योजना प्रयत्नों की अनुपूरक सहायता के रूप में राज्य योजनाओं को अप्रत्यक्ष सहायता अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्रीय योजनाओं में प्रारम्भिक अवधि काफी लम्बी होती है। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए लोग इतने लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। अत: राज्यों की योजनाओं के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए। किन्तु स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है और राज्यों के योजना प्रयत्नों में ढिलाई लाई जा रही है। केन्द्र सरकार की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति से राज्य सरकारों में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। इन आशंकाओं को केन्द्र सरकार द्वारा दूर करने की जरूरत है। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि भारत के आर्थिक मानचित्र में राज्यों का स्थान मिट नहीं जाए।

हाल ही में पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। केन्द्र सरकार शायद यह भूल गई है कि इनका असर समाज के धनी वर्गों पर ही नहीं किन्तु आम जनता पर भी होता है। भारत सरकार पर कुछ देशों से कच्चा तेल खरीदने के करार को पूरा करने का दायित्व हो सकता है। यह बात मैं नहीं समझ पा रहा कि यह करार समाप्त क्यों नहीं कर दिए जाते हैं और सरकार कच्चा तेल मौके पर ही क्यों नहीं खरीदती है। यदि हम कच्चे तेल की खरीद मौके पर करते हैं तो तेल की खरीद में

हमें 40% विदेशी मुद्रा की बचत होगी। पैट्रोल निर्यात करने वाले देशों ने तेल की कीमत 15 डालर प्रति बैरल घटा दी है। मैक्सिको ने 10 डालर प्रति बैरल तेल की कीमत कम कर दी है। लोग तेल की कीमतों की गई इस वृद्धि का शिकार हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी बाहर जा रही है।

हम आटोमोबाइल तकनीक का विवेकहीन ढंग से आयात कर रहे हैं। मारूति कारें, डी० सी० एम० टोयोटा, आलविन-निसान, हीरो-होण्डा, स्वराज होण्डा आदि हमारे यहां हैं। आयात की तुलना में हमारे निर्यात की वृद्धि नहीं हुई है और भुगतान सन्तुलन बिगड़ गया है। पैट्रोल की खपत बढ़ गई है। और इसीलिए सरकार ने पैट्रोल की कीमत में वृद्धि कर दी है। इससे बस के किराए, आटोरिक्शा के किराए आदि ऊंचे हो गए हैं। स्कूटर मालिकों को अब अधिक खर्च करना पड़ता है। शायद अल्पकालीन फायदे हमारी नजर में हैं। डीजल की कीमत बढ़ने से अनाज उत्पादन में हमारी आत्मनिर्भरता पर असर पड़ेगा। अब किसानों को पम्प सैटों और ट्रैक्टरों के लिए डीजल महंगा खरीदना पड़ेगा। मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ने से लोग जंगलों में पड़े काटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पर्यावरण सन्तुलन के लिए जंगलों की कटाई रोकने की सरकार की योजना के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ने के बजाय, हमारे देश की महिलाएं 19वीं शताब्दी की ओर पिछड़ जाएंगी क्योंकि मिट्टी के तेल, खाना पकाने की गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। खाना पकाने की गैस की कीमत बढ़ाने की बात मैं नही समझ पा रहा हूं। खाना पकाने की गैस तो सह-उत्पाद है और प्रत्येक सिलेण्डर के लिए तेल-कम्पनी पांच सौ रुपया जमा रखती है जिसके लिए उपभोक्ता को ब्याज नहीं मिलता है। तेल कम्पनियों के पास जमा विशाल रकम के बारे में क्या किया जा रहा है। तेल कम्पनियों और सरकार के अकुश . वित्त प्रबन्ध का दण्ड मध्यम श्रेणी के लोगों को क्यों मिल रहा है।

बजट में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए जो असाधारण प्रोत्साहन दिया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। बालबाड़ी और बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए पोषक आहार का उल्लेख किया गया है। इन योजनाओं में तमिलनाडु ने सारे देश का मार्ग प्रशस्त किया है। हम 80 लाख बच्चों के लिए पोषक आहार की योजनाएं सफलतापूर्ण लागू कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के लिए राज्य सरकार की निशुल्क स्कूल वर्दी और निशुल्क पाठ्य पुस्तकें देती है। वृद्ध आयु पेंशन योजना भी लागू है। हरिजनों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में हरिजनों के लिए 10 लाख मकान बनाने की विशाल योजना शुरू की है। हरिजन बस्तियों में दाह-क्रिया पर खर्च के लिए भी रुपया देती है। किसानों को पम्प सैटों के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। राज्य में 18000 सहकारी समितियां बनाई गई हैं। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाली योजनाएं काफी सफल हो रही हैं। आम जनता की भोजन, वस्त्र और मकान की बुनियादी तथा प्रारम्भिक जरूरतें तमिलनाडु सरकार पूरा कर रही है। स्वाभाविक है कि राज्य सरकार के साधन का बड़ा हिस्सा इस काम में लग जाता है। मैं मांग करता हूं कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र सरकार को पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए।

यह सर्वविदित है कि हमारे देश में बार-बार सूखा और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। यहां प्राकृतिक विपदाओं से नहीं बचा जा सकता है। यदि हम प्रत्येक वर्ष बजट में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत

रकम पृथक रख दें तो हर वर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए एकत्र हो जाएंगे जिनसे बाढ़ और सूखे का सामना किया जा सकता है। जिन राज्यों में सूखा या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है इन राज्यों को अविलम्ब इससे सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। मैं आपका ध्यान सूखा और बाढ़ में अपनाई जाने वाली भेद-भावपूर्ण नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। बाढ़ आने पर केन्द्र सरकार द्वारा तदर्थ अनुदान मंजूर किया जाता है जबकि सूखा पीड़ित राज्यों को दी जाने वाली सहायता अग्रिम योजना सहायता मानी जाती है। यह अनुचित है। सूखा और बाढ़ दोनों स्थिति में अनुदान स्वीकृत किया जाना चाहिए। पोषक आहार योजना पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्र की ओर से 200 करोड़ रुपए का अनुदान देना चाहिए।

वित्त मंत्री के भाषण में यह उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वर्तमान में इन उद्योगों में करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। यह खेद का विषय है कि 43 सार्वजनिक उद्योगों में चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन की अनुपस्थिति में किस प्रकार काम हो सकता है। मैं यह मांग करता हूं कि तकनीकी योग्यता प्राप्त वरिष्ठ व्यक्तियों को इन उद्योगों का चेयरमैन तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में बार-बार होने वाले नुकसान पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड आदि बड़े उपक्रमों का प्रबन्ध सुचारू बनाने की जरूरत है ताकि उनमें मुनाफा होने लगे।

केन्द्रीय मंत्रियों और माननीय प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु सरकार द्वारा परिवार कल्याण योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाने की सराहना की है। इस विषय में तमिलनाडु का अग्रणी स्थान है। इसी कारण हम एक संसदीय चुनाव में पराजित हो गए। अन्यथा हमारी संख्या 39 के स्थान पर 40 होती। अन्य मामलों में भी तमिलनाडु को हानि उठानी पड़ रही है। परिवार कल्याण योजनाओं को लागू न करने से उत्पन्न पिछड़ेपन को बढ़ावा मिल रहा है। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों के औसत से कम है उन राज्यों को 20% केन्द्रीय सहायता आरक्षित की जा रही है। इन राज्यों में परिवार कल्याण योजनाओं को लागू किए बगैर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ने से पिछड़ापन निरन्तर बना रहता है। किन्तु तमिलनाडु जैसे राज्य, जहां परिवार कल्याण योजनाएं लागू करने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता है और हानि की स्थिति में रहना पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों को 20% विशेष सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि वहां परिवार कल्याण योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू कर राष्ट्रीय सेवा हो रही है।

किसानों के कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट में 1950 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

तमिलनाडु सरकार ने किसानों के हित में 100 करोड़ रुपए के कृषि-ऋण माफ कर दिए हैं। किन्तु रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार ने ऐसा करने के लिए राज्य सरकार के प्रति कठोर रुख अपनाया है। मैं चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए का अनुदान तमिलनाडु सरकार को 1950 करोड़ रुपए में से दिया जाना चाहिए। हरित क्रांति को सफल बनाने का मुख्य श्रेय किसान को है, अतः

राज्य सरकार किसानों को पम्पसेट के लिए विद्युत बिजली दे रही है। इस विषय में राज्य सरकार को होने वाली हानि केन्द्र सरकार द्वारा पूरी की जानी चाहिए। वर्तमान बजट में तालाब और पोखर के विकास के लिए भी प्रावधान है। मेरा सुझाव यह है कि इनके स्थान पर छोटे सिंचाई कार्यक्रमों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इनमें प्रत्येक पर 5 करोड़ रुपए का व्यय होना चाहिए। इससे दोहरा लाभ होगा— सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण उदाहरण के लिए उत्तरी अरकॉट जिले में ग्रोम्बाकोप्पु, पिल्लूर, मोरदाना और मेलाराजनपट्टी में लघु सिंचाई परियोजनाएं लागू कर दी जाएं तो हर वर्ष आने वाली बाढ़ की विपदा से हम बच जाएंगे और खेती की पैदावार भी बढ़ेगी। केन्द्र सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए।

गरीबी दूर करने के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए इस पर परिव्यय 65% बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कदम उठाया है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि रिक्शा चलाने वाले, धोबी, बढ़ई आदि के लिए कल्याण योजनाओं का बोझ केन्द्र सरकार स्वयं क्यों ले रही है। यह योजनाएं राज्य सरकार लागू कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बीच समुद्र में मरने वाले मछुआरे और ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने वाले, जो पेड़ से गिरकर मर जाते हैं, उनके आश्रितों को तमिलनाडु सरकार मुआवजा दे रही है। इन योजनाओं को राज्य सरकारें संभाल सकती हैं।

समाज के दुर्बल वर्गों को दिए जाने वाले बैंक-ऋणों के बारे में मुझे यह कहते हुए खेद है कि सत्तारूढ़ पार्टी के संसद सदस्यों को 5,000 और 10,000 फार्म मिलते हैं जो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में वितरित कर दिए जाते हैं। हमारा भी कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग है। हमें एक फार्म भी नहीं मिलता। हम भी गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे जिले में चार संसद सदस्य हैं जिनके पास हजारों फार्म हैं। मेरे पास एक फार्म भी नहीं है। श्री जनार्दन पुजारी यहां उपस्थित हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे भी कार्यकर्ता और मतदाता हैं। जिन गरीबों ने कांग्रेस संसद सदस्य के पक्ष में मतदान किया है क्या उन्हीं की सहायता करनी चाहिए और जो लोग हमारे समर्थक हैं क्या वह सहायता से वंचित रहेंगे। माननीय मंत्री मंत्री को इसकी जांच कर हमारे प्रति न्याय करना चाहिए।

श्री एस० सिंगरावडीवेल (तंजावूर) : श्रीमन्, यह सही नहीं है।

श्री ए० सी० षण्मुगम : मुझे आशंका है कि राष्ट्रीय वस्त्र नीति से हथकरघा उद्योग समाप्त हो जाएगा। इस नीति से मिल-मालिकों के हाथ मजबूत होंगे। रेल बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है और आम बजट में भी उसकी उपेक्षा की गई है। ऊटी में एक्सरे फिल्म परियोजना का अनुमोदन नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि इसे भी मंजूर करना चाहिए। इसी प्रकार सेलम इस्पात परियोजना का विस्तार 40 करोड़ रुपए के परिव्यय से तुरन्त स्वीकृत कर इसके लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए। कल्पकम परमाणु संयंत्र में पैदा होने वाली बिजली का 70% भाग तमिलनाडु राज्य को मिलना चाहिए। ऐसी अफवाह है कि भाड़ा सकानीकरण निधि समाप्त की जा रही है। यदि ऐसा कर दिया गया तो दक्षिणी राज्यों में कोयला और इस्पात की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। यह कीमतें 40% बढ़ जाएंगी। हमें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि कोयला और इस्पात की कीमतें उत्तर और दक्षिण में समान रहें।

श्रीलंका के शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या तमिलनाडु के लिए बोझ बन रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो रही है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र इन पर निर्वहन खर्च का 20% अनुदान के रूप में राज्य सरकार को प्रदान करे। इन शरणार्थियों की श्रीलंका में पुनः लौटने की संभावना नहीं है। कावेरी नदी-क्षेत्र में पर्याप्त तेल है। देश के हित के लिए तुरन्त उसकी खोज की जानी चाहिए। इसी प्रकार पाक जलडमरूमध्य में भी काफी तेल भण्डार है। हमें श्रीलंका से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें देश के हित के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। होगानेकल जल विद्युत परियोजना दोनों राज्यों अर्थात कर्नाटक और तमिलनाडु को काफी बिजली दे सकती है क्योंकि इसमें 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि होगानेकल परियोजना को तुरन्त अनुमति दी जाए ताकि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में बिजली की कमी दूर हो सके। तेलुगु-गंगा परियोजना के लागू करने में बाधाएं और रुकावटें दूर कर इसे तुरन्त लागू करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : उपाध्यक्ष जी, बजट के सिलसिले में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जो विचार प्रकट किए, उन्हें सुनकर के मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे स्वयं एक राज्य में सरकार चला रहे हैं और वहां का बजट भी उनके यहां पेश हुआ है। आज विपक्ष में जितने भी दल हैं उनमें नब बड़े दलों दलों की सरकारें राज्यों में हैं, इसलिए यह कल्पना करना वास्तविक होगा, यथार्थ होगा कि उन्हें इस बात का अनुभव है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या करती है और क्या करना चाहिए। एकतरफा आरोप लगाने से मैं समझता हूं, किसी उद्देश्य की सफलता नहीं होती। उन्होंने विशेषकर केवल एक बात की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया कि केन्द्र की सरकार जो उगाही करती है, जो प्राप्तियां वसूल करती है, उसका अधिकांश भाग राज्यों को नहीं जा रहा है या उनके कथनानुसार जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है। उन्होंने बजट की मूल भावना, उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति कोई भी विचार प्रकट नहीं किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने बजट को बजट को समझने का कदाचित प्रयास नहीं किया। यह बजट केवल इस दृष्टि से प्रस्तुत नहीं किया ऐसा मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार किसी न किसी प्रकार से अपनी प्राप्तियों को बढ़ाए और प्रदेशों के लिए जो धन का बंटवारा हो सकता है, उसमें कोई रुकावट आए। जितने भी कार्यक्रम केन्द्रीय बजट में रखे गए हैं केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर, मैं ऐसा समझता हूं कि अधिकांश कार्य करने का दायित्व राज्य सरकारों पर जाता है, चाहे निर्धनता उन्मूलन, कृषि उत्पादन या बिजली के उत्पादन से संबंधित काम हो। यह सभी राज्य सरकारों के कंधों के पर है। उन्हें जो धन यहां से आबटित किया जाता है, उसका वे सदुपयोग करती हैं। कहीं, कहीं, उस धन का दुरुपयोग होने के समाचार भी हमें मिलते हैं। इसलिए केवल यही गाथा गाना कि केन्द्रीय सरकार केवल अपने साधनों को बढ़ा रही है और राज्यों के साधनों को कमजोर कर रही है, मैं समझता हू कि उचित नहीं है।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत सी राज्य सरकारें अपने बजट में कोई कर

नहीं लगाना चाहतीं और ऐसे राज्यों में यह स्थिति होती है, जिनका प्रतिनिधित्व यहां विपक्ष में बैठने वाले राजनैतिक दल करते हैं। वे बजट में कोई कर न लगा कर, ऐसा बजट प्रस्तुत करती हैं जिससे जनता की वाहवाही उन्हें लूटने को मिले। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वे इस तरह अपनी संकुचित आय के स्रोतों का किस प्रकार से खुल्लमखुल्ला अपव्यय करती हैं। मैं यहां उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। एक प्रदेश में, बावजूद इस बात के कि केन्द्रीय सरकार चावल की उगाही और उसके वितरण पर सबसिडी देती है, वहां की प्रदेश सरकार ने एकदम से कम दामों पर गेहूं बेचकर लोगों की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया जिससे चुनावों में उनकी पार्टी को ज्यादा सफलता मिले। एक अन्य प्रदेश के सम्बन्ध में यहां अभी चर्चा हुई कि उन्होंने लोगों का कर्जा ही माफ कर दिया और इस बात पर रिजर्व बैंक द्वारा आपत्ति की गई। उनका कहना था कि यदि इस तरह बड़े पैमाने पर कर्जा वितरित किया जाए और बाद में उसे माफ कर दिया जाए तो आखिरकार सोचने की बात है कि वह रिजर्व बैंक को कहां से रुपया वापस करेगी, कहां से पैसा लायेगी। उसने जो कर्जा माफ कर दिया, वह धन कहां से आयेगा ? अब उस धन को वापस करने के लिए केवल दो ही रास्ते बच जाते हैं कि या तो वह राज्य ओवरड्राफ्ट लेगा अथवा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार से जो पैसा उसे दिया जाता है, उस धन का किन्हीं अन्य कार्यों में उपयोग करेगा। इस तरह धन का कितना दुरुपयोग होगा। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं रह जाएगा।

मान्यर, यहां पर माधव रेड्डी जी ने कहा कि जैसे हिन्दू समाज स्थिर है या दकयानूसी है, उसी तरह का यह बजट है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बजट की भावना को ठीक तरह से नहीं समझा। यदि उन्होंने समझा होता तो वे ऐसी बात कदाचित नहीं कहते, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा।

इस बजट के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमें इसके साहित्य में देखने को मिलता है तथा वित्त मंत्री जी ने इस बजट का जो लक्ष्य और उद्देश्य बताया है, उसको मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। यदि हम उन सातों उद्देश्यों को देखें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बजट की दिशा, बजट का लक्ष्य, उद्देश्य और उसके लिए संसाधनों का एकत्रीकरण, सभी चीजें समय की मांग के अनुकूल हैं। मैं इसके उद्देश्यों में यहां विस्तार में जाना नहीं चाहता परन्तु सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बजट विकासोन्मुखी है, विकास की गति को बढ़ाने का इसमें प्रयास किया गया है और उसका सबसे ताजा उदाहरण हमको इसी बात से मिलता है और जिसको सभी ने स्वीकार किया है कि वर्तमान वर्ष में कुल जी० एन० पी० में बढ़ोत्तरी 4.5 प्रतिशत होगी जो स्वयं इस बात का द्योतक है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा।

(व्यवधान)

अच्छा अभी टाइम रहता है।

[अनुवाद]

श्री श्याम लाल यादव : मैं भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को जारी रख सकते हैं। अब हम, गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करते हैं।

3.26 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आर० पी० सुमन (अकबरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा 5 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 5 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.30 म० प०

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक*

(धारा 1 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

डा० वत्सा सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 7-3-86 के फारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० दत्ता सामन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.31 म० प०

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

डा० रघुवीर राय (बर्दवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० सुधीर राय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 368 में संशोधन)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 7-3-86 में भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II खंड 2, में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.33 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म० प०

जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के निवारण के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

*दिनांक 7.3.86 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2, में प्रकाशित।

"कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रो० रंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं इस पर कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि मुनाफाखोरी को नियंत्रण में रखने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मेरे माननीय मित्र प्रो० मधु दंडवते का बहुत अच्छा विचार है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक को बनाकर उन्होंने इस देश के लाखों-करोड़ों किसानों के हितों की उपेक्षा की है। मैं विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूं। किन्तु यदि आप खंड 1 को देखें तो आप पाएंगे कि "डीलर" शब्द की उनकी परिभाषा में उत्पादक भी शामिल हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इनके शामिल करने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। मैं बीस वर्ष तक नियन्त्रण की प्रणाली के विरुद्ध लड़ता रहा हूं विशेषकर किसानों के लिए ये नियन्त्रण युद्ध के दौरान आरंभ हुए और तत्पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इसे वर्षों तक जारी रखा। मेरे पास ऐसे लाखों किसान आए जो भ्रष्ट प्रशासनिक नियन्त्रण से परेशान थे। यह भ्रष्ट प्रशासनिक नियन्त्रण प्रतिवर्ष अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता गया और फिर मुनाफाखोरी, जमाखोरी आदि को रोकने के नाम पर जनता का शोषण करता रहा। वास्तव में हमारे देश में किसानों का जिस प्रकार शोषण हो रहा था उसकी रक्षा के लिए हमें समस्त भारत में एक "अखिल भारतीय विनियंत्रीकरण दिवस" का आयोजन करना पड़ा था। प्रत्येक किसान वर्ष में न केवल अपने उपभोग के लिए अपितु बेचने के लिए भी कुछ रखता है ताकि वह अपना काम चला सके और उन चीजों को खरीद सके जिनकी उसे आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे उत्पादकों को इस विधेयक अथवा इस प्रकार के किसी कानून के अन्तर्गत लाया जाए। हमें इस प्रकार के नियंत्रण शासन का दुःखद अनुभव हुआ है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर दोहराया जाए। इसकी सख्तियों को कम करने के लिए विभिन्न प्रयास किये गए किन्तु परिणाम कुछ नहीं निकले। अन्त में सरकार को नियंत्रण शासन छोड़ने पर विवश होना पड़ा, और सौभाग्य से देश हमारे लिए अधिक से अधिक आत्म निर्भर हो रहा है और हमारी स्थिति ऐसी है जहां गेहूं के उत्पादन का आधिक्य है। मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र इस अपनी परिभाषा में उत्पादकों को क्यों लाना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि मसालों, खाने के तेल, चीनी के सम्बन्ध में तो मुझे संदेह है—शिशु, आहार, कागज, दवाइयां, औषधियां, मलाई-रहित दूध और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में नियंत्रण आरम्भ किया जाए। यहां भी सरकार के लिए उचित कार्य यही है वह इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कुशल तथा सन्तोषजनक प्रणाली स्थापित करे और फिर उनका उचित मूल्य की दुकानों तथा सहयोगी स्टोरों द्वारा वितरण करें। हमें उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी स्टोरों के कार्य का कुछ अनुभव था। यह पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं रहा है। किन्तु फिर भी ऐसे साधनों से यह सम्भव होना चाहिए और सम्भव भी होगा बशर्ते जनता की ओर से इन वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने में पर्याप्त सहयोग मिले, ऐसे मूल्यों पर जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।

खाद्यान्नों के विषय में हम लाभकारी मूल्यों के बारे में लड़ते रहे हैं। मेरे माननीय मित्र भी इस मांग के पक्ष में हैं। अभी तक हम इसमें सफल नहीं हुए हैं। हम अभी भी बात-चीत कर रहे हैं और राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार पर भी इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि हमारे उत्पादकों को, विशेषकर धान, चावल और गेहूं के उत्पदकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हों। हम इस दिशा में सफलता प्राप्त करने वाले हैं।

3.38 ब० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

मेरे माननीय मित्र अधिकतम मूल्यों के अधिकतम निर्धारण के विषय में विचार करते हैं। यह कौन करेगा—केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार? आवश्यक वस्तु, अधिनियम के अनुसार यह भारत सरकार द्वारा होना चाहिए, किन्तु राज्य सरकार की सलाह पर। क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि गेहूं और चावल का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकें? इसकी आवश्यकता कहां है? क्या इन्हें सैद्धान्तिक ढंग से निर्धारित किया जाना है? तो इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सैद्धान्तिक ही रहेंगे? इस प्रकार के प्रतिबन्ध अथवा निर्धारण से अधिकारी ही लाभ उठाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे अधिकारी हैं।

कल ही रेल मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार की है कि वह केवल रेलवे में भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करेंगे और यह सरकार के अन्य सभी पहलुओं पर लागू होती है, चाहे यह कांग्रेस सरकार हो, जनता सरकार हो अथवा केन्द्रीय सरकार, अथवा राज्य स्तर या केन्द्रीय स्तर पर हो। यह किसी हद तक हमारे जीवन का अंग बन गया है। वह लोग जो घूंस लेने वाले और देने वाले सभी प्रकार के लोग विद्यमान हैं। किसी न किसी स्तर पर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के प्रतिबन्ध और परिभाषा के अन्तर्गत आएगा।

अत: मेरी यह इच्छा है कि मेरे माननीय मित्र हमें यह आश्वासन दें कि वह खण्ड 2 (क) में से "उत्पादक" शब्द निकाल देंगे और "आयतक, थोक व्यापारी और परचून व्यापारी" से ही काम चलाएंगे। अन्यथा मुझे उनके विधेयक का पूर्णतया विरोध करना पड़ेगा क्योंकि मैं इन थोक व्यापारियों और मुनाफाखोरों से निपटना चाहता हूं; किन्तु मैं पूरे भारत वर्ष के उन किसानों को बचाना चाहता हूं जो गेहूं और चावल का उत्पादन करते हैं।

महोदय, वह कहते हैं कि इसमें उचित छूट का प्रावधान भी है। किन्तु, उस उचित छूट पर खंड 5 में स्वयं उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से शर्तें लगाई गई हैं।

(व्यवधान)

अत: मैं इस प्रकार इसकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री बंडवते किसानों के इतने ही अच्छे मित्र हैं जितने श्री डागा या मैं हूं।

मुझे लगता है, उन्होंने गलती से इन खंडों को शामिल किया है। अब इस स्पष्टीकरण में कहा गया है।

"किसी अनुसूचित वस्तु के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने की संभावना अथवा आशा···"

यह उन खाद्यान्नों के सम्बन्ध में है जो किसानों के पास हैं। अवश्य ही उनका यह इरादा नहीं है कि किसान इस आशा से अपना उत्पादन अपने पास न रखें कि वर्ष में आगे मूल्यों में वृद्धि होगी। उन्होंने खाद्यान्नों के बारे में नहीं अपितु अन्य वस्तुओं के बारे में सोचा होगा, यदि उन्होंने खाद्यान्नों के तथा इनके उत्पादकों के बारे में सोचा है और यह हमारे देश के करोड़ों-करोड़ों किसानों पर लागू होता है तो मैं इस प्रकार के विधेयक तैयार करने के बिल्कुल विरुद्ध हूं।

मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि वह अत्यन्त सतर्क रहें और विपक्ष के रवैये से और इस प्रकार का लाभ न उठाएं कि वे आगे आकर एक बार फिर इस प्रकार का शरारतपूर्ण नियंत्रण राज लागू करें। महात्मा गांधी के सॉयं काल प्रार्थना में प्रति दिन नियंत्रण राज के विरुद्ध लड़ना पड़ा। उन्हें नियन्त्रण शासन के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान छेड़ना पड़ा।

किसानों कई वर्षों तक अपनी सैकड़ों और हजारों सभाओं में इस नियन्त्रण शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करना पड़ा है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि मेरे मित्र पहले इन आलोचनाओं का सन्तोषजनक उत्तर देने के लिए और उसके बाद इस विधेयक पर जोर दें। अन्यथा मैं इस विधेयक का विरोध करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, स्पष्टीकरण के तौर पर मैं केवल यह कह सकता हूं कि अगर सारी सभा इस विधेयक का समर्थन करती है लेकिन प्रो० रंगा इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं इस विधेयक को लाना बिल्कुल पसन्द नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो दृष्टिकोण प्रो० रंगा ने व्यक्त किया है, उसको भी शामिल किया जाये। वास्तव में प्रारूप के कारण उन्होंने इसे थोड़ा सा गलत समझा है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रारूप पूर्णतया जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध है।

यह किसानों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने पहले वाले खण्डों में अनसूचित वस्तुओं की अधिकतम मूल्य या दरें निर्धारित करने की बात की है। लेकिन इस प्रारूप के बाद भी यह सन्देह रह गया है कि इसका उत्पादकों पर और किसानों पर भी कुछ भार पड़ सकता है और किसान फालतू उपज को नहीं रख सकेंगे। शब्दों में आवश्यक फेर-बदल की जा सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है बल्कि यह किसानों के पक्ष में है। इसलिए मैंने अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की बात की है अरे मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं। आश्वासन देने के बाद भी मैं जानता हूं माननीय मंत्री अनुरोध करेंगे कि मैं प्रारूप की भावना को स्वीकार करता हूं। वह इसे वापिस ले लें हम इस विषय में विचार करेंगे। मैं जानता हूं कि यही होने वाला है। लेकिन फिर भी चूंकि मेरे विचार और प्रो० रंगा के विचार किसानों के सम्बन्ध में है एक जैसे हैं, मैं यह कहने के लिए तैयार हू। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह विधेयक किसानों की न्याययुक्त गति विधियों पर उनके हितों पर और लाभकारी कीमतों पर प्रहार नहीं करेगा। आवश्यक फेर-बदल किया जा सकता है। लेकिन प्रो० रंगा को इस समय इस विधेयक की चर्चा और विचार करने के

स्तर पर पुरःस्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए। हम इन मोरों पर विचार कर सकते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.44. म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनु. भाग 10-क का अंतःस्थापन) [—जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा श्री आनन्द पाठक द्वारा 6 दिसम्बर, 1985 को प्रस्तुत किये गये निम्नकथित प्रस्ताव पर विचार करेगी, अर्थात—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एस० बी० चव्हाण बोल रहे थे।

गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण : सभापति महोदय, पिछली बार मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि माननीय सदस्य श्री पाठक ने संविधान (संशोधन) विधेयक में जो कुछ कहा है उसे सरकार स्वीकार क्यों नहीं कर सकती। इस संविधान (संशोधन) विधेयक में संविधान में एक नया भाग 10 क की अन्तः स्थापना का प्रस्ताव है जिसके लिए अनुच्छेद 244 और 275 में संशोधन करना होगा ताकि दार्जिलिंग क्षेत्र को स्वायत क्षेत्र का दर्जा दिया जा सके। मैंने उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ा है जो माननीय सदस्य ने अपने गैर-सरकारी विधेयक के साथ संलग्न किया है। इसमें साफ-साफ कहा गया है वे किसी न किसी तरह कुंठा से ग्रस्त हैं, वे अपने आपको मुख्य धारा के साथ जोड़ने में असमर्थ पा रहे हैं। वे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में पीछे रह गए हैं। उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है पश्चिम बंगाल सरकार ने 1981 में किसी न किसी तरह एक संकल्प पारित किया।

श्री अमल दत्त : सर्वसम्मति से।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसलिए वह और भी गम्भीर हो जाता है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था जिसमें भारत सरकार से यह सिफारिश की गई थी कि वह एक ऐसी समिति नियुक्त करें, जो इस मामले की गहराई से अध्ययन करे और पता लगाए कि दार्जिलिंग और अन्य नेपाली भाषी क्षेत्रों को स्वायतशासी क्षेत्र का दर्जा कैसे दिया जा सकता है।

सर्वप्रथम, अगर मैंने ठीक प्रकार से समझा है वे यह नहीं कह रहे कि वे आदिवासी हैं या वे अनुसूचित जाति के हैं केवल भाषा के आधार पर वे कह रहे क्योंकि वे नेपाली भाषी हैं इसलिए वे एक स्वायतशासी स्वरूप बनाए रखना चाहते हैं।

सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल को यह बताना पड़ेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्र हैं और पिछड़े हुए क्षेत्रों की जिम्मेदारी विशेषतया राज्य सरकारों की है। इनको इस ढंग से योजना बनानी पड़ेगी कि आन्तरिक और क्षेत्रीय असन्तुलन दूर हो जाये और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाये। वे इसे स्वयं करने में सफल नही हुए हैं। मैं नहीं समझता वे सफल हुए हैं, वे नहीं हुए हैं क्योंकि इस प्रकार का सुझाव स्वयं विधान सभा से आया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होते हुए भी उन्होंने यह संकल्प पारित करना और उसे केन्द्र सरकार को भेजना कैसे उचित समझा।

श्री अमल दत्त : आपको केवल एक समिति स्थापित करनी है। आप तब उनकी सिफारिशों पर विचार कर सकते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इसको भली भांति समझता हूं। लेकिन हम तो इस सिद्धान्त के पूर्णत: विरुद्ध हैं। मुझे सभा के समक्ष इस प्रकार के उपायों के परिणामों को रखना है। क्यों हम विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास एक प्रकार के तंत्र द्वारा कराने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं ?जहां तक दार्जिलिंग का सम्बन्ध है, उन्हें न केवल आम तौर पर दी जा रही धनराशि मिलेगी बल्कि उन्हें पर्वतीय क्षेत्र विकास निधि भी मिलनी चाहिए।

श्री अमल दत्त : उन्हें नहीं मिल रही है।

श्री एस० बी० चव्हाण : वह एक दूसरा विषय है। लेकिन इस क्षेत्र के विकास और ऐसे दूसरे क्षेत्रों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। अगर हमें इस सिद्धान्त को स्वीकार करना है तो हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा कि सभी राज्यों में जहां कहीं पिछड़े क्षेत्र हैं हम उन्हें विशेष दर्जा दें और स्वायतशासी क्षेत्र मानें।

श्री अमल दत्त : यहां हम पृथक संस्कृति और भाषा वाले जातीय समूहों की बात कर रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि

उन्हें इस समय जो दर्जा प्राप्त है उससे सांस्कृतिक विकास में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। अतिरिक्त वस्तु है जो आप इस स्वायतशासी क्षेत्र बनाकर आप और क्या अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगे ? उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि उन्हें कुछ कानून और उप कानून पारित करने के अधिकार होंगे और पश्चिम बंगाल राज्य में उनका अपना पृथक अस्तित्व होगा। अगर मैंने माननीय सदस्य के विधेयक को ठीक तरह समझा है तो मेरे विचार में उनके विधेयक का यही उद्देश्य है। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास और सांस्कृतिक मामलों में विशेष जोर देने की आवश्यकता है और इस पर आपत्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा जो यत्न किये गए हैं वे इसके बहुत ही अनुरूप हैं। सम्बन्धित सरकार के कहे जाने के उपरान्त, क्या कभी केन्द्र सरकार ने किसी सांस्कृतिक विकास के लिए उस क्षेत्र में विरोध किया है। यह भी एक ऐसा मुहरा है जो बहुत प्रासंगिक हो जाता है। कम से कम जहां तक मुझे जानकारी है इस प्रकार का कुछ नहीं है। वास्तव में यह हमारी नीति रही है और हम उस क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने और उस ओर विशेष ध्यान देने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हम न केवल आदिवासी क्षेत्रों बल्कि अन्य क्षेत्रों की विशेष सांस्कृतिक धरोहर के विरुद्ध नहीं हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वे नेपाली भाषा को हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : सांस्कृतिक विकास से आपका यही आशय है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुछ भी हो। यही हमारी संस्कृति का एक भाग है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक उनकी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने का सम्बन्ध है, मैं इस विषय पर भी आ रहा हूं।

प्रथम तो उनकी उपेक्षा के कारण उनमें निराशा की भावना है। यह आपके प्रतिनिधियों के लिए बिल्कुल अनुचित बात है कि जो विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, वे यहां आकर शिकायत करें कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से दार्जिलिंग वहीं का वहीं है जो यह कह रहा है कि वे पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना पश्चिम बंगाल सरकार का विशेष दायित्व बनता है। हम आपसे ये अवश्य जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया है ? पश्चिम बंगाल सरकार को यह स्पष्टीकरण देना है कि वे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में अभी तक सफल क्यों नहीं हुये हैं !

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वहां के लोग पश्चिम बंगाल सरकार से तंग आ चुके हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : वास्तव में यह तर्क उन लोगों के विरुद्ध जायेगा जिन्होंने यह प्रस्ताव 1981 में पास किया था।

श्री अमल दत्त : हमें सत्ता में आये केवल चार साल हुए हैं ? आप वहां सत्ता में अधिक समय रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : केवल चार साल में वे तंग नहीं आ सकते।

श्री अमल दत्त : वे हमारे सत्ता में आने से पूर्व ही तंग आ चुके थे। उस संकल्प को पास करने का उनके पास यह अवसर था।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे पास दूसरा तर्क भी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य जैसा दीखता है उसमें उससे कहीं अधिक जटिलताएं हैं। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर ध्यान देने की बजाय यह विवाद उत्पन्न करने का चतुर ढंग है। उनका ध्यान आर्थिक विकास से हटाकर आप बड़ी चतुराई से दार्जिलिंग और केन्द्र सरकार में संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार आप चाहते हैं कि दूसरे राज्य में भी लोग इस प्रकार के आन्दोलन शुरू करें ताकि आप अशान्ति की भावना पैदा करने में सफल हो सकें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप जानते हैं कि दार्जिलिंग में "गोरखा लैंड आन्दोलन" नाम से एक अलगाववादी आन्दोलन चल रहा है और ये लोग जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया था इस आन्दोलन का विरोध कर रहे हैं। वे अलगाववादी नहीं हैं। उन पर ये आरोप मत लगाइये कि वे अलगाववादी हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : अब क्योंकि माननीय सदस्य ने उत्तराखंड की मांग का जिक्र किया है···(व्यवधान)।

कुछ माननीय सदस्य : गोरखा लैंड।

श्री एस० बी० चव्हाण : ये दोनों एक ही चीज हैं, इसमें सिक्किम, दार्जिलिंग क्षेत्र के भाग और कूचबिहार भी तथा कुछ अन्य क्षेत्र होंगे और यह नेपाली भाषा बोली जाने वाला क्षेत्र कहलायेगा माननीय सदस्य के इस बारे में अपने विचार हो सकते हैं। परंतु अंततः यह कदम इसी दिशा में है। यदि मैंने कहूं ये एक बात को दूसरे ढंग से कहने का कुशल तरीका है कि अंततः हमें उत्तराखण्ड राज्य की तरफ जाना होगा। यदि एक स्वतन्त्र जिले के लोगों की कुछ धारणायें भी पूरी नहीं की जातीं तब उनकी दूसरी मांग पूर्ण राज्य की प्राप्ति होगा। राज्य का दर्जा देने के बाद यह उत्तराखण्ड या गोरखा लैंड नाम से छोटा सा राज्य बन जाता है। मैं नहीं सोचता कि जो विभिन्न प्रकार के सुझाव सभा में पेश किये जा रहे हैं उनमें निहित जटिलताओं को सरकार नहीं समझती। यही कारण है, और मैंने पहले भी कहा है कि यदि हम इस प्रकार के सुझावों को स्वीकार करते हैं तो बहुत गहन उलझनें पेश आयेंगी।

नेपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। यह दूसरा पहलू है जिस पर कई बार विचार किया जा चुका है। इस पहलू पर कई बार बातचीत हो चुकी है। कई भाषाओं को अष्टम अनुसूचि में शामिल करने की मांगें हो चुकी हैं। सरकार के पास सैकड़ों

आवेदन पत्र पड़े हुए हैं और यह प्रतीत होता है कि लोगों को कुछ गलत फहमियां हैं। लोग सोचते हैं कि यदि भाषा को एक बार अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया जाये तो भाषा का विकास अपने आप ही शुरू हो जायेगा और इसे एक विशेष दर्जा मिल जायेगा।

जहां तक नेपाली भाषा के विकास का सम्बन्ध है हम निश्चित रूप से इसके विरुद्ध नहीं हैं। वे नेपाली भाषा को विकसित कर सकते हैं। हम उनको हर प्रकार की सहायता देने को तैयार हैं जो नेपाली भाषा के विकास के लिए चाहिए। परन्तु नेपाली भाषा के विकास या नेपाली भाषा के विकास के लिए एक अकादमी की स्थापना करने के लिए मैं नहीं सोचता कि इसको अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना आवश्यक है।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : हमारे पास लघु भाषाओं के लिए स्थानापन्न अधिनियमन नहीं है। यह केवल भारत की प्रमुख भाषाओं की राष्ट्रीय अकादमी है। यही कारण है कि लघु भाषा समूह को भी आठवीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैं नेपाली भाषा को अष्टम अनुसूची में शीघ्रातिशीघ्र शामिल करने की मांग करता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि माननीय सदस्य नेपाली भाषा के विकास के इच्छुक हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे मानव संसाधन विकास मन्त्रालय से बात करें और वे आपको बतायेंगे कि आप नेपाली भाषा का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। एक भाषा के विकास के बारे में कोई मतभेद नहीं है। सभी भाषाओं के विकास की आवश्यकता है और नेपाली भाषा भी एक है जिसका विकास अवश्य होना चाहिये और हम भी इसके विकास के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

कृपया मुझे मत टोकिये। मुझे अब जाना है। मुझे इसे चार बजे तक समाप्त करना है। अतः मैं नहीं समझता कि इस कारण भी यह कहने का कोई महत्व है कि दीर्जिलिंग क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये और इसी वजह से मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की पूर्णतया सराहना करता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सम्बन्धित सरकार द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए।

जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सम्बन्ध है, वह उस भाषा के विकास के लिए आवश्यक मदद और सहायता देने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अतः इन दोनों कारणों से मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के विधेयक को समर्थन देने की कोई आवश्यकता है और इसलिए मैं सदन से और विशेष रूप से माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इसे विधेयक को वापस ले लें। और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक को अस्वीकार कर दे।

4.00 म० प०

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : श्रीमन्, पिछले कुछ सप्ताह से इस विधेयक पर बहस चल

रही है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे विधेयक अर्थात् संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985 (1985 की विधेयक संख्या 122) पर बहस में हिस्सा लिया है।

मैं अपने उन साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति और विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं माननीय सदस्य श्री नारायण चौबे तथा श्री पीयूष तिरकी का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है।

लेकिन मोटे तौर पर मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि स्वायत्तता के सिद्धान्त को उचित रूप से नहीं समझा गया है। मैं अपने उत्तर के अन्त में गृह मंत्री की टिप्पणियों का जवाब दूंगा। 6 दिसम्बर, 1985 के विधेयक प्रस्तुत करते समय मैं अपने भाषण में पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि स्वायत्तता की मांग अलगाववादी मांग नहीं है। बल्कि यह तो भारत की एकता एवं अखंण्डता को मजबूत करने तथा दूर सीमा पर स्थित अलग-थलग पहाड़ी क्षेत्र के लोगों और शेष भारत के लोगों के बीच भाईचारे और मित्रता के सम्बन्धों को और मजबूत करने की मांग है।

यह मांग भारत के संविधान की सीमा के बाहर की मांग नहीं है। वास्तव में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, 244 (1), 275 तथा तथा पांचवी और छठी अनुसूची में स्वायत्तता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है।

आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरमा आदि अनेक स्वायत्तशासी जिले और क्षेत्र हैं जहां निर्वाचित परिषदों की व्यवस्था है और संविधान में इन सबका उपबन्ध है। इन सभी प्रावधानों की व्यवस्था अनुसूचित जन जातियों के लोगों तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए की गयी है।

मैंने अपने पिछले भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी उपमण्डलों के लोगों की समस्या उपर्युक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भिन्न नहीं है जैसे आसाम तथा पूर्वोत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के लोगों की तरह वे भी आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुए हैं।

यह तर्क दिया गया है कि यह विधेयक एक राज्य के अन्दर दूसरे राज्य की रचना का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है। लेकिन राज्य की तथा स्वायत्तशासी क्षेत्र की परिभाषायें बिल्कुल भिन्न हैं और मैंने पश्चिम बंगाल राज्य के अन्दर एक और राज्य की वकालत नहीं की है। मैंने दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी उपमण्डलों के सघन क्षेत्र पड़ौसी जिले के दार्जिलिंग से मिलते क्षेत्र के जहां अधिकांश लोग नेपाली-भाषी हैं, लोगों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर स्वायत्तता की वकालत की है।

आपको पता होगा कि पटस्कर आयोग ने भी जिसने कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न जातियों की समस्या का अध्ययन किया था, राज्य के भीतर एक राज्य की स्थापना की सिफारिश की थी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए स्काटलैण्ड जैसी अर्थात् राज्य के दर्जे के समकक्ष स्वायत्तता का सुझाव दिया था। यह सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्योंकि यह

महसूस किया गया था कि इन क्षेत्रों के लोग दूसरे क्षेत्रों के लोगों के बराबर आने में समर्थ नहीं हुए थे और चूंकि वे लोग भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा मानसिक रूप से इन राज्यों के बहुसंख्यक समुदायों से भिन्न थे, वे अपनी पहचान बनाए रखकर अपने तरीके से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में भाग लेना चाहते थे।

बहस के दौरान कुछ माननीय मित्रों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धान्त की भी आलोचना की है, जो कि हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण मांग थी।

परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वे सिद्धान्तों तथा सभी राष्ट्रीय मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं।

उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के तीव्र विकास किए जाने की चर्चा की है तथा बताया है कि स्वाधीनता के बाद भी इन क्षेत्रों का आपेक्षित विकास अथवा प्रगति नहीं हो पाई। अतः वे लोग भी संतुष्ट नही हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब तक आप उन्हें विकास कार्यों में तथा प्रशासन से सम्बद्ध नहीं करते तथा उन पर जिम्मेदारी नहीं सौंपते वे लोग अपने को अलग तथा उपेक्षित अनुभव करेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में भागी बनने की उनकी इच्छाएं तथा आकाक्षाएं पूरी नहीं होंगी। यह हमारा दृष्टिकोण है।

केवल वित्तीय आवंटन से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको उन्हें राष्ट्रीय एकता तथा देश के विकास कार्यों में लगाना होगा ताकि वे इस बारे में अपना कर्तव्य निभा पायें।

आपको ध्यान रहना चाहिए कि उनकी पृथक भाषा, पृथक संस्कृति तथा अन्यों से पृथक रवैया है। पपन्तु मंत्री महोदय ने बताया है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की मांग बेहूदा है। बात यह है कि कई वर्षों से बल्कि मोर्ले के समय से स्वायत्तता की मांग की जाती रही है। उन्होंने मिन्टो रिफार्मस, साइमन आयोग तथा अन्य आयोगों के समक्ष भी अपना मामला रखा। दार्जिलिंग के लोगों ने इन आयोगों के समक्ष बार-बार अपनी मांगें रखीं तथा विशेष दर्जे की मांग की क्योंकि उन्होंने अन्य लोगों की तरह देश के लिए अपना योगदान किया, उसकी रक्षा की। ब्रिटिश काल में वे उपेक्षित अनुभव करते थे, उन्हें उन्नति के अवसर नहीं दिए जाते थे, वे शैक्षिक, राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे तथा सभी तरह से इन्हें अलग समझा जाता था तथा उनके क्षेत्रों को आंशिक रूप से निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था। उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग समझा जाता था यह स्थिति भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन थी। स्वाधीनता के बाद भी वे अनुभव करते हैं कि वे उपेक्षित हैं तथा राष्ट्र निर्माण तथा देश के विकास कार्यों में उनका सहयोग नहीं लिया जाता। इसीलिए कुछ उत्तरदायित्व कुछ स्वायत्तता, कुछ विशेष व्यवस्था की मांग की गई है ताकि वे देश के प्रशासन तथा विकास कार्यों में भागीदार बन सकें, इसके लिए कानूनी व्यवस्था चाहते थे। यह पृथकता की मांग नहीं है। यदि इस औचित्यपूर्ण लोकतंत्रीय मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तो उन लोगों में निराशा व्याप्त हो जायेगी जिससे पृथकतावादी मांगें पैदा होंगी।

इस समय स्वायत्तता की मांग को बार-बार अस्वीकृत किया जाता है।

वे समझते हैं कि यदि ऐसा ही रहा तो कुछ भी नही होगा।

अतः हमें उनकी मांगों को किसी तरह मानने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। कुछ लोग "गोरखा लैंड" के नाम पर पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। ये सभी बातें निराशा के कारण पैदा हुई हैं।

मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय सभा में नहीं हैं—वह शुरू में ही पश्चिम बंगाल सरकार पर पश्चिम बंगाल विधान सभा में संकल्प पारित करने के लिए उनकी साहसिकता पर आरोप लगा रहे थे। महोदय, आपको पता होना चाहिए कि जिस कानून का मैं उल्लेख कर रहा हूँ वह सर्व-सम्मति से पारित हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने इसका विरोध किया है। दार्जिलिंग के लोगों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए जोकि उचित ही है।

दूसरी बात विकास के बारे में है। मंत्री महोदय ने बताया है कि जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का प्रश्न है उन्होंने जनता की सहायता करने की चेष्टा की है। उन्होंने नेपाली जनता की सहायता की है तता नेपाली अकादमी की स्थापना की है। उसी प्रकार वे नेपाली कवियों, कलाकारों, लेखकों को पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा वे पिछड़े लोगों के आर्थिक विकास की चेष्टा करते हैं। गृह मंत्री ने अपने भाषण के आरम्भ में ही उनकी आलोचना की है। वे दो बार सत्ता में आए हैं तथा अगली बार भी आयेंगे। इसलिए अब भी सरकार को जनता की उचित मांग को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। अन्यथा स्थिति खतरनाक बन जाएगी। संविधान के अंतर्गत यह शक्ति सरकार के पास है कि वे जनता की मांग को स्वीकार करें। यह संविधान के अनुरूप है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि जनता की इस मांग को समर्थन दें तथा विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन दें।

सभापति महोदय : चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है अतः मैं सभा में मतदान कराया जाना है। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

अब्दुल हमीद, श्री

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण

आचार्य, श्री बसुदेव

घोष गोस्वामी, श्रीमती बिभा

चौधरी, श्री समर ब्रह्म

चौधरी श्री सैफुद्दीन

जायनल अबेदिन, श्री

दत्त, श्री अमल

दास, श्री सुदर्शन

*देवमान, डा० पी० वल्लल

धनातवाला, श्री जी० एम०

मंडल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

राय, डा० सुधीर

राव, श्री मोहरि

रेड्डी, श्री सी० माधव

हंसदा, श्री मंतिलाल

विपक्ष में

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान

एन्टनी, श्री पी० ए०

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री मोहम्मद अयूब

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गोमांगो, श्री गिरिधर

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

जदेजा, श्री डी० पी०

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

डेनिस, श्री एन०

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

तिवारी, प्रो० के० के०

दलवीर सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

नीखरा, श्री रामेश्वर

पंजा, श्री ए० के०

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री बालासाहेब विखे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाठक, श्री चन्द्र किशोर

पुष्पा देवी, कुमारी

बशीर, श्री टी०

बीरबल, श्री

भगत, श्री एच० के० एल०

भरत सिंह, श्री

महाजन, श्री वाई० एस०

महेन्द्र सिंह, श्री

यादव, श्री आर० एन०

रथ, श्री सोमनाथ

राजहंस, डा० गौरी शंकर

वैराले, श्री मधुसूदन

व्यास, श्री गिरधारी लाल

शंकरा नन्द, श्री बी०

शास्त्री, श्री कृष्णचन्द्र

शाह, श्री अनूपचन्द

संकटा प्रसाद, डा०

साठे, श्री बसन्त

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंह, श्री लाल विजय प्रताप

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुमन, श्री राम प्यारे

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

सैकिया, श्री एम० आर०

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन* का परिणाम* इस प्रकार है : पक्ष में : 17, विपक्ष में : 47.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

4.20 म० प०

संविधान संशोधन विधेयक

(नए अनुच्छेद 16क का अन्तःस्थापन आदि)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगले मद पर विचार करेंगे। श्री जी० एम० बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्री आनन्द पाठक, श्री सत्य गोपाल मिश्र, श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया, श्री महेश्वर तांती।

विपक्ष में : श्री अब्दुल गफूर, श्री भोला राउत, श्री जनक राज गुप्ता, श्री केयूर भूषण, श्री दिग्विजय सिंह, श्री एल० बलरामन, श्री आई० राम राय, श्री लच्छी राम, श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुप्ता, श्री जगन्नाथ पटनायक, श्री राधाकान्त त्रिपाल, श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर, डा० पी० बल्लल पेरुमान, चौधरी सुन्दर सिंह, श्री के० एस० रंगनाथ, श्री श्रीपति मिश्र, श्री राम सिंह यादव, श्री जगन्नाथ चौधरी, श्री मानकूराम सोढ़ी, श्री पी० वण्मुख, श्रीमती सुमति उरांव, श्रीमती शीला दीक्षित, श्री मोहन लाल, श्री अनन्त प्रसाद सेठी।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि :

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।"

यह अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों में शामिल है···(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पेश किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सदैव अच्छे विधेयक पेश करता हूं। केवल आपका उस पर सोचने का तरीका अनुकूल होना चाहिए।

महोदय, यह अनुच्छेद 41 हमारे संविधान में दिए गए नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। यह अनुच्छेद वैसे तो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति काम का अधिकार पाने अथवा बुढ़ापा, बीमारी, अंगहानि अथवा अनर्ह अभाव की दशा में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को पाने के लिए अदालत में नहीं जा सकता। यह संशोधन विधेयक, जो मैंने अभी सदन के समक्ष रखा है, का उद्देश्य इस अधिकार को नीति निदेशक तत्वों से हटाकर मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाना है। दूसरे शब्दों में, जो विधेयक मैंने आज पेश किया है उसका उद्देश्य काम पाने के अधिकार को हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बनाना है जिसे कि कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। इस समय मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व के अनेक देशों ने काम पाने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। न केवल समाजवादी देश जापान, फ्रांस तथा अन्य कई देशों ने इसे मूल अधिकार मान लिया है। इसके अतिरिक्त भारत मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणा के प्रति वचनबद्ध है और मैं सदन का ध्यान मानव अधिकारों सम्बन्धी विश्व घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 23(1) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि "सभी को काम पाने का रोजगार में चुनाव की स्वतन्त्रता का, काम की न्यायपूर्ण तथा उचित परिस्थितियां पाने का तथा बेरोजगारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।" चूंकि भारत मानव अधिकारों सम्बन्धी विश्व-घोषणा के प्रति वचनबद्ध है, इसलिए हमें अपने संविधान में इस आशय का प्रभावी उपबन्ध करने में हिचक नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे सभी नागरिकों को केवल कागजों पर नहीं, अपितु वास्तव में काम पाने का अधिकार प्राप्त हो सके।

मैं कह सकता हूं कि अब हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां पर काम पाने के अधिकार को कानून द्वारा लागू करना आवश्यक है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे पूरे राष्ट्र को परेशानी होगी। काम पाने के अधिकार का प्रश्न देश में व्याप्त व्यापक बेरोजगारी की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक

भीषण तथा विस्फोटक है। कम से कम शब्दों में कहा जाए तो बेरोजगारी गरीबी की वजह से है। यदि बेरोजगारी की समस्या को सुलझाया नहीं गया तो यह सोचकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इसके कितने गम्भीर परिणाम होंगे। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बेरोजगारी गरीबी की वजह से है और गरीबी का मतलब है स्वयं जिंदगी से वंचित होना। मैं मानता हूं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या से उत्पन्न होने वाली चिन्ताजनक स्थिति से पूरी तरह से अवगत है। इस सम्बन्ध में काफी कुछ किया जा रहा है जिसका श्रेय सरकार को जाना चाहिए। सरकार बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है और इस समस्या से निपटने के लिए शुरू किए गए अभियान को श्रेय न देना न्यायपूर्ण न होगा। हम देखते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार लाभप्रद कार्यक्रम जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण योजना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना तथा अन्य कई योजनाएं। इस सम्बन्ध में सरकार के प्रयास सराहनीय हैं।

मुझे सरकार तथा उसके द्वारा किए जाने वाले ठोस प्रयासों को देखते हुए यही कहना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। लेकिन इतना कुछ किए जाने के बावजूद भी स्थिति चिंताजनक है। मैं मानता हूं कि यदि केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को ही लिया जाए तो भी काफी हद तक रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। वर्ष 1981-82 में 3357.3 लाख कार्य दिवसों तक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। सरकार इन लक्ष्यों से भी आगे निकल गई है और इसने 3545.7 लाख कार्य दिवसों का रोजगार सृजन किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष 1982-83 में 3532.2 लाख कार्य दिवसों का लक्ष्य रखा गया था। उपलब्धि 3501 लाख कार्य दिवस के रोजगार सृजन को ही 1983-84 में 3222.3 लाख कार्य दिवस के रोजगार का लक्ष्य रखा गया और उपलब्धि 3020.2 लाख कार्य दिवस की रही। 1984-85 में यह लक्ष्य 3091.3 लाख कार्य दिवस रखा गया और उपलब्धि 3499 लाख कार्य दिवस रही। इसलिए महोदय, हमें यह मानना चाहिए कि सरकार द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। केवल इ-ना ही नहीं बल्कि हमें इस बात की भी सराहना करनी चाहिए कि बड़े कार्यक्रमों, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए योजना परिव्यय में 65 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए 51 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए आवंटन में 93 प्रतिशत तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर मैं इस सदन में सरकार पर इस समस्या के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाएं। उसके प्रयास प्रशंसनीय हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि इतना सब करने के बावजूद भी इस समस्या को अभी पूरे तौर पर समझना बाकी है। हम देखते हैं कि वर्ष 1989-90 के अन्त में 82.2 लाख खोज अभी

भी बेरोजगार होंगे। शिक्षित बेरोजगार के मामले में यह आशंका है कि यदि बेरोजगारी की दर कम नहीं हुई है तो उनकी संख्या वर्ष 1985 के आरम्भ में 37 लाख से बढ़कर 1990 तक 49 लाख हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण परिस्थितियां गम्भीर हो गई हैं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि वर्ष 1986 की शुरुआत भी इस समाचार के साथ हुई कि लगभग 1,32,000 लोगों ने कलकत्ता निगम में अकुशल कर्मचारियों की सूची में दर्ज करने हेतु अपना नाम भेजा है। और केवल 300 लोगों का नाम पेनल में रखा जाना था और वह भी दैनिक मजदूरी पर। और इसके लिए 1,32,000 अभ्यर्थी थे। अभी हमने केवल कलकत्ता निगम का उदाहरण देखा है। और हमने यह भी देखा कि बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशी स्नातक थे। कई लोगों के पास तो 'लॉ' की डिग्री भी थी। इस प्रकार लॉ डिग्री वाले व्यक्ति कलकत्ता निगम में अकुशल कर्मचारियों की तरह दैनिक मजदूरी के लिए आवेदन करते हुए पाए गए। स्थिति यह है। और जब आवेदन पत्र वितरित करने का समय आया तो हमें और भी बुरी खबर मिली कि वहां लाठी चार्ज करना पड़ा और कई लोग घायल हो गए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और यह आवश्यक है कि इस स्थिति को पूरी गम्भीरता से लिया जाए।

महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि काम पाने का अधिकार निस्सन्देह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि बात मुझ पर छोड़ दी जाये तो मैं यह बेरोजगारी भत्ता बिलकुल पसन्द नहीं करूंगा। एक जमाना था जब लोगों को यह कहते हुए शर्म आती थी कि 'हम बेरोजगार हैं।' वे इसे छुपाना चाहते थे। आज पश्चिमी देशों में लोग बेहिचक कहते हैं कि 'मैं बेरोजगार हूं, मुझे बेरोजगारी भत्ता दो।'

अतः अब मान बदल गए हैं। मैं बेरोजगारी भत्ता बिलकुल पसन्द नहीं करूंगा। सर्वोत्तम तरीका तो यही है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्वयं ही इस प्रकार संचालित हो कि काम का अधिकार सुनिश्चित हो। किन्तु यह तो इच्छा है। सभी इच्छायें पूरी नहीं होतीं। इस स्थिति की वास्तविकता यह है कि सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद अर्थव्यवस्था सभी को रोजगार देने में असमर्थ है। हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था इस स्थिति में नहीं है कि सभी को काम दे सके। यह हमारी अर्थव्यवस्था की असफलता है। केवल यही नहीं, रोजगार उत्पन्न करने की दर भी कम हो गई है। एक ओर तो हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी से लड़ेंगे और यदि हम सातवीं योजना के दस्तावेजों को देखें तो सम्बन्धित अध्याय इस प्रकार शुरू होता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को उत्तरोत्तर कम करना है। जबकि दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि रोजगार उत्पन्न करने की दर गिर रही है। छठी योजना अवधि के दौरान रोजगार उत्पन्न करने की दर 4.32 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि सातवीं योजना में हम 3.99 प्रतिशत की दर की आशा रखते हैं। इस प्रकार यद्यपि हम योजना बनाते हैं किन्तु वे योजनाएं रोजगार सृजन के मामले में निम्न दर की होती हैं। यह ऐसी बात है जिसे पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और यह नियोजित अर्थव्यवस्था की ओर हमारे प्रयासों का दुःखद फल है।

अतः मैं कहूंगा कि जब स्थिति ऐसी है कि 7वीं योजना में भी रोजगार उत्पादन की दर का

लक्ष्य नीचा रखा गया है, और जब बेरोजगारी की समस्या ने पहले ही इतना खतरनाक आकार धारण कर लिया है तो यह अत्यन्त व्यावहारिक आवश्यकता है कि हम अल्पकालीन उपाय करें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था असफल न हो जाए। यहां मैं छठी योजना के मसौदे में से एक उद्धरण दूंगा। बेरोजगारी के विषय में छठी योजना का मसौदा पृष्ठ 202, पैरा 13.28 में कहा गया है :

> "शिक्षित जनशक्ति को देखते हुए या कुल उत्पादन को देखते हुए रोजगार अवसर हाल में पर्याप्त नहीं रहे हैं। जैसा कि अनुमान द्वारा प्रदर्शित होता है, दीर्घ कालीन रोजगार के सम्बन्ध में भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। अतः छठी योजना के दौरान रोजगार नीति को दो बड़े लक्ष्यों को पूरा करना है। बहुसंख्यक श्रम शक्ति के सम्बन्ध में योग्यता से कम रोजगार की स्थिति को दूर करना तथा दीर्घकालीन बेरोजगारी को कम करना। यद्यपि केवल एक द्रुतगति वाले रोजगार-उन्मुख ढांचे के अन्दर ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान पाया जा सकता है, अल्प-काल में भी एक समन्वित तरीके से उचित तरीके विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए ढूंढ़े जाने हैं।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि जब देश की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी को समाप्त करने की स्थिति में नहीं है, और जब हमारे प्रयत्नों में रोजगार उत्पादन की दर में गिरावट की बात स्पष्ट है, तो बेरोजगारी की इस विस्फोटक स्थिति से निबटने के लिए अल्पकालीन उपायों की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है, और बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता देने की एक कुशल प्रणाली की व्यवस्था करें।

मैं इस बात को अवश्य समझता हूं कि संसाधन सीमित हैं। सदन में यही उत्तर हमें हमेशा मिलता है। इसलिए, अपने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तावित करते समय भी मुझे ऐसे ही उत्तर की आशा थी ?

ऐसा कहा जा सकता है कि यदि काम करने के अधिकार को ऐसा अधिकार बना दिया जाए कि वह कानून द्वारा लागू किया जा सके, तथा जब अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में नहीं है कि प्रत्येक चाहने वाले को काम दिया जा सके, तो बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता दिए जाने का अर्थ होगा, हमारे संसाधनों में भारी कमी हो जाएगी तथा इसके कारण दूसरी अन्य दिशाओं में किए जा रहे हमारे प्रयत्नों पर भी प्रतिकूल दबाव पड़ेगा, यह बहाना हमेशा ही बनाया जाता है।

लेकिन मैं सरकार से अवश्य कहूंगा कि वह इस विशेष प्रश्न के विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार करे। बेरोजगारी को इस प्रकार नहीं बढ़ने दिया जा सकता है जिस प्रकार कि इस समय यह बढ़ रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो राष्ट्र को उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अतः मैं परिणामों के विषय में सोचकर कांप जाता हूं, जहां चाह, वहां राह, और संसाधनों में से ही राह निकालनी होगी और काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना सम्भव होना चाहिए।

मैं कह सकता हूं कि ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जिनका दोहन किया जा सकता है, आयकर तथा उत्पाद शुल्क से बकायों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? उत्पाद शुल्क से राजस्व में कर की कितनी चोरी होती

है उस स्थिति को देखिए, जैसा कि आप जानते हैं वांचू समिति ने कोई 20,000 करोड़ रुपए के काले धन का अनुमान लगाया था। काले-धन का दोहन करने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

यहां मैं यह बता दूं कि 1983 में इस सभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान तत्कालीन श्रम मंत्री ने कहा था कि यदि बेरोजगार भत्ता दिया जाना स्वीकार कर लिया जाए तो इसके लिए 629 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष आवश्यकता होगी। यह राशि अधिक भी हो सकती है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर यह गणना की गई। लेकिन इस सभा में 'हमें' यह बताया गया कि प्रतिवर्ष 629 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी यदि बेरोजगार भत्ता दिया जाए।

मैं आपका ध्यान इस दुःखद हालात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 1985 को उत्पाद-शुल्क की बकाया राशि 637 करोड़ रुपए के बराबर था। इस एक स्रोत का दोहन करने से ही आपको स्थिति का सामना करने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक मिल जाएगा। दूसरा क्षेत्र है आय कर की बकाया राशि जो कि 31 दिसम्बर, 1985 को 1,558 करोड़ रुपए के बराबर थी।

ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। मैंने इनको उन विभिन्न प्रश्नों के सदन में दिए गए उत्तरों में पाया है। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि जरूरत है आवश्यक साहस की। एक युद्ध घोषित करने का साहस, गरीबी तथा बेरोजगारी के विरुद्ध एक युद्ध घोषित करने का साहस। बहुत-से क्षेत्र हैं, जिनका संसाधन जुटाने के लिए दोहन किया जा सकता है। मैं तो यहां तक सुझाव दूंगा कि एक केन्द्रीय रोजगार कोष की स्थापना की जाए जिसमें औद्योगिक नियोजक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपना अंशदान दें और निजी क्षेत्र से भी योगदान हो सकता है और उन्हें इस केन्द्रीय रोजगार कोष में योगदान देने के लिए आयकर में रियायतें देकर प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

अतः मैंने सुझाव दिया है कि एक बार हम इस आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार कर लें कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समाज का एक दायित्व है और व्यक्ति को बिना उसके किसी अपराध के अभाव की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है तो उस स्थिति में, योजनाएं बनाई जा सकती हैं। एक शुरुआत कीजिए, भले ही एक छोटी-सी शुरुआत हो। और यदि एक शुरुआत हो जाए, तो मुझे यकीन है कि, भले ही एक छोटी शुरुआत, अंशदार शुरुआत बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता की दिशा में हो तो इस बहुत बड़ी समस्या को, जोकि हमारे सामने मुंह बांधे खड़ी है, कारगर ढंग से निपटने में हमें सहायता मिलेगी।

बेरोजगारी के विषय में बहुत देर तक बोला जा सकता है। बेरोजगारी के परिणामों—गरीबी आदि के विषय में भी बहुत बातें की जा सकती हैं। लेकिन मैं अपने को सीमित ही रखूंगा तथा इस विषय पर स्वयं अपनी वाकपटुता में नहीं बहता। इतना कहना पर्याप्त है कि बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। बेरोजगारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने में अधिक देर नहीं की जा सकती। हम अपने देश में बहुत-सी गलत बातें होते देख रहे हैं—ये बातें इसलिए हो रही हैं कि गरीबी की समस्या और भी विकट हो गयी है।

यह विधेयक न केवल काम के अधिकार को मूल आधार देना चाहता है और प्रत्येक नागरिक को काम के इस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में उपलब्ध कराना चाहता है ताकि इसको कानून द्वारा लागू किया जा सके बल्कि यह विधेयक वृद्धावस्था, बीमारी, अशक्त होने की स्थिति में तथा अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने को एक मूल अधिकार बनाना चाहता है। विधेयक कहता है कि यह एक मूल अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को अत्यन्त वृद्धावस्था की स्थिति में या बीमारी या अशक्तता की स्थिति में दुःख भरे दिन बिताने को छोड़ा नहीं जा सकता। इस बात पर मुझे बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वृद्धों की समस्याएं बढ़ रही हैं और उनकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसाकि आप जानते हैं, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव तथा आर्थिक दबावों के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन होने से, वृद्धों की देखभाल की यह समस्या विकट होती जा रही है। निश्चय ही वृद्धों की देखभाल के लिए संयुक्त परिवार सबसे अच्छी व्यवस्था है।

लेकिन, असल बात यह है कि एक लाभोन्मुख समाज में वृद्ध लोगों का हाल रोजी-रोटी की भाग-दौड़ से अलग हो जाने के बाद, बहुत खराब हो जाता है तथा वे अकेले पड़ जाते हैं। अतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्ध लोगों को किस तरह सर्वोत्तम ढंग से आर्थिक तथा सामाजिक सहायता प्रदान की जाए। महोदय, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 1961 में 5% थी जो 1971 में बढ़कर 6% हो गई है तथा 2000 ए० डी० तक इसके 7% हो जाने की आशा है। अतः हम पाते हैं कि वृद्ध लोगों को—मैं तो कहूंगा हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को—अच्छी जिन्दगी मुहैया कराने की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण होती जा रही है।

सभापति महोदय, आप भली-भांति जानते हैं कि मजदूरी, आय तथा कीमतों सम्बन्धी भूतलिंगम् समिति ने भी सरकार का ध्यान वृद्ध लोगों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया था। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं ने भी वृद्ध लोगों के लिए, हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं समझता हूं कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी प्रदेशों में (यहां पर यदि कोई गलती हो तो सुधारी जा सकती है), असंगठित क्षेत्र के गरीब वृद्ध लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था है जिसमें कई प्रतिबन्ध भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या को जो हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है तथा हमारे ऊपर मंडरा रही है, हल करने की दिशा में ये छोटे-छोटे कदम हैं। आज, मानव संसाधन के सम्बन्ध में हमारा बहुत स्वस्थ दृष्टिकोण है। मंत्रालय का नाम बदल कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया है जिसके कि और भी व्यापक कार्य हैं। हम इस बात की कद्र करते हैं कि केवल मंत्रालय का नाम ही नहीं बदला गया है, वरन् वह दृष्टिकोण में ही एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है और आज मानव संसाधनों का विकास करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है। और मंत्रालय के व्यापक कार्य हैं। अतः मैं मंत्रालय से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि·····

एक माननीय सदस्य : महोदय, हमने बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रखी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अन्य लोग भी बेरोजगारी के विरुद्ध इस लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं कह रहा था कि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाए जाने का स्वागत करते हैं, जिसका दृष्टिकोण क्रान्तिकारी है, और जिसके व्यापक कार्य हैं, लेकिन मैं मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि अपने क्रान्तिकारी उद्देश्यों के अनुरूप, इस मंत्रालय को वृद्ध लोगों के लिए, हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए। इन वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अधिक और पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक, अशक्त तथा गरीब लोगों के मामले में तथा अवांछनीय अभाव के दूसरे मामलों में सरकारी सहायता को एक मूल अधिकार बनाना चाहता है। मुझे इसकी आवश्यकता पर जोर देने की जरूरत नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे समाज की वर्तमान स्थिति में, अशक्तता को किसी व्यक्ति पर लाद दिया जाता है। आतंकवादी कार्यवाहियां हो रही हैं। बसों में जाते हुए किसी व्यक्ति को जीवन-भर के लिए विकलांग बना दिया जाता है। क्या समाज को इन आतंकवादियों के समक्ष घुटने टेक देने चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है?

अतः जनता की सहायता के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। ये न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं, जो अवश्य ही लागू किए जाने चाहिए, केवल कागज पर निदेशात्मक सिद्धान्त के रूप में ही नहीं रहने चाहिए। अपितु इनको अवश्य ही लागू किया जाना चाहिए। जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि विशेष खतरों के बावजूद उनका जीवन-स्तर बनाए रखा जाएगा। अतः जैसाकि मैंने कहा है विकलांगता के लिए सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपके घंटी बजाने का सम्मान करते हुए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं यह विधेयक सरकार से किसी प्रकार से उलझने के लिए नहीं लाया हूं। हम कहते हैं : "शैतान को अपने किए का फल मिलना चाहिए।" किन्तु यह शैतान का प्रश्न नहीं है परन्तु जैसा मैंने पहले कहा है यह एक ऐसी सरकार का प्रश्न है, जिसने गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। वे अपना कार्य कर रहे हैं। सरकार को इसके लिए श्रेय मिलना चाहिए। जिस बात पर बल दिया जा रहा है वह यह है कि समय आ गया है जब हमें इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान उसी परिमाण पर करना चाहिए जिस परिमाण पर यह समस्या इस समय बढ़ गई है। बेरोजगारी के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को यह बात मालूम होनी चाहिए और विकलांगता और अवांछनीय अभाव के मामलों में भी अच्छी आजीविका और जीवन-स्तर का आश्वासन मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को सभा के अनुमोदन के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूल चन्द डागा ने एक संशोधन की सूचना दी है। क्या वह प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक के लिए 8 अगस्त, 1986 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

सभापति महोदय : श्री राज मंगल पांडे।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए कहा है जो इस देश के लाखों बेरोजगार लोगों को प्रभावित करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इतना सरल नहीं है जितना यह प्रतीत होता है। मैं आगे यह भी कहना चाहता हूं कि श्री बनातवाला इतने बुद्धिमान अथवा इतने चतुर हैं कि उन्होंने हमें फिर कठिनाई में डाल दिया है जैसे उन्होंने शाहबानो के मामले में डाला था। कौन नहीं जानता है कि हमारी सारी विकास योजनाओं के साथ-साथ हमें साधनों की इतनी कमी है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने की हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें कुछ ऐसे कड़े उपाय करने पड़े हैं जिससे हमारी जनता, संसद सदस्य, हमारे मित्र और बाहर के लोग भी नाराज हुए हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें संसाधन जुटाने थे और यदि इस विकासशील अर्थव्यवस्था पर 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक भार डाला जाए, तो हो सकता है कि हमारी बहुत-सी विकास योजनाएं पूरी न हों अथवा रोक देनी पड़े अथवा इनके पूरा करने की अवधि और बढ़ जाए जिससे इसकी लागत बढ़ जाएगी, और हमें इसमें से क्या मिलेगा, अन्त में हमें हानि ही होगी। यदि हम ऐसा करना भी चाहें फिर भी इसमें बहुत-सी बाधाएं हैं। श्री बनातवाला ने हमें आयकर और सीमा-शुल्क बकाया के बारे में विस्तृत आंकड़े दिए हैं। ऐसा लगता है कि इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सभी न्यायालयों को बन्द कर दिए जायेंगे क्योंकि जब हम कहते हैं या श्री बनातवाला कहते हैं न्यायालयों को इन मामलों से निपटने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वतन्त्र शक्ति दी जानी चाहिए।

5.00 म० प०

श्री बनातवाला कहते हैं कि सरकार को न्यायालयों से वह सारा काम अपने हाथ में लेने की शक्ति होनी चाहिए जहां कहीं न्यायालय में कोई काम बाकी पड़ा हुआ है। न्यायालय इस बात का निर्णय लेंगे कि न्यायालयों में जो लेवी के मामले पड़े हुए हैं, वे वाद योग्य हैं या नहीं ? क्या हजारों करोड़ों रुपये वसूल कर सकते हैं ? क्या मैं श्री बनातवाला से नम्रता-पूर्वक पूछ सकता हूं कि यदि किसी प्रकार से उन्हें शक्ति दे दी जाए तो क्या वह ऐसी सारी बकाया राशि वसूल करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां समाप्त कर देंगे ? मेरे विचार में ऐसा कोई नहीं कर सकता। जब तक

हमारे यहां स्वतन्त्र न्यायपालिका है, जब तक जनता को न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अतः इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वभावतः एक विकास की अर्थव्यवस्था में हमें यह देखना होता है कि हम संसाधनों को कैसे जुटा सकते हैं। कौन-कौन से मार्ग हमारे लिए खुले हैं? हमने देखा कि राज्य विधान सभाओं में यह एक गम्भीर समस्या है। लोगों पर इतने कर लगाए जाते हैं कि वे अपने संसाधनों में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। किन्तु योजना आयोग, प्रति दिन, प्रति वर्ष उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। अब बात इस सीमा तक पहुंच गई है कि जनता इस भार को और सहन नहीं कर सकती है। प्रशासन के प्रति घोर अनादर दिखाया जा सकता है।

इस मामले में श्री बनातवाला हमारे ऊपर अरबों रुपए का बोझ डालकर आज नहीं तो कल या परसों हमें और अधिक कठिनाइयों में डालना चाहते हैं। आज वह 5 लाख रु० की राशि से आरंभ करते हैं। और कल वह कहते हैं कि इस पर एक हजार करोड़ के लगभग लागत आएगी। विशेषकर हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे सामाजिक ढांचे में क्या होगा जहां शिक्षित युवा शारीरिक काम नहीं करना चाहते हैं?

आपके जिले में भी आप देखेंगे कि हजारों लोग जो किसी न किसी तरह से एम० ए० बी० एड० पास करते हैं। गत आठ वर्षों से 50 रु० मूल वेतन पर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि वे सोचते है कि सामाजिक ढांचा ऐसा है कि उन्हें शारीरिक काम नही करना चाहिए। इस देश का क्या होगा? जब जब शिक्षित युवा शारीरिक काम नहीं कर रहे हैं, या इस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं यहां तक कि इसके पश्चात काम करने के अधिकार की भी गारंटी देनी होगी। उन्हें किस प्रकार काम दिया जाएगा? क्या उन्हें काम करने के लिए कोई स्थान अथवा कुर्सी दी जाएगी? बहुत से अर्थशास्त्रियों का विचार है कि जितने कर्मचारी यहां हैं अथवा सचिवालय या संसद अथवा राज्य विधान मण्डल में हैं, उनमें यदि 50% की कमी भी की जाए फिर भी इससे अच्छा काम होगा जो इस समय हो रहा है।

5.04 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।)

मेरे मित्र कहते कहते हैं कि उन लोगों को भी काम मिलना चाहिए जिन के पास कोई काम नहीं है। उससे क्या होगा? स्कैन्डिनेवियाई देशों में भी जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वे लोग महसूस करते हैं कि उन लोगों में काम न करने की प्रवृत्ति हो गई है और उन्हें राज्य बीमा और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। इस देश में जहां काम करना अच्छा नहीं समझा जाता है, हम उन्हें ऐसा काम नहीं दे सकते हैं जिससे उन्हें कार्यालय में कुर्सी पर बैठे रहना पड़े। क्या इस देश की अर्थ व्यवस्था उन्हें इस प्रकार की विलासिता दे सकती है? मैं इसे विलासिता समझता हूं क्योंकि शारीरिक काम हमारे पास ऐसे हर व्यक्ति के लिए है जो उसे करना चाहता है। हमारे यहां श्रमिकों का अभाव है। हमें लाखों श्रमिकों की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और असम

के श्रमिक पंजाब जा रहे हैं और वहां कर रहे हैं। उन्हें मुश्किल से प्रति दिन 20 रुपए मिलते हैं। वहां शारीरिक श्रमिकों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। समस्या तो केवल शिक्षित बेरोजगार युवाओं की है।

निस्सन्देह, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि जैसी कुछ योजनाएं आरम्भ कीं। यहां तक कि बेरोजगार युवकों को भी अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए 20 हजार रुपए दिए गए। हम यह बात मानते हैं कि धनराशि प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां हैं परन्तु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि योजनाएं तो हैं। सरकार इस बात की ओर गम्भीरता से विचार कर रही है कि ऐसे बेरोजगार युवाओं को जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है उन्हें कम से कम अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता मिल जाए और इस देश के आदरणीय नागरिक बन जाएं।

अब, मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 41 की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा :

> "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के··· अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधन उपबन्ध करेगा।"

संविधान बनाने वालों को यह आशंका थी कि जब तक देश की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित न हो तब तक काम करने अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः उन्होंने इसे निर्देश के रूप में रखा। उन्होंने राज्यों को इस प्रकार के निर्देश दिए कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जाए जिससे काम करने का अधिकार देना संभव हो जाए। यह संभावना तब हो सकती है जब देश की स्थिति ऐसी हो जाए कि हमारे पास करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि हो ताकि हम इसे "बेरोजगारी भत्ते" के लिए अन्य गतिविधियों में लगा सकें।

महोदय, विचार तो सुन्दर है किन्तु साथ ही और भी बहुत सुन्दर विचार हैं। कौन नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी की सहायता की जाए। किन्तु एक ऐसे व्यक्ति से आप कैसे अपने पड़ौसी की सहायता की आशा कैसे कर सकते हैं जिसके पास अपने बच्चों और परिवार के लिए पर्याप्त कपड़ा न हो। यही हाल सरकार का है। जिस सरकार के पास अपनी आकस्मिकताएं पूरी करने के लिए राशि अथवा साधन नहीं हैं उससे आप कैसे इसकी आशा करेंगे कि वह उन व्यक्तियों को करोड़ों रुपए भत्ते के रूप में देवें जो काम नहीं करना चाहते हैं। मेरे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है।

महोदय, यह सत्य है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुर्घटनाओं में अथवा और किसी प्रकार असमर्थ हो जाते हैं। सचमुच सरकार जनता के इस वर्ग के लिए बीमा नीति को उदार बना रही है। हम बीमा आरंभ करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि हम कुछ ऐसे पहलुओं की खोज में हैं जहां उन सभी व्यक्तियों को बीमे के अन्तर्गत लाभ पहुंचे जो किसी विकलांगता से पीड़ित हैं। बहुत सी योजनाएं हमारे विचाराधीन हैं। किन्तु उन सभी योजनाओं की सावधानी-पूर्वक जांच, निरन्तर देख-रेख की जानी चाहिए और उनके लिए भारी राशि चाहिए

क्योंकि यह सभी जानते हैं जो राशि हम ऐसी बहुत योजनाओं पर लगा रहे हैं इसमें से अधिकांश रकम उस उद्देश्य के लिए नहीं लगाई जाती है जिसके लिए यह निर्धारित की गई है। इसमें से काफी प्रतिशत राशि या तो नष्ट हो जाती है अथवा व्यर्थ जाती है क्योंकि समाज, सरकारी ढांचे तथा तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए, इन कार्यों को करने से पूर्व हमें इन सब बातों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। मैं माननीय सदस्य श्री बनातवाला को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग विकास की ओर उन्मुख है। पूर्णतः विकसित देशों की श्रेणी में आ जाने के बाद हम यह योजना बना सकते हैं। इस समय हमारे देश के लोग बेरोजगार है; असमर्थ है तथा अनेक प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त रहे हैं। अतः इस समय प्रत्येक सम्माननीय भारतीय उन्हें लाभ पहुंचाना चाहेगा। इसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु इस समय जब संचार व्यवस्था बनाए रखने, उद्योगों तथा अन्य अनेक उपयोगी कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई देने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी है। तब ऐसी स्थिति में, मेरी राय में, उपरोक्त बातों को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है। जब हमारा देश पूर्ण विकसित हो जायगा; तब हम माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव से संबंधित योजना को कार्यान्वित कर सकेंगे। जो बातें मैंने कहीं हैं; उन्हें ध्यान में रखते हुए, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य यह विधेयक वापस ले लें।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं यह महसूस करता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री बनातवाला इस बात के लिए भाग्य शाली हैं कि उन्हें वैल्ट में प्राथमिकता मिली तथा उन्हें अपना गैर सरकारी सदस्य का विधेयक आज प्रस्तुत करने का सुअवसर हुआ।

मैं एक ऐसे पहलू पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा; जिसके बारे में संभवतः अन्य सदस्य ध्यान आकर्षित करायें अथवा न करायें और वह पहलू है; आबादी का बढ़ना तथा आबादी के बढ़ने से हमारे यहां कितनी बेरोजगारी बढ़ती है।

मैं इस मामले में मेरी थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है कि मेरे आपके गैर सरकारी सदस्य के विधेयक को प्राथमिकता नही मिली है और मेरा यह विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक है; जिसमें यह मांग की गई है कि परिवार नियोजन को संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों में शामिल किया जाए। एक और संशोधन है। वह संविधान (संशोधन) विधेयक नहीं है। मैं इस विधेयक को परिवार कल्याण विधेयक कहता हूं। यह विधेयक रखा भी सकता है और नहीं भी क्योंकि इससे पहले तीन विधेयक कार्य सूची में और उसके बाद गैर सरकारी विधेयकों की कार्य सूची में यह विधेयक आता है।

मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि आप रोजगार सम्बन्धी अधिकार की बात कैसे कर सकते है जब तक आप इस देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर निश्चित नहीं कर लेते। यह बात कुछ विरोधाभास सी प्रतीत होती है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है; जो यह नहीं चाहेगा कि प्रत्येक भारतीय को अच्छा रोजगार प्राप्त हो ? किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें काल्पनिक अथवा अव्यवहारिक कहा

जा सकता है। इस बात को अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए न कि वर्तमान आबादी और बढ़ती हुई आबादी को दृष्टकोण में रखते हुए; जो अब भी बहुत अधिक है हालांकि हमारी जन्म दर कम हो रही है। भारत जैसे देश के लिए यह एक काल्पनिक विचार ही है जिसमें सभी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अब भी आबादी अधिक है और वह अब भी बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश, आज भी वृद्धि दर 2 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार की योजना के बारे में न तो बात कर सकते हैं और न ही सोच सकते हैं, क्योंकि यह विचार सर्वथा हवाई किले बनाने जैसा होगा।

माननीय सदस्य को यह सुझाव देने के लिए मैं आधे मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा, यदि वह चाहते हैं कि इस प्रकार के विधेयक को स्वीकृति मिल जाए; तो इसके साथ-साथ, हमें एक ऐसा कानून बनाना होगा जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सके और परिवार नियोजन को नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया जा सके जिससे कि ये दोनों बातें साथ-साथ चल सकें।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, यहां पर जो बिल श्री बनातवाला साहब लाए हैं उसका तो विरोध करता हूं, लेकिन कुछ भावनाएं और विचार उन्होंने यहां अपने इस बिल को प्रस्तुत करते हुए रखे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं कम से कम इनके इस विधेयक के आने से जो बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है, उस पर कुछ विचार करने का मौका दिया है। इसके साथ ही मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अपने साथी माननीय श्री दिग्विजय सिंह को देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के ऊपर बोलते हुए एक बुनियादी प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जनसंख्या की वृद्धि बहुत खतरनाक ढंग से हो रही है। यह बात सही है कि हम एक तरफ तो बेरोजगारी दूर करने की बात सोचें और दूसरी तरफ बेतहाशा ढंग से आबादी बढ़ती जाए तो यह समस्या हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे।

हमारे माननीय बनातवाला जी ने यहां पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि तीन सौ अनस्किल्ड लेबर की जगह निकलीं और उसके लिए एक लाख से अधिक लोगों ने एप्लाई किया और वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा। यही बात मान्यवर जब हम लोग अपने क्षेत्र में दौरे पर जाते हैं, तब महसूस करते हैं। हमारे पास जो लोग मिलने आते हैं उनमें 100 में से 75 नवयुवक ऐसे होते हैं, जो सिर्फ यह कहते हैं कि यहां चिट्ठी लिख दो वहां चिट्ठी लिख दो, ताकि हमें काम मिल जाए। मान्यवर यह बात भी सही है कि अगर इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया, तो निश्चित तरीके से आगे आने वाला समय अच्छा नहीं रहेगा।

मान्यवर, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमारी सरकार ने राजीव जी के नेतृत्व में जो सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि यह एक रोजगार-परक नीति है। इन्होंने गरीबी दर करने के लिए जो कार्यक्रम रखा है वह पहले से 65 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जो शिक्षित बेरोजगारों की सहायता का कार्यक्रम स्व० प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शुरू किया था, उसकी धनराशि में भी बढ़ावा किया है। इससे हमारी सरकार की

नीति और नीयत बिलकुल स्पष्ट हो जाती है और इसके लिए हमारे बनातवाला जी सरकार की प्रशंसा भी करेंगे।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने भारतवर्ष को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाने की बात कही है उसके पीछे भी सरकार की मंशा यही है कि हमारी यह 75 करोड़ की आबादी हमारे लिए अभिशाप बनकर न रह जाए। इसलिए इक्कीसवीं शताब्दी में जाने के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है। इसी कारण मान्यवर, एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई है जिसके जरिए हम कई चीजों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसी तरह से शिक्षा में भी देश में हम आगामी सत्र से परिवर्तन करने जा रहे हैं और आगामी सत्र से हर क्षेत्र में मॉडल स्कूल खोलने जा रहे हैं जिनमें ट्राइबल और पिछड़े तथा दूरदराज के बच्चे पढ़ सकेंगे। इस प्रकार से उन लोगों को भी अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिल सकेगा।

सभापति महोदय, हमने अपने संविधान में यह व्यवस्था की है कि देश के सब नागरिकों को समान अवसर शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाएंगे, लेकिन मान्यवर आज 38 वर्षों की आजादी के बाद भी हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसको अब पूरा करने जा रहे हैं। जहां हमारे आदिवासी और पिछड़े हुए श्रेत्रों में ऐसे स्कूल हैं जिनमें अध्यापक सप्ताह में एक दो बार आते हैं और सेवासुश्रूषा कराकर घर चले जाते हैं वहीं दूसरी ओर पब्लिक स्कूल हों, इन सारी चीजों की तरफ हमारी नई सरकार, जो राजीव जी के नेतृत्व में बनी है, उसका ध्यान गया है और वह सब कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। इस बजट का सम्बन्ध हमने किसानों से जोड़ा है, आज हम उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, काटेज इंडस्ट्री और पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देने जा रहे हैं। सारी की सारी मंशा यह है कि हम बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में इन करोड़ों नौजवानों को लगाने की योजना है। यह बात सही है कि हमको इस बीमारी को दूर करने के लिए गम्भीरता से तैयार होना चाहिए।

आज हमें करना क्या है? हमारे जो नौजवान पढ़-लिखकर विघटनकारी तत्वों के हाथ में फंस जाते हैं, चाहे वह नैक्सलाइटों के हाथों में या असामाजिक तत्वों के हाथों में हों, उन पर कैसे कब्जा किया जाये। उन पर कब्जा करने का रास्ता यही है कि हम उनको रचनात्मक कार्यों में लगायें। आज जो शिक्षा है, जिससे हम नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, उस तैयारी में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसके लिए हमको बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा।

गांधी जी और विनोबा भावे जी ने नई तालीम की बात कही थी। हमारे पांडे जी अभी बोल रहे थे, हमारी सामाजिक व्यवस्था बरसों से पुरानी ही चली आ रही है जिसमें हमने जात-पांत का बंटवारा कर्म के अनुसार किया है। पुराने बंटवारे के मुताबिक ब्राह्मण दान लेगा, वेद पढ़ेगा, पूजा-पाठ करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, क्षेत्रीय देश की रक्षा करेगा और सेवा का सारा काम हरिजनों को ही दिया गया है। यह भारतीय दर्शन में एक बहुत ही बुनियादी काम है। आज हमें उस पर चोट करनी पड़ेगी। जब तक हम क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लायेंगे, तब तक समाज की स्थिति नहीं

सुधरेगी। हम अपनी पूर्व संस्कृति, दर्शन, वेद-पुराण और उपनिषद के अनुसार अगर कार्यान्वयन नहीं करेंगे तो हम भारतीय नहीं कहला सकते, लेकिन कुछ चीजें इनमें ऐसी हैं जो समय के अनुसार नहीं चलने वाली हैं। आज इस सदन को और देश की जनता को यह तय करना है कि बुनियादी तौर से इन कमियों को कैसे दूर करना है। अब आगे जाति के आधार पर काम नहीं चलेगा। अभी भी वही स्थिति आज है। आज भी गांव में ब्राह्मण पूजा के अलावा कुछ नहीं करता। ठाकुर का लड़का हल नहीं जोत सकता। अगर वह हल जोतेगा तो उसको निकाल दिया जायेगा। वहां का नाई हरिजन के बाल नहीं बनायेगा।

एक माननीय सदस्य : अब व्यवस्था बदल गई है।

श्री राम प्यारे पनिका : सारी व्यवस्था बदली नहीं है, संविधान में बदली है, कार्यान्वयन में नहीं बदली है। भगवान करे हम जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें। इन्हीं बातों को करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी कृत-संकल्प है। मैं बनातवाला साहब से कहना चाहता हूं कि आज इस चीज को जिसमें कट्टरपन है, उसको दूर करने के लिए निश्चित तौर पर कानून बनाना होगा। यदि देश को आगे ले जाना है, बेरोजगारी दूर करनी है तो हमें कम्पलसरीली पापूलेशन को रोकने के लिए कानून लाना पड़ेगा। किसी एक सम्प्रदाय को इसमें आगे नहीं आना चाहिये। जब हमें मालूम है कि इस देश में सम्प्रदाय के नाम पर राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों में लोग बाधा डालते हैं तो आपको अपने विमान को बढ़ा साफ-सुथरा करके चलना पड़ेगा। हम एक नई दिशा पर चल चुके हैं। तो उसके अनुसार कार्यक्रम बनाना पड़ेगा प्रगति की बात लानी पड़ेगी। आज जो बेरोजगारी की समस्या है, आप सातवीं, आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी कर लें, इससे यह समाप्त नहीं होगी।

हाथ से काम करने की जो आदत है, वह भी मजदूरों में लानी होगी। इसी प्रकार शिक्षा में सुधार लाना होगा। मैं जापान गया था। वहां मैंने देखा कि अभिभावक तय नहीं करते हैं कि उसका लड़का आई० ए० एस० आफिसर, डाक्टर या इन्जीनियर बनेगा बल्कि मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट आदि तय करते हैं कि लड़का किस क्षेत्र में जायेगा। लेकिन हमारे देश में आई० ए० एस० अफसर चाहता है कि उसका लड़का आई० ए० एस० आफिर ही बने।

आज हम देखते हैं कि गार्जियन अपने लड़के को पास कराने के लिये मास्टर को घूस तक देने के लिए तैयार हो जाता है। जब इम्तहान का समय होता है तो मास्टर घर-घर जाता है और कहता है कि हमको गुरु-दक्षिणा चाहिये। इस गुरु-दक्षिणा का मतलब क्या है।

श्री जी० एम० बनातवाला : महाराष्ट्र में भी यह सब हुआ है।

श्री राम प्यारे पनिका : यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मान्यवर, मैं न्यायपालिका के प्रति श्रद्धा रखता हूं। मुझे पता चला है कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे फैसलों में हमें बहुत जल्दबाजी करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश में न्यायपालिका को ऊंचा रखने के लिये इस्तीफा दिया है।

मान्यवर, इसी प्रकार हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इन्दिरा जी के चुनाव को निरस्त किया था तो

20 दिन का समय अपील के लिए दिया गया था। इस पर बिहार के कुछ नेताओं ने तुरन्त इस्तीफा देने की मांग की और देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न की। जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही हुआ जैसे कि एक व्यक्ति को लोअर कोर्ट फांसी की सजा दे दे और उसे आगे अपील करने का मौका भी मिले। इस पर भी कहा जाये कि उसको तुरन्त फांसी दे दी जाये। इस प्रकार के विचार वाले कभी-कभी देश में विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा कर देते हैं। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

साथ ही साथ जनता में यह भी विश्वास पैदा करना होगा कि सर्विस में जो भी भर्ती होगी, वह उनकी योग्यता के अनुसार ही होगी। अगर कोई मिनिस्टर या एम० पी० का सिफारिशी पत्र लेकर आयेगा तो उसके आधार पर उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। स्टेट्स में हमने देखा है कि भाई-भतीजावाद, जातीयता और साम्प्रदायिकता के आधार पर भर्ती की जाती है। इसको भी हमें समाप्त करना होगा और इसके लिए सख्त सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहां एक सुपर चमार पाकर स्टेशन है, जिसका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां का जी० एम० बिहार का है, उसने सारे ड्राइवर्स बिहार के नियुक्त किये हैं। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि कमेटी बनी हुई है, उसने इनकी नियुक्ति की है। तो आज हमें पब्लिक सेक्टर से साफ कहना पड़ेगा कि यदि उन्होंने नेपोटिज्म से काम किया, भाई भतीजावाद चलाना तो यह चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह एक सर्कुलर निकाले कि सारे लोगों की भर्ती में यदि कहीं भी कोई अन्याय होगा तो कम से कम हमारी पार्टी कांग्रेस (आई) और विशेषकर युवा वर्ग उसको बरदाश्त नहीं करेगा। हमें इस देश में एक ऐसा वातावरण बनाना है और हम अपेक्षा करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी सैलेक्शन करने वाली कमेटियां हैं उनका इन्स्पेक्शन हो और इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था करा दी जाये कि यदि इस प्रकार से पाया जायेगा कि कोई फर्स्ट क्लास का लड़का नहीं लिया गया और सप्लीमेन्टरी वाले लड़के को पास करा दिया गया तो ऐसे पेपर को निकाल दिया जायेगा। मैं यह बुनियादी प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं।

आज इस देश में बेकारी दूर करने का वातावरण हमें बनाना है और अपने नौजवानों को सम्हाल कर आगे ले चलना है। मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं। आपने मवमेन्ट के कामों की भी तारीफ की है लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निदेशक सिद्धान्त हैं, उनमें भी यह दिया हुआ है कि यदि अर्थव्यवस्था ऐसी होगी, तब इसको करने का अधिकार होगा। इसलिए यदि आप कांस्टीट्यूशन को अमेंड भी कर देंगे, तब भी स्थिति वही रहेगी (सब्जेक्ट टू दि इकनोमिक कंडीशन्स आफ दि कण्ट्री); यह लिखा हुआ है। इसलिए मैं बनातवाला जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह का संविधान संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को देखें कि आज दुनिया में कितना प्रेसर है, पश्चिमी देशों में भी इतना इनफ्लेशन है कि उसको वे कण्ट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री के मजबूत हाथों ने 4.7 परसेंट इनफ्लेशन तक ही रखा है। अभी यूरोपियन कंट्रीज के दस राज्यों के आंकड़े निकले थे कि किसी तरह बड़ी मुश्किल से वे थोड़ा कण्ट्रोल कर पाए हैं। अभी दो साल पहले दुनिया के डवलप्ड कंट्रीज में 21 परसेंट इनफ्लेशन था तब भी हमारे देश में 9 परसेंट ही था। क्या यह कम उपलब्धि है? अभी जो हमारा बजट प्रस्तुत

हुआ है वह भी उसी लक्ष्य की ओर प्रेरित है, जॉब ओरिएण्टेड है। तो आज देश के नौजवानों को हमें विश्वास में लेना है और उनको ऐसी शिक्षा देनी है जो देश की उन्नति के लिए आवश्यक हो। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अधिक डिग्री कालेज खोलें। हम आई० टी० आई०, पोलिटेक्नीक, इन्जीनियरिंग और मैडीकल कालेजेज खोलें। जितने क्लार्क की आवश्यकता हो, उसी हिसाब से आप डिग्री कॉलेजेज की व्यवस्था करें। इस तरह से एक प्लान्ड वे में एजूकेशन दी जाए।

मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए, बनातवाला जी से आग्रह करूंगा कि वे इसको वापस ले लें, क्योंकि वे इस संशोधन के द्वारा जिस चीज की कल्पना करते हैं, हमारी सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। हमारे नेताओं की भी वही भावना है, इक्कीसवीं सदी में जाने की। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं अपने विद्वान मित्र पनिका जी की तरह से, बनातवाला जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका विरोध कर सकूं, इतनी हिम्मत नही है। मैं तो उनकी इस भावना का समर्थन करना चाहूंगा कि रोजगार पाना हिन्दुस्तान के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए और हरेक को रोजगार मुहैय्या किया जाना चाहिए। संविधान के नीति-निर्देशक तत्त्वों के माध्यम से, संविधान निर्माताओं ने, सरकार को इस ओर निर्देशित करने की कोशिश की है।

मगर उसके पीछे कोई कानून की शक्ति न होने के कारण इस तरफ जितना ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी, उतना ध्यान नहीं दिया गया है। यह चीज इस बात से जाहिर होती है कि आज भी एक्सचेंज में ढाई करोड़ बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज हैं। शिक्षित बेरोजगारों की इतनी संख्या है, तो अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या इससे ज्यादा होगी। हमें इस बात को कहना होगा कि देश में आज भी चालीस प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी को रेखा से नीचे रह रहे हैं। 39 सालों की आजादी के बाद और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष तक यदि हम गरीबी और बेरोजगारी को नहीं रोक पाए या उस पर नियंत्रण नहीं कर सके, तो हम किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाए हैं। इसकी भूल निश्चित तौर पर प्लानर्स को अपने सिर पर लेनी होगी। यदि हम इस भूल को स्वीकार करके इसको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा लोकतन्त्र, जिसके प्रति हम कमिटेड हैं, उसके ऊपर कहीं-न-कहीं से आंच आएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, यदि हमने बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई नहीं शुरू की, इसको खत्म करने के लिए युद्ध प्रारम्भ नहीं किया, तो निश्चित तौर पर इसका असर हमारी व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा।

श्री बनातवाला जी द्वारा कहा गया कि सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार ने न केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए अपेक्षित धनराशि दी है, बल्कि कृषि मंत्रालय को और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया है। चाहे एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम हो या आर० एल० ई० जी० पी० का कार्यक्रम हो या हमारी रोजगार गारन्टी की योजना है। सरकार द्वारा इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम इस बात को कहने की स्थिति में नहीं है कि हम बेरोजगारी का जो प्रतिशत है, उसको हम नियंत्रित कर पाए हैं। मेरा

निवेदन है कि जब तक हम बेरोजगारी के प्रतिशत को नियंत्रित नहीं करते हैं, तब तक कम से कम पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता हमें देना चाहिए।

जहां तक विकलांग, वृद्धावस्था और पैंशन का सवाल है, सरकार ने काफी पैसा इस मद में रखा है। हम रा लोक कल्याणकारी राज्य है। इस लोक कल्याणकारी राज्य में यदि हम ऐसे लोगों को जो जरूरतमन्द हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनको कोई सहारा नहीं हैं, उनको सहारा देने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो मैं समझता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य की हमारी मन्शा पूरी नहीं होगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना धन इस मद में रखा गया है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। यह कोशिश की जानी चाहिए कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, विकलांग, वृद्धावस्था जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी मदद सरकार किसी न किसी रूप में करें। जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनको रोजगार देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। वह रोजगार किस प्रकार का होगा, इसका निर्धारण सरकार को अपनी सीमाओं को अपनी वित्तीय स्थिति को देखकर करना होगा। मैं नहीं कहता कि आप हर व्यक्ति को क्लर्क की नौकरी दीजिए। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी शिक्षा-नीति क्लर्क पैदा करती है। सरकार की शिक्षा नीति जो आज तक चली आई है, उसको कन्डैम करने का मैं पक्षधर हूं। मेरी तो यह मान्यता है कि आज का जो भारत है, उसको बनाने में किसी न किसी प्रकार से हमारी शिक्षण संस्थायें और उन शिक्षण संस्थाओं से निकले हुए लोगों का हाथ है। सवाल इतना है कि जो वातावरण बदला है, उस बदले हुए वातावरण के अनुरूप हमारी शिक्षा नीति को ढालना है। शिक्षा निश्चित तौर पर रोजगारोन्मुख होनी चाहिए। मगर रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति के नाम पर यदि आज तक की शिक्षा नीति को कन्डैम करेंगे तो उससे हमारी उपलब्धियों के ऊपर एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जहां इस बात का मैं हामी हूं कि शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख बनाने की जरूरत है, वहां पर मैं इस बात को जोर देना चाहता हूं कि रोजगारोन्मुख का अर्थ यह होना चाहिए कि व्यक्ति श्रम के महत्व को समझे और काम करने की महत्ता को समझे। हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम होने के बावजूद भी हम बहुत सारे लोगों को उन कार्यक्रमों को लाभ देने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए हैं। उसके लिए अपेक्षित वातावरण बनाने की जरूरत है और वह अपेक्षित वातावरण बनाने में हम राजनीतिक रोग मदद कर सकते हैं और सरकार अपने विभिन्न माध्यमों से मदद कर सकती है क्योंकि जब तक लोग स्वयं अपनी बेरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए किसी न किसी प्रकार से रोजगार में हाथ बटाने के लिए काम करने के लिए आगे नहीं आयेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। केवल सरकारी प्रयत्नों से काम चलने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि मुझमें इतना साहस नहीं है कि मैं बनातवाला साहब ने विधेयक का विरोध कर सकूं क्योंकि उन. बिल में जो मन्शा निहित है, जो भावना निहित है, वह भावना अकेले बनातवाला साहब की नहीं है बल्कि उसके पीछे हजारों, हजार लोगों की भावना निहित है, हजारों हजार लोग के दुःख दर्द को अभिव्यक्ति देने का वह माध्यम है। इसके माध्यम से हम को कम से कम इसमें हाथ बटाने का, उसमें शिरकत करने का मौका मिला है। मैं यह नहीं कहता कि जिस रूप में बनातवाला साहब ने यहां पर विधेयक प्रस्तुत किया है, उसी रूप में उसको स्वीकार करें। उस रूप में स्वीकार करने में सरकार के सामने कई दिक्कतें हो सकती हैं मगर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं चाहे योजना मंत्री जी इसका जवाब दें या मानव संसाधन मंत्री जी

इसका जवाब दें, उनको यह एस्योर करना चाहिए कि बेरोजगारी का प्रतिशत घटाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कारगर काम होगा और एक निश्चित प्रतिशत हमको बताना चाहिए कि इतने प्रतिशत तक हम बेरोजगारी को नियन्त्रित करने में सफल होंगे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, यह विषय सदन में, मेरी समझ में, तीन या चार बार आ चुका है और यह बात भी साबित हो चुकी है कि कई बार ऐसे बिल आए हैं और वाइल्ज्ड लोगों ने वापस ले लिए हैं और लेने भी चाहिए क्योंकि यह कानून है क्या, अनएम्पलायमेंट एलाउन्स ? बेकारों को भत्ता देने की बात की जाती है। इस तरह से तो देश में जो साधु-सन्यासी हैं, वे भी कहेंगे कि हम बेकार हैं और हमारा कोई धंधा नहीं है और यह एक नई बात है कि देश के अन्दर लोग कहते हैं कि दास मूलका कह गए, सब के दाता राम।...(व्यवधान)...वे लोग भी बेरोजगार हैं। किसने उनको बैरागी बनाया है। हमने तो बनाया नहीं। लोग काम करना नहीं चाहते। आप उनसे काम लीजिए और उनसे काम कराइए।

आपने लिखा है, 100 करोड़ रुपए और मैंने बिल को भी देखा है। अन्दाजन 100 करोड़ रुपए आपने खर्च बताया है। आपने अपने बिल में यह सजेशचन दिया है कि 10 करोड़ रुपए साल रखा जाए और जब मैंने बिल को पढ़ा, तो मुझे आश्चर्य हुआ। हमारी सरकार ने इसी साल जो बजट पेश किया है, उसमें उसने कहा है कि एन० आर० ई० पी० के अन्दर हम को जो रुपया खर्च करना है, वह 443 करोड़ रुपए है, हमको आर० एल० ई० जी० पी० में 428 करोड़ रुपए खर्च करना है। 633 करोड़ रुपए है और आई० आर० डी० पी० में 428 करोड़ रुपए खर्च करना है। बिल में आपने जो फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम रखा है, उसमें 100 करोड़ रुपए इसके लिए रखा है। मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि आप किन को काम देना चाहते हैं, अनएम्पलायड किन को कहना चाहते हैं। क्या आप कहेंगे कि मनचाहा काम करो। एक डाक्टर को डाक्टर का काम देना चाहिए। आज लोगों को मेहनत करनी चाहिए और श्रम करना चाहिए। कई लोग पार्लियामेंट में ऐसे हैं, जिनके पास जमीन है और वे खेती नहीं करते हैं। वे जमीन लेकर बैठ गए हैं। मेरा कहना तो यह है कि जो बोय, उसका खेत, जो जमीन जोतता है, उसका खेत। जमीन उसको दे दो, जो खेती करता है लेकिन जमीन भी रखते हैं और पार्लियामेंट के मेम्बर भी बनते हैं और बिजनेस भी करते हैं। एक आदमी सारी दौलत को अपने घर में जमा करना चाहता है। एक आदमी को एक काम दीजिए। समाजवाद का मतलब यह है कि जो काम करना चाहे, उसको काम दिया जाए।

सभापति जी आप उड़ीसा को ले लीजिए। वहां अभी लोगों में सामन्ती आदतें हैं। वहां के सामन्ती लोगों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। सुन्दरलाल जमीन लेकर बैठे हुए हैं। जो खेती नहीं करता है, जमीन उसके पास नहीं होनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहता था कि बेकारी के सवाल के लिए इन्होंने जो बिल रखा है वह इन्होंने पूरे इरादे के साथ नहीं रखा है। ये सौ करोड़ रुपया अनएम्पलाएमेन्ट के लिए खुद बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि सात करोड़ लोग बेकार हैं। फिर सौ करोड़ रुपए से क्या होगा ? मेरे ख्याल में तो इनका इरादा भी नहीं मालूम होता है।

मैं कहना चाहता हूं कि कई राज्यों में अनएम्पलाएमेन्ट है और कई राज्यों ने राईट टू वर्क

कानून बना रखा है। जिन राज्यों में राईट टू वर्क है और ड्यूटीज भी हैं मुझे यह बताइए कि उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है या नहीं। वे कोर्ट में अपने राईट मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं। यहां के लिए आपने कर दिया है। इससे तो सारे लोग कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि हमको रोटी दो। हमको यह अधिकार है और हमको भत्ता दीजिए। भत्ता लेने की आदत आप हिन्दुस्तान के लोगों में डाल रहे हैं। मैं इसे ठीक नहीं मानता।

एक मुसलमान बादशाह था। उसके पास कोई फकीर गया। बादशाह ने उसे खाने पर बुलाया। फकीर ने कह दिया कि मैं अपनी कमाई का खाना खाता हूं। आप तो मुझे एक दिन खिला देंगे। मैं तो मेहनत करके अपना खाना खाता हूं। यह है हिन्दुस्तान की कल्चर। यह भत्ता मांगना, भत्ता लेना हिन्दुस्तान के लोगों के लिए अपमान है। यह इन्सान का अपमान है। ऐसी आदत मत डालिए। जो हाथ से स्वाभाविक रूप से काम करने वाला है वह कभी हाथ नहीं पसारेगा।

आप बताइए यूरोप में कौन-सी कन्ट्री है? या आप अमेरिका को ही ले लीजिए। किसी कन्ट्री में भी आप बताइए कि यह पावर्स हैं। मैंने बहुत सी कन्ट्रीज के बारे में आर्टिकल पढ़े हैं। कहीं राईट टू वर्क नहीं है। चौधरी साहब आप उन कन्ट्रीज के हिमायती हैं। यह चेकोस्लोवाकिया, चाइना, इजीप्ट, इराक, जापान जो कन्ट्रीज हैं इनके बारे में सारे आर्टिकल इसमें लिखे हैं। आप यह बताइये कि वहां पर राईट टू वर्क है। क्या उनको अदालत में जाने का अधिकार है? अगर हमारे यहां यह फण्डामेन्टल राईट बन जाएगा तो क्या होगा? डाइरेक्टली लोग कोर्ट में जाने लगेंगे।

आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। हमने आई० आर० डी० पी० में कहा है कि हम एक लाख पन्द्रह हजार फैमिलीज को गरीबी की रेखा से ऊपर लाएंगे। आने वाली योजनाओं में दस करोड़ लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं। हमने आई० आर० डी० पी०, आई० आर० डी०, एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम रखे हुए हैं। ये गरीबी के एलीवेशन के कार्यक्रम हैं। आप इनसे लाभ उठाना नहीं चाहते हैं। अब खादी के कपड़े पहनने का कार्यक्रम चला दें और कहें कि खादी का कपड़ा पहनेंगे। इससे हजारों को काम मिल जाएगा। कबीरदास जी थे, जुलाहे थे और उन्होंने जिंदगी भर काम किया और रोटी कमाई।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसके लिए कानून बना दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : कानून नहीं बनाना चाहते। आपका क्या है, आपके लिए तो धर्म कोई चीज है नहीं, रेलीजस इज ओपियम फार यू, धर्म क्या है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे लिए नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे न कोई ऊपर है न कोई नीचे है, बस अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं पूरा करो। हम इस भौतिक जगत से ऊपर भी सोचते हैं। हिन्दुस्तान में एक ही बात थी जिसने हिन्दुस्तान को ऊपर उठा किया। हिन्दुस्तान में ऐसी चीज है जो इस भौतिक संसार से बहुत ऊपर है। जब आप चांद सितारों को रात में देखो तो जरा ठंडे दिमाग से

सोचो। आदमी को कुछ ऊपर उठकर प्रकृति के साथ रहना चाहिए। आदमियों की इच्छाएं कम नहीं हुई हैं। आप कहते हैं कि कानून बनना चाहिए, आज कांग्रेस के राज में जमीन का बटवारा हुआ है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : अगर नहीं हुआ तो आपने ही नहीं होने दिया। वैस्ट बंगाल में आप उनको पीटते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सबसे ज्यादा उधर ही हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : अगर ठीक तरह से लैण्ड रिफार्म हो जाता तो गरीब लोगों को जमीन मिलती। हम लोग चाहते हैं कि परिवार नियोजन हो पर आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए, आप कहते हैं कि हमारा धर्म मना करता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कोई मना नहीं करता है, हो जाए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इनको बीच में बात करनी है, यही बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ रथ) : बीच में मत बोलिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : दे हैव बीन गिवन राइट, मैंने एक बात कही कि उनको अपने राइट को एन्फोर्स करने का, किसी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन देशों में लोगों को काम मिल जाएगा तो वे कोर्ट में क्यों जाएंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अब मैं आपसे कहना चाहता था, क्योंकि आप भत्ता देना चाहते हैं। फण्डडमेंटल राइट बनेगा, आप क्या चाहते हैं। आज हमारे यहां एजेड आदमियों को पेंशन मिलती है। जिस आदमी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उस आदमी को सरकार [की ओर से प्रतिमास कहीं 40 रुपए, कहीं मेंटीनेंस के लिए सौ रुपए, सब जगह से सहायता दी जाती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कहां मिलती है ?

श्री मूलचन्द डागा : आपके वैस्ट बंगाल में नहीं मिलती होगी, राजस्थान में बराबर मिलती है, मैं राजस्थान के बारे में जानता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कितने लोगों को मिलती है ?

श्री मूलचन्द डागा : जितने आदमी असहाय होते हैं, जिनके यहां कमाने वाला नहीं होता। हम ज्वाइन्ट फैमली में विश्वास करते हैं। आप चाहते हैं कि बाल-बच्चों से लेकर भी खाएं और सरकार से लेकर भी खाएं, आप दो बातें चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में पेंशन उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों के घरो में खाने साधन न हों। जिनके बच्चे कमाते हों, ज्वाइंट फैमली में रहते हों, पूंजी हो, करोड़ों रुपए इस तरह से सरकार के बच जाएंगे अगर उनको पेंशन न दी जाए। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पेंशन उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनके पास कमाने-खाने के साधन न हों। आज क्या हो रहा है, हर बड़े आदमी को रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती है, क्यों दी जाती है, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, रुपया कमाते हैं, जिनके पास पूंजी है, फिर भी उनको पेंशन मिलती है। अगर यह पेंशन का करोड़ों रुपया सरकार बचाकर गरीबों को दे दे या लोगों को काम पर लगा दे तो काफी लाभ होगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप बेरोजगारी भत्ता न दें तो बहुत अच्छा है। वे कहते हैं कि कम्युनिटी असेट्स पैदा करिए। एन० आर० ई० पी० में क्या चाहते हैं, बांध बनाइए, स्कूल और रोड्स बनाइए तथा सोशल फारेस्ट्री लगाइए। ये तो आपकी असेट्स बन जायेंगी और गरीबी दूर करने का साधन समाज के लिये होगा। लीन सीजन में एग्रीकल्चर लेबर को कोई काम नहीं होता, उसको काम पर लगाइए, भत्ता देने से निकम्मा मत बनाइए। "खाली दिमाग, शैतान का घर" होता है। आप तो बेकारी भत्ता देना चाहते हैं। कोई बूढ़ा आदमी आ जायेगा और कहेगा कि हम बेकार हैं, हमें भत्ता दिया जाए। उससे पूछें तो कहेगा कि मेरे दो-तीन बेटे हैं जो आई० ए० एस० या दूसरी अच्छी जगह पर हैं। हिन्दुस्तान को इस तरह से आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर या स्वाभिमानी बनाना चाहते है और यह जो कानून लाए हैं, उससे स्वाभिमान को धक्का लगेगा। सारा संविधान कहता है कि स्टेट के अन्दर जितने आपके मीन्स है, उन मीन्स पर कब्जा होना चाहिए। ये मीन्स लोगों के पास होने चाहिए। जो पढ़ा-लिखा है वह तो बाबू बनना चहेगा, वह जमीन नहीं खोदेगा। किसी और से पूछा जाए तो वह कहेगा कि मैं डाक्टर बनना चाहता हू।...(व्यवधान) इस ऐक्ट को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि जनसंख्या आपने बताई है कि बेकार है, वह इसलिए है कि लोग जान-बूझकर काम पर नहीं जाते हैं। कुछ लोगों के पास पूंजी जमा है। समाजवादी समाज बनाने के लिए उस पूंजी का हिसाब करना पड़ेगा। जो कुतुब मीनार पर खड़ा है, उसको नीचे ले आओ और जो नीचे है, उसको ऊपर ले जाओ। सवाल यह था कि मीन्स पर कब्जा किया जाए। आपने मीन्स पर कब्जा नही किया। आपने तो कहना शुरू कर दिया कि यह कानून लाइए। आप तो यह कहते हैं कि इस राइट को बदल दीजिए। हमने तो पहले ही यह कह दिया कि हर आदमी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। उनकी गरिमा की रक्षा हमें करनी है, यह सरकार की नीति है। आपके सामने उन कन्ट्रीज की बात करना चाहता हूं जिन कन्ट्रीज ने इस कानून को पास किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ रथ) : श्री डागा, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

5.58 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 10 मार्च, 1986 के 11 बजे म० पू० तक पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 मार्च, 1986/19 फाल्गुन, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

---

*दिनांक 7-3-86 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

मुद्रक : स्टील स्लेट मैन्यूफेक्चरिंग कं० (प्रेस डिपार्टमेंट दिल्ली)